राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 5

गुरुवार,

17 फरवरी, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान

55. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) के स्थान पर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितनी गौशाएं कार्यरत हैं ? सूची स्थान एवं नामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त पंजीकृत गौशालाओं को दिया जाने वाला अनुदान वर्तमान में बंद कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितना अनुदान दिया जा रहा है ?

(3) जिले में अकाल की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार उक्त पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान पुनः शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : रिछपाल सिंह मिर्धाजी ने अथोराइज किया है उन्हें।

पशुपालन मंत्री (श्री प्रभुलाल सैनी) : अध्यक्ष महोदय, (1) जिला नागौर में 77 पंजीकृत गौशालाएं है। नामवार व स्थानवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(2) अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में स्थित पंजीकृत गौशालाओं को निर्धारित अवधि हेतु अनुदान दिया जाता रहा है। वर्तमान में अभावगस्त घोषित क्षेत्रों में स्थित गौशालाओं हेतु आपदा एवं सहायता विभाग द्वारा प्रतिदिन बड़े पशु रुपये 18/- एवं प्रति छोटे पशु रुपये 9/- का अनुदान जिला प्रशासन के माध्यम से दिया जाना निर्धारित है।

(3) अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में स्थित गौशालाओं में संधारित पशुओं को दियं जाने वाला अनुदान निर्धारित है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सवाल यह था कि क्या गौशालाओं को अनुदान बंद किया हुआ है ? बंद किया हुआ है तो कब चालू करेंगे और अगर सरकार यह कहती है कि चालू है तो कितना दिया जा रहा है ? आपने दोनों सवालों का जवाब खण्ड-ख और ग का यह दिया है कि निर्धारित है। ये तो सही है निर्धारित तो बहुत दिन से है लेकिन क्या वास्तव में जिला नागौर की 77 गौशालाओं में आज की तारीख में अनुदान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है ? आप स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि राजस्थान सरकार द्वारा और पशुपालन विभाग के द्वारा सिर्फ अभावग्रस्त क्षेत्रों के समय में ही उन पशुओं को अनुदान दिया जाता रहा है इसके अलावा किसी भी गौशाला को उनके द्वारा कोई अपनी प्रस्तावित परियोजना या अपने काम-काज का ब्यौरा प्रस्तुत करने पर ही विशेष रूप से दिया जाता है अन्यथा कोई किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, आप देखिये गाय माता से जुड़ा हुआ सवाल है आप इसको आसानी से मत लीजिये। मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि आज की तारीख में वहां अनुदान नहीं दिया जा रहा है, आप दिलाने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बड़ी गम्भीर है। मैं भी उनकी बात से सहमत हूं लेकिन मैं सदन में यह जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य में अभी अभावग्रस्त क्षेत्रों में 164 ऐसी गौशालाएं हैं जिनको राज्य सरकार आपदा कोष से राशि दे रही है उनमें से 42 गौशालाएं नागौर की हैं उनको भी अनुदान उपलब्ध कराया गया है। 1 जनवरी से यह लागू हो गया है और उनको दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : कितना दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : 45 को बता रहे हैं न 45 को दिया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में जो पुराना अकाल का बकाया है वो भी नहीं दिया गया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नागौर की 42 गौशालाएं जो अभावग्रस्त घोषित हैं...

श्री अध्यक्ष : एक समय में एक। वो खड़े हैं आप विराज जाएं आपको भी दूंगी मौका।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नागौर की 42 गौशालाएं जो अभावग्रस्त घोषित हैं उनको 1 जनवरी से आज तक कितना अनुदान गौशालावाइज दिया गया है यह बता दें।

एक माननीय सदस्य : आचार संहिता लगी हुई थी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : अनुदान देने में कहां आचार संहिता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अनुदान में आचार संहिता कहां लगती है।

श्री अमराराम (धोद) : आचार संहिता का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जुबेर खान : आचार संहिता का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दें कि जनवरी माह में गौशालाओं को कितना अनुदान सरकार की तरफ से दिया गया है।

श्री प्रभुलाल सैनी : आप सुनेंगे तो बताऊंगा न। आप सुनें तो सही।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं...

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : पिछले अकाल का भी बकाया है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी जवाब दिलवा दें साथ-साथ।

श्री प्रभुलाल सैनी : हां, वो भी देंगे प्लीज।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, जब आप विराज जाएं वो बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि नागौर जिले में पांच सौ से अधिक गांव पिछले साल राज्य सरकार ने अभावग्रस्त घोषित किये हैं और नागौर जिले में कुल 77 गौशालाएं ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं और उसके बावजूद उन पूरी 77 गौशालाओं को आज भी आप अनुदान नहीं दे रहे हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब अकाल राहत कार्य पिछले साल ही प्रारम्भ कर दिये गये तो इन गायों को अनुदान आप 1 जनवरी से क्यों दे रहे हो ? आप पिछले साल से जब से अभावग्रस्त घोषित किया है जब से फेमिन के काम शुरू किये हैं तब से क्यों नहीं दे रहे हो ? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में कुल 77 गौशालाएं हैं जिनमें से 42 गौशालाओं को अभावग्रस्त घोषित किया है।

डा. सी.पी. जोशी : गौशालाओं को ?

श्री अध्यक्ष : क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में है वो मतलब यह है उनका।

डा. सी.पी. जोशी : गौशालाओं को किया है कि गांवों को किया है ? ये गौशालाओं को अभावग्रस्त घोषित कह कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वो जिस क्षेत्र में हैं। हां तो क्षेत्र से मतलब है...

श्री प्रभुलाल सैनी : गौशालाओं की बात कह रहा हूं, गौशालाएं उसमें आयी हैं इसलिए उनको किया है।

डा. सी.पी. जोशी : ....(व्यवधान) इनमें गौशाला है बाकी में गौशाला है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब आप तो शब्द पकड़ रहे हो मंशा तो जान नहीं रहे, उनकी मंशा समझिये।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरा पूरा जवाब नहीं सुन कर बीच में ही बोल रहे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी लीजिये।

श्री प्रभुलाल सैनी : वहां पर 77 गौशालाओं में से 42 गौशालाएं हैं जो अभावग्रस्त घोषित क्षेत्र में आती हैं और उनके लिए अभावग्रस्त क्षेत्र संवत् 2061 में राज्य सरकार द्वारा 25 जिलों में तीन करोड़ रुपये की राशि दवाइयों और पशु चिकित्सालयों के लिए आबंटित की गयी है उसमें पांच लाख रुपये की स्वीकृति नागौर के लिए भी की गयी हैं।

इसके साथ ही मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि गौशालाओं में अनुदान के लिए और चारा परिवहन के लिए राज्य सरकार के द्वारा 20 करोड़ 50 लाख स्वीकृत किये गये हैं उसमें से अकेले नागौर की गौशालाओं के लिए एक सौ लाख रुपये आबंटित किये गये हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतायें कि 42 गौशालाएं जो अभाग्रस्त गावों में चल रही हैं उनको आपने सैंक्शन नहीं, उनको अनुदान कितना वितरित किया है ? वो बता दें।

श्री जुबेर खान : ....(व्यवधान) सैंक्शन तो आपने एक करोड़ कर दिया ....(व्यवधान) सैंक्शन से कोई मतलब नहीं है। हकीकत में वहां नहीं मिल रहा है, व्यवस्था कराइये।

श्री अमराराम (धोद) : आपने आज तक अकाल में अभावग्रस्त घोषित गौशालाओं में नागौर में अनुदान कितना दिया वो बता दें। सैंक्शन कौन पूछ रहा है ? आपने अनुदान उन 42 गौशालाओं को दे दिया वो बता दो। नहीं दिया तो यह बता दो कि नहीं दिया और देने की इच्छा नहीं है....

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप खड़े क्यों हो जाते हैं बार-बार और जब दूसरे बोलते हैं तब भी आप खड़े रहते हैं।

एक माननीय सदस्य : एक ही तो आदमी है इनके पास।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष कह रहा है कि उनके पास एक ही सामान है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि एक ही सामान है उनके पास।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 43 गौशालाओं को 33.82 लाख रुपये उनको दे दिया गया है जिला स्तर पर....

श्री संयम लोढ़ा : ....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद।

श्री प्रभुलाल सैनी : आप मेरी बात को सुनिये पहले। एक मिनट मेरी बात सुनिये। आप मेरा जवाब तो आने दीजिये माननीय सदस्य आपकी भावना को मैं जानता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : सामान को आपने संसदीय मान लिया इसका धन्यवाद आपको।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित नहीं है लेकिन वहां पर गायों को खुला छोड़ दिया गया है और वो हजारों की संख्या में भूखी मरती इधर-उधर फिर रही हैं। गांव वालों ने, ग्राम

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

पंचायतों ने उनको पकड़-पकड़ कर बंद कर दिया लेकिन उनके पर्याप्त चारे की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उन गौमाताओं की सुरक्षा के लिए और उनके चारे पानी की व्यवस्था के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया मंत्रीजी ने। गांव अभावग्रस्त घोषित है उस गांव की गौशालाओं को अनुदान नहीं दे रहे हैं। नागौर जिले के जो गांव मैंने आपसे निवेदन किये अभावग्रस्त घोषित हैं वहां की गौशाला को अनुदान आप नहीं दे रहे हो और दूसरे जिन 42 गांवों को दे रहे हो उनको भी एक जनवरी से दे रहे हो जबकि आपको जब से अकाल के काम आपने शुरू किये तब से देना चाहिये था। अभावग्रस्त गांवों को क्यों नहीं दे रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पिछले वर्ष का गौशालाओं का अनुदान भी बकाया है और अभी भी जो हमारे अभावग्रस्त गांव हैं उनमें भी आपने अनुदान चालू नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थित गौशालाएं हैं उनमें और अभावग्रस्त क्षेत्रों में जो गौशालाएं हैं इन दोनों में अनुदान देने का जो क्राइटेरिया बनाया है यह सरकार की नीति है या नियमों में है ? और यदि नियमों में है तो किन किन नियमो में है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश चन्द्र कुमावत।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : जिन गौशालाओं को राज्य सरकार अनुदान देती है और उन गौशालाओं को किसी दूसरी एजेंसी द्वारा सहायता मिलती है तो क्या राज्य सरकार उस राशि की कटौती करेगी ? यदि नियमों में है तो वह बताया जाये कि किन नियामें में करेगी और यदि नहीं तो पिछली बार

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

राज्यपाल महोदय द्वारा कथा करके राशि एकत्रित की गई थी और कुछ गौशालाओं को उन्होंने राशि दी थी लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने उस राशि की उन गौशालाओं में कटौती कर ली थी वह क्यों की गई थी ?

श्री अध्यक्ष : इतने प्रश्न आ गये जवाब दे देने दीजिए।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार हाथ खड़ा कर रहा हूं, लगातार हाथ खड़ा कर रहा हूं। मेरे बाद में सबको आपने मौका दिया और मैं लगातार हाथ खड़ा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इतने प्रश्न पूछ लिये हैं वह भूल जायेंगे जवाब आने दीजिए। आपको बाद में मौका मिलेगा। मंत्रीजी।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि नागौर जिले में अभावग्रस्त घोषित होने के बाद भी गौशालाओं को अनुदान नहीं मिल रहा है। इसके बारे में मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार के स्तर पर प्राकृतिक आपदा एवं अकाल राहत मद से पैसा जिला कलक्टर्स को भिजवा दिया गया है इसकी जानकारी मैंने पूर्व में भी आपको दी है, वहां पर 42 गौशालांए हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो दे दिया आपने। इनका कहना यह है कि 1 जनवरी से पूर्व क्यों नहीं दिया।

श्री प्रभुलाल सैनी : उनमें से 33.83 लाख जिला कलक्टर को भिजवा दिये गये हैं। यदि उन गौशालाओं को पैसा नहीं पहुंचा है तो उसकी जानकारी कराकर शीघ्र माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : फिर आपको क्या जानकारी है, सदन में क्या तैयारी कर के आये हैं ? यह असेम्बली में क्वेश्चन लग गया आप यह जवाब देने की स्थिति में नहीं हो कि कितनी गौशालाओं को पैसा दे दिया। ऐसे ही बिना तैयारी के आप आ गये। अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली बात नहीं है, यह कोई साधारण विषय नहीं है। एक जिले की तैयारी नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जानकारी कर लेंगे तो फिर क्या जानकारी कर लेंगे। केवल नागौर जिले की गौशालाओं के लिये अनुदान की बात है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कलक्टर को भिजवा दिया। गौशाला को अनुदान कितना मिला यह जानकारी करेंगे तो फिर मंत्री महोदय किस बात के लिये हाउस में आये हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आप प्रताड़ित करो इनको।

श्री अमराराम (धोद) : यह बता दो कि आपने कलक्टर को कितनी तारीख को राशि भिजवाई है। यह भी इनको पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : तारीख सही बताइए मंत्री महोदय। गौमाताओं के साथ राजनीति मत करो, धोखाधड़ी मत करो। तारीख सही बताना।

एक माननीय सदस्य : बता रहे हैं, बता रहे हैं आपको, बीच में मत बोलो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, आप भी बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में 14 फरवरी, 2005 को...

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह अकाल का मामला है, सरकार का मैनेजमेंट है, गौ के प्रति इनकी सहानुभूति है और 14 फरवरी को पैसा रिलीज किया है। अकाल राहत के काम कब शुरू हो गये थे ? इससे बड़ा दुर्भाग्य और स्थिति क्या बन सकती है कि इस सरकार ने कलक्टर्स को 14 फरवरी को पैसा रिलीज किया है। अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के काम कब शुरू हो गये थे, इससे बड़ी और गम्भीर बात नहीं हो सकती है कि राजस्थान के अकाल के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में सरकार कितनी गम्भीर है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार पूरी गम्भीर है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपको सरकार को प्रताड़ना देनी चाहिये। (व्यवधान) आज राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। लोगों को तकलीफ है और सरकार 14 फरवरी को पैसा रिलीज कर रही है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, हर गांव में गायें मर रही हैं, पशु तड़प रहे हैं और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) कहीं गायें नहीं मर रहीं हैं। यह घड़ियाली आंसू हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सरकार की गम्भीरता देख लीजिए। परसों सरकार ने स्टेटमेंट दिया है उसके बाद पैसा रिलीज नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : (व्यवधान) इसको कारगर ढंग से आपने नहीं रोका।

डा. सी.पी. जोशी : भाषण देने से कुछ नहीं होता है। (व्यवधान) इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

(अध्यक्षपीठ ने संकेत द्वारा अंकित नहीं करने का आदेश दिया)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब देने के लिये खड़े हैं। मिस्टर जारोड़ा, वहां खड़े हैं जवाब दे रहे हैं। आप एक साथ खड़े होकर शोर करने लग गये। बैठे-बैठे न ही बोलें नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं आप सुनना नहीं चाहते।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : यह गलत तरीका है।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री जुबेर खान : ×××

श्री अध्यक्ष : यह क्या हे हे हो रहा है, कौन कर रहा है यह। यह क्या तरीका है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य आप अपनी बात दर्ज कराना चाहते हैं, मंत्रीजी का उत्तर सुनना नहीं चाहते यह बात गलत है। आप शांति से उनका जवाब सुनिए, जवाब दे रहे हैं सुनिए आप।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, वह जवाब दे रहे हैं। आपस में बात नहीं करें।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण इस बात को गम्भीरता से नहीं लेकर अपना यह प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम सदन में सबसे ज्यादा बोलना चाहते हैं लेकिन मैं प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा जिना बोलने की क्षमता रखते हैं उतना सुनने की भी क्षमता रखें और मैं जो कह रहा हूं उस बात को आत्म-मन से सुनिए। आपका कोई पूरक प्रश्न है तो मैं सदन के समक्ष उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : नियमों में प्रावधान है, दूसरे तरीके से आइए आप। Let him give the answer.

श्री प्रभुलाल सैनी : मैंने मोटी-मोटी बात आपको यह निवेदन की है, गौशालाओं के लिए ....(व्यवधान) हा-हूं और पशुओं की आवाज निकालना, यह तो कोई अच्छा दृश्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हा-हूं क्या कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : सुनिए, सुनिए।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदया, राज्य सरकार ने खुले मन से गौ-माताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में इतनी बड़ी राशि, उनके संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनको दवाई-पानी के लिए, उनकी और भी सुरक्षा के लिए जारी की है। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक राज्य सरकार ने नागौर जिले के लिए 150 लाख रुपये गौशालाओं के लिए स्वीकृत किए हैं। आगे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि माननीय ....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाह रहे। शोर मचा रहे हैं, जवाब सुनना नहीं चाहते।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : xxx

श्री अध्यक्ष : यह क्या तरीका है ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री प्रभुलाल सैनी : एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, ठीक है आप बोलते रहिए। (व्यवधान) आप सदन के सबसे ज्यादा बुद्धिमान वक्ता हैं माना, लेकिन आप उतने हैं नहीं जितना आप समझ रहे हैं। पहले मेरा मेरा जवाब सुनिए आप लोग। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने यह निवेदन किया है....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनना है तो बाहर चले जाइये।

श्री प्रभुलाल सैनी : 150 लाख के अलावा, जैसा कि फरवरी की तारीख को देखकर माननीय सदस्य उत्तेजित हो गए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पांच लाख रुपये फरवरी में उनके उपचार के लिए, दवाइयों के लिए आबंटित किये। जहां तक राजस्थान में सरकार गायों के प्रति इतनी गम्भीर है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में ना बोलें।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री ओम बिरला : ×××

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे। आप शोर मचा रहे हैं। क्या जवाब देंगे, वह काफी देर से खड़े हैं। आप ध्यान से सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : बता रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप उनका जवाब तो सुनिए। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन श्री रामचन्द्र सराधना।

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न का जवाब सुनना नहीं चाहते।

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, माननीय सदस्य बैठें, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। जो-जो खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें। यदि आप मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो नियमों में और भी प्रावधान है, उन नियमों के अन्तर्गत आप आइये। आपको जवाब, सूचना मिलेगी, आप आइये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदया, 15 तारीख को आप पेमेंट करने का आर्डर करें, आज अकाल और अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किये हुए कितने महीने हो गए, क्या राज्य सरकार गायों के प्रति इतनी संवेदनशील है....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनको यह कहना चाहिए डिसबर्समेंट कितना हुआ। आज राजस्थान के 18 हजार गांवों में अकाल पड़ा हुआ है और राज्य सरकार में इस 15 तारीख को आज से समझ लीजिये दो दिन पहले डिसबर्समेंट करने का आदेश कर दें, मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए शर्म की बात है। आपको सदन को आश्वासन देना चाहिए कि आइंदा इस प्रकार की गलती नहीं होगी।

मैंने पहले भी इस सदन में अकाल के समय प्रश्न उठाया था (व्यवधान) कि राजस्थान में गायें मर रही हैं और गायों के नाम पर वोट लेने वाले, गायों के लिए अनुदान नहीं दे रहे हैं। गायों के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। एक भी पशु सेवा शिविर नहीं खोला यह कितने शर्म की बात है। आप पशु सेवा शिविर कब खोलेंगे। गौशालाओं के लिए आपने जो देरी की है इसके लिए आप किनको दंडित करेंगे, आपने इसके लिए क्या एक्शन लिया, पूरी बात सदन को बताइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गौशालाओं के पीछे एप्लाई किया होगा..... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचन्द्र सराधना। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री ओम बिरला : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री अध्यक्ष : आपको जो कुछ कहना था कह चुके। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है श्री रामचन्द्र सराधना, श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ×××

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान) मैंने आपसे कह दिया आप संतुष्ट नहीं है, नियमों में प्रावधान है उन नियमों के अंदर आइये।

श्री जुबेर खान : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कृपा करके स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) आपस में ना बोलें। प्रतिपक्ष जब सुनना ही नहीं चाहता, एक साथ, सुनिए, पहले मुझे सुनेंगे आप, उसके बाद में आपको। प्रतिपक्ष जब सुनना नहीं चाहता, शोर-शराबे के अंदर जब किसी तरह से आगे बढ़ने नहीं देना चाहता तो इसका क्या इलाज है मुझे बताइये ? नैक्स्ट क्वेश्चन पुकारने के अलावा। आपका जो कुछ कहना था आपने कह दिया। मंत्रीजी का जवाब सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं। हल्ला मचाते हैं। नैक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुकार लिया। आप नियम में आइये। नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया मैंने, श्री रामचन्द्र सराधना, श्री रामचन्द्र सराधना।

प्रश्न संख्या-56

(अनुस्थित : कृपया आगे देखें)

रामचन्द्र सराधना नहीं पूछते हैं दैन रामनारायण मीणा। श्री रामनारायण मीणा।

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अनुदान की राशि बता दी।

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : सुनिए, सुनिए। आप सुनिए मुझे, इन्होंने बताया कि बड़े पशु की 18 और छोटे पशु की 9 रुपये के हिसाब से अनुदान दिया है। आपने सुना नहीं। माननीय सदस्य, उन्होंने बताया कि बड़े पशु के 18 और छोटे पशु को 9 रुपये के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री ओम बिरला : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दें, मैं जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, यदि आपको कोई स्पष्टीकरण देना है इनको संतुष्ट करने के लिये और कुछ कहना है तो कह दीजिए, मुझे क्या आपत्ति है। (व्यवधान) अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) कोई नहीं बोलेगा बीच में अब।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : आप इन्हें आश्वस्त करें कि जो कमियां रही हैं वह दूर करेंगे, बस। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जवाब मान लिया आपका, जवाब मान लिया। नहीं सुना। मैंने मान लिया। हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमें नहीं पूछना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी विराजें।

श्री प्रभुलाल सैनी : सुने तो सही आप। मेरा जवाब देने में आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बोलें, बोलें।

श्री प्रभुलाल सैनी : मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि दिसम्बर के महीने से अभावग्रस्त क्षेत्रों की समस्त गौशालाओं को बड़े पशुओं के लिए 18 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 9 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है, नम्बर एक। नम्बर दो...

एक माननीय सदस्य : गलत जवाब दे रहे हैं, नागौर में एक जनवरी से दिया है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह देखिये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, अब हम संतुष्ट हैं। बैठा दीजिए, हम संतुष्ट हैं। अगला सवाल बुलाइये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बैठ जाएं, मान लिया, मान लिया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : संतुष्ट हो गये हम, बैठ जाइये। (व्यवधान) आ गया जवाब।

श्री प्रभुलाल सैनी : अब मुझे जवाब देना है, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिरलाजी, कोटा नगर निगम में 500 गायें मारी हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : हमने मान लिया कि आपने 15 तारीख को सेंक्शन किया है। आज तक एक पैसा गया नहीं है। जवाब आ गया, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह पूछ रहे हैं कि अनुदान कितना दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनें तो सही उन्हें।

श्री प्रभुलाल सैनी : आप सुनना चाहते हैं तो सुनिये ना, आप सुनिये मेरी बात को।

श्री कैलाश त्रिवेदी : अभावग्रस्त क्षेत्र की गौशालाओं की लिस्ट सुना दीजिए। इतना-इतना पैसा दिया। (व्यवधान) आप लिस्ट सुना दीजिए।

श्री प्रभुलाल सैनी : नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, सुनिये मेरी बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनना भी नहीं चाहते। आप उनको सुनना भी नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप नैक्स्ट क्वेश्चन काल करें, नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कभी ये आते हैं, कभी ओम बिरला आते हैं। यह सरकार में समन्वय नहीं है। (व्यवधान) सरकार क्या हो रही है, देखो, सरकार देखिये जरा यह। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो मेहरबानी करके नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान) बैठे बैठे नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 3 दफे बोल चुका, सवाल एक ही है कि माननीय मंत्रीजी यदि गौ-माता के प्रति संवेदनशील हैं..

श्री अध्यक्ष : नो-नो, नैक्स्ट क्वेश्चन, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामनारायण मीणा : मैंने तो पुकार दिया 57, प्रश्न संख्या 57 पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई मंत्री। नो, नो, अंकित नहीं हो।

श्री रामनारायण मीणा : ×××

डा. किरोड़ी लाल मीणा : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री ओम बिरला : ×××

बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजनान्तर्गत काफर डैम की स्थापना

57. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी पर प्रस्तावित ईसरदा बांध परियोजनान्तर्गत काफर डैम बनाने की सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो किस तारीख को और कितनी राशि की ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध की भराव क्षमता एवं लागत कितनी आंकी गई तथा बांध निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा लिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 25.5 प्रतिशत राशि वहन की जाएगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा काफर डैम तथा बांध निर्माण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो अब कब तक समय सीमा निर्धारित कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त बांध निर्माण के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब स्वीकृति कब तक प्राप्त कर ली जाएगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) जी हां। उक्त कार्य हेतु 16.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दिनांक 3-11-2004 को जारी की गई है। (प्रति संलग्न, परिशिष्ट-अ)

(श्री सांवर लाल)

(2) ईसरदा बांध की क्षमता केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा किये आंकलन के अनुसार 10.77 टी.एम.सी. आंकी गई है एवं वर्ष 2001 के मूल्यों के आधार पर इस परियोजना की कुल लागत 360.27 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

उक्त बांधी निर्माण की परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ कर लगभग 5 वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रकरण विचाराधीन है।

(4) जी हां। काफर डैम के निर्माण कार्य निविदा स्वीकृति के बाद 11 महीने एवं ईसरदा बांध का कार्य केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति उपरान्त आवश्यक वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार लगभग 5 वर्षों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं। केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान सूखागस्त इलाका है। किसान को सिंचाई कैसे उपलब्ध कराई जाए, पीने का पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए और चम्बल तथा माही के बाद में हमारे पास बीसलपुर नदी राजस्थान में है। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान का 10 मिलियन एकड़ फिट पानी चम्बल से जो वेस्ट जा रहा है उसे खेती....चूंकि 33 किलोमीटर चम्बल से ईसरदा बांध है। इसके बारे में जांच भी करवायी गयी थी, बैंकाक कम्पनी से और केन्द्रीय जल आयोग ने की और आपके एडिशनल चीफ इंजीनियर ने की। चम्बल का पानी जयुपर को देंगे तो बीसलपुर का पानी किसानों को मिल सकेगा। यह सिद्धान्त आपने माना। तो अध्यक्षजी, बीसलपुर योजना से हमें जो गांव लेने थे, 605 गावों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी थी। आप 65 गांव ईसरदा से मानते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : आप क्वेश्चन पूछें। आप भाषण कर रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। (व्यवधान) मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, माननीय। आप सुनिये, राजस्थान की बात है, आप क्यों इसको उलझाते हैं। आप योजना बनाना चाहते हैं, ईसरदा बांध हमारी प्रेस्टीजियस योजना है।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं, प्रस्तावित है, बताया ना उन्होंने।

श्री रामनारायण मीणा : ईसरदा बांध हमारी प्रेस्टीजियस योजना है, ईसरदा बांध में चम्बल का पानी, चूंकि हमारा पानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उपयोग कर रहे हैं। चम्बल नदी के माध्यम से ईसरदा बांध में पानी डालकर के जयपुर की प्यास बुझायेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भला हो सकेगा। माननीय मुख्य सचेतकजी, आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मंत्रीजी कि यह किसानों के हित में नैनवां में एक गांव नहीं, आप पूरे गांव को जो बीसलपुर का पानी है उसको अतिरिक्त गांव को कैसे पानी देंगे, बीसलपुर से और ईसरदा बांध से पीने का पानी कैसे लाएंगे। पहला प्रश्न मेरा यह है। दूसरा मेरा अर्ज करना है कि केन्द्रीय जल आयोग...

श्री अध्यक्ष : ईसरदा बांध बनेगा तब लाएंगे पानी तो। पहले बांध तो बनने दो।

श्री रामनारायण मीणा : केन्द्रीय जल आयोग ने इसमें क्या विपरीत टिप्पणी की है और केन्द्रीय जल आयोग से आप कब तक इसकी स्वीकृति करवा लेंगे ताकि प्रेस्टीजियस योजना कितनी जल्दी आप स्वीकृत करा पाएंगे, ये दो बातें मेरी मुख्य हैं उसके बाद में मैं आपसे और पूछूंगा।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो, सरकार का प्रयास सभी सम्भावनाओं से, जहां पानी आता है उसको लेकर किसानों को या पेयजल उपलब्ध कराने का रहता है।

अध्यक्ष महोदय, ईसरदा परियोजना की परिकल्पना काफी लम्बे समय से चल रही है। इस बार इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए काफर डैम

(श्री सांवर लाल)

निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। अब टेण्डर एक आया है हमारे पास, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। री-टेण्डर भी करना पड़ेगा तो करके 11 महीने, उस टेण्डर के बाद में ईसरदा बांध का निर्माण करवा देंगे। अब कोई भी योजना बनती है तो समय-समय पर उसमें परिवर्तन और लाभान्वित होने वाले गांवों में, हो सकता है अभी हाल फिलहाल हमने जो-जो गांव लिये टौंक, निवाई, उनियारा, सवाईमाधोपुर, बामनवास, खण्डार, चाकसू, सांगानेर, जयपुर के लिये हैं पेयजल के हिसाब से।

माननीय सदस्यों की चिन्ता है कि चम्बल का पानी जो जा रहा है उसको इस डैम में डाला जाए इसके लिए भारत सरकार को हमने पार्वती और गांधी सागर योजना भेजी है, नदियों को जोड़ने के अन्तर्गत, वह भी विचाराधीन चल रही है। कौनसा कन्सेप्ट ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। आपकी भावना के हिसाब से आपका भी सहयोग हम इसमें लेंगे और निश्चित रूप से.... (व्यवधान) सुझाव लेंगे बिलकुल और क्या हो सकता है बैस्ट हमारे हिसाब से, राजस्थान के हित में, वह करने की हम कोशिश करेंगे, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।

सी.डब्ल्यू.सी. के हिसाब से जो आब्जेक्शंस आये थे, जिनकी पूर्ति करनी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान इण्टर स्टेट कण्ट्रोल बोर्ड के स्वीकृत नियम 9 (5) के अन्तर्गत परियोजना की स्वीकृति, अगर दो स्टेट के बीच में किसी प्रकार की परियोजना बनती है तो दोनों स्टेट की सहमति अगर सबमरजेंस के अन्दर, डूब के अन्दर दोनों स्टेट के गांव आते हैं तो लेने की आवश्यकता पड़ती है पर ईसरदा के अन्दर एम.पी. का कोई ऐसा गांव नहीं आ रहा है इसलिए इसके लिए हमने उनको सूचना कर दी।

दूसरा, पर्यावरण अध्ययन, मॉडल स्टडी एवं 10 प्रतिशत कमाण्ड एरिया सर्वे के आधार पर नहर तंत्र की लागत निकाल कर पुनः परियोजना की अनुमानित लागत भेजी है, इसके ऊपर भी कार्यवाही चल रही है। बी.सी. रेश्यो के बारे में कुछ डाइरेक्शंस उन्होंने दिये हैं तो इस सम्बन्ध में भी हम कार्यवाही कर रहे हैं।

(श्री सांवर लाल)

इसके अलावा चम्बल बेसिन का जो मास्टर प्लान है जिसमें पानी का क्या उपयोग कहां-कहां पर हो सकता है, उसको भी हम जल्दी बनाकर भेज रहे हैं तो आपकी जो भावना है उसी हिसाब से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सी.डब्ल्यू.सी. में कहीं पर भी, भारत सरकार अब कांग्रेस पार्टी की है तो आपका भी सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से इस योजना को हम जल्दी से जल्दी सी.डब्ल्यू.सी. से स्वीकृत कराएंगे और राजस्थान के हित में हम इसको पूरा करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा मूल प्रश्न है। मेरा यह भी अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ईसरदा बांध में आप चम्बल का पानी डालने की बात करते हैं। जो आपके पास व्यर्थ पानी बीसलपुर बांध में है, चूंकि ईसरदा उसी का नीचे का डाउन स्ट्रीम में होगा, उस पानी को चूंकि नैनवां और उनियारा, जो कि उनियारा से आने वाले माननीय विधायक का क्षेत्र भी शामिल है, आपके पास जो 20 साल का पानी बचा हुआ है, जिसमें आप जयपुर में दे पा रहे हो और ईसरदा से पानी आप जयपुर को ले आओगे क्योंकि आपके पास पानी बचा हुआ है, क्या उसको नैनवां और उनियारा के जो बचे हुए गांव हैं, कितने गांवों में दे सकते हो ? अगर आप एक गांव में पानी दोगे तो पूरा परिवार ही नहीं चलेगा बल्कि राजस्थान के विकास को गति मिलेगी इसलिए इन गांवों में, आप चाहेंगे तो हम बैठकर आपको समझाएंगे। भारत सरकार में, चूंकि कांग्रेस पार्टी विकास को गति देने में आपके साथ शामिल रहेगी, राजस्थान में हम तो साथ देंगे। इन उनियारा और नैनवां तहसील के गांवों को आप शामिल करने के लिए विचार-विमर्श करके.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भारत सरकार से स्वीकृति आने पर कर लेना आप इनसे।

श्री रामनारायण मीणा : अतिरिक्त पानी जो बचा हुआ है 20 साल का, उस 20 साल का पानी देंगे या नहीं देंगे या उसका प्रयत्न करेंगे या नहीं करेंगे इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिए।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि जो जवाब दिया है लेकिन यह मांग बहुत पहले से थी और आपके दो सर्वे हुए हैं। राजस्थान का जो वर्षा का पैटर्न है, वह यह है कि हर चार-पांच साल में एक बार बारिश होती है और तीन-चार साल अकाल पड़ता है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछो आप तो।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं प्रश्न यह पूछ रहा हूं कि दो सर्वे हुए थे। एक तो चम्बल से बीसलपुर डैम में पानी लाने का और एक चम्बल से ईसरदा डैम में पानी लाने का। यह दो सर्वे हुए हैं तो यह दो जो सर्वे हुए हैं उनमें फिजिबल कौनसा है ? क्योंकि जयपुर को भी पानी देना है, वह फिजिबल कौनसा है उनमें आप जयपुर को पानी लाएंगे तो वह ईसरदा से लाऐंगे या बीसलपुर से लाऐंगे ? क्योंकि भीलवाड़ा में भी पानी की मांग हो रही है। बीसलपुर से भीलवाड़ा पानी जा रहा है। नागौर में भी जाने की बात हो रही है। बीसलपुर का पानी कम पड़ेगा। इस साल तो बारिश अच्छी हुई है, एनीकट्स बने हुए हैं भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, वह टूट गये सारे एनीकट्स इसलिए बीसलपुर बांध पूरा भर गया इस बार। वह बांध नहीं भरेगा तो आप जयपुर को पानी कैसे पिला पाएंगें ? जो सिंचाई का तंत्र हमने खड़ा किया है उसको कैसे कर पाएंगे ? इसलिए यह बहुत जरूरी है कि चम्बल से चाहे आप बीसलपुर में लाये, चाहे ईसरदा में लाये लेकिन वह पानी लाये ताकि पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध हो सके और सिचांई भी हो सके इसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं और कब तक आपके प्रयत्न सफल हो जाएंगे मैं इतना सा ही जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बता दिया। अब क्या पूछेंगे आप ? सारी बात हो गयी।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेन बात यहां से ही शुरू हुई इस बीसलपुर के पानी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह जानना चाहूंगा कि बीसलपुर का जो बांध है उसमें 75 परसेंट पानी भीलवाड़ा,

(श्री रामलाल)

चित्तौड़गढ़ और राजसमन्द का आता है। आप सब जगह योजनाएं बना रहे हो। क्या भीलवाड़ा जिले में बीसलपुर का पानी, जो फ्लोराइड्युक्त है, उन गांवों में पानी देने का विचार रखते हैं या नहीं रखते, इसका भी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बता दीजिए।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है और पानी ही जीवन है। पानी से ही खेती-बाड़ी, सब इसी से होती है। अब चम्बल से जो पानी की फिजिबिलिटी की बात माननीय टोडारायसिंह से आने वाले सदस्य ने पूछी है तो अब चम्बल का पानी जो मैंने पहले बताया था कि पार्वती, गांधीसागर, बीसलपुर में बाई फ्लो पानी आता है गांधी सागर से तो हमारी पहली प्राथमिकता तो यह होगी कि अगर बीसलपुर में पानी की योजना बन जाए सीधा वहां से तो वह ज्यादा फिजिबल है। अगर ईसरदा में हम पानी लाएंगे तो लिफ्ट सिस्टम के आधार पर आएगा, डाइरेक्ट फ्लो से पानी नहीं आ सकता है। बेस्ट विकल्प तो नम्बर-वन ही है। अब जो भी होगा। बाकी जो नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य की चिन्ता है कि खेती के लिए किसान को पानी मिलना चाहिए। अब आपने कहा कि व्यर्थ पानी, मैं व्यर्थ नहीं मानता हूं क्योंकि नदी के किनारे पर भी गांव के लोग बाग बसे हुए हैं अगर नदी में पानी नहीं चलेगा और सारा ट्रेपिंग हो जाएगा तो वे कहां जाएंगे ? उनकी भी चिन्ता करिये आप। फिर भी जितना पानी सरप्लस वाटर हिसाब से बैठता है उसको रोकने के लिए ईसरदा बांध का हमने प्रस्ताव दिया है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जहां-जहां पानी की उपलब्धता होगी उस हिसाब से चाहे उनियारा हो, चाहे नैनवां हो, सब गांवों में जहां पर पहुंचाया जा सकता है, उपलब्ध पानी पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। अब बीसलपुर में वह पानी आ जाता है चम्बल का, पार्वती का, खैर आपको चिन्ता करने की क्या जरूरत है, पानी को कोई मेरे घर तो ले जाने से रहा मैं, जहां-जहां सम्भावनाएं होंगी वहां भेज देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में अति विशिष्ट जांच सुविधाओं हेतु कार्य-योजना

58. **श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मरीजों को कौन-कौनसी जांच सुविधा किस दर पर उपलब्ध है और इनके लिए कौन-कौन से उपकरण/मशीनें उपलब्ध हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपकरण/मशीनों में कौन-कौन से उपकरण/मशीन कब से व क्यों खराब है ? सरकार उक्त खराब पड़े उपकरण/मशीनों को कब तक ठीक करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय की जांच सुविधाओं में विस्तार एवं गम्भीर बीमारियों से सम्बन्धित अति विशिष्ट जांच सुविधाएं जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, को उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मरीजों को दी जा रही जांच सुविधा की दरों का विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट-1 के रूप में रख दिया गया है। इस चिकित्सालय में उपलब्ध विभिन्न जांच के उपकरणों/मशीनों की सूची परिशिष्ट-2 के रूप में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में वर्तमान में निम्नलिखित उपकरण खराब हैं :-

1- टिमपेनोमीटर मशीन अगस्त, 2004 से खराब है। इसके सुधार हेतु सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत तकमीना अनुमोदित किया जा चुका है एवं यह उपकरण शीघ्र ही ठीक हो जाने की सम्भावना है।

2- यूरोलाजी विभाग की एक्स-रे मशीन का बी.एम.ए. मीटर और ए.एस. कान्टेक्टर खराब होने के कारण यह मशीन दिनांक 17-1-2005 से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खराब है। इसके सुधार हेतु अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत तकमीना अनुमोदित कर दिया गया है तथा इस मशीन के आगामी तीन-चार सप्ताह में ठीक हो जाने की सम्भावना है।

3- सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की सी.टी. स्केन मशीन दिनांक 26-12-2004 से खराब है। इस मशीन को ठीक करने के सम्बन्ध में अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि यह मशीन काफी पुराने माडल की है तथा इसके जो पार्टर्स खराब हैं, वे नये पार्टर्स उपलब्ध नहीं हैं अतः इन्हें एक्सचेंज के आधार पर लगाया जा सकता है। जिस पर अनुमानित रूप से रुपये 4.00 लाख का व्यय होना सम्भावित है। मशीन ठीक करने के बाद मशीन के केवल दो माह तक कार्य करने की गारंटी देने का उल्लेख अभियन्ता द्वारा किया गया जबकि रेडियो डायग्नोसिस विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा एक वर्ष की गारंटी चाही जा रही थी। चूंकि इस मशीन के खराब पार्ट्स ठीक किया जाना सम्भव नहीं है तथा नये पार्ट्स उपलब्ध नहीं है एवं एक्सचेंज के आधार पर ठीक किये जाने पर भी अपेक्षित अवधि तक कार्य करने की गारंटी अभियन्ता द्वारा नहीं दी जा रही है अतः इस मशीन को ठीक नहीं करवाने का निर्णय चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिया गया।

(3) जी हां। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में निजी क्षेत्र के सहयोग से नई सी.टी. स्केन तथा एम.आर.आई. मशीन की स्थापना अप्रैल, 2005 तक कर दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ ही गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में एफ.डी.पी. एवं डी-डायमर जांच सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री नवरतन राजोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने खण्ड दो में जवाब दिया है और जो मशीनें आपने खराब बतायी हैं, पहले में आपने यह बताया कि अगस्त, 2004 से मशीन खराब पड़ी है।

(श्री नवरतन राजोरिया)

लगभग छह माह हो गये हैं और आपने यह भी कहा है कि ठीक होने की सम्भावना है। जब छह माह से कोई मशीन खराब पड़ी है और अब तक ठीक नहीं हो पा रही है। ऐसे ही इस प्रकार यूरोलोजी विभाग की एक्स-रे मशीन एक माह से खराब पड़ी है। सी.टी. स्केन मशीन का जो डाक्टर एग्जामिन कराते हैं, उसके लिए 4-4-, 6-6 महीने तक उनको टाइम दिया जाता है। आपकी मशीन खराब पड़ी है, ओवर लोड है यानि कि मशीनों को ठीक कराने में इतना समय क्यों लग रहा है ?

साथ ही मैं यह पूछना चाह रहा हूं नम्बर-1 एम.आर.आई. की सुविधा एस.एम.एस. में क्यों नहीं की गयी है, है या नहीं ? सी.टी. स्केन मशीन पर बहुत ज्यादा लोड है। सी.टी. स्केन मशीन के लिए आपने यह बताया है कि एक्स.इ.एन. महोदय की रिपोर्ट के आधार पर पार्ट्स खराब हो चुके हैं और नई मशीन एक्स.इ.एन. के आधार पर लगाई जायेगी। चार लाख रुपये इसकी अनुमानित लागत बताई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि नई सी.टी. स्केन मशीन लगाने की लागत कितनी आती है और क्या सरकार निजी हाथों में जांच की सुविधा दे रही है या अपने स्तर पर ही एस.एम.एस. में इतना ओवर लोड है सी.टी. स्केन मशीन के ऊपर, क्या नई मशीन लगाने का विचार रखते हैं ?

नम्बर दो-अस्पताल का गामा कैमरा दस साल से खराब पड़ा है। आपने अपने जवाब में गामा कैमरा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। क्या एक ही गामा कैमरा इमेजिंग सेंटर, मोती डूंगरी के पास है, जिसकी जांच के लिए वहां भेजा जाता है और लगभग दो हजार से छह हजार रुपये तक पैसा वसूला जाता है। क्या सरकार एस.एम.एस. में गामा मशीन लगाने का विचार रखती है और गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को राहत देने का विचार रखती है ?

इसी प्रकार अन्य बीमारियों जैसे कैंसर, सोरायसिस जैसी अति विशिष्ट जांचों के मरीजों को भी बाहर भेजा जाता है। क्या सवाई मानसिंह अस्पताल में इन जांचों की सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है ?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : मेरा भी एक छोटा-सा सवाल है। उसका जवाब आप साथ में दे दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, दे देंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद : सी.टी. स्केन के बारे में आपने जो जानकारी दी कि यह बहुत पुरानी मशीन है। जब आपको यह मालूम था यह बहुत पुरानी मशीन है कभी भी इसका ब्रेक डाउन हो सकता है तो आपने कोई सूटेबल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट पहले से क्यों नहीं किया ?

नम्बर दो आपके सी.टी. स्केन की मशीन 26 तारीख को खराब हुई। 26 तारीख को खराब होने के बाद में आपने निजी हाथों में उसका अनुबन्ध दे दिया बिना किसी कानून-कायदे के। सरकार ने नहीं दिया अनुबन्ध वह राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा अनुबन्ध दिया गया, जो कि सर्वथा अनुचित है क्योंकि यह राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के दायरे में नहीं आता और राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी का जो सरकारीकरण करके आपने प्राइवेट हाथों में अनुबन्ध दिया, वह भी अनुचित है। कल शाम को भी यह बात उठी थी कि किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये आपने ऐसा किया और वह क्यों किया आपने ऐसा ? और उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

तीसरी बात, जब कोई दूसरी प्राइवेट कम्पनियां पाइंट फाइव टेस्ला की मशीन पर आज हो रहा है एम.आर.आई. पाइंट फाइव, जो कि दस साल पुरानी मशीन है और दूसरे लोग 1.5 टेस्ला पर उससे कम कीमत पर करने को तैयार थे तो उनको क्यों नहीं एन्टरटेन किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने इनकी सिफारिश क्यों नहीं मानी ? यह भी बता दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (उच्च शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिलकुल ठीक है। पहले तो मैं माननीय सदस्य राजौरियाजी को बताना चाहूंगा कि दो मशीन जो खराब बताई हैं उन दोनों मशीनों का इम्पेनोमीटर का और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यूरोलोजी की एक्स-रे मशीन का, दोनों की दूसरी मशीनें उपलब्ध हैं। इसलिये मरीजों को जांच के कारण से कोई नुकसान नहीं हो रहा है और इस मशीन का हम प्रबन्ध कर लेंगे।

तीसरी बात जो माननीय सदस्य, बैद साहब ने बताई है। यह बिलकुल ठीक बात है कि दिसम्बर में मशीन खराब हो गयी और इसके बाद में अभी हमने यह जो नीति है, यह बिलकुल साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि यह नीति 2000 में तत्कालीन सरकार ने की थी।

इसके बाद में माननीय उस समय यह हो नहीं पायी थी। इसके बाद में उच्च शिक्षा मंत्रालय जब माननीय मुख्यमंत्री के पास था उस समय इसका पुनरावलोकन किया गया था और पुनरावलोकन करने के बाद में तय किया गया कि रेवेन्यू बेस्ड के बजाय पेशेन्ट बेस्ड, पेशेन्ट फ्रेंडली नीति अपनाई जाये और पी.पी.सी. किया गया। इसके अन्तर्गत तीन काम हुए हैं जो मैं आपको बिलकुल साफ शब्दों में कहना चाहूंगा। यह जो आपने पाइंट उठाया है मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा यह टेण्डर मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा नहीं किया गया। पहले किया गया था। यह तय किया गया कि कलकत्ता में भी, चण्डीगढ़ में भी, अन्य पांच जगह, मैंने कल रात को सारी जानकारी की। वहां पर प्राइवेट लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था दी गयी। इस प्रकार की व्यवस्था तत्कालीन सरकार ने की। उसके बाद इस सरकार ने की और मैं यहां पर यह भी कहूंगा। मैं उस सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी उस सरकार की जगह होता तो मैं भी यह काम करता। मैं उस सरकार पर यह आरोप नहीं लगा रहा कि उन्होंने गलत काम किया, सही काम किया....(व्यवधान) सुन लीजिये पहले।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जब इसके टेण्डर किये गये तो उस समय टेण्डर की पिछली बार जब मशीन खराब हुई और मशीन खराब होने पर तत्कालीन सरकार के समय मशीन खराब हुई और जांच कराई। उसमें सी.टी. स्केन के 4200 रुपये दिये गये और होल अब्डामन के 5500 रुपये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिये गये। अब जब दूसरी प्राइवेट जांच करा रहे हैं तो 500 और 520 रुपये दे रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं और यही पार्टी, जिस पार्टी ने यह रेट लगाई थी, उस पार्टी ने ओ.के. वाले ने, वह इस टेण्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में 9 रिट याचिकाएं थीं और नौ रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद में कहा सरकार का फैसला ठीक है और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा 700 रुपये पर वहां पर जांच होगी जो आज सरकार 800 रुपये पर कर रही है और बिजली और पानी का खर्चा भी सरकार दे रही है। अब बिजली और पानी का खर्चा वह देगा। बी.पी.एल. से सम्बन्धित जितने लोग हैं इस 700 में वह 20 प्रतिशत फ्री होंगे तो यह 50 पर आकर गिरेगी और राजस्थान में लूट हो रही है। पांच हजार रुपये एम.आर.आई. के और 2300 रुपये सी.टी. स्केन के बाहर लिये जा रहे थे। इसके बाद में मार्केट क्रेश हो गया और बाहर आ गया है 800 और 1600 रुपये पर। मैं कहना चाहूंगा अगर आप मुझे आदेश देंगे तो 2000 का फैसला होने के बाद में राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपये पांच हजार और 1600 के दिये गये हैं, अगर यह फैसला लागू होता है तो 700 रुपये पर होता। मैं आज कह रहा हूं सदन में राजस्थान के गरीब आदमियों का सबसे सस्ता इलाज चाहे कोई प्राइवेट वाला लगाये, चाहे बाहर वाला लगाये, सवाई मानसिंह अस्पताल में होगा।

मैं आपको एक और कहना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारियों को भी जो रिअम्बर्समेंट हुआ है वह इस दर पर हुआ है। अब वह 800 पर होगा। मैं किसी भी कीमत पर जब वहां तीन बार टेण्डर हो गया। नौ बार रिट याचिका के रूप में इसको दिया गया और जितने आब्जेक्शन करने वाले लोग हैं, सब लोग हाई कोर्ट गये और 9 रिटों का फैसला हो गया है। मैं सदन के पटल पर यह जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। किसी को लाभ पहुंचाने के लिये नहीं किया गया। अगर इसमें कहीं भी कोई गलती है तो मेरी गलती है उच्च शिक्षा मंत्री के नाते। किसी को लाभ की गुंजाइश नहीं है। एक बात. बैद साहब, सुन लीजिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल साफ शब्दों में कि किसी के परिवार के लोगों को काम करने का अधिकार है। अधिकारी यहां पर बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते तो उनकी पत्नियों को हम इस प्रकार से खड़ा करेंगे। यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। कोई काम करे उसको खड़ा कर दिया जाये। सवाई मानसिंह अस्पताल के डाक्टरों के बारे में और सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां दिन-रात सेवा का काम चल रहा है। मैंने कई मेडिकल कालेज देखे हैं हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं और इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। सस्ते पर किया गया है, कम रेट पर किया गया है और मेडिकल रिलीफ सोसायटी ने जो टेण्डर किये थे, उसी रेट पर किया गया है। इसमें एक भी आदमी की गलती होगी तो मैं देखूंगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं बैद साहब, इस बात को आप आयुर्विज्ञान का जो सारा का सारा बिल आ रहा है, इस बिल पर पूरा एम्बीट खुला हुआ है। इस पूरे पर चर्चा होगी। मैं चर्चा के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूं। (व्यवधान) पहले सुन लें मेरी बात।

राजस्थान के हित में और राजस्थान के मरीजों के हित में आप जो जो भी बात कहेंगे उनका विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक मैं आपका एक-एक का पूरा जवाब दूंगा। मैं यहां इसलिए नहीं कि मैं किसी अधिकारी की रक्षा करूं या उसकी पत्नी की रक्षा करूं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप कह रहे हैं। माफ कीजिये आप रक्षा कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : देखिये, मैं आपके बीच में नहीं बोला।

डा. चन्द्रशेखर बैद : सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैं जवाब दूंगा सुनिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हू मैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए इनके द्वारा लगाया गया सारा आरोप गलत है।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं, भाषण झाड़ रहे हैं। प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे रहे हैं भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : कोई भी सदस्य को व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जिसका आपने जवाब नहीं दिया है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सिटी स्केन की मशीन 26 तारीख को खराब हुई .. (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : यह जो माननीय सदस्य बैदजी सवाल उठा रहे हैं... (व्यवधान) आपका उसमें कोई हित जुड़ा हुआ है ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए।

श्री कालीचरण सर्राफ : शाम को पांच बजे से सात बजे तक आप वहां बैठ कर प्रेक्टिस करते हो और उनके हितों के लिए विधान सभा के पटल का दुरुपयोग कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, माननीय बैदजी यहां विधान सभा के पटल का दुरुपयोग कर रहे हैं। ओ के डाइग्नोस्टिक सेंटर में यह पांच बजे से सात बजे तक बैठ कर प्रेक्टिस करते हैं और उनके हितों के लिए आप यहां दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप क्षमा मांगिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया है उसको साबित करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आपसे मैं फिर चैलेंज करके कहता हूं कि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को कांट्रैक्ट देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है ... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : डाइग्नोस्टिक सेंटर की दलाली इस सदन में नहीं चलेगी ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप कानून बता दें। (व्यवधान) कोई मेडिकल रिलीफ सोसायटी को ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : अभी लोगों को सस्ता इलाज मिले, सस्ती जांच मिले, यह हमारी सरकार का है ...(व्यवधान) डाइग्नोस्टिक सेंटर की दलाली सदन के पटल पर नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप कानून की बात करो, कानून की बात करो। कानूनन नहीं दे सकते।

श्री कालीचरण सर्राफ : कौनसी कानून की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट से 9 की 9 रिट याचिकांए रिजेक्ट हो गयी, उसके बाद कानून की बात कर रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मांगीलाल गरासिया एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कालीबोर डैम से किसानों को पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बाबूलाल नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू में अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतनी गम्भीर प्रकृति के नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये। अकाल की स्थिति

(श्री अध्यक्ष)

पर तो सदन में चर्चा भी हुई है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में माननीय सदस्यों को फिर भी बोलने का अवसर उपलब्ध है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य में गौ तस्करी एवं गौ हत्या की घटनाएं सामने आने के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं लेकिन माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) प्रो. बीरू सिंह राठौड़, सदस्य की ओर से बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ग्राम डाबड़ी बलौदा के लिए स्वीकृत उच्च जलाशय का निर्माण शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्र में आने वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(4) श्री ओ.पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले के गांवों में दलित गरीबों के आवास हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बनायी गयी प्रोविजनल सूची को दुरूस्त करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर जिला मुख्यालय स्थित आवासन मण्डल की कालोनियों में विकास कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में काला पीपल बांध का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले में कृषि उपभोक्ताओं के भार निर्धारण में भारी अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में

(9) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से तहसील लूणकरणसर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित काश्तकारों को आबंटित भूमि के विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में।

(10) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के काश्तकारों के माफी मन्दिर के नामान्तरणकरण राजस्व न्यायालयों के रेफरेन्स से खुलने के सम्बन्ध में।

(11) डा. जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान देने के सम्बन्ध में।

(12) श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौरासी की कतिपय सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में।

चूंकि पांच बजे आज माननीय मुख्यमंत्रीजी का जवाब होगा इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि पढ़ा हुआ मान लिया जाए, यदि आप सब सहमत हों तो।

अनेक माननीय सदस्य : हां, मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : इसलिए पढ़ा हुआ मान लिया गया, आपने दे दी अनुमति।

(नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गौ तस्करी एवं गौ हत्या की घटनाएं

श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी में लाना चाहूंगा कि आगे भविष्य में गऊ माताओं की यहां से

(श्री जुबेर खान)

तस्करी उन प्रांतों में नहीं हो जहां पर उनका वध किया जाता है और गऊ माता का वध नहीं हो, इसके लिए सरकार को गम्भीर होना पड़ेगा।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्यमंत्री, भैरोंसिहजी को जो 1995 में एक विधेयक लेकर आये थे इसी विधान सभा के सदन में और वह पास कराया था। यह मंशा थी राज्य में और पक्ष विपक्ष, सब लागों ने सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया था और बहुत अच्छी चर्चाएं हुई थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें एक क्लॉज है कि कोई भी गऊ वंश का, गऊ धन प्रदेश से बाहर नहीं जायेगा जब तक कि कलक्टर या काम्पीटेंट आथोरिटी, जो एस.डी.ओ. से नीचे नहीं होगा, परमिट नहीं बना दे।

अब, अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है। ? अभी चर्चा हुई नागौर में गऊ माताओं को जब वहां चारा नहीं मिलता है तो मेले में, खास तौर से परबतसर के मेले में गायों को बेचा जाता है और बेचा जाकर जो लोग तस्करी करते हैं और इस व्यापार से जुड़े हुए हैं वह वहां से गायों को खरीदते हैं, रवन्ना बनवाते हैं अलवर और भरतपुर जिले के बार्डर गांव में, रास्ते में पुलिस उनको रोकना चाहे तो नहीं रोक सकती क्योंकि आपके रवन्ना विदिन द स्टेट लागू है। साबी नदी की ओर से, इधर अलवर और भतरपुर की ओर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गाय ले जाई जाती हैं और एक बीहड़ क्षेत्र ऐसा है अलवर, भरतपुर जिले और हरियाणा का मिला हुआ लम्बा-चौड़ा बीहड़ क्षेत्र है, वहां लेकर इनका वध किया जाता है और अभी काफी सारे कंकाल वहां प्रशासन को मिले हैं और प्रशासन ने कार्यवाही भी की है।

मेरा आपसे निवेदन है कि बातों से काम नहीं चलेगा और सही मायने में यह सरकार चाहती है कि गौ माता की रक्षा हो और भविष्य में गौ-माता का वध नहीं हो तो इसमें आप अमेंडमेंट करिये कि कोई भी मेले से खरीदा हुआ गौ वंश, खास तौर से अलवर और भरतपुर जिले में, बगैर एस.डी.ओ. की परमिशन के कोई भी रवन्ना लागू नहीं किया जाना चाहिए। जब हमको यह पता चल गया कि इन दो जिलों से तस्करी और गौ-हत्या होती है तो यह

(श्री जुबेर खान)

हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि कानून में प्रावधान करके इस पर रोक लगायी जाए। अलवर और भरतपुर में एक रवन्ने के लिए जो आपने स्टेट से बाहर का तय कर रखा है उसी परिधि में अलवर और भरतपुर जिले को लाइये, गऊ माताओं को बचाइये।

यहां मैं ऐसा भी कहना चाहूंगा कि कोर्ट को आदेश देना पड़ता है। नगर निगम, जयपुर द्वारा संचालित हिंगोनिया गऊशाला में माह सितम्बर, 2004 में रोजाना दस से पन्द्रह गायों का देहांत हो रहा था तो कोर्ट को पी.आई.एल. लगी, कोर्ट ने निर्देश दिये पशुपालन सचिव, राजस्थान सरकार और मुख्य कार्यवाही अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को कि 28 सितम्बर, 2004 तक वहां पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, मेडिकल एड की व्यवस्था और छायादार शैड की व्यवस्था करा कर, 28 सितम्बर तक कोर्ट को अवगत कराएं।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के समय में अगर गऊ माताओं के लिए हमको सदन में चीखना पड़े, कोर्ट को आदेश देने पड़ें, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होती। कटारियाजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गऊ माता के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप इस गौवंश को बचाइये। अगर आपने अलवर और भरतपुर जिले के रवन्ने के लिए इस कानून में संशोधन कर दिया तो मैं मानूंगा कि यह सरकार और आप गऊ माता के प्रति चिंतित हैं, उनके लिए समर्पित हैं, उनका आदर करना चाहते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यह समझूंगा कि आप राजनीति के और वोट के लिए सिर्फ गऊ माता का इस्तेमाल करते हैं, मन से और अन्तर आत्मा से उनकी रक्षा नहीं करना चाहते। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा : ऑन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की वह इस मेवात क्षेत्र में लगातार यह घटनाएं घटी हैं और जो कैसेज बने हैं, जितने मुल्जिमों को पकड़ा है, जितना गौ वंश

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का वध भी हुआ, उनको छुड़ाया भी सही। जो बात आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और उसका कारण कुछ तो ऐसे रास्ते से लोगों को ले जाते हैं कि जहां पुलिस का और उनका नहीं है इसलिए हम दो काम कर रहे हैं। एक तो जो आपने कहा है कि रवानगी जो मिलती है जहां कहीं भी मेले से उस रवानगी में निश्चित रूप से इन दो जिलों में रवानगी न मिले इसके लिए और मिले तो कम से कम उस जिले के कलक्टर या एस.डी.ओ. से जानकारी लेने के बाद ही वहां की रवानगी बने। यह हम इसमें निश्चित रूप से बदलेंगे।

दूसरा क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही हैं इसलिए हमने अपने विभाग से दस चौकियों का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर लगभग 100 लोगों की अतिरिक्त संख्या भी हमने मांगी है जिस पर लगभग 92 लाख का हमारा अनुमानित खर्चा है और इससे कुछ 20-30 किलोमीटर पहले उन चौकियों को लगाकर उनको इसी काम के लिए हम अधिकृत करेंगे जो इस प्रकार गौ निकासी को करके गोवध को जिस प्रकार से ले जा रहे हैं चोरी छुपे उनको रोकने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुकदमें दर्ज हुए हैं। वास्तव में इनकी संख्या और अभियुक्तों को भी लगातार पकड़ा है। यह रामगढ़ वाले में आपके तीन मुकदमें 444, 443, 447 दर्ज हुए। जितने मुल्जिम थे सारे मुल्जिमों को भी पकड़ा है। जो कुछ भी पुलिस कर सकती थी वह किया है लेकिन उसके बाद भी यह समस्या है और इस समस्या का सरकार तो गौ माता की रक्षा के लिए मैं सोचता हूं कि पहली बार भैरोंसिंहजी की सरकार के समय में यह हमने कानून के द्वारा इस पर जो रोक लगाई है तो मंशा तो हमारी स्पष्ट है। मंशा पर संदेह करने की जरूरत नहीं। इसमें जहां कहीं भी कमियां हैं उन कमियों को और कैसे सुधार करके उनको प्रभावी ढंग से लागू कर सकें उसके लिए आपने जो सुझाव दिया उस पर बैठकर विचार करके निश्चित रूप से उसका पालन करने का प्रयास करेंगे जिससे कि गौ माता को बचाया जा सके।

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री जुबेर खान : अपने यहां कानून में प्रावधान है जहां से यह गोधन जाएगा वहां एक रजिस्टर मेन्टेन होगा कलक्टर आफिस में या एस.डी.ओ. आफिस में और वह एंट्री कराकर जाएंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति आती है अकाल में जो पशुपालक होते हैं दूसरे प्रान्तों में उनको चराने के लिए ले जाते हैं लेकिन आप दिखवा लीजिए यह व्यवस्था नहीं है। रजिस्टर में वह एंट्री कराकर जाते हैं और वापस आकर रिपोर्ट करते हैं कि हम वापस इस धन को ले आए। वहां एंट्री होती है और एस.डी.ओ. के दस्तखत होते हैं। इस कानून में प्रावधान है जो यह है राजस्थान गौवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रयोजन का निर्यात व नियमन अधिनियम 1995, आप उसको भी दिखवाइये। प्रशासनिक दृष्टि से कि जो लोग बाहर प्रान्तों में गो माता और दूसरे बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं अकाल में जब वह लौटकर आते हैं तो उनको बेचकर ही आ जाते हैं। उनका कोई धणी-धोरी नहीं है जबकि यह प्रावधान है कि रजिस्टर में एंट्री कराएंगे कि कौन व्यक्ति कितना पशुधन लेकर गया, किस तरीके से लेकर गया और वापस बारिश होने के बाद लाया कि नहीं लाया ? इसको भी थोड़ा दुरुस्त करवाइये।

सूचना

पाली जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन अध्यक्ष महोदय, आज पाली बंद है 100 घंटे हो गये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बच्ची से बलात्कार हुआ

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का समय दे दिया, जवाब दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा : परसों हजारों बच्चों ने जुलूस निकाला, कल पाली में हजारों लोगों ने जुलूस निकाला और आज पूरा पाली शहर बंद है। माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, सरकार के निकम्मेपन की वजह से आज पाली में वैमनस्य के हालात बन रहे हैं और लोगों में भारी गुस्सा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आज पाली शहर में जो हालात बन रहे हैं, पहले भी आपकी सरकार के निकम्मेपन की वजह से घड़साना और रावला में जो हालात बने आज फिर पाली शहर में एक छोटी बच्ची के बलात्कार के मामले में सरकार जिस तरीके की लापरवाही बरत रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन हो रहा है और जगह-जगह वातावरण खराब होने की नौबत आ रही है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी से वह सदन को आश्वस्त करें कि सरकार तुरन्त उन अपराधियों को गिरफ्तार करेगी।

श्री अध्यक्ष : यद्यपि आपने जो उठाया यह बहुत चिन्ताजनक और शर्मनाक है स्थिति लेकिन ऐसे आपने पर्ची दी नहीं, स्थगन प्रस्ताव दिया नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने पाइंट आफ इन्फार्मेशन से उठाया है।

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत गलत है खड़े होकर बोलने लगे। यह पाइंट आफ इन्फार्मेशन ऐसी बातों का नहीं होता है। यह कौनसा तरीका हुआ कि आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर आप कोई ऐसी बात उठा देंगे जिसकी जानकारी नहीं, जवाब नहीं (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : 100 घंटे हो गये, बलात्कारी खुले घूम रहे हैं.... (व्यवधान) लोग सड़क पर हैं।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, कलक्टर और एस.पी. के बंगले के बीच में यह बलात्कार हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सूचना देते, आप पर्ची देते, स्थगन प्रस्ताव देते.... (व्यवधान) खड़े हो गये।

श्री सी.डी. देवल : यह तीसरा बलात्कार का कांड है। कलक्टर और एस.पी. + + + बलात्कार हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, क्या आपको जानकारी है और जानकारी है तो क्या कर रहे हो ?

श्री सी.डी. देवल : कलक्टर और एस.पी. के बीच में हुआ है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) आप चाहे जब खड़े हो जाते हैं, चाहे जो कहने लग जाते हैं....

श्री सी.डी. देवल : आप खड़ा ही कहां होने देते हो।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा करोगे तो नहीं खड़ा होने दूंगी।

श्री सी.डी. देवल : पाली का मामला है। पाली का सिरोही वाला उठाए तो हम यहां इस सदन में किस लिए आते हैं। पाली का मामला है और तीसरा मामला है। बलात्कार की घटना है, एस.पी. और कलक्टर के घरों के बीच में बलात्कार हुआ है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : यह आसन का अधिकार है सदन में जो कोई बालेंगे आसन की अनुमति से बालेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरे पाली विधान सभा क्षेत्र का मामला है। मैं एक मिनट अनुमति चाहता हूं, मात्र एक मिनट....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या हो गया ? वह कह रहे हैं तो उनकी भी सुन लीजिए। पाली के विधायक हैं वह।

श्री ज्ञानचन्द पारख : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पूरे पाली के लिए यह घटना बहुत बड़ा कलंक है। मैं यह तो नहीं कहता कि प्रशासन ने बाद में कार्यवाही नहीं की पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन घटना हुई उसी रात को परिवार वालों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मेरा गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है कि जब रात को रिपोर्ट दर्ज हो गयी और पाली में ऐसी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

घटनाएं पिछले दो महीने में दो तीन हो गयी तो उस समय पुलिस का यह कर्तव्य बनता था कि इस घटना को गम्भीरता से लेती वह और रात को ही तलाशी लेकर कहीं भी प्रयास करती तो हो सकता है यह घटना नहीं होती। या होने के बाद आरोपी तत्काल पकड़ा जाता। तो मेरा गृह मंत्रीजी से इतना निवेदन जरूर है कि दर्ज होने के बाद जिन अधिकारियों ने तत्काल कार्यवाही नहीं की उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और साथ में यह काण्ड बहुत जल्दी खुले उसके लिए सरकार और प्रशासन जितना प्रयास कर सके उसमें गृह मंत्रीजी अपनी ओर से पूरे निर्देश दें। यह मेरा निवेदन रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया ? अब उनको जवाब देने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी बात है, पीड़ा है, एक मिनट सुनें तो सही। गृह मंत्रीजी साथ में ही जवाब दे देंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर के ग्राम पालतू के अन्दर कल एक साढ़े तीन

श्री अध्यक्ष : पहले इसका तो हो जाने दीजिए फिर उठा दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरी बात तो सुन लें। मेरी भी पीड़ा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कोई सूचना तो दो।

पालतू ग्राम में 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पालतू में कल एक साढ़े तीन वर्षीय ब्राह्मण बालिका के साथ उसी गांव के लड़के ने कुकर्म किया और उसके बाद वह बच्ची लहुलुहान हो गयी, चिल्लाई, सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के थाने पर गये। थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी उसके बाद हमने जब एस.पी. से बात की, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षजी ने बात की तब पांच घंटे बाद जाकर रिपोर्ट लिखी और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उस बालिका का मेडिकल करवाया। साढ़े तीन वर्ष की मासूम बालिका के साथ इतना कुकर्म किया गया है और उसके बाद में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एस.पी. के हस्तक्षेप के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। पांच घंटे बाद बालिका का मेडिकल कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं उसके बाद कभी रोज सात वर्ष की बालिका के साथ, कभी साढ़े तीन वर्ष की बालिका के साथ, लड़का नामजद है लक्ष्मीकांत सन आफ देवीसिंह, उसी गांव का रिपोर्ट दर्ज हो गयी, पूरे गांव के लोगों ने रोटी नहीं खाई है, रात से थाने पर घेराव दिए हुए हैं और पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। यह घटनाएं रोज बालिकाओं के साथ बढ़ रही हैं यह बड़ी शर्मनाक है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी मेरे कल एक एक्स सरपंच का मर्डर हुआ, आज पालतू गांव के अन्दर साढ़े तीन साल की बालिका के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। इन घटनाओं से हमारा सिर शर्म से झुक रहा है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पुलिस को आप कम से कम निरंकुश मत बनने दीजिए। सक्रियता दिखाकर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मां, बहनों और बालिकाओं की इज्जत बची रहे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह पुरूषों की परवरटेड साइकोलोजी का नमूना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह गृह विभाग की और पुलिस की निरंकुशता है।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, पाली के अंदर यह तीसरी घटना है, गृह मंत्रीजी मेरी बात सुनें (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार (व्यवधान) जरा आप सोचिये तो सही (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बात कहने का मौका दें। मेरे पाली जिले का मामला है.... (व्यवधान) यह तीसरा मौका है।

श्री अध्यक्ष : किस बात पर ?

श्री सी.डी. देवल : आप बोलने ही नहीं दे रही हैं, जब इनको दे दिया तो मुझे भी बोलने दें .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दें, मंत्रीजी जवाब दें ....(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है ....(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : नहीं पुकारा है तो मुझे आप अनुमति दीजिये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे साथ में न्याय नहीं है, पाली का मामला है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई बिना अनुमति के नहीं बोल सकता.... (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, तीसरा मौका है, एस.पी. और कलक्टर के बंगले के बीच में बलात्कार हुआ है, एस.पी. और कलक्टर बैठे-बैठे देखते रहे ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सी.डी. देवल : अब यह कब तक देखा जायेगा, कब इसकी व्यवस्था होगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप संसदीय नियमों का पालन कीजिए, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : तीसरा मौका है, एक मौका नहीं, तीसरा मौका है। एस.पी. और कलक्टर के घर के बीच में बलात्कार हुआ, प्रशासन देखता रहा और प्रदर्शनकारी जावें तो उन पर लाठियां बरसाई जायें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। आप इतनी देर से बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : यह एस.पी. को घेरने की साज़िश है ...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आखिर यह कब तक चलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जो जाते हैं उन पर लाठीचार्ज होता है, आखिर हम किसके पास जायें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो मामला एक बार उठा दिया गया, कोई आवश्यक नहीं है कि सब उस पर बोलें...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही हो रही है। यह एस.पी. को घेरने की साजिश है कांग्रेस की...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : मैं कहता हूं एस.पी., कलक्टर को निलम्बित किया जाये और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बलात्कार के मामले में सबका बोलना जरूरी है क्या ? एक बार बात हो गयी सदन में...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह थोड़े ही है कि सब बोलें, दे रहे हैं जवाब...(व्यवधान)

श्री गुलाब चंद कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पाली की इस घटना को दो दिन पूर्व ही आपने अपनी सूचना के माध्यम से यहां उठाया था। मैंने उसी समय जैसा आपको कहा, मैंने यहां से अपने डी.आई.जी. शर्मा को क्राइम ब्रांच से भेजा। मैंने जोधपुर से भी आई.जी. को वहां भेजा है और यहां

(श्री गुलाब चंद कटारिया)

डॉग की टीम की मांग की उसको वहां भेज दिया। मेरे पास और अतिरिक्त जो भी अधिकारी हो सकते थे उनको वहां मैंने कैम्प करा रखा है और बराबर इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि यह खुले। यह बात जरूर है कि कल लोगों ने प्रदर्शन किया। आज उन्होंने बंद का आव्हान किया। वह बंद भी है, बहुत कुछ सीमा तक बंद है। लोगों में आक्रोश है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसी वहां के स्थानीय विधायक ने बात उठायी कि रात को रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस रात में ही अगर थाने का जो एस.एच.ओ. था कुछ कार्यवाही करता तो कुछ हो सकता था। हमने तुरन्त उस थानेदार को जोधपुर हैडक्वार्टर पर बुला लिया है और उसको वहां से हटा दिया है। जो कुछ भी मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मेरी पूरी फोर्स वहां लगी हुई है। पहले भी दो घटनाएं हुई लेकिन दोनों में अभियुक्त पकड़े गये हैं। अब इसके लिए भी तलाश कर रहे हैं। अभियुक्त को पकड़ना और उसको सजा दिलाना इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जो नगर की बात माननीय सदस्य ने कहीं, यह बात सच है कि कल वहां भी इस प्रकार की एक साढ़े तीन-चार साल की बच्ची के साथ नामजद मुलजिम लक्ष्मीकान्त ज़िसको हमने गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ जो कार्यवाही हो सकती है वह हम निश्चित रूप से कर रहे हैं और यह तो कुछ समाज का ही दोष है कि इस प्रकार के जघन्य अपराध जिससे आप और हम सबका सर शर्म से झुक जाता है, अफसोस भी होता है, कानून के तहत जितनी सजा, जो सम्भव होगी, कठोर से कठोर कार्यवाही करके हम उसको सजा देंगे। पाली के लिए भी मैंने अभी अपने अधिकारियों के साथ बैठकर के चर्चा की है और उसका प्लान किया है जितना सम्भव हो सकता है वह करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसको इस रूप में लेते हैं लेकिन जिस दिन घटना हुई, हमारे मंत्री लक्ष्मीनारायणजी स्वयं वहां जोधपुर अस्पताल में पहुंचकर के लगभग तीन घंटे तक उस पीड़ित परिवार के साथ रहे हैं। हमारे एम.पी. सब वहां रहे हैं। जो कुछ भी हम कर सकते हैं यह सारे लोग गये हैं।

(श्री गुलाब चंद कटारिया)

ऐसा नहीं है कि वह बच्ची किसी पार्टी की है, वह बच्ची हम सब की है और उसके सम्मान की रक्षा करना, उसकी इज्जत की रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन उस कानून के तहत जो प्रक्रिया है जब तक कोई व्यक्ति आइडेंटिटीफाई नहीं हो, मैं चाहे जिसको उसका मुलजिम बनाऊंगा यह तो मेरे लिए भी सम्भव नहीं होगा। लगभग इनक्वायरी की ओर जा रहा है, वह अभियुक्त हमें जरूर मिलेगा। मैं सोचता हूं कि कुछ न कुछ रिजल्ट शाम तक प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आपको ही नहीं सारे सदन को भी कि इस प्रकार के जघन्य अपराध में आप सब लोग भी जो कुछ भी सहायता कर सकते हैं जरूर करें। मैं जितना अधिक से अधिक ठीक कर सकता हूं उसके लिए प्रयास करूंगा। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह बच्ची घंटों वहां तड़पती रही। एस.एच.ओ. के पास रिपोर्ट लिखाने गये तो उसने रिपोर्ट नहीं लिखी। बाद में एस.पी. के यहां से फोन आने के बाद रिपोर्ट लिखी है। यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री रामनारायण चौधरी : रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, एस.पी. के हस्तक्षेप के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चंद कटारिया : उसके लिए हम उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, इंस्ट्रक्शन आलरेडी दे चुके हैं। केवल अखबार की न्यूज पढ़कर ही...

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस की निष्क्रियता के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहेंगे ...(व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि आज मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है और जिस प्रकार से कालीबोर डैम से पानी का मामला है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में एक बात कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : जो पानी दिया जा रहा है वह केवल माही डैम से जवाई बांध में जाता है।

श्री अध्यक्ष : कहां पानी का मामला है ...(व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : उसमें मेरा निवेदन है वह जो गांव में कांकरिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री मांगीलाल गरासिया : xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। जब आपका नाम पुकारूं तब बोलो। आपने पर्ची दी है आपको मौका मिलेगा। आप ऐसे ही खड़े हो करके बोलने लग जाते हैं, यह क्या तरीका है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम पुकारूं तब बोलना...(व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : xxx

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने नाम पुकारा नहीं है। यूं ही बोल रहे हैं। फिर मैं बोलने का मौका नहीं दूंगी, यह क्या तरीका है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान में आयल रिफाइनरी के सम्बन्ध में

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि प्रदेश के पश्चिमी भू-भाग में तेल भण्डारण और प्राकृतिक गैस मिलने के पश्चात् कई माननीय सदस्यों ने प्रदेश में रिफाइनरी लगे इसकी चिन्ता सदन में की थी। आसन ने यह व्यवस्था की थी कि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में पक्ष और विपक्ष सब लोग मिल करके कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि रिफाइनरी लगे, इसका रास्ता साफ हो। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बाद...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुमति नहीं ली।

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके एजेंडे में नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अनुमति प्रदान की है।

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : किस चीज पर बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : किस चीज पर बोल रहे हैं ? ऐसे कैसे बोल लेंगे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को अनुमति दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कोई दंगल है क्या ? विधान सभा है।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा की ही बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दंगल मत बनाओ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए जो बात हो चुकी है....(व्यवधान) मैं वही बात कर रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सर्वदलीय मंडल वहां पर मिलने के लिए जा रहा है, वहां से आ चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, सामने आ चुकी है बात.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : फैसला हो गया ...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : क्या बात है इसमें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस बात को लेकर राजनीति नहीं करे। यह बोलेंगे तो फिर हम भी बोलेंगे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बात वही कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर कोई मंत्री सूचना देना चाहता है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : कोई भी मंत्री खड़ा होकर...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, कल सर्वदलीय बैठक हो गयी और उसमें निर्णय हो गया यह जब हो गया कि सर्वदलीय दल दिल्ली जायेगा, प्रधानमंत्रीजी के पास जायेगा और यह वहां मौजूद थे। इस तरह से इश्यु को कंट्रोवर्सी बनाना यह बात ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं क्या कह रहा हूं। मुझे मेरी बात पूरी करने दें।

श्री जुबेर खान : दूसरी तरफ आप कंट्रोवर्सी बनाने की बात करते हो, यह बात गलत है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो यह कह रहा हूं कि जब आपकी व्यवस्था के बाद सर्वदलीय बैठक हो गयी और उसके बाद ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कांग्रेस वाले हर बात में खड़े हो जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और आसन को नहीं मान रहे हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो सबको अवगत करा दें इतनी सी बात है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : यह विपक्षी सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको शर्म नहीं आती....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सदन को जिस तरह से चलाना चाहते हैं, किसी की बात आप सुनना नहीं चाहते। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हो सदन के ... (व्यवधान) मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के लेकिन कोई भी मंत्री किसी भी समय खड़ा होकर कोई सूचना देना चाहे यह उसका अधिकार है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : पाइंट आफ इंफार्मेशन...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपसे अनुमति ली क्या। ऐसे कैसे सूचना दे देगा।

श्री नारायण सिंह : राजस्थान में लगने का निर्णय हो गया हो, उसकी सूचना दे रहे हैं क्या...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह कहीं नहीं लिखा हुआ है।

श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़) : किस बात की सूचना दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आन ए पाइंट आफ इंफार्मेशन, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य एक सैकण्ड में खड़े हो गए, सूचना दे दी, उसी प्रकार से नगर से आने वाले माननीय सदस्य एक मिनट में खड़े हो गए और सूचना दे दी, उसी तरीके से सूचना देने का अधिकार सबको है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : यह मामला उससे अलग है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : सदन की अवहेलना करने की परम्परा रही है कांग्रेस वालों की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं सूचना ही तो दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : रिफाइनरी जिसके लिए सत्ता पक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है, का फाउण्डेशन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आपके गुरू ने पंजाब में किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे मेरी बात कहने दो, आप सुनो तो सही कि मैं क्या बात कह रहा हूं। यह क्या बात हुई कि आप सुनो ही नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी बात कहीं एजेंडे में नहीं है।

श्री सांवर लाल : मंत्री की बात भी नहीं सुनेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन तो लो वह क्या कहना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप व्यवस्था दीजिए, वह मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं यही व्यवस्था दे रही हूं कि जब वह खड़े हैं तो वह क्या सूचित करना चाहते हैं वह सुनिए आप।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सूचना हाउस के अंदर नोटिस देकर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या सूचना देंगे आपको पहले से ही पता है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अगर यह करेंगे तो फिर डिबेट शुरू हो जाएगी, फिर हम भी सूचना देंगे, ये जो बोलेंगे उसका जवाब देंगे. फिर तो डिबेट शुरू हो जाएगी, यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : तेल रिफाइनरी पर पर्ची मेरी थी, इसलिए सबसे पहले बोलने का अधिकार मेरा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर हम डिबेट करेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आपने व्यवस्था दे दी। आप इन्फोर्मेशन देंगे तो हम भी डिबेट करेंगे। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : यह तो मंत्री ही नहीं है उसके, दूसरे बैठे हैं।

श्री जुबेर खान : आपने इसी मुद्दे पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य से कहा था कि आपकी पर्ची खुली है रिफाइनरी पर लेकिन रिफाइनरी यहां से सम्बन्धित नहीं है, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है इसलिए आप इस मुद्दे को यहां नहीं उठा सकते। जब सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में कल हो गई और यह तय हो गया कि प्रधानमंत्रीजी से सर्वदलीय डेलीगेशन जाकर मिलेगा फिर मंत्री महोदय नई कंट्रोवर्सी राजस्थान के अहित में क्यों फैलाना चाहते हैं ? आसन ने जब रिफाइनरी पर व्यवस्था दे दी ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है, आपने पंजाब में रिफाइनरी लगवाने के आदेश प्रधानमंत्री से करवाए थे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप सबको एक ही डण्डे से हांकिए। आसन सर्वोपरि है, सबको प्रोटेक्शन देना चाहिए। जब एक मुद्दे पर आपने माननीय सदस्य को कह दिया कि इस मुद्दे को यहां पर नहीं उठा सकते क्योंकि यह केन्द्र सरकार के अधिकार में है, राज्य सरकार को अधिकार नहीं है फिर आप इनको किस आधार पर अलाउ कर रहे हैं ? मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, मुद्दा कौन उठा रहा है ?

श्री जुबेर खान : जब वह तय हो गया कि सदन में इस पर चर्चा नहीं करेंगे एक संकल्प लाएंगे

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो आसन से यही निवेदन कर रहा था कि कल सर्वदलीय बैठक हुई उसमें यह तय किया कि सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है इससे सदन के सारे सदस्यों को अवगत करा दिया जाए। मैं तो आसन से यही निवेदन कर रहा था कि कल के कार्यवाही के बारे में सदन को अवगत करा दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सारी चीजें अखबारों में आ गई।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : अभी तो जीरो आवर चल रहा है, उसमें पाइंट आफ आर्डर कहां से आएगा ?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार आसन की इतनी अवहेलना कर रही है। मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में फैसला हुआ और उसकी सूचना आपको नहीं दें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष का आसन इतना कमजोर पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में बैठक हो और संसदीय कार्य मंत्री आपको सूचना न दें और अब ऐसे सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष को सूचना संसदीय कार्य मंत्री ने चैम्बर में जाकर नहीं दी, मुख्यमंत्रीजी ने फैसला किया उसकी सूचना आपको चैम्बर में जाकर देनी चाहिए थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने अध्यक्षजी के वैश्म में जाकर सूचना दी है।

डा. सी.पी. जोशी : आपको अध्यक्ष को बताना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी बात और क्या होगी, इन दिनों में दो घटनाएं हो गई हैं और अध्यक्ष को मालूम नहीं। सरकार ने जज को नियुक्त कर दिया और अध्यक्ष को यह मालूम नहीं, मुख्यमंत्रीजी ने सर्वदलीय बैठक करके प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली भेजने का तय किया, इसकी सूचना अध्यक्ष को नहीं और ये यहां आकर खड़े होकर बोल रहे हैं, इससे ज्यादा अध्यक्ष की अवहेलना नहीं हो सकती। संसदीय मंत्री अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। इनको आपके चैम्बर में जाकर सूचना देनी चाहिए थी। कल मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में फैसला हो गया और आज ये हाउस में आपको बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने अवगत करा दिया था कल अध्यक्षजी के वैश्म में जाकर, उनके चैम्बर में जाकर बता दिया था।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको जो कहना था वह आपने कह दिया। मुझे सदन को यह सूचित करना है, हो सकता है कई लोगों को नहीं मालूम हो क्योंकि बी.ए.सी. की मीटिंग में यह तय हुआ था कि इस रिफाइनरी पर चर्चा होगी। हुआ था कि नहीं हुआ था ? आप तो मौजूद थे। उसके बाद में कल जब सर्वदलीय बैठक हुई उसके बारे में कुछ लोगों को मालूम नहीं है, उसमें यह फैसला हुआ कि इस पर यहां चर्चा न की जाए और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में जाकर प्रधानमंत्रीजी से मिले। यही तो सूचना मुझे देनी थी और यही ये मुझे याद दिला रहे थे। मंत्रीजी ने मुझे यही याद दिलाया कि आप यह सूचना सदन को दे दें, बस। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और क्या बात थी ? मैं यही तो निवेदन कर रहा था, मैं यही तो प्रार्थना कर रहा था और बात क्या थी ? आपको तो बस बोलना है.... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक आपको याद दिलाने की बात है, आपके पास पर्ची भी भेज सकते थे और आप इत्तिला करते सदन को।

डा. सी.पी. जोशी : (व्यवधान) मुझे अध्यक्ष महोदय, माफ करें। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को बदलने का आपको पूरा अधिकार है। यह अच्छा होता कि आप आज सुबह ही सूचित कर देते। यह संसदीय कार्य मंत्रीजी की ड्यूटी थी कि यदि आज के रिकार्ड में नहीं आया तो सुबह आपको चैम्बर में बता देते।

श्री अध्यक्ष : बी.ए.सी. की रिपोर्ट में परिवर्तन करने का अधिकार सदन को है। बी.ए.सी. में जो अनुमति होती है कार्यवाही की वह सदन देता है, अनुमति अध्यक्ष नहीं देता है, सदन की अनुमति से होता है और बिना अनुमति अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर सकता है।

डा. सी.पी. जोशी : मैं यही तो कह रहा हूं कि आप जब कुछ नहीं कर सकते तो यह सूचना नहीं लानी थी, यह आपके सचिवालय से आनी थी। यह संसदीय कार्य मंत्री की ड्यूटी थी कि 10 बजे सुबह आकर आपको कहते कि आज के रिकार्ड में नहीं आया है। यह ज्यादा अच्छा होता। आप एक नई परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री यहां आकर अपनी एफिशिएंसी बताएं, काहे को रात को सोते हो, काहे को मुख्यमंत्रीजी से मिलने जाते हो, सुबह 10 बजे आकर मिलना चाहिए चैम्बर में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने अध्यक्षजी को अवगत करा दिया था, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप सदन को अवगत करवा दें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : फिर काहे की बात कर रहे हो परम्परा की ? (व्यवधान) यह तरीका नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। केवल आप ही ज्ञान के भण्डार हो ?

डा. सी.पी. जोशी : आपसे ज्यादा ज्ञान है मुझे। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : आप क्या धमकाना चाहते हो राठौड़ साहब ?

डा. सी.पी. जोशी : हम ऐसे काम नहीं करते। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह आपकी ड्यूटी बनती थी। संसदीय कार्य मंत्रीजी कि आप अध्यक्ष महोदय को इन्फोर्म करते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति का सातवां प्रतिवेदन जो सदन ने अनुमोदित किया है उसमें कहीं रिफाइनरी का जिक्र नहीं है, फिर उसमें चेंज करने की बात कहां से आ गई ? बी.ए.सी. के सातवें प्रतिवेदन में कहां है चर्चा का ? जब बी.ए.सी. ने ही तय नहीं किया तो यहां मुद्दा उठाने की जरूरत कैसे पड़ गई ? आप देख लीजिए सातवां प्रतिवेदन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कल सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय हुआ था कि इस बैठक की कार्यवाही के बारे में माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करके पूरे सदन को अवगत करा दिया जाएगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : ऐसा नहीं है।

श्री सी.डी. देवल : जब बैठक की कार्यवाही सुनानी ही नहीं है तो किसे सुना रहे हो आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह कहीं नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरे सदन को अवगत करा देंगे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप न विधायक दल के नेता हैं न मुख्यमंत्री हैं। यह काम मुख्यमंत्री का था कि मुख्यमंत्री आपको सूचना करते। यह गलत काम हो रहा है। अध्यक्ष को सूचना देने के लिए मंत्री खड़ा हुआ है। यह मुख्यमंत्री की ड्यूटी बनती थी कि सर्वदलीय मीटिंग बुलायी, आपको सूचना देते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने आपके चैम्बर में जाकर अनुरोध किया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मुख्यमंत्री यहां सूचना देती।

श्री सी.डी. देवल : हाउस के माध्यम से सूचना दे रहे हैं आपको चैम्बर में जाकर सूचना देनी चाहिए थी।

डा. सी.पी. जोशी : आपको कम से कम मुख्यमंत्रीजी को कहना चाहिए ऐसा मामला जिसमें मुख्यमंत्री को विधान सभा के अध्यक्ष को विश्वास में लेना होता है। मंत्री यहां पर जवाब दे रहे हैं इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विधान सभा के अध्यक्ष की कभी नहीं हुई होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपकी जिम्मेदारी बनती है, अध्यक्ष पद की गरिमा को नीचा मत करो। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में सबसे पहले नियम 119 के तहत सब्सटेंटिव मोशन दिया था कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है सदन में चर्चा करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए क्या होगा। इस सम्बन्ध में मैंने आपको नियम 119 के तहत सबसे पहले सूचना दी थी। इसलिए मैं जानता हूं उस मोशन का आपने क्या किया, क्या नहीं किया, मुझे मालूम नहीं है, मेरे मोशन का क्या हुआ ? मैं व्यवस्था चाहता हूं आपने क्या किया ? आपने क्या उसको रिजक्ट किया है, अक्सेप्ट किया है, संकल्प पारित करेंगे, नहीं करेंगे, विधान सभा में डिस्कशन होगा, नहीं होगा इसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने का अधिकार मुझे है क्योंकि मैंने 119 में नोटिस दिया है। (व्यवधान) सो कह रहा रहा हूं, हल्ला नहीं करता हूं आपकी तरह। (व्यवधान) As an individual member, it is my right.

डा. सी.पी. जोशी : आप अध्यक्ष से भी ऊपर हो क्या ?

श्री. सी.डी. देवल : आपको क्या देखें आप अध्यक्ष से ऊपर हो क्या ? (व्यवधान) सम्माननीय अध्यक्ष को सूचना नहीं दी इन्होंने, आपको ये सूचना देंगे ?

डा. सी.पी.जोशी : यह इनको समझा दो। आपके मंत्री को समझा दो।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने अध्यक्ष को नोटिस दिया है, मैं अध्यक्ष से पूछ रहा हूं। I am not concerned with anybodyelse. I am concerned with the Hon'ble Speaker.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : किसी माननीय सदस्य को उठाने का अधिकार नहीं है और आप प्रश्नकर्ता जो उठा रहे हैं यह नियमों के विपरीत है। आप जाकर डिस्कशन कर सकते हैं कि मेरे मोशन का क्या हो रहा है यहां नहीं पूछ सकते। देख लीजिए आप नियमों को। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यहां क्यों नहीं पूछ सकते ? हजार बार हमने विधान सभा में पूछा है कि हमारे फलां मोशन का क्या हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं पूछ सकते।

डा. एन.एस. गुर्जर : कैसे नहीं पूछें यहां पर ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप मिलिए अध्यक्षजी से जाकर।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह बिलकुल गलत है। कौन से नियम में है ? नियमों के तहत हम जो भी नोटिस देते हैं उनका क्या हुआ यह जानकारी कर सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप पढ़िये कहां लिखा हुआ है ?

डा. एन.एस. गुर्जर : हाउस के अंदर, notice is part of the House.

क्या बात कर हो आप। हाउस के अंदर रोज पूछते हैं कि हमने यह नोटिस दिया, क्या हुआ ? स्थगन का, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप रोज पूछते हो। (व्यवधान) आप तो सीनियर मेम्बर हैं आप रोज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका नोटिस हाउस में नहीं रखा गया है। आपका नोटिस अभी सेक्रेटेरियट में है। जो बैठते हैं, What are you saying ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपसे जूनियर नहीं है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप तो बहुत सीनियर मेम्बर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप रोज एडजोर्नमेंट मोशन देते हो और एडजोर्नमेंट मोशन के मामले में रोज अध्यक्ष को कहते हो कि हमने इस सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उसका क्या हुआ। आप रोज किसी रूल के तहत नोटिस देते हो उसके बारे में पूछते हो इसका क्या हुआ। कई बार तो आप नोटिस भी नहीं देते और उस मामले में आप पूछ लेते हो पाइंट आफ इंफार्मेशन करके। एक मैंडेटरी नोटिस है। 119 सब्सटेंटिव नोटिस है, उस सब्सटेंटिव नोटिस के बारे में मैं पूछ नहीं सकता ? आप तो पुराने मैम्बर हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं पूछ सकते।

डा. एन.एस. गुर्जर : फिर आप क्यों पूछते हो रोज। आप क्यों नियमों का उल्लंघन करते हो।

डा. सी.पी. जोशी : हम इस धारा का उपयोग करते ही नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप रोज पूछते हो उसकी तो छूट है। रोज नियमों का उल्लंघन करने का आपने ठेका ले रखा है।

डा. सी.पी.जोशी : आप इधर आ जाओ कोई नहीं पूछेगा आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर कोई यहां चर्चा नहीं होती केवल सरकारी मुख्य सचेतक प्रतिवेदन रखते हैं और माननीय अध्यक्ष सदन की अनुमति से उसको पारित करते हैं। उस पर कभी ना तो बहस होनी है ना डिस्क्शन होता है। मुख्य सचेतक के अलावा कोई उसमें फेरबदल की सूचना देता है। आज तक यह परम्परा रही है और आपने आसन से माननीय अध्यक्ष से अभी यह कहा कि रिफाइनरी का संकल्प कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के रूप में पारित कर दिया गया था इसलिए अमेंडमेंट सदन को करने का अधिकार है। जबकि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में यह मेंशन ही नहीं किया गया था इसलिए न तो उसको पास करने का, न संशोधित करने का, न उसकी सूचना देने का कोई सवाल ही सदन के सम्मुख नहीं था। इसलिए इस पर कोई चर्चा और बहस नहीं होनी चाहिए। बाकी उसमें संशोधन करने का सदन में आने से पूर्व केवल आपको अधिकार है। आप चाहें तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसलिए बिना वजह की बात को यहां सदन के अंदर रख कर सदन का समय खराब किया गया है।

श्री अध्यक्ष : समय तो आप रोज खराब करते हो।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में दो पार्टियों के अलावा और भी पार्टियों के सदस्य बैठे हैं उनको किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब पर्ची पर। श्री बेनीवाल, आप पर्ची पर बोलेंगे। पहले वीरेन्द्र बेनीवाल। (व्यवधान) आपका नाम उनके बाद में है आप विराजें।

श्री सुरेश मीणा : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे। पर्ची पर आपको पांच मिनट का समय मिलेगा। पांच मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों में अव्यवस्था

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में फैली अव्यवस्था की ओर और रिक्त पदों की ओर माननीय मंत्री महोदय और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर न सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश के विशालतम विधान सभा क्षेत्रों में से है और अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस विधान सभा के विभिन्न चिकित्सालय अव्यवस्था के शिकार हैं इसके चलते मरीजों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उदाहरणतः लूणकरणसर का सामुदायिक सवास्थ्य केन्द्र है इसमें विभिन्न पद हैं जिन पर डाक्टर पदस्थापित भी हैं, लेकिन वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होने के कारण इनडोर फैसेलिटी पेशेंट्स को नहीं मिल पाती है। इसी के साथ-साथ वहां पर जो सर्जरी की पोस्ट है वह आज दिन तक रिक्त है। इस पर जिन डाक्टर साहब की नियुक्ति की गई थी, सितम्बर माह का आदेश है वो आदेश आज दिन तक प्रभावी नहीं हो पाया है। डाक्टर्स वहां पर दिन में आउटडोर तो अटेंड करते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स जिसको वहां पर भर्ती होने पर, इतनी बीमारियां होती हैं उनको वहां पर भर्ती होकर इलाज चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, मेल नर्स और ए.एन.एम्स. के नहीं होने के कारण उनको बीकानेर तक जाना पड़ता है और नाहक ही सरकार की ओर से इतना पैसा खर्च करने के बावजूद उनको पी.बी.एम. होस्पिटल तक जाने के अंदर हजारों रुपये खर्च करना पड़ता है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इसी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नापासर जो बीकानेर से महज 27 किलोमीटर दूर है वहां पर भी डाक्टरों के पद तो अनेक हैं, लेकिन रिक्त हैं। पांच डाक्टरों के स्थान पर महज दो डाक्टर अभी पदस्थापित हैं, उनमें से भी एक डाक्टर डेपुटेशन पर है। स्पेशलिस्ट डाक्टर गायनाकोलोजी, मेडिसन और सर्जरी के तीनों ही पद रिक्त हैं। इसके कारण उस अस्पताल....

इसी के साथ-साथ अर्जुनसर जो कि इस जिले की सीमा पर स्थित है वहां पर उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है, लेकिन लगभग एक वर्ष हो गया है वहां पर मेल नर्स फर्स्ट की पोस्ट आज तक रिक्त है और महज एक ए.एन.एम. काम कर रही है।

इसी के साथ-साथ छत्तरगढ़ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें मौजूदा समय में कोई भी डाक्टर नहीं है। एक डाक्टर की अभी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जबकि यह स्थान वह है जहां पर एक से अधिक डाक्टरों की आवश्यकता है। जिन डाक्टरों को अभी वर्तमान समय में पदस्थापित किया गया है यह पूगल के मोबाइल होस्पिटल से यहां पर स्थानांतरित है और पूगल जहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी डाक्टर है और एक मोबाइल होस्पिटल को भी रन करने वाला है मोबाइल होस्पिटल वाला डाक्टर यहां पर पदस्थापित होकर उस जगह को रिक्त करता है और वहां पी.एच.सी. में पदस्थापित डाक्टर है उसको अलग-अलग कैम्प में उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है उसके कारण से पूगल में आज के समय में स्वास्थ्य के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है।

इसी के साथ-साथ हमारे धन्तोर कस्बा जो एक बहुत बड़ा कस्बा है और सीमान्त क्षेत्र पर स्थित है यह महज एक मेल नर्स के भरोसे चल रहा है जबकि यहां पर लम्बे समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग चल रही है जो कि लम्बित है।

इसी के साथ-साथ डेलीतलाई जो कि ऐसा स्थान है जहां पर पाक विस्थापित लोग बहुसंख्यक रूप से आबाद हैं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इस स्थान पर एक बहुत बड़ा भवन आई.जी.एन.पी. के द्वारा बनाकर रखा गया है अस्पताल के लिए लेकिन वहां पर महज एक नर्स उसको चला रही है। मेरा निवेदन है माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत कि अगर पूगल के मोबाइल हास्पिटल को शिफ्ट करके डेलीतलाई पर कर दिया जाए, अगर लूणकरणसर में चल रहे मोबाइल हास्पिटल को स्थानान्तरित करके खेरा जो कि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है या बामनवाली पर स्थानान्तरित कर दिया जाए तो इन दोनों जगहों पर चिकित्सा की सुविधाएं मिलेंगी।

इसके साथ में सेरेरा जो कि बहुत बड़े इलाके का मुख्यालय है, इस स्थान पर भी पी.एच.सी. अगर नई स्थापित कर दी जाए तो इस क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

इसके साथ-साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अस्पतालों की स्थिति यह है कि वहां पर पियोन और हैल्पर्स की उपलब्धता न होने के कारण अस्पतालों के अन्दर आवारा पशु विचरण करते हैं, डाक्टरों को वहां पर अगर मसलन एक खाजूवाला के अन्दर वह अपनी ओर से कोई सर्जरी वगैरह की भी सुविधा देना चाहते हैं तो उनको उसके बाद में हैल्पिंग हैंड वहां पर नहीं होने के कारण वह ये सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। मेरा सार में निवेदन यह है कि राज्य की ओर से धन तो बहुत खर्च किया जा रहा है लेकिन उस धन का समुचित लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां फैल रही अव्यवस्थाओं का सुधार करते हुए उचित लोगों को इलाज मिल सके इसकी व्यवस्था कराई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर इसकी आवश्यकता नहीं है जवाब देने की कि आप पर्चियों पर जवाब दें।

डा. दिगम्बर सिंह : जनहित में इन्होंने एक सवाल किया है तो मैं उचित समझूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्यों आप फालतू में परम्पराएं डाल रहे हो ? आपकी डिमाण्ड जब आएगी तब इन बातों का जवाब दे देना आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का सवाल है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह जरूरी थोड़े ही है कि मेडिकल की डिमाण्ड रखे ही सरकार, डिमाण्ड तो कुछ ही रखी जाती हैं, टोटल 8-10 होती हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कल भी मेरे किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया था, आज मंत्री महोदय स्वयं इच्छा से जवाब देना चाहते हैं तो मेहरबानी करके जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : डाक्टरों की भर्ती हुई है न, अभी डाक्टर्स सलेक्ट हुए हैं।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर में 30 बेडेट कम्युनिटी हैल्थ सेंटर हैं और उसमें 5 डाक्टर्स की पोस्ट हैं जिसमें से एक जे.एस. मेडिसन, जनरल सर्जरी, गायनी और पेडियाट्रिक का जूनियर स्पेशलिस्ट और सीनियर मेडिकल आफिसर की पोस्ट हैं। इनमें से कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी का पद इसलिए रिक्त हैं कि हमने जिसके आदेश करे डाक्टर पारीक हैं उन्होंने अभी तक वहां जाईन नहीं किया परन्तु यह आचार संहिता की वजह से दूसरे डाक्टर को भी लगा नहीं पाये हैं तो माननीय सदस्य को इतना मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके यहां पर जो भी रिक्त पद हैं उनको बहुत जल्दी राजस्थान में वैकेंसीज डाक्टर्स की नहीं रहेगी।

जहां तक पैरामेडिकल स्टाफ का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हाई कोर्ट का अभी स्थगन आदेश नर्स ग्रेड-II की भर्ती पर लगाया हुआ है तो जैसे ही वह स्थगन आदेश खतम होगा, हमारे पास सूची तैयार है हम पैरामेडिकल स्टाफ की भी जल्दी से जल्दी पोस्टिंग कर देंगे।

इसके अलावा, मैं निवेदन करूं कि आपके यहां पर दो ग्रेड-I के पद हैं जिनमें से एक कार्यरत है, नर्स ग्रेड-II के चार पद हैं जिसमें से दो कार्यरत हैं,

(डा. दिगम्बर सिंह)

आपके हास्पिटल में रेडियोग्राफर कार्यरत है, ड्राइवर कार्यरत है, यू.डी.सी. है, एल.डी.सी. हैं, लैब टेक्निशियन हैं और बार्ड ब्वाय पांच पद हैं जिनमें से चार पद कार्यरत हैं, एक पद रिक्त है। इसके अलावा, आपने जिन-जिन अस्पतालों की बात कही है और जिन हास्पिटल्स के स्थानान्तरण की बात कही, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जनहित में उचित होगा, आप निश्चित रूप से मुझे लिखित में दें और ये प्रपोजल्स दें, जनहित में होंगे तो उसमें निश्चित पूरा प्रयास करूंगा कि आपके क्षेत्र में काम हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया। आपके दो मिनट मैंने काट लिये हैं क्योंकि आप पहले बोल चुके हैं।

सुखेर डैम से गोगुन्दा की पेयजल योजना

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष, मैं एक मिनट भी नहीं बोला हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुखेर डैम से गोगुन्दा की पेयजल की योजना को लेकर मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुखेर डैम से गोगुन्दा को पानी देने की जहां बात थी 25-09-2002 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब के राज में लगभग पांच करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर गोगुन्दा को पानी देने की बात पर स्वीकृति मिली और उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा और सुखेर के डैम के बीच में जो गांव थे उन गांवों की भी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के आधार पर मजावत, जोलाबास, जिरेई, बगडूंदा, मजाम, जोगियों का गुडा, बासड़ा, नायों का गुडा, साटा खेड़ी, छापरा, बावड़ी के पास में गोयों का मोहल्ला और मेघवालों की बस्ती को पानी देने का प्लान था। पर, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पांच करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने के बाद में यही स्थिति हुई कि उसमें 14 हजार मीटर सी.आई. पाइप भेजने का मामला था और उसमें से माननीय सी.पी. जोशी जी उस समय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री थे, तब हमें

(श्री मांगीलाल गरासिया)

केवल दो हजार मीटर पाइप ही सी.आई. उपलब्ध हो पाया। आज स्थिति यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदया कि वहां पर जो 14 गांव हैं उन गांवों के लिए पानी बिलकुल नहीं दिया जा रहा है और वहां पर पीने के पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्रीजी से मैं अनुरोध करूंगा कि यह मामला उन गांवों के ग्रामवासियों के लिए बहुत ही भयावह बना हुआ है और विशेष तौर से, माननीय अध्यक्ष महोदया उनके साथ में छापरा को पानी देने का मामला था, वहां पर भी नहीं दिया गया और जहां पर यह राज आने के बाद में केवल एक सौ मीटर भी पाइप नहीं दिये जाने की वजह से आज समस्या बनी हुई है। अभी जो प ी दिया जा रहा है डाइरेक्ट ही गोगुन्दा को पानी दिया जा रहा है और दूसरे बीच में गांव हैं उनको वंचित रखा गया है, उनके साथ भेदभाव बरता गया है और आप जानते हैं जिस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अभी जो गोगुन्दा को पानी दिया जा रहा है वह पानी बिलकुल ही बिना फिल्टर किये हुए दिया जा रहा है, गंदा पानी उनको पिलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्थिति से कई तरह की बीमारियां फैलने का प्रकोप भी है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि यह जो गोगुन्दा को पानी दिया जा रहा है उसके बीच में जितने भी गांव हैं, जो प्लानिंग बनी थी उनको पूरी तरह से पानी देकर और फिर लाभान्वित करते हुए गोगुन्दा को पानी दिया जाए। तब जाकर वहां सभी के लिए समानता का अधिकार बन पाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिल्टर प्लांट निर्माण करने की जहां बात थी वहां फिल्टर प्लांट भी नहीं लगाया है। और दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि अभी प्रतिदिन सात लाख लीटर पानी देने का मामला था, सात लाख लीटर प्रतिदिन पानी देने के स्थान पर केवल डेढ़ लाख लीटर पानी ही अभी उनको प्रतिदिन दिया जा रहा है। उनके साथ में, मैं निवेदन यह करूं, जहां पर एक्सटेंशन करके अन्य गांवों को भी दिये जाने की बात थी वहां पर उन्नीथल,

छाली, मजाम और कुब को पानी देने का मामला था उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए लोगों में जनाक्रोश व्याप्त है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, यह लाभान्वित करने का मामला है, जल्दी पूर्ण कराया जाए।

दूसरा, मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 150 एच.पी. कनेक्शन सूखर डैम लगाने का मामला था बिजली के रूप में वह भी हमारा अभी पूर्ण नहीं हुआ और यही 75 एच.पी. कनेक्शन मजाज का जो करने का मामला था वहां पर भी उसको पूरा नहीं किया गया और ट्रांसफर्मर नहीं लगाने की वजह से भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है और आज इस समय स्थिति बड़ी भयावह बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सुखेर डैम से जो पांच करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट बना है उसमें हमारे 12 गांवों के साथ में दूसरे जो 4 गांव हैं उन्नीथल, छाली, मजाज, कुरब और छापरा भी वे भी सम्मिलित हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय पूर्ण हो जाएगा तो उन लोगों का उद्धार हो जाएगा। दूसरा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : आप तो विस्तृत बात करने लग गये।

श्री मांगीलाल गरासिया : कालीबोर डैम का जो मामला है, उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा उपरा पट्टा का मामला है, वहां पर पानी जो संचय हुआ करता है और वह कालीबोर से पानी डाइरेक्ट सेही डैम में जाता है। और सेही डैम से पानी जाता है जवाई बांध को। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो लोकल व्यक्ति हैं, वहां काश्तकार भाई हैं, वहां पर सिवडिया, आयरिया, नाथोवरा, गोलबड़ली, तिलखा, बड़ापुल का एरिया और बेकरिया तक का मामला है, वहां पर जब पानी नहीं दिया जा रहा है तो इन काश्तकारों के साथ में ज्यादती हो रही है। वहां पर पानी होकर के निकल रहा है और हमारे काश्तकार भाई हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके।

श्री मांगीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से अगर उन काश्तकारों के साथ ज्यादती हुई तो मैं मानता हूं कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वहां पर जो काश्तकार हैं, कालीबोर से नीचे रहने वाले काश्तकार हैं उनको पहले पानी दिया जाए जिससे कि हमारे काश्तकार कुछ कर पाये।

श्री अध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव पर बोलने लगे हैं।

श्री मांगीलाल गरासिया : और दूसरा सिवड़िया नहर का मामला है। सिवडिया नहर के साथ कांकरिया नहर का भी मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी पर्ची के विष्य पर नहीं बोल करके विषयान्तर हो गये हैं अब। पर्ची पर बोल दिया आपने। पांच मिनट हो गये।

श्री मांगीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी से सम्बन्धित मामला है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांकरिया नहर ही नहीं, नाथवरा में पक्की नाली का मामला था वो भी.....

श्री अध्यक्ष : मैंने पांच मिनट का समय दिया था आपको।

श्री मांगीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में मेरी बात को पूरा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर गोलबड़ली से यह मामला था, बड़ेपुल तक पक्की नाली का मामला है उससे भी वंचित रहे हैं। बड़ा पुल के साथ में बेकरिया के जितने भी एरिया के काश्तकार हैं उनको पानी देने का मामला है उसमें भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यह भी काम यदि हो जाता है तो वहां पर काश्तकारों का भला होगा वरना मैं मानता हूं कि उनके पास में हो करके जो पानी जा रहा है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको भी डाइवर्ट करके पानी दूसरे एरिया में जा करके सप्लाई हो रहा है और यहां के काश्तकार भी आक्रोश में हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी और जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि हमें इसमें पूरा प्रोटेक्शन दे करके हमें राहत दिलाने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन सिंह।

सुखानिया डैम (दानुपर) की ऊंचाई घटाने के सम्बन्ध में

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधान सभा क्षेत्र में सन् 1964 और 65 में सुरवानिया डैम का निर्माण हुआ जो माही डैम बनने के बाद में उसकी इम्पोर्टेन्स खतम हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सुरवानिया डैम में माही के एल.एम.सी. केनाल का पानी उसमें भरा जाता है और उस पानी को बेमतलब से रोका जाता है जिससे सागड़ोद पंचायत, सालिया पंचायत और उस पंचायत के पांच गांव ऐसे हैं जिनकी जमीन बेमतलब में डूबी हुई रहती है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मैंने उनसे पहले भी निवेदन किया था कि इसका वाटर लेवल जो 13 फीट रखा गया है उसको मात्र तीन फीट घटाकर 10 फीट अगर किया जाए तो पांच गांवों के काश्तकारों को करीब हजार बीघा जमीन का फायदा हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि 10 फीट पानी करने से न तो कोई उसमें कमी आ सकती है, न किसी तरह का नुकसान है और 10 फीट पानी करने से पांच गांवों के काश्तकारों को फायदा हो सकता है, यह मेरी मांग है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, यह सारा आपके नालेज में भी है और पहले यह डैम सिंचाई विभाग के पास में था, माही डैम विभाग के पास में अब आया है तो न तो उनके पास में ऐसा कोई रिकार्ड है कि काश्तकारों की जमीन पर पानी रोक रखा है वह पहले डैम के समय भी एक्वायर नहीं की है उसके बावजूद भी गई फसल में, अभी की फसल में क्रोसिंग के द्वारा पानी भरकर खेतों में गेहूं भरे हुए थे और फसल नष्ट हुई है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर गौर करते हुए तीन फीट पानी कम करने का आदेश फरमायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा। बांहें मत चढ़ाओ आप।

इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बंद करने बाबत

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, होना तो चाहिए था संसदीय कार्य मंत्रीजी और डाक्टर किरोड़ीलालजी मीणा को क्योंकि उनसे सम्बन्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान उप राष्ट्रपति महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत जब इस राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान था उस समय इलैक्ट्रोनिक मीटर किसानों के यहां लगाने का निर्णय लिया गया और उस सरकार के द्वारा लिये गये निर्णयों को आगे तक जो हमारी पूर्व की सरकार थी उनसे भी इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने का निर्णय लेते हुए उसको यथावत चालू रखा। यहां के संसदीय कार्य मंत्रीजी और माननीय डाक्टर किरोड़ी लालजी मीणा जब विपक्ष में थे तो राजनीतिक रूप से यह फैसला किया गया कि इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने से किसान का नुकसान होगा, यह करंट देगा, यह किसानों को बरबाद करेगा, यह किसानों से जरूरत से ज्यादा पैसा वसूल करने की साजिश करेगा और जन आंदोलन खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जगह-जगह इस बात के प्रदर्शन किये गये और इस बात का निर्णय किया गया, जनता के माध्यम से, इनके संगठनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर यह निर्णय किया कि इलैक्ट्रोनिक मीटरों का बहिष्कार किया जाना चाहिए और बहुत जोरदार भाषण दिया। रिकार्ड देखने से पता लगा कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो और हमारे डाक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब ने यहां बड़ा जोरदार भाषण दिया और यह कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो इन इलैक्ट्रोनिक मीटरों को हम किसी के यहां नहीं लगने देंगे और आह्वान किया इस बात का कि जो भी कोई मीटर लगायेगा वह इसका बहिष्कार करे। चुनाव घोषणा पत्र निकाला और चुनाव घोषणा पत्र में वर्तमान सरकार के नेतृत्व ने यह लिखा कि हम इलैक्ट्रोनिक मीटर नहीं लगायेंगे और उनको बंद करेंगे। स्थान-स्थान पर जाकर, जगह-जगह जाकर वर्तमान माननीय मुख्य मुख्यमंत्रीजी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, शिक्षा मंत्रीजी ने और यहां के पार्टी के अध्यक्षों ने हर गांव-गांव में जाकर इस बात का भाषण दिया और जगह-जगह

जाकर आश्वस्त किया कि अगर हमारा शासन आ गया तो हम इलैक्ट्रोनिक मीटर को हटा देंगे और उसके स्थान पर दूसरा मीटर लगायेंगे। सार्वजनिक रूप से आश्वासन देने के बाद, चुनाव घोषण पत्र में लिखने के बाद, स्थान-स्थान पर आन्दोलन करने के बाद स्थान-स्थान पर प्रदर्शन करने के बाद इलैक्ट्रोनिक मीटर का बहिष्कार करने का आहवान करने के बाद और चुनाव घोषण पत्र में वायदा करने के बाद, मुझे अफसोस है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जनता को दिशा भ्रमित कर, गुमराह कर, झूठे वादे कर सत्ता हथियाने के लिए भावनात्मक रूप से किसानों को भड़का कर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का षड्यंत्र किया। अब क्या हो गया ? क्या हो गया ? इनकी सरकार है, 13 महीने से इनकी सरकार चल रही है ? आपके सामने इस सरकार ने 9 लाख मीटर खरीदने का आदेश दिया है। 6 लाख मीटर इनके पास आ चुके हैं। इन्होंने जयपुर डिस्कॉम में दो लाख मीटर, अजमेर डिस्कॉम में दो लाख मीटर और जोधपुर डिस्कॉम में 1.87, करीब दो लाख मीटर खरीद लिये हैं। एक ओर ये जनता से वादा करते हैं, जनता को दिशाभ्रमित करते हैं..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वो ही मीटर हैं आप वाले ही।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारे वाले में तो करंट आ रहा था न वो थोड़े होगा, ये तो आप वाले होंगे जिसमें करंट गायब हो गया और बिल दुगुना हो गया। मीटर भी नहीं बदले और रेट कम करने का वादा करके उससे भी मुकर गये। जो वादा आप करते हो उससे मुकरते जा रहे हो। मेरा तो आपके माध्यम से यह निवेदन है कि......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को केवल बोलने की अनुमति देते हैं, ये हरिमोहनजी साथ-साथ डांस भी करते हैं, जरा इनको रोकिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जिस प्रकार ये जनता को दिशाभ्रमित कर चुनाव घोषणा पत्र में असत्य वादा

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कर माननीय मुख्यमंत्री से जगह-जगह पर असत्य बुलवाकर प्रचार करके जो असत्य बातें इन्होंने की हैं........

श्री अध्यक्ष : यह सब करते हैं, हर पार्टी करती है यह।

श्री हरिमोहन शर्मा : या तो क्षमा याचना करें या इन मीटरों को खरीदना बन्द करें। नहीं तो कथनी और करनी में अन्तर है, उन सबके लिए जनता के सामने सार्वजनिक रूप से किरोड़ी लालजी को और माननीय मुख्यमंत्रीजी को क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमने गलती की और असत्य बोला था और असत्य बोलकर सत्ता में आ गये कि वैसे मीटर लगायेंगे और उतना ही पैसे लेंगे। अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामनारायण डूडी।

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा राज्य मंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं इनका थोड़ा जवाब देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे ? बोलिये, बोलिये।

श्री गजेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने जो अभी यह बोला कि घोषणा पत्र के अन्दर हमने झूठे वादे किये। यह घोषणा पत्र मेरे पास है और घोषणा पत्र में 11वें बिन्दु के उपबन्दु नम्बर (6) है, वह यूं पढ़ा जाता है कि "इलैक्ट्रोनिक मीटरों का परीक्षण करवाकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा ताकि जनता की परेशानियां समाप्त हों।"......अब आप मुझे बोलने तो दीजिये। आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : क्या निर्णय किया आपने ? आपका घोषणा पत्र है तो क्या निर्णय किया ? ये राठौड़ साहब बैठ गये, ये राठौड़ साहब हैं, इन्होंने क्या भाषण दिया था इस फ्लोर पर, वे यह बतायें। आपने आन्दोलन किया, आपकी पार्टी ने आन्दोलन चलाया, जगह-जगह मीटर बन्द करने की बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत बैठें। आप बीच में नहीं बोलें। जब आप बोल रहे थे तो सब शांतिपूर्वक सुन रहे थे। आप जब बोल रहे थे तो शांतिपूर्वक सुना इन्होंनें।

श्री धर्ममाल चौधरी : बोल तो लेने दो। आपके करंट क्यों आ रहा है। सुन तो लो। (व्यवधान) करंट मत खाओ।

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् हमारी जो 100 दिवसीय एक्शन प्लान है, उसके तहत हमने हर उपखण्ड के अन्दर ए.ईएन. के आफिस में शिविर लगाये और शिविर के अन्दर 16507 कम्प्लेंट्स पाई गई और जिसमें 15273 उपभोक्ताओं को, उनको लैब टैस्ट कराकर सफलतापूर्वक घर भेज दिया गया तो यह हमने हमारे 100 दिन के अन्दर किया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी सरकार ने जब हम विपक्ष में थे और जो हमने मुद्दा उठाया था, वह था कि आप लोगों ने 1994 से लेकर आज तक, अध्यक्ष महोदय, 1994 से लेकर आज की तारीख तक सिंगल फेस के लगभग

श्री हरिमोहन शर्मा : सरकार किसकी थी ? 1994 में सरकार किसकी थी ? आप कैसी बाते कर रहे हैं, हां आपकी थी सरकार।

श्री अध्यक्ष : 1998 में थी कांग्रेस की सरकार।

श्री गजेन्द्र सिंह : आप मुझे बोलने दीजिये। मैं आपको फैक्ट्स एण्ड फिगर्स दे रहा हूं, उसके बाद मुझे बोलने दीजिए। उसके पश्चात हमने लगभग 30 लाख मीटर खरीदें सिंगल फेस के सात लाख और सात लाख थ्री फेस के, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो शिकायत थी कि कांग्रेस की सरकार जो मीटर खरीद रही थी वे बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे और हमारी सरकार आते ही ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय मंत्री महोदय, आप संसदीय कार्य मंत्रीजी का भाषण पढ़ें। पिछली विधान सभा में उन्होंनें जोर-शोर से इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने का विरोध किया था। प्रोसीडिंग्स पढ़कर देखिये आप। इन्होंने कहा था कि हम जन आन्दोलन चलायेंगे इलैक्ट्रोनिक मीटरों के बारे में।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह कांग्रेस के दिल्ली में एक मंत्री थे उनकी कम्पनी के थे, वे कांग्रेसी मीटर थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो उधर बैठते हैं तो कुछ और बोलते हैं और इधर बैठने वाले कुछ बोलते हैं। क्या नई बात है, क्या नई बात है यह। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यथार्थ तो यही है।

श्री अमराराम (धोद) : यह है तो मान लो कि हमने इधर से गलत बोला था खड़े होकर।

श्री हरिमोहन शर्मा : फिर क्षमा याचना कर लो ना। ये क्षमा याचना कर लें, मैटर ड्राप है कि हमसे गलती हो गई थी, माफी चाहते हैं, नहीं बदलेंगे।

श्री अध्यक्ष : तो ये इलैक्ट्रोनिक मीटर सबसे पहले किसने खरीदे थे, यह तो बताओ जरा, सबसे पहले किसने खरीदे (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह तो बात मान लो कि इधर से बोले थे वह सही बोले थे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ये आन्दोलन चलाया था कि इन मीटरों को हटायेंगे, हम आगे नहीं खरीदेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये इलैक्ट्रोनिक मीटर सबसे पहले खरीदे किसने थे, यह तो बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराज जाय तो ठीक रहेगा वरना वह सारी बात पीछे वाली, ट्रांसफार्मर, रद्दी ट्रांसफार्मर केबल कांड, वह सारे खुल जायेंगे। बिराजें बिराजें आप तो।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या होगा, क्या होगा

श्री अमराराम (धोद) : केबल कांड है तो कांड की जांच करवा दो, उन कांडों की जांच करवाइये। वह मिलीभगत है क्या। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह ब्लैक लिस्टेड की हुई फर्मों को वापस आर्डर करना, वह सारी बातें खुल जाएंगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके यहां जो काण्ड खुल रहे हैं उनकी जांच ही नहीं कर सकते, उनकी जांच तो करवा लो आप, जो कांड खुले हैं, उनकी तो जांच करवाओ।

श्री गजेन्द्र सिंह : सन् 2003 के अन्त में आर.ई.आर.सी. ने एक मीटरिंग कोड एप्रूव किया जिसमें इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाना जरूरी समझा। हमारी सरकार आने के पश्चात् हमारा जो लैब टेस्टिंग है, जो क्वालिटी कंट्रोल है, हमने उसको उच्च कोटि का किया और हम अब जो मीटर ला रहे हैं, एक एक सिंगल यूनिट ला रहे हैं जिसके अन्दर सील तोड़ना, सिंगल बाक्स अलग नहीं होगा और मीटर अलग नहीं होगा। आप लोगों ने इतने घटिया किस्म के मीटर दिये, जनता को लूटा और हम बढ़िया सामग्री खरीद रहे हैं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : क्या मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हमने जनता को लूटा तो सजा दे दो, आप राज में हो और आप तो यह कहो कि हम क्षमा चाहते हैं, गलती हो गई। हम भी इलैक्ट्रोनिक मीटर कांग्रेस की तरह लगायेंगे, यह तो कहो।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पूरे नागौर जिले में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, पूरी बिजली नहीं दे रहे हैं, मीटर खराब दे रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह : क्षमा तो मांगनी आपको चाहिए क्योंकि आप लोगों ने लूटा, हम तो अच्छी सामग्री दे रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आम सभाओं में मुख्यमंत्रीजी और आप सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें कि हमने असत्य वायदे किये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके इस सदन में और सत्ता पक्ष की ट्रेजरी बेंचेज का यह कहना कि आपके जमाने में आपने लूटा, किसने लूटा? खींवसर एण्ड कम्पनी ने किसने लूटा ?

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : आज भी कई किसानों को लूटा जा रहा है। नागौर जिले के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप खुद मंत्री महोदय नागौर जिले से हो।

श्री रामनारायण चौधरी : आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिये। कोई भी सरकार लूटने का काम नहीं कर सकती चाहे इधर की सरकार हो चाहे उधर की सरकार हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कहां लूटा जा रहा है किसानों को, आप बताइये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : मैं बताऊं कैसे लूटा जा रहा है किसानों को, ट्रांसफार्मर उठा रखे हैं पूरे के पूरे। घटिया किस्म के मीटर दिये हैं आपने, उसकी वजह से लूटा है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं था।

श्री रामनारायण चौधरी : ये जो माननीय ऊर्जा मंत्रीजी बोल रहे हैं कि लूटा, क्या लूटा और किसने लूटा, कैसे लूटा (व्यवधान) आप कह रहे हैं कि हमने घटिया खरीदा और आप किस रिपोर्ट के आधार पर कहते हैं कि घटिया खरीदा गया, आपके पास कोई रिपोर्ट है क्या, आप कोट कीजिये। आप अपने मनमाने तरीके से मंत्रीजी यह नहीं कह सकते कि उस सरकार ने लूटा। अगर उस सरकार ने लूटा तो आप तो आज सरकार में बैठे हैं।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नागौर जिले में ट्रांसफार्मर उठाये जा रहे हैं, आज सीजन है, फसल पकने जा रही है और आप किसानों को लूट रहे हैं, ट्रांसफार्मर उठा रहे हैं।

श्री सांगसिंह भाटी : यह हकीकत है, मंत्री महोदय अपने मन से नहीं कह रहे हैं। यह हकीकत थी हकीकत। हकीकत को कोई नकार नहीं सकता। कारण है, आपकी सरकार ने गलत मीटर लगाये और उस काश्तकार के कृषि कनेक्शन, ट्यूब वैल को पूरी तरह पैसे लेकर लूटने का काम किया। यह हकीकत है, यह हकीकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता।

काश्तकार की बुरी हालत हुई (व्यवधान) और आपकी सरकार ने काश्तकारों की बड़ी दुर्गति की है आप लोगों ने।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर लूटने का काम कर रहे है तो आप इसकी जांच करवाइये ना। आप किस आधार पर यह वक्तव्य दे रहे हैं (व्यवधान) आपके पास कौनसी रिपोर्ट है, निकालिये रिपोर्ट, जबानी नहीं बोलें, निकालिये वह रिपोर्ट। यह सदन है।

श्री गजेन्द्र सिंह : हम आपकी केल्योर रेट बतायेंगे। आपकी सरकार ने जो मीटर खरीदे, उसकी फेल्योर रेट कितनी थी, वह पूरे आंकड़े मैं यहां साबित कर दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सदन खींबसर का ठिकाना नहीं है, जागीर नहीं है, यह राजस्थान की विधान सभा है जिसके अन्दर आप ऐसे नहीं बोल सकते।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : जागीर की बात नहीं है। पहले पोल के ऊपर ज्यादा पैसा लेते थे और पर होर्स पावर लोड एक्सटेंशन करते थे, 1500 रुपये लेते थे। वह लूट नहीं थी तो और क्या थी.... (व्यवधान) वह लूट नहीं तो क्या थी और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे मीटर खरीदे हैं, उसको भी स्वीकार तो करो आप। यह जागीर का मामला नहीं है, यह हकीकत है। आप भी मंत्री थे, आप भी सुनने के आदी रहे हैं। आप अपने गिरेबां के अन्दर झांक कर देखो, सरकार ने क्या-क्या गलत काम किये और हमारी सरकार ने क्या-क्या काम किये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास क्या डाक्यूमेंट है आप कह रहे हैं, आप यह किस आधार पर कह रहे हैं, आप आधार बताइये। आपके पास कौनसा डाक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप यह कह रहे हैं कि केल्योर रेट यह है, क्वालिटी के मीटर नहीं खरीदे।

डा. एन.एस. गुर्जर : इन्होंने मीटर में कितने करोड़ का घोटाला किया है, इतना तो बता दो। कितने करोड़ का घोटाला किया गया था, वह भी बता दो।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है, आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है तो आप अपने शब्दों वापस लीजिये। आप अपने शब्द वापस लीजिये आप ऐसे नहीं बोल सकते। (व्यवधान) या तो आप हमें रिपोर्ट बताइये कि यह रिपोर्ट है। आपने कौनसी जांच रिपोर्ट बैठाई ? मीटर खरीदने के लिए कांग्रेस के राज में जो मीटर खरीदे थे, वे खराब थे, आपने कौनसी कमेटी बैठाई ? उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, वह आप पढ़कर सुनाइये। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय मंत्री महोदय, इनके मीटर घोटाले की जांच कराई जाये ताकि इनको यह पता चल जायेगा कि किसने क्या किया ? इनके पांच साल के कार्यकाल में जितने भी मीटर लगे, जितने भी कनेक्शन किये चाहे घरेलू हो या कृषि के हों, माननीय मंत्रीजी, इनके मीटरों के घोटाले की जांच कराई जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री रामनारायणजी डूडी।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की रिपोर्ट पढो, आप चिट्ठी पढ़कर सुनाइये। असहाय छात्रों का, गरीब छात्रों का सारा आटा-नमक खा गये, नमक खा गये। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ रुपये का ट्रांसफार्मर घोटाला अजमेर कम्पनी का, 10 करोड़ का जयपुर कम्पनी का घोटाला, आपने बहुत ही घोटाले किये हैं।

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको कह रही हूं। आप बीच में नहीं बोलें टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसकी जांच कराइये, जांच कराओ इसकी।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोले, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य। श्री रामनारायण डूडी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

उपनिवेशन विभाग

श्री रामनारायण डूडी (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(2)कोलो/99 दिनांक 24.9.2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या-एफ.4(11)कोलो/97 दिनांक 24.9.2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(3)कोलो/99 दिनांक 26.11.2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(2)कोलो/99 दिनांक 26.11.2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(1)कोलो/96 दिनांक 26.11.2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर कोलोनी क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(6)कोलो/99 दिनांक 26.11.2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर कोलोनी क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

(श्री रामनारायण डूडी)

7. अधिसूचना संख्या-एफ. 3(29)कोलो/86 दिनांक 26.11.2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर कोलोनी क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(1)कोलो/2001 दिनांक 28.11.2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर कोलोनी क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2004-2005 का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (सभापति, महिला एवं बाल कल्याण सम्बन्धी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार महिलाओं और बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति 2004-2005 समिति के निम्नांकित दो प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :-

1. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति 2004-2005 का द्वितीय प्रतिवेदन; एवं

2. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2000-2001 के द्वितीय प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण विभाग पर आप कुछ कहना चाहेंगे मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके सम्बन्ध में कल जो प्रस्ताव दिया है स्थगन, आप कुछ बोलना चाहेंगे ?

श्री मदन दिलावर : यस।

श्री अध्यक्ष : तो वक्तव्य दीजिये।

शासकीय वक्तव्य

अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को लेकर कल 16 फरवरी को विधान सभा में चर्चा की थी, उस सम्बन्ध में मैं सदन को

(श्री मदन दिलावर)

बताना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमर सिंहजी गोदारा ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह पिछले चार सालों में आयोग द्वारा छात्रावासों के जो निरीक्षण किये हैं उनकी रिपोर्ट है। वैसे कुल चौदह रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग ने प्रस्तुत की है। पहली जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह 13.7.2001 को, दूसरी रिपोर्ट है। 2 फरवरी, 2002 को, तीसरी रिपोर्ट है 25-3-2002 को, चौथी रिपोर्ट है 11 अक्टूबर 2002 को, पांचवीं रिपोर्ट है 12 अक्टूबर, 2002 को, छठी रिपोर्ट है 14 अक्टूबर, 2002 को, सातवीं रिपोर्ट है 30 मार्च, 2002 को, आठवीं रिपोर्ट है 25 मार्च, 2002 को और नवीं रिपोर्ट है 17 जनवरी, 2003 को.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, है, मैंने देख ली।

श्री रामनारायण चौधरी : अब हम क्या पूछेंगे, हमारी कोई......

श्री अध्यक्ष : आपके माननीय सदस्यों को मालूम है।

श्री मदन दिलावर : दसवीं रिपोर्ट है। फरवरी, 2003 को, ग्यारहवीं रिपोर्ट है 27.12.2004 को.....

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी ओर से बात उठाई गई है वह 9 फरवरी, 2005 को मानवाधिकार आयोग ने जो यह रिपोर्ट भेजी है, हमने इसके सम्बन्ध में प्रश्न किया था और 9 फरवरी, 2005 को भेजी गई है, आप चाहें तो मैं इसको टेबल करने को तैयार हूं। यह कहां 2002 में घूम रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और जो चौदहवीं रिपोर्ट है, 22 जुलाई, 2003 को और पन्द्रहवीं रिपोर्ट है 6.11.2004 की और सोलहवीं रिपोर्ट है 5 फरवरी, 2005 की.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप तो 1947 की बात करने लग जाओगे.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मुश्किल यह है, यह बैठ नहीं सकते, प्रोब्लम है, इसकी जांच करवाई जाय, यह बैठ क्यों नहीं सकते।

एक माननीय सदस्य : आप इनकी बात तो सुनो फिर बात करना अपनी, पहले मंत्रीजी की बात सुन लो, सुनने का भी थोड़ा रखो।

(13:24 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी तो अभी 1995 पर भी नहीं आये, यह 2005 चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बीच में नहीं, अब स्टेटमेंट आने दीजिये। स्टेटमेंट आने दीजिये।

श्री मदन दिलावर : आयोग द्वारा किये गये छात्रावासों के निरीक्षणों की रिपोर्ट है और उसमें....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह तो तय कीजिये कि यह आयोग की 2005 की रिपोर्ट का जवाब दे रहे हैं या 2002 का जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले स्टेटमेंट सुन लीजिये।

श्री मदन दिलावर : आप चुप रह जाओ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पहले आप यह तो तय कीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मदन दिलावर : आप विराजो, मैं बता रहा हूं।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : आपके जो पुराने पाप हैं उनका चिट्ठा बता रहे हैं यह।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अगर पाप किये हैं तो हम इधर बैठे हैं, आपने पुण्य किये हैं, आप उधर बैठे हो और आप 2005 की रिपोर्ट पर बात करें, यह 2002 और 2001 छोड़ दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप पहले स्टेटमेंट आने दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह 2005 की रिपोर्ट के आधार पर दिया है...

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री का वक्तव्य नहीं सुनना चाहते.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : छात्रावासों की अवव्यवस्था पर है, इसको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : पहले वक्तव्य सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब छात्रावासों की अव्यवस्था पर... (व्यवधान) क्यों हुआ, कब हुआ, मानवाधिकार आयोग ने उसमें क्या रिपोर्ट दी, यह बताना पड़ेगा मंत्रीजी को...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : नियम 50 के अन्तर्गत मैंने इस सम्बन्ध में कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और स्थगन प्रस्ताव की मूल भावना पर ही कल यह सदन में तय हुआ था कि मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। अब आप। अब आप पढ़कर देखिये, जब यह मौजूद है कि जो कुछ स्थगन प्रस्ताव में दिया है उसी के आधार पर तो यह जवाब देंगे क्योंकि मुद्दा यहां चर्चा में स्थगन प्रस्ताव के बाद आया, जब माननीय सदस्यों ने और माननीय सरकारी मुख्य सचेतकजी ने स्वयं ने कहा था कि सरकार इस बारे में अपना वक्तव्य देगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : देगी, दे रहे हैं।

श्री जुबेर खान : जब वक्तव्य देगी तो हमने जो नोटिस दिया है उसी के आधार पर तो देगी।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे चीफ व्हिप बोल रहे हैं, आपका ठेका नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बोलो।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, तो इनकी सुनो।

श्री जुबेर खान : हमने जब स्थगन प्रस्ताव में साफ लिखा है कि मानवाधिकार आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदाराजी, उन्होंने जो तथ्य, जो जांच करके, उसके आधार पर दिलवाइये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन को आप बाउंड नहीं कर सकते कि किस आधार पर देंगे, क्या देंगे।

श्री जुबेर खान : आप स्थगन, उपाध्यक्ष महोदय, आप बिराज जाइये, एक मिनट सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद में आप पूछेंगे, आपको समय दिया जायेगा।

श्री जुबेर खान : आज वक्तव्य क्यों दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री जुबेर खान : आज आप इस भावना पर जाइये, वक्तव्य देने की नौबत क्यों आई....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री जुबेर खान : वक्तव्य देने की नौबत कब आई जब हमने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी तो हमने उनसे निवेदन किया कि महत्वपूर्ण मसला है, इस पर सदन में चर्चा कराई जानी चाहिए। जब सत्ता पक्ष की तरफ से यह बात आई कि सरकार वक्तव्य देने को तैयार है तो यह तय किया गया क्योंकि यह तेइस.....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि 9 फरवरी, 2005 को जो रिपोर्ट.... (व्यवधान) सुन लो मेरी बात, आपका जवाब दूंगा।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : इस रिपोर्ट का बैकग्राउंड तो बताना ही पड़ेगा।

श्री जुबेर खान : आप उसी पर चर्चा कराइये।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : अर्जी, रिपोर्ट का बैकग्राउंड तो बताना ही पड़ेगा न।

श्री उपाध्यक्ष : आप वक्तव्य आने दीजिये।

श्री जुबेर खान : कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने साफ कहा था कि आप वह टेबल कराइये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री जुबेर खान : आप स्थगन प्रस्ताव के आधार पर कराइये, अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, पहले आप वक्तव्य देने दीजिये उसके बाद में जो-जो आवश्यक बातें आप पूछेंगे, आपको मौका दिया जायेगा जवाब देने का, आप पहले बीच में ही, यह क्या है..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कहेंगे जो बोलेंगे। अपने यहां कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। अपने यहां कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में नहीं। आपका कोई रेलेवेंट पाइंट होगा उस पर जवाब देंगे... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय : जवाब ही इर्रेलेवेंट दे रहे हैं, रेलेवेंट पाइंट क्या होगा, जब नवाब स्वयं इर्रिलेवेंट है, जो आपके सामने पेपर है उसी पर तो बोल रहे हैं, यह इर्रेलेवेंट जवाब दे रहे हैं........

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव आपको दिया है उसके ऊपर वक्तव्य यह दे रहे हैं, जो मोशन है उसके ऊपर ही बहस है। आप इस पर व्यवस्था तो दीजिये, इन्होंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दे दी व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हां, मेरी बात सुन लीजिये, एक मिनट में इनका समाधान भी कर देता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था तो दीजिये। आपने यह पाइंट आफ आर्डर उठाया है।

श्री मदन दिलावर : हां, रिपोर्ट पर बोलूंगा। 9 फरवरी, 2005 को जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर बोल रहा हूं, सुन लीजिये। 9 फरवरी, 2005 को जो रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग के माननीय कार्यवाहक अध्यक्षजी ने दी है उसके दूसरे पेज पर चौथे पैरा पर लिखा है, करीब चार वर्ष की अवधि में अनेक निरीक्षणों के उपरान्त इन छात्रावासों के भवनों की स्थिति, रखरखाव, मरम्मत, विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति, शौचालय, स्नानागार, भोजन, नाश्ते, बिस्तर, सफाई, कोचिंग प्रबन्धन आदि का निष्कर्ष है, यह है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि उससे अलग नहीं हूं। उल्लेख किया गया है कि पिछले चार सालों में छात्रावासों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही है, और उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि छात्रावासियों की उपस्थिति पूरी नहीं रहती, भवनों का अभाव है, छात्रावासों के भवनों की मरम्मत की आवश्यकता है, कई छात्रावासों के विद्युत कनेक्शन विच्छेद हो गये हैं, छात्रावास अधीक्षक छात्रावास में निवास नहीं करते बल्कि अप-डाउन करते हैं। छात्रावास अधीक्षक के पद खाली हैं। कुछ कर्मचारी छात्रों के हिस्से में से ही भोजन करते हैं। यह उस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि छात्रावासों की स्थिति निश्चित रूप से काफी खराब भी परन्तु माननीय वसुन्धराजी के मुख्यमंत्री का पद सम्भालने तथा मुझे समाज कल्याण विभाग का जिम्मा देने के बाद प्रयास किया है कि इन छात्रावासों में जो कमियां हैं उनको हम दूर करें। हमने देखा कि आवश्यक सामानों की काफी कमी है, क्योंकि पिछले पांच सालों में सरकार द्वारा बिस्तर, पलंग, बरतन आदि रोजमर्रा में उपयोग आने वाले सामान को नहीं खरीदा तथा भवनों की मरम्मत पर भी बिलकुल ध्यान नहीं दिया। हमारे द्वारा कार्य सम्भालते ही अधिकारियों की बैठक लेकर के निर्देश दिये कि दैनिक उपयोग में आने वाले जो अनुपयोगी सामान हो गये हैं उनको दिलाना चाहिए और उनकी जगह पर नये सामान की व्यवस्था की जाए। नये सामान की रिपोर्ट जिलाधिकारियों से भी मांगी कि अनुपयोगी सामान कितना-कितना हो गया है उसकी रिपोर्ट के आधार पर पांच करोड़ रुपये की मांग आयी और विभाग द्वारा यह मांग वित्त विभाग के समक्ष रखी गयी जिसे वित्त विभाग द्वारा बी.एफ.सी. की बैठक में मौखिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है जिसके कारण सारे सामान नवीन हो जाएंगे।

(श्री मदन दिलावर)

यही नहीं 2004-05 में 42 छात्रावास भवनों की मरम्मत के लिए 109.3 लाख रुपये व्यय किये गये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम को विभाग द्वारा 250 लाख रुपये भारत सरकार जो केन्द्रीय सहांयता देती है उससे उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। भारत सरकार से राशि उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा निगम को उपलब्ध करा दी जाएगी।

चूंकि छात्रावास अधीक्षकों की कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई है इसलिए छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की कार्यवाही भी वर्तमान सरकार शीघ्र करेगी। साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि हमने सकारात्मक सोच को दृष्टिगत रखते हुए छात्रावास अधीक्षकों की कार्यशैली को और उनकी काम करने की रीति-नीति को ठीक करने के लिए और काम के प्रति निष्ठा जगाने के लिए सभी सम्भागों पर सम्भाग में आने वाले छात्रावास अधीक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का सुनिश्चित किया है जिसमें से उदयपुर एवं जयपुर सम्भाग के छात्रावास अधीक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराये जा चुके हैं। जयपुर सम्भाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था। उनसे वार्ता कर वांछित निर्देश दिये हैं शेष सम्भागों में भी 31 मार्च, 2005 से पहले ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाएंगे। हमने विभाग के छात्रावासों के माहौल को सुधारने के दृष्टिकोण से इनके निरीक्षण के कार्यक्रम शुरू किये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशेष अधिकारी भी छात्रावासों के निरीक्षण के लिए लगाया गया है। मुख्यालय के अधिकारियों को प्रति अधिकारी 2-2 जिले अचानक निरीक्षण करने के लिए दिये गये हैं। मैं स्वयं भी कई छात्रावासों का निरीक्षण कर चुका हूं। मेरे भीलवाड़ा जिले के जिलाधिकारी को छात्रावास की व्यवस्था नहीं सुधारने के लिए निलम्बित कर उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। एक छात्रावास में संविदा पर रखे अधीक्षक को छात्रावास में गड़बड़ी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। एक छात्रावास अधीक्षक द्वारा स्वीकृत छात्र संख्या के अनुरूप फर्जी तरीके से बजट व्यय दिखा कर धनराशि उठायी गयी उससे 5 लाख 25 हजार रुपये रिकवरी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(श्री मदन दिलावर)

वर्तमान में सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत 44 तथा सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत 49 अर्थात् कुल 93 छात्रावास अधीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके छात्रावासों की स्थिति नहीं सुधारने बिलकुल अव्यवस्था फैलाने के कारण की जा रही है इस प्रकार इन छात्रावासों के वातावरण को ...।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनके कारण की है। सारी गड़बड़ तो उनको कहों। यहां इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : अभी बताऊंगा मेरे पास है। इस प्रकार छात्रावासों के वातावरण को अध्ययन, आवास एवं संस्कार प्रदान कराने वाला बनाने के साथ-साथ 1982 से चल रहे छात्रावास संचालन के नियमों की भी समीक्षा की तथा यह पाया कि 22 वर्ष से चले आ रहे इन नियमों को बदलकर समय के अनुकूल बनाया जाए। इन नियमों के स्थान पर हमने नये नियम राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2004 बनाये हैं।

श्री संयम लोढ़ा : ठीक है आपके प्रवचन सुन लिये। अब हमारे प्रश्नों का जवाब दें। इन नियमों की कोई जरूरत नहीं है। राशन खा गये आप लोगों का। फालतू बातें कर रहे हो। नियम-नियम कर रहे हो...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह दादागिरी नहीं चलेगी। यह सुनना पड़ेगा। प्रवचन क्या होता है ? प्रवचन क्या होता है ?

श्री संयम लोढ़ा : नियम की बात कर रहे हो। बच्चे भूखे मर रहे हैं और नियमों की बात कर रहे हो.....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : अब ये प्रवचन लगने लग गये। पहले सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह बोलने का तरीका ठीक नहीं है।...... (व्यवधान) इस सदन की गरिमा को बिगाड़ने में....(व्यवधान).... इस सदन की गरिमा को बिगाडा है जबकि माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य .... (व्यवधान)...वो वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) पहले मेरी बात सुनिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले तो कहेंगे कि वक्तव्य दिलाइये और अब सुनेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अनुभवी सदस्य हैं आप बीच बीच में बार-बार बिना परमीशन खड़े होकर के वातावरण को......(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये नियमों की बातें बन्द करो आप। ये क्या होस्टल के नियम लेकर आ गये ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में क्यों टिप्पणी कर रहे हो ? आपको क्या आवश्यकता पड गयी ?

श्री संयम लोढ़ा : बात बच्चों की रोटी की हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेन्ट देते वक्त बीच में आपको क्या आवश्यकता हो गयी ? बिना परमीशन के क्यों बोल रहे हो आप ?

श्री संयम लोढ़ा : दो प्रश्न पूछने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं यह गलत है आपका। आप उत्तेजित कर रहे हैं लोगों को। इस तरह सदन का समय खराब होता है। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री संयम लोढ़ा : प्रवेश नियमों का किसने पूछा है ? प्रवेश नियमों का भाषण दे रहे हो यहां पर।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये आपको पूछ कर कोई जवाब नहीं देंगे। ये जवाब दे रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह नहीं कह सकते....(व्यवधान)....

श्री धर्मपाल चौधरी : ये आपकी साहूकारी बता रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : ......(व्यवधान).....ये आपके कारनामें, आप कितने साहूकार थे और आपकी पोथी पढ़ी जा रही है पूरी। आपकी पौथी चार-पांच साल की।....(व्यवधान)....

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात छात्रावास की सुविधा की हो रही है प्रवेश नियम की बात नहीं है। प्रश्न हमारा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको किसने परमीशन दी खड़े होकर बिना वजह से बोल रहे हो। नहीं यह गलत बात है। आप जान-बूझ कर यों बीच में...।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपका प्रश्न नहीं है कोई अखबार में दिया है उसका जवाब देने लग रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आपसे किसी ने नहीं पूछा रिपोर्ट हमारे पास है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह पूरी बात सुननी पड़ेगी मंत्रीजी की पहले।

श्री उपाध्यक्ष : आप बता देना रिपोर्ट है तो बीच में बोलना गलत है।

श्री नरपत सिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कि वक्तव्य दे रहे हैं हमारे मंत्रीजी। वक्तव्य दे दें उसके बाद में जो भी आपको पूछना है, कहना है, आरोप लगाना है लगायें। बिना वक्तव्य अगर खड़े होकर हमको ये पढ़ने नहीं देंगे तो दैट इज नोट पॉसिबल। आप अगर इसको उचित समझें तो कम से कम..... (व्यवधान).....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मंत्री महोदय की बात सही है, ठीक है, सबकी सहमति है। अध्यक्ष महोदय विराज रही थीं तब मैंने यह पाइंट उठाया था कि माननीय मंत्री महोदय से आप वक्तव्य दिला रहे हैं मानवाधिकार आयोग ने जो आपको पत्र लिखा है, जो अखबारों में आया है और स्थगन प्रस्ताव दिया है। माननीय अध्यक्ष को मैंने पूछा कि आपके यहां इसकी कॉपी आ गयी है तो उन्होंने कहा कि मैंनं देखा है। यह नहीं कहा कि मेरे पास कॉपी आ गयी है। कहा कि मैंने इसको देख लिया है फिर मैंने कहा आपने तो देख लिया पर हम कैसे पूछेंगे ये तो फास्ट रीडिंग कर रहे हैं। इस फास्ट

(श्री रामनारायण चौधरी)

रीडिंग में हमें तो इतनी बात याद थोड़े रहेगी। हमें स्टेटमेन्ट की कॉपी दिलवायी जानी चाहिए थी। इस बात के ऊपर वो मौन हो गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्टेटमेन्ट की कॉपी आपको मिलती है क्या कभी ?

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये प्रभु, इस बात पर अध्यक्ष महोदय मौन हो गयीं। अब आप जब तक हमें कॉपी नहीं दिलायेंगे, आपने फरमा दिया कि प्रश्न पूछेंगे, कैसे प्रश्न पूछेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपने, आपकी तरफ से, आपके प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से या सदस्यों की तरफ से मांग नहीं हुई थी कि हमको कॉपी दें उसके बाद आप स्टेटमेन्ट देना। यह कोई मांग नहीं थी। अगर मांगते तो कॉपी मिल सकती थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जरूरी नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इस पर व्यवस्था हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले व्यवस्था हुई है कि मंत्री महोदय स्टेटमेन्ट देंगे वो इम्पोर्टेंट नेचर का होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य दिये जाते हैं उनकी कॉपियां कभी भी सर्कुलेट नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो स्थगन प्रस्ताव आया है उस पर व्यवस्था पहले हो चुकी है ? नम्बर-2। उसको अस्वीकार कर दिया गया और जो अविश्वास प्रस्ताव था उसमें मांग क्या की गयी थी ? जुबेर खानजी ने यह स्थगन प्रस्ताव लिखा था जिसमें इन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की हालत खस्ता होने और उसमें फैले व्यापक भ्रष्टाचार के कारण इन वर्गों के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। यह श्री जुबेर खानजी ने स्थगन प्रस्ताव रखा उसके बाद कल अखबारों के आधार पर यह मामला उठाया गया। जब यह मामला उठा तब हमने अपनी तरफ से कहा यदि ये चाहें तो हम वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आसन के आदेश के अनुसार वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसकी नकल दो हमें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वक्तव्य की कॉपी आज तक राजस्थान विधान सभा के इतिहास में कभी कोई सर्कुलेट की गयी हो और कभी दी गयी हो तो वो बता दो।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मालूम करवा लें पहले दी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक बार भी नहीं दी है आप बता दो।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने दिलवायी है 1993 से 1998 तक...।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप स्वयं मंत्री रहे हैं, आपको मैं चैलेन्ज करता हूं यदि कभी भी वक्तव्य की कॉपी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट हुई हो तो आप बता दें। आप कहें जो करने के लिए तैयार हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि नयी परम्परा डालने की व्यवस्था न करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप उस समय फाइलें उठा रहे थे लोगों की। पहले तो मांग करते है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतकजी ने जो मुद्दा उठाया है मैं इस सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि कल जैसे गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया था तो उसकी सूचना पहले से सदन को थी और माननीय सदस्य उसकी तैयारी करके आये थे। अब माननीय मुख्य सचेतक जी एका एक यहां पर कोई वक्तव्य दिलाना शुरू कर दें तो हम यह कहते हैं कि सदन का समय जाया नहीं करके इनका वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाए

टेबल पर रख दिया जाये और माननीय सदस्य जो प्रश्न करना चाहे उन प्रश्नों के जवाब दिलवा दिये जाये। (व्यवधान) बहुत कम समय रह गया है। (व्यवधान) सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दिलवा दिया जाये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह शर्मनाक स्थिति है कि कभी अकाल की मांग करते हैं, कभी घड़साना की मांग करते हैं

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(व्यवधान) जब चर्चा होती है तो शामिल नहीं होते हैं और भाग जाते हैं, यह शर्मनाक स्थिति है विपक्ष के लिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या शर्मनाक स्थिति है ? (व्यवधान) आपने सूचना क्यों नहीं दी कि आज वक्तव्य होगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनको तो यही पता नहीं है स्थगन प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव कह गये। किसका अविश्वास प्रस्ताव आया है। आपको यही पता नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अगर मेरे मुंह से स्थगन प्रस्ताव की जगह अविश्वास प्रस्ताव निकल गय तो मैं माफी चाहता हूं। (व्यवधान) यदि मेरी कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। (व्यवधान) टैक्निकल में मत जाओ।

श्री संयम लोढ़ा : मेरे प्रश्नों का आप जवाब दो। मानवाधिकार आयोग कीं रिपोर्ट में पेज दो पर....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आप किसकी परमिशन से बोल रहे हो, आसन से आज्ञा ली है क्या। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मिनिस्टर हाउस में स्टेटमेन्ट कभी भी दे सकते हैं और आपकी यह मांग भी थी। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जुबेर खानजी ने 16 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था और वह था श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों की खस्ता हालत एवं उनमें फैले कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। इस पर माननीय अध्यक्ष ने सदन में यह निर्णय दिया था महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, माननीय सदस्यों को प्रस्ताव के विषयों पर बोलने का अवसर उपलब्ध है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। सुओमोटा सरकार की तरफ से यह स्टेटमेन्ट आ रहा है। इसमें पहली बात तो आप सुनने को तैयार नहीं है पूरा

(श्री उपाध्यक्ष)

स्टेटमेन्ट और स्टेटमेन्ट सुनने के बाद यदि उसमें कोई आवश्यक बात होती, कोई गलत तथ्य आते हों और उस पर आप कुछ पूछना चाहते हो तो चेयर की परमिशन से आप एक दो बातों का क्लेरीफिकेशन लेना चाहेंगे तो हम दिलवायेंगे आपको। पर यह नहीं कि आप मजबूर करें। यह तो सुओमोटो स्टेटमेन्ट दिया गया है और यह अच्छी बात है कि हम जो चाहते थे उस बात के तथ्य आपके सामने आये हैं। इसकी कापी आपको सप्लाई करने का नियमों में कोई है नहीं। ऐसा कोई आधार होता नियमों में तो कापी भी सप्लाई कर देते।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण इश्यू है। राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन ने सरकार का ध्यान मंत्री महोदय को पत्र लिखकर आकर्षित किया है। अखबारों ने किया है, मीडिया ने किया है, स्थगन प्रस्ताव द्वारा किया है। इसका उल्लेख कार्यसूची में कहीं नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य कार्यसूची में कोई विषय नहीं है और आपकी मांग पर वक्तंव्य दिलाते हैं, हाथों हाथ भी दिलाते हैं वह कार्यसूची में तो नहीं होता।

श्री रामनारायण चौधरी : हमको तैयार होकर आना था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कल यह बात तय हो गई थी कि कल वक्तव्य आयेगा।

श्री अमराराम (धोद) : कल अगर तय हो गई थी तो कार्यसूची में आता। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि सुओमोटो नहीं हमारी मांग पर दिला रहे हैं, आप कह रहे हैं सुओमोटो दिला रहे हैं। दोनों में से सही बात कौनसी है आप इनसे पूछ लें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप टैक्निकल बातों पर ना जाये। या तो मांग मत करो।

श्री सी.डी. देवल : हमारी मांग पर दिला रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसको पढ़ा हुआ मान लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे कैसे मान लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्टेटमेन्ट के ऊपर आपको बहस का समय नहीं दिया जा सकता और मंत्री कभी भी स्टेटमेन्ट दे सकते हैं। अगर आप मंत्रीजी का स्टेटमेन्ट नहीं सुनना चाहते हो तो अलग बात है। सुनने के बाद चेयर की परमिशन से ऐसी कोई बात होती तो आपको परम्रिशन देंगे। आप सुनना नहीं चाहते फिर कह रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह बिलकुल अनुचित बात है।

सूचना

पूर्व मंत्री द्वारा एक दैनिक के सम्पादक को धमकी

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आई. एम. ऑन ए पाइंट आफ इन्फोरमेशन।

श्री उपाध्यक्ष : कहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जिस प्रेस को हम प्रजातन्त्र का चौथा स्तम्भ मानते हैं उस प्रेस के सम्पादक का अभी मेरे पास फैक्स के द्वारा पत्र आया है। उसको जान से मारने की धमकी दी गई है और यह धमकी किसी ऐरे-गेरे ने नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री राधेश्यामजी ने दी है। जिनके बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता नें कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए एक घटना का जिक्र किया था और उसमें इन्होंने कहा कि हमारे माननीय और पूजनीय राधेश्याम जी के साथ यह किया गया। मैं यह कहता हूं....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच में कहां से आ गये। (व्यवधान) स्टेटमेन्ट के बीच में यह कहां से आ गये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पूर्व माननीय सदस्य थे उनके बारे में ......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको सुनना पड़ेगा मैंने परमिशन दी है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : तो हम सबकी बात सुनो आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : ......(व्यवधान) उनका जो आचरण है वह + + + है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान नहीं डाल सकते, चेयर ने परमिशन दी है। आपके पास कोई इन्फोरमेशन हो तो आप देना। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको माना है। माननीय सदस्य महोदय, हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप नहीं हो सकते और जब सुप्रीम कोर्ट ने राधेश्यामजी के बारे में यह कहा है कि वह + + + वह + + + और वह + + + इसके बावजूद आपने उनको मान सम्मान दिया। (व्यवधान) जो आदमी जान से मारने की धमकी दे रहा है, मैं आपके माध्यम से हाथ जोडकर निवेदन करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिये आप सरकार को निर्देशित करें।

श्री सी.डी. देवल : ......(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में जो आरोप लग रहे हैं इनको रिकार्ड नहीं किया जाये। (व्यवधान) बिलकुल नियम विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। जो हाउस में नहीं है उन पर एलीगेशन लग रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको परमिशन दे रहे हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : राधेश्यामजी को सुप्रीम कोर्ट ने + + + माना हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा माननीय सदस्य, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सदन के माननीय सदस्य ने अगर पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन के जरिये कोई सूचना दी है कि फलां सम्पादक को जान का खतरा है ऐसा मेरे पास तार आया है और होम मिनिस्टर उनकी सूचना पर काग्नीजेंस लेते हैं तो इसमें आपको एतराज क्या है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाये हैं जो इस सदन में नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : ......(व्यवधान) उन पर आरोप इसलिए लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको यह घोषित किया हुआ है।+++ (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी अपराधी को सजा देने के लिए ...... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : उसकी जान को खतरा है, उसकी जान की सुरक्षा की जाए। उस सम्पादक की जान को खतरा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अगर इन्हें नहीं सुनना चाहते......

श्री बंशीलाल खटीक : उस सम्पादक की जान को खतरा है, रक्षा की जाए।

श्री सी.डी. देवल : माननीय उपाध्यक्ष, यह नियमों की अवहेलना हो रही है। जो कुछ कहा है उसको कार्यवाही से निकाला जाए। कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सम्पादक की जान को खतरा है। उनकी सुरक्षा की जाए। पूरे सदन को जानकारी दे दी गई है, सुरक्षा की जाए।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य देना शुरू हुआ तो उधर से एतराज हुआ कि वक्तव्य इस

तरह से नहीं दिया जा सकता, लिस्टेड होना चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। मैं आपका ध्यान 290....(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात सुनिए। पहले इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनको आप विलोपित कराइये, उनको आप कार्यवाही से निकलवाइये। जो लगाए हैं पहले उसका कराइये, पहले आप उसका फैसला कराइये, यह बीच में खड़े हो गए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : माननीय सदस्य महोदय, मेरे द्वारा लगाए गए तो आप वापस करवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे चेंज कराओगे यह बताने का कष्ट करें ? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अलग से बताइये। बिना वोट.....(व्यवधान) इसलिए इसको एक्सपन्ज किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे चैंज करवाओगे ? या तो राष्ट्रपति के यहां अपील करो और उनसे कहो कि ...... (व्यवधान) हमारा साथी + + + है।

श्री सी.डी. देवल : एक्सपन्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का है अगर तो एक्सपन्ज कीजिए, आप नोटिस देकर व्यवस्था कराइये। (व्यवधान) आप एक्सपन्ज कीजिए नहीं तो मैं यहां पर धरना दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका देंगे।

श्री सी.डी. देवल : मौका, बीच में यह खड़े हो गए, यह इनके स्टेटमेन्ट पर आ गए। यह खड़े थे तो वह बीच में खड़े हो गए, वह खड़े हुए तो यह खड़े हो गए। आखिर सत्तापक्ष ही बोलता रहेगा तो फिर क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order ?

श्री सी.डी. देवल : हम यह कह रहे हैं कि एक्सपन्ज किया जाए, आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी तरफ से जो एतराज उठाया गया है उसमें कोई दम नहीं है। आप 290 पढ़े, मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य लोकमहत्व के, यह लिखा है :-

"Statement by Minister. - A Statement may be made by a Minister on matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made."

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, यह समय जाया कर रहे हैं, हमने कहा ही नहीं फिर क्यों कह रहे हैं ? हमने तो कहा पढ़ा हुआ मान लो, नहीं मानो, दे दो। हमने यह कब कहा कि स्टेटमेन्ट नहीं दे सकते।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनेंगे नहीं ?

श्री सी.डी. देवल : हमने यह कभी कहा ही नहीं कि स्टेटमेन्ट नहीं दे सकते।

डा. एन.एस. गुर्जर : कहा है.....(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : हम तो कह रहे हैं पढ़ा हुआ मान लो, नहीं मानते हो तो पढ़ लो।

डा. एन.एस. गुर्जर : कहा कि लिस्टेड नहीं हुआ इसलिए नहीं दे सकते। किसी भी समय, 290 में कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है और यह भी नहीं कहा गया है कि वह लिस्टेड होगा। किसी भी समय सुओमोटो और मांगने पर, किसी भी सदस्य के द्वारा मांगने पर भी सुओमोटो अध्यक्षजी द्वारा आदेश देने पर, अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी मंत्री किसी भी समय स्टेटमेन्ट दे सकता है। यह 290 कहता है। (व्यवधान) स्टेटमेन्ट नहीं दे सकते, खारिज कीजिए इस मामले को......

श्री सी.डी. देवल : हमने यह ऑब्जेशन किया ही नहीं आप किस पर.....(व्यवधान) हमने तो यह कहा है कि पढ़ा हुआ मान लें, अगर पढ़ा हुआ नहीं मानते हो तो ले लो, हमें क्या तकलीफ है ? (व्यवधान) हमने यह कहा ही नहीं कि स्टेटमेन्ट नहीं दे सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : सवाल यह है कि सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुनिए।

श्री रामनारायण चौधरी : संक्षेप में है। एक मिनट कनक्लूड कर देता हूं, आपने स्टेटमेन्ट दिलवाया तो कार्यसूची में आना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण स्टेटमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : परम्परा है। आप मालूम कर लीजिए, आप व्यवस्था दे दीजिए कि नहीं आयेगा, आता नहीं है, व्यवस्था दे दें (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : परम्परा रूल्स से बड़ी नहीं होती, कहां लिखा हुआ है 290 में.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 290 में क्लियर है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : 290 में भी क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी क्लियर है, किस किसको आप चेंज करवाओगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : स्टेटमेन्ट की कापी सब सदस्यों को देनी चाहिए थी। एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए थी। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है आपके पास है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कैसे चैन्ज कराओगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास कॉपी है तो हमें दे दीजिए एक बार।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतने सीनियर मैम्बर हो गए और कह रहे हैं कि लिस्टेड होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब......(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एक मिनट आप बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय ने उस दिन यह कहा था कि अखबार के आधार पर सदन में नहीं उठाया जाए, हमारे सदस्यों ने.....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : यह अखबार नहीं, पत्र है।

डा. सी.पी. जोशी : आपकी बात नहीं है। हमारे सदस्य अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में गए और रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट के आधार पर स्टेटमेन्ट हो रहा है, यह 290 का मामला नहीं है। मामला यह है कि यह रिपोर्ट हमारे सदस्यों ने स्पीकर साहब को जाकर प्रजेन्ट की, स्पीकर साहब ने उसको महत्वपूर्ण माना इसलिए माननीय मंत्रीजी को स्टेटमेन्ट देने को कहा। इसलिए माननीय रामनारायणजी ने कहा कि रिपोर्ट आधार है तो रिपोर्ट को सदन में लेकर आ जाना चाहिए, जिससे हम ध्यान से बात कर लें, यह इश्यू है।

डा. एन.एस. गुर्जर : No need of that. No need of that.

डा. सी.पी. जोशी : आपको मालूम नहीं है जवाब किसका दिया (व्यवधान) यह हमने उस दिन, जुबेर जी ने जो क्वेश्चन उठाया उस दिन अध्यक्षजी ने कहा कि अखबार के आधार पर नहीं करोंगे, यह इश्यु था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष जी और नाथद्वारा से आने वाले सदस्य को ही मालूम है, वह अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर मिल सकते हैं। अध्यक्षजी को और आपको मालूम है.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपके कहने से नहीं, अध्यक्षजी के कहने से स्टेटमेन्ट हो रहा है। आपकी इच्छा से नहीं हो रहा, अध्यक्षजी की इच्छा से हो रहा है। क्लियर कर ले अपने आपको, यह प्रिविलेज अध्यक्षजी को है, आपको नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आसन पर......

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्षजी ने स्टेटमेन्ट करवाया है, अध्यक्ष जी आकर बता दें कि यह बात क्या हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन से यह व्यवस्था हुई थी (व्यवधान) जुबेर खानजी ने पूछा था कि मुख्य सचेतकजी कह रहे हैं सरकार की तरफ से वक्तव्य आएगा, फिर चेयर से पूछा गया कि आप वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं ? उन्होंने कहा.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहस में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने कहा कि तैयार है, उन्होंने वक्तव्य दिया बस यह बात है।

डा. एन.एस. गुर्जर : Rule 290 is very clear. In any condition, it is very clear, a Minister can make statement under Rule 290.

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमेन्ट में कोई टांटिया है कि ......(व्यवधान) स्टेटमेन्ट में कोई टांटिया है क्या......

शासकीय वक्तव्य

अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने छात्रावास संचालन नियम बनाए हैं और नियम बनाकर उनकी पालना हमने सुनिश्चित की है उसके बारे में आपसे निवदेन कर रहा था :-

प्रात:काल 7 से 8 तक मध्य रात्रि को भीगे हुए अंकुरित चने, दलहन, मूंग, मोठ, सोयाबीन, पोए आदि इनमें से एक भी मिर्च मसाले से लगाकर 100 ग्राम नाश्ता पर-डे दिया जाएगा, दिया जा रहा है, उसको हमने रेगूलर कर दिया। प्रात:काल 7 से 8 बजे के बीच में जाने वाले छात्रों को विद्यालय से वापस लौटने पर 10 बजे से 2 बजे के बीच में भोजन दिया जाएगा। जो छात्र साढ़े दस बजे विद्यालय जाते हैं उन्हें साढ़े नौ बजे भोजन दिया जाएगा। (व्यवधान)

इसकी हम सुनिश्चित कर रहे हैं एक माह में स्पेशल डाइट जिसमें खीर, देशी घी का हलुआ, पूडी, सब्जी, मीठे चावल दिए जाएंगे। साथ ही छात्रावासों की राय एवं स्थानीय व्यंजनों का भी ध्यान रखा जाएगा यह स्पेशल डाइट दो रविवारों को ही दी जायेगी।

अगर कोई छात्र अवकाश पर जरूरी काम से अपने गांव अपने माता-पिता, बहन-भाई या परिवार संरक्षक से मिलने जाता है तो अधीक्षक के नाम एक प्रार्थना पत्र देकर अपने गांव में जाने की लिखित अनुमति प्राप्त करेगा और अवकाश पर जाने के समय मूवमेन्ट रजिस्टर में अपने नाम के आगे

(श्री मदन दिलावर)

दिनांक, समय तथा वापस आने की दिनांक दर्ज करके अपना नाम स्वयं की से लेखनी लिखेगा।

पारम्परिक त्यौहार पर ही छात्र को अपने घर जाने के लिए अधीक्षक द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा तथा विशेष मानवीय कारणों के आधार पर भी अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा छात्रावासों में।

छात्रावासों को संस्कार देने के लिए हमने एक योजना बनाई है। अधीक्षक प्रति सप्ताह छात्रावास में एकेडमिक ग्रुप डायनेमिक उत्पन्न करने के लिए संगीत, अंग्रेजी, हिन्दी की अन्ताक्षरी, गणित की पहेली तथा बाल सभा जिसमें प्रेरणादायी कहानियां, प्रवचन शोध कथाएं किसी नवीन विषय जो बच्चों को प्रेरणा और जानकारी दें इस हेतु सम्मानित प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, प्रेरणा देने वाले महानुभावों को आमंत्रित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में दो घंटे का कार्यक्रम अपनी देखरेख में सम्पन्न कराएंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक छात्र ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, प्रत्येक छात्र को क्रमशः एक एक विषय भाषा के रूप में छात्रावासों की बैठक में बोलने के लिए अनिवार्य रूप से अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। सभी छात्रों से सप्ताह में एक दिन लेख लिखवाया जाएगा। अधीक्षक छात्रों की बैठक में बताएगा कि किस लेख में अच्छे प्रेरणादायक विचार मिले हैं।

छात्रों को छात्रावास में सामूहिक रूप से प्रातः योग अभ्यास कराया जाएगा। प्रातःकाल की बाल सभा में छात्रों को नवीन विषय एवं प्रेरणादायक बोध कथाएं, कहानियों का पठन कराया जाएगा। अधीक्षक पाक्षिक अन्तराल पर विद्यालय अवकाश में एक दिन छात्रावास की परिधि के पांच किलोमीटर के अन्तर्गत आने वाले दर्शनीय स्थल, किसी गांव के भ्रमण के लिए साथ में पैदल ले जा सकेगा। प्रातःकाल 5 बजे छात्रों को जगाने के लिये अधीक्षक स्वयं अथवा चौकीदार से घंटी बजवायेगा। अधीक्षक छात्रावास के प्रत्येक कमरे में जाकर देखेगा, छात्र अपना काम ठीक तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा

(श्री मदन दिलावर)

है। वह सुबह प्रातः ठीक समय उठा कि नहीं उठा। छात्रावास में अनुशासन और अध्ययन का माहौल बनाये रखने के लिये तिथि अंकित करते हुए सम्बन्धित छात्र का नाम एवं पंजिका में संधारित कर उसमें लिखेगा। छात्रावास में अध्ययन करने वाले छात्रों के विद्यालय के प्रधानाध्यपाकों से एक माह में कम से कम एक बार जाकर मिलकर अपने छात्र के अध्ययन एवं अनुशासन के सम्बन्ध में रिपोर्ट पर कक्षा अध्यापक से हस्ताक्षर करवाकर आयेगा तथा यह इस सम्बन्ध में एक रजिस्टर संधारित कर उसमें लिखेगा।

छात्रावास अधीक्षक सरकारी भवन की दशा में मरम्मत आदि की व्यवस्था प्रतिवर्ष आवश्यकता पडने पर तत्काल करवाने के लिये जिला अधिकारी के माध्यम से निदेशक को लिखेगा तथा व्यवस्था करवायेगा। यदि सरकारी भवन नहीं है तो अच्छे स्थान पर किराये से भवन की व्यवस्था करेगा जिसमें छात्रावास में रहने की ऐसी व्यवस्था हो जहां पर आराम से शौच, स्नान, खेलकूद, मनोरंजन अपने अध्ययन के साथ कर सके।

अधीक्षक छात्र के सामान्य चाल चलन के सम्बन्ध में यदि किसी छात्र के किसी गलत संगत में पड़ने, छात्रावास में अनुशासनहीनता करने या अन्य चरित्र सम्बन्धी बात हो तो उसके माता पिता को डाक से सूचित कर उस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा।

3 साल से अधिक अवधि के लिये कोई अधीक्षक किसी छात्रावास में पद स्थापित नहीं रहेगा। कोई भी अधीक्षक अपने गृह उप खण्ड के छात्रावास में पद स्थापित नहीं रहेंगे।

प्रत्येक छात्र की गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन अधीक्षक से किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र अपना गृह कार्य जो उन्हें विद्यालय से दिया गया है, वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है। छात्र-छात्रावास अधीक्षक, रसोईया, चौकीदार और आगन्तुक छात्रावास में गुटखा, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, लाल दतं मंजन और अन्य व्यसन नहीं कर सकेंगे।

(श्री मदन दिलावर)

जिला अधिकारी प्रतिमाह छात्रावास का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट अगले माह की 5 तारीख तक निदेशक को भेजेगा। एक शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक छात्रावास का निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी कम से कम दो बार निरीक्षण अवश्य करेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में अपना निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। निदेशक राज्य स्तरीय टूर्नामेन्ट जयपुर में उन जिलों के खिलाडियों का करवायेंगे जिनका चयन जिला स्तर पर जिला अधिकारी के नेतृत्व में हो चुका है।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आयोग से रिपोर्ट, लगभग 16 रिपोर्ट आयोग ने प्रस्तुत की हैं सरकार को 2001 में लेकर अभी तक और उसमें उल्लेख किया गया है कि किस-किस प्रकार की गडबडिया रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 5 सालों का अन्तराल निकला उसके पहले भी मैं समाज कल्याण राज्य मंत्री था और उस समय हमने छात्रावासों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिये काफी कुछ काम किया था। उस कारण से बोर्ड रिजल्टस, हमारे छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के लगभग 60 प्रतिशत तक होने लगे थे। (व्यवधान) मैं स्टेटमेन्ट दे रहा हूं। परन्तु इन 5 सालों में.....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आपका स्टेटमेन्ट हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : मेरा निवेदन सुनिये, इस पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अनाचार छात्रावासों में हुआ है उसके कारण से सारे समाज कल्याण विभाग की व्यवस्था तहस नहस हो गयी और मैं निरन्तर रूप से इसको सुधार रहा हूं, सुधारने का जतन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया स्टेटमेंट, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये, इन्होंने आरोप लगाया। (व्यवधान) छात्रावास खराब हुए हैं, कांग्रेस ने 5 सालों में 3-3 मंत्री रखकर सारे समाज कल्याण का सत्यानाश कर दिया। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : समाज कल्याण मंत्री बनाना ही क्रान्तिकारी कदम है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं जो यहा सदन में कहा है उसको पूरी तरह से लागू कराऊंगा। (व्यवधान) छात्रावासों को अच्छी तरह से चलायेंगे। उनमें संस्कार पैदा हों इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। परन्तु इधर से आने वाले माननीय सदस्यों ने उस रिपोर्ट को पूरा पढा नहीं, देखा नहीं और बिना देखे ही हल्ला किया कि इस कार्यकाल में समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में नारकीय जीवन है। मैं कहता हूं कि नारकीय जीवन था अब हम सुधार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ये भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान) आप वक्तव्य दे रहे हो कि भाषण दे रहे हो ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से सिर्फ दो सवाल करने हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसलिये इनके मन में पीडा है कि सरकार अच्छे संस्कार क्यों दे रही है, अच्छे रिजल्ट क्यों ला रही है। (व्यवधान) इसलिये इनके मन में पीडा है। इसलिये ये जोर-जोर से चिल्लाकर ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहते हैं जैसे हम दोषी हों। दोषी ये, सारे के सारे उधर बैठे हैं जो समाज कल्याण के छात्रों का सारा पैसा डकार गये हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक आदमी. एक सवाल.... (व्यवधान) आप में से तय कर लें कौन पूछेगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मेरा स्थगन प्रस्ताव है। (व्यवधान) मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है। इस सम्बन्ध में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं आप शार्ट के अन्दर कोई बात अगर इनके स्टेटमेन्ट में गलत लगती है तो आप उसके बारे में एक आध सवाल पूछ लें। इस पर मैं बहस अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में बात करनी है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में है नहीं। नियमों में अलाउ नहीं करें। (व्यवधान) आप नियमों के मुताबिक चलिये। अब पूछिये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मैं पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो इतना लम्बा स्टेटमेन्ट दिया है, क्या यह बात पिन-पाइण्टेड है, इस बात को मानते हैं कि न्यायमूर्ति अमरसिंह गोदारा, कार्यवाहक अध्यक्ष, राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने 9 फरवरी, 2005 को क्रमांक 80 के मार्फत एक चिट्ठी आपको लिखी और चिट्ठी में पहले यह कहा है कि यह-यह व्यवस्थाएं होनी चाहिए और फिर अपनी फाइन्डिंग दी है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, दौसा, चूरू, खेतडी आदि जिलों में स्थिति ऐसे अनेक छात्रावासों के आकस्मिक निरीक्षण किये ताकि ऐसे छात्रावासों की व्यवस्था प्रबन्धन एवं अभावों की वस्तुस्थिति की जानकारी की जा सके। 5 फरवरी, 2005 को कोटपूतली, पावटा एवं अचरोल, जिला जयपुर स्थित ऐसे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में निरीक्षण किये गये। प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां, उन्होंने संलग्न की हैं। क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि भोजन व्यवस्था बिलकुल चरमराई हुई है। लोगों की हाजिरी लगाई नहीं जाती है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि कुप्रबन्धन, उन्होंने जो भोजन व्यवस्था का हैडिंग डाला है, इस तरह से प्रबन्धन के लिये कुप्रबन्धन का हैडिंग डालकर नीचे दिया है और क्या यह आपको नहीं लिखा है कि छात्रावासों में न छात्र हैं न छात्र अधीक्षक हैं और शाम को 5 बजे के बाद कर्मचारी, अधिकारी और अधीक्षक नौ-दो ग्यारह हो जाते हैं। क्या यह रिपोर्ट में नहीं लिखा है ? क्या यह नहीं लिखा है कि ज्यादातर छात्रावासों के भवन नेताओं की सिफारिश से लिये हुए है ? न वहां छात्रों की संख्या है, छात्र नहीं के बराबर हैं और राज्य सरकार का पैसा पूरा वहां खर्च कराया जा रहा है। क्या साफ सफाई के लिये नहीं लिखा है कि इतनी बदबू आती है सौ मीटर दूर तक आदमी नहीं खड़ा हो सकता है ? क्या आपको यह रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि लाइट की व्यवस्था नही है, बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं, नलों में टेप नहीं हैं, कहीं नलों में पानी नहीं आता है, सौ-सौ मीटर दूर से मोहल्लों से लोग

(श्री जुबेर खान)

लाकर आते हैं। आपने अपनी बता दी कि हम नाश्ते में हलवा भी देते हैं, पूड़ी भी देते हैं। उन्होंने क्या यह नहीं लिखा है कि कुछ छात्रावासों में पोहे खिला खिलाकर बच्चे दुःखी हो गये, कहते है परिवर्तन के तौर पर कुछ और भी खाने को खिलाइये।

मंत्री महोदय, आप आरोप प्रत्यारोप मत लगाइये। महत्वपूर्ण मामला है, अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं का मामला है। पीछे क्या हुआ, यह नहीं, आप मानिये जो कमियां है वे हैं और माननीय न्यायमूर्ति ने आपका ध्यान आकर्षित किया है, आप इनकी व्यवस्था कीजिए। आप लीपापोती मत कीजिये। मैं तो आपसे मांग करता हूं कि मंत्री महोदय, अगर मंशा साफ है आप हाउस की कमेटी बना दीजिये और हाउस की कमेटी आपको रिपोर्ट देगी इन छात्रावासों का दौरा करके कि वास्तव में जो सरकार पैसा वहां मुहैया कर रही है उसके आधार पर अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं को सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं ? अधीक्षक वहां रहते हैं या नहीं रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं या नहीं रहते हैं ? आप पाबन्द कीजिये सरकार को। इस सर्वोच्च सदन की एक कमेटी बना दीजिये। (व्यवधान) सभी दलों के सदस्यों को लेकर रिपोर्ट करवायें और उस पर चर्चा करवायें। भारी अनियमितताएं, भारी भ्रष्टाचार है, छतें चू रही हैं, सर्दियों में बच्चे इन छात्रावासों में रह नहीं सकते हैं, यह व्यवस्था हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये। उठा दिया आपने पाइंट। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : और आपने यहां कह दिया हम हलवा खिला रहे हैं, हम मोठ खिला रहे हैं। हम खाना खिला रहे हैं। यह असत्य है। आपका बयान राजनीति से प्रेरित है। आपके बयान में सत्यता नाम की कोई चीज नहीं है। मेरा चैलेन्ज है मंत्री महोदय से, आप आपके दल के पांच आदमियों की एक कमेटी भेजें, रिपोर्ट मांग लीजिए और आपकी रिपोर्ट उल्टी नहीं आये तो आप जो कहें वह सजा भुगताने को तैयार है। यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बात मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। आपने 2002 की रिपोर्ट का जिक्र किया 2001 का किया। 5 फरवरी, 2005 को माननीय आयोग ने पावटा के छात्रावास का निरीक्षण किया और 5 फरवरी, इसी महीने में, क्या लिखा है उन्होंने ? पावटा जिला जयपुर के छात्रावासों के भाव तो राजकीय होकर भी नाकारा, अपर्याप्त एवं अनुपयोगी मात्र है। मैं सिर्फ एक बिन्दु और कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कुछ नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : इस पूरी व्यवस्था पर टिप्पणी की है। विभाग के ठेके पर न्यूनतम व्यवस्था पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों को छोड़ भी दें तो नियमित वेतनधारी चौकीदार, चपरासी, रसोइये, अधीक्षक को इस व्यवस्था में मुफ्त भागीदारी की अनुमति दी जाती है या अनदेखी इसकी की जाती है तो यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या हो सकता है ? इसे समाज के गरीब, उपेक्षित, अभावग्रस्त छात्रों के हिस्से की राशि पर डाका ही माना जा सकता है। यह है आपका सर्टिफिकेट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चार साल पहले के मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी नहीं है, यह तो आपके एक साल के कार्यकाल के काले कारनामों की टिप्पणी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह आपके चार साल का है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का प्रकरण है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक गर्भवती हो गयी जिसका आपका सांगानेटी गेट के अन्दर गर्भ गिरवाया। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : यह आपकी व्यवस्था है, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : यह पावटा का क्षेत्र मेरे क्षेत्र में है। वहां पर समाज कल्याण छात्रावास की जो स्थिति है वह इतनी बदतर है कि न बिजली का कनेक्शन है, न पानी के पीने की व्यवस्था है, न छात्रावास अधीक्षक वहां पर रहता है और न वहां पर बच्चों को कोई सम्भालने वाले हैं। हालत यह है कि मैंने खुद ने चिट्ठी लिखी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वह पहले की है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मैंने खुद समाज कल्याण मंत्री को चिट्ठी लिखी है लेकिन उनके विभाग ने मुझे आज तक इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी, स्टेटमेन्ट सुन लीजिये। माननीय सदस्य, आ गयी आपकी बात। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो होस्टल्स हैं, उनके अन्दर वर्षों से यही हालत है। यह कोई नयी बात नहीं है। इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुधार करने की आवश्यकता है और माननीय मंत्री महोदय ने सुधार किये हैं। वर्षों से बिगड़ी हुई व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आपको 13 महीने हो गये, सुधार क्या किया, यह बताइये। 13 महीनों में आपने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे देता हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह तो इनके पुराने किये हुए कारनामे हैं जो सामने आ रहे हैं। सारे पुराने कारनामे सामने आ रहे हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मेरे छात्रावासों में अव्यवस्था है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धरने पर बैठता हूं।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, माननीय सदस्य द्वारा धरना एवं धरना समाप्त)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी, कैसे नहीं, आपकी बात आ गयी। मानवाधिकार आयोग की आ गयी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो (व्यवधान)।

श्री सी.डी. देवल : अगर मंत्री महोदय की मंशा है तो कमेटी बनाकर कहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री सी.डी. देवल : यह बहुत गम्भीर मामला है। शिड्यूल्ड कॉस्ट का मामला है। शिड्यूल्ड कॉस्ट के लोग है, जिनका कोई वारिस नहीं है। जिनका कोई धनी नहीं है और यह शिड्यूल्ड कॉस्ट के होते हुए भी वंचित है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनना नहीं चाहते हैं ? आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपना स्थाग ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, आप सुनना नहीं चाहते हैं ? माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी, आगे आप कोई बात सुनना नहीं चाहते इसलिए मैं आगे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू कर रहा हूं। श्री बंशीलाल खटीक। सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर....(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मानवाधिकार आयोग के जो माननीय न्यायाधीश हैं, उनके जो आब्जर्वेशन्स हैं उनकी अवहेलना की है और वक्तव्य लीपापोती का दिया है। छात्रावासों की दुर्दशा है। वहां पर उनको आटा तो क्या नमक भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार के यह अड्डे बने हुए हैं। इसलिए हम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रों की दुर्दशा पर अनुसूचित जाति और जनजाति की अनदेखी के इस रवैये पर, सरकार के इस दुखद रवैये पर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कौनसी तारीफ की। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह नौटंकी बन्द करो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आना मत वापस, शर्म हो तो (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो है इसमें सुधार किया जाएगा। जो छात्रावास अधीक्षक छात्रावास परिसर में नहीं रहेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने वाद-विवाद खतम कर दिया और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री बंशीलाल खटीक को पुकार लिया है।

श्री मदन दिलावर : एक बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : रहने दीजिये। कोई नहीं सुनना चाहता है तो मत सुनो।

सूचना

श्री विजय बंसल माननीय सदस्य को मारने की धमकी

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 जनवरी, 2005 को रात्रि 8.30 बजे मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी देने के पश्चात हमला हुआ जिसकी एफ.आई.आर. मथुरा गेट थाने में 17 तारीख को एफ.आई.आर. नम्बर 31/05, धारा 384, 504 आई.पी.सी., 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्दर करा दी गयी। मथुरा गेट थाना भरतपुर में एफ.आई.आर. करवा दी गयी तथा तत्काल उसकी सूचना एस.पी. महोदय, आई.जी. महोदय को दी गयी। इसके पश्चात आज एक महीना व्यतीत हो जाने के पश्चात भी मैंने कल माननीय गृह मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बारे में लिखा है। भारतीय जनता

(श्री विजय बंसल)

पार्टी के एक प्रधान डा. जितेन्द्र सिंह जो मुख्यमंत्री के निकटस्थ माने जाते हैं उनको शरण दिये हुए हैं। एक महीने के पश्चात भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे अपनी जान का खतरा है। आसन से मैं अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं। जब मेरे साथ यह घटना, एक महीने में नहीं हुई तो आम जनता का क्या होता होगा ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे एक पत्र कल दिया और उस पत्र का जो कन्टेन्ट है वह यह है कि जांच जो वहां पर हो रही है, आप जांच बदले नहीं, यही आपका उसमें था न ? तो जांच कहां बदली ? इसके अलावा क्या चीज मांगी आपने ?

श्री विजय बंसल : जांच उन्होंने रुकवा रखी है प्रधान महोदय ने। उस पर एक महीने में कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई बयान नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ और वे कोशिश कर रहे हैं कि सी.आई.डी. में ट्रान्सफर करवा दी जाए। आपके ऊपर मैं नहीं कह रहा हूं। आपने मुझे क्लियर कहा था कि हम कार्यवाही कराएंगे लेकिन मैं सुरक्षा की मांग कर रहा हूं, मुझको सुरक्षा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुरक्षा दिलवाइये आप। एक सदस्य की जान को खतरा है और मामले की जांच वहां की वहां पर ही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करवाइये।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो निकल गये थे। वापस क्यों आये हो ? क्या लेने आये हो ? आप तो बाहर चले गये थे। अब क्या लेने आये हो यहां ? आप सदन को चलने दो थोडी बहुत शर्म है तो सदन को चलने दो। (व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो कल मुझे पत्र दिया उस पत्र में जो आपने चाहा कि जांच को, जैसी हो रही है वहां ठीक हो रही है। इसका इनको कहीं अन्देशा था कि किसी कारण से यह सी.आई.डी. में नहीं चली जाये। यही बात उसमें थी और मैंने आपको आश्वस्त किया था कि नहीं जायेगी। जांच वहां हो रही है और अगर आपके अपने स्वयं के बारे में असुरक्षा की बात है, आप मुझे बताइये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी ही नहीं सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा के लिये जो भी मेरा विभाग कर सकता है, निश्चित रूप से करेगा। ऐसी क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल खटीक।...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल : मैं सुरक्षा की बात करता हूं....(व्यवधान) कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं तब तक मुझे सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जायें अन्यथा सरकार की जिम्मेदारी होगी।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने के सरकार को निर्देश दें।

श्री हीरालाल रैगर : आप, बिराजिये। आपसे राय लेंगे तो बता देना।

श्री उपाध्यक्ष : बात कर लेंगे वह। (व्यवधान)

श्री हीरालाल रैगर : आपको अधिकार नहीं है यह बोलने का। यह अधिकार आपको नहीं है। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमें इनकी चिन्ता है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल रैगर : चिन्ता वाले बैठो। साहूकार हो बिराजो आप। आप बहुत साहूकार हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें।..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको खतरा हो जब...(व्यवधान)

श्री हीरालाल रैगर : उपाध्यक्षजी, यह आसन को निर्देश नहीं दे सकते। (व्यवधान) यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उपाध्यक्षजी की जिम्मेदारी है। आप निर्देश नहीं दें। आसन को निर्देश दे रहे हैं। निर्देश दे रहे हैं आसन को। (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय सदस्य को जान का खतरा है और उन्हें बार-बार धमकी दी गयी है। इसलिए हाउस का यह कर्तव्य बनता है कि माननीय सदस्य को सुरक्षा की व्यवस्था की जायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी ने आपको आश्वासन दे दिया है। इस पर जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी। क्योंकि असन्तुष्ट होंगे तो आगे देखा जायेगा। (व्यवधान) नहीं, अमरारामजी, इसमें नहीं आगे। इसका कोई अन्त नहीं होगा। (व्यवधान) कोई कह दे यह नहीं होना चाहिये, यह होना चाहिये। श्री बंशीलाल खटीक...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री ने सुरक्षा के लिये आश्वस्त किया...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है तो यह खडे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : गृह मंत्रीजी ने सुरक्षा के लिये आश्वस्त किया इसके लिये तो धन्यवाद है।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री ने दरवाजे बन्द नहीं कर दिये हैं अपने। जब जरूरत होगी, वह कह देंगे।...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दरवाजे बन्द नहीं किये हैं उसके लिये तो उनको धन्यवाद लेकिन गृह मंत्रीजी एफ.आई.आर. दर्ज कराये एक महीना हो गया। माननीय सदस्य को एफ.आई.आर. दर्ज कराये हुए एक महीना हो गया और जो अपराधी है उसको छानकर अभी तक गिरफ्तार नहीं करने का कारण क्या है क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है कि +++

एक माननीय सदस्य : यह गलत बात है।....(व्यवधान) यह असत्य आरोप है। यह बेबुनियाद आरोप है।....(व्यवधान) यह असत्य आरोप है।...(व्यवधान) अमरारामजी अपने हिसाब से लगा रहे हैं। उनके ऊपर कार्यवाही की जाये।..(व्यवधान)

श्री विजय बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्रीजी का संरक्षण है। मैंने बिलकुल यह नहीं कहा है। मुख्यमंत्री ने तो उसकी गिरफ्तारी का आश्वासन मुझको दिया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्षजी, एक मिनट। (व्यवधान) दिस इज वैरी सीरिय चार्ज। दिस इज वैरी सीरियस। जो अमरारामजी ने चार्ज लगाया है उसको कार्यवाही से आप निकलवाइये। (व्यवधान) कार्यवाही से निकलवाइये आप। उन्होंने जो बोला उसको आप कार्यवाही से निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : जो घटना हुई नहीं...(व्यवधान) हमेशा यही घटना बोलते हैं जो हुई नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य जो माननीय सदस्य ने कहा है कि वह मुख्यमंत्रीजी के निकटस्थ है, निकलवाकर देख लीजिये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : नहीं कहा। माननीय सदस्य ने नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल : माननीय सदस्य, मैंने कहा सशस्त्र...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इसका क्या अर्थ हुआ...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कथित। (व्यवधान) निकटस्थ जो लोग अपने आप को कहते हैं, मैंने कहा कथित। मैंने मुख्यमंत्री महोदय, के लिये कुछ नहीं कहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही आपके सामने है। निकलवा कर देख लीजिये दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो मरवा रहे हो, पैरवी हम ही करेंगे और कौन करेगा ? ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी सुन लिया न आपने। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वह तो गिरफ्तार कर लेंगे, एक महीना हो गया अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी सुन लिया न आपने। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आप पैरवी करते तो माननीय सदस्य को आज हाउस में नहीं बोलना पड़ता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह सब सक्षम है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आप अगर पैरवी करते तो उनको हाउस में नही बोलना पडता।...(व्यवधान) रहा सवाल गलत कहा। आप कार्यवाही उठाकर देख लें। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उसके अन्दर है तो एक्सपंज करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल खटीक। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल : मैंने कहा कोई भी व्यक्ति अपने को मुख्यमंत्री का निकटस्थ बता सकता है। यह कथित कहा है "कथित"। स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूं कि कथित। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बात तो यही हुई न। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल : मुख्यमंत्री द्वारा तो मुझको संरक्षण दे दिया गया है।

श्री सी.डी. देवल : गृह मंत्री कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) इसलिये एक महीने से कार्यवाही नहीं हो रही है....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा आपको। आप अपना स्थान ले लीजिये। बीच में अभी नहीं। वह स्टार्ट हो गया। बीच में नहीं (व्यवधान) मैं आपको बिलकुल परमिशन नहीं दूंगा।

श्री अर्जुन सिंह : (व्यवधान) हमारे सदन में यह शिक्षा दी जा रही है कि कोई सीनियर लीडर बोल रहा है और राजसमन्द से पधारे हुए माननीय सदस्य नामजद अमराराम, अमराराम, क्या इस तरह की शिक्षा मिल रही है सदन में... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपने आचरणों को देखो और ठीक करो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अमरारामजी ने खुला आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के निकटस्थ थे। अमरारामजी ने आरोप लगाये, इसलिए कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल : पाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर (व्यवधान) पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी रहने दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप पांच बजे माननीय मुख्यमंत्री का रिप्लाई होना है और पहले यह तय भी हुआ है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो बोलने वाले वक्ता है, उनको इस तरह से समय आबंटित करें कि पांच बजे माननीय मुख्यमंत्री का रिप्लाई हो जाये। वह तय हुआ है। पांच बजे होगा वह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : प्रतिपक्ष के नेता का भाषण नहीं होगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : बोलने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लें। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीछे बोलने वालों के साथ में आप अन्याय कर रहे हैं। पहले दो-दो घंटे तक बोले, उनको

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

कुछ नहीं। अब आप पीछे वालों के लिये कह रहे हैं कि पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम चार दिन से इन्तजार कर रहे हैं बोलने के लिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आयेगा तब देखेंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा कनक्लूड तो करूं। यह तो कनक्लूड ही नहीं किया। एडजोर्न हो गयी असेम्बली। कनक्लूड तो करूं दो मिनट में मेरी बात। मैं जो बात कहना चाह रहा था वह तो पूरी हुई नहीं। मैं कनक्लूड तो करूं उसको। मुझे जो बोलना था वह समयावधि समाप्त हो जाने के कारण मैं उसको कनक्लूड नहीं कर पाया। आप हर व्यक्ति को कनक्लूड करने का पूरा अधिकार देते हैं। मुझे कनक्लूड क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देखो, आपको उसी वक्त कहना चाहिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बहुत गम्भीर मामले पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री सचिवालय के आदेश पर जो टेण्डर....(व्यवधान) आप बोलने दीजिये उनको। आप बोलने दें। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों की रक्षा करो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : इनकी मेडिकल जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मेरे इन प्रतिपक्ष के भाइयों की (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : दो मिनट तो दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं सुनेंगे हम आपकी। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : दो मिनट में कनक्लूड कर दूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड नहीं दूंगा मैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : (व्यवधान) आप डर गये। सुनना ही नहीं चाहते। आप सदन में सच्चाई नहीं सुनना चाहते। आप डरे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों बीच में बोल रहे हैं। ....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों की रक्षा करो। सच्चाई का गला मत घोटो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आप मेहरबानी कीजिये और बहुत मौके आयेंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा निवेदन है कि आप अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो मुझे कोई जरूरत नहीं। सदस्यों के दबाव में आकर आप कह रहे हैं....(व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में राज चल रहा है, मैं समझता हूं कि भूतो न भविष्यति, आज दिन तक ऐसा राज नहीं चला। पूर्व मुख्यमंत्री और आज के महामहिम उपराष्ट्रपतिजी, भैरोंसिंहजी शेखावत के समय जो राज चला था, वही राज आज चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रतिपक्ष में बैठे हुये लोगों के दिल में न जाने क्या हो रहा है, आज मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलना चाह रहा हूं तो मेरे प्रतिपक्ष के बड़े बूढ़े और युवा सभी उछल कूद कर रहे हैं, इनको एक छोटे से कार्यकर्ता, एक नये सदस्य के ऊपर थोडी बहुत भी दया नहीं आ रही है। मैं समझता हूं कि यह निर्दयी, जिनको छोटे-छोटे सदस्यों को आगे बढाना चाहिए, इनकी नीयत में हमेशा नहीं रहा है क्योंकि छोटे, दलित, अनुसूचित जाति के व्यक्ति अगर आगे आ जाते हैं तो इनकी कुर्सी को खतरा होने लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

(समय : 14:30 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

(श्री बंशीलाल खटीक)

पर बोल रहा हूं तो इनके दिल में आ रहा है कि शायद राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य हमारी कोई पोल खोलेंगे। परन्तु हम ऐसे नहीं हैं, हम पोल खोलने वाले नहीं हैं। आपका कर्म आप जानो, ईश्वर आपको बुगेगा और राजस्थान की जनता की दिल की आवाज और दुख, आपको बुगेगा और बुग गयी इसीलिए आप उस तरफ बैठे हो।

सभापति महोदय, आज हमारे वसुन्धराजी के मंत्रिमण्डल में जितने माननीय मंत्री है और नेतृत्व है (व्यवधान) आसन को बोल रहा हूं, बीच में नहीं बोलें। सभापति महोदय, आज हमारा मंत्रिमण्डल एक ऐसा मंत्रिमण्डल है जो पूर्व की सरकारों के मंत्रिमण्डल रहे हैं....

श्री सभापति : आप आसन को ही सम्बोधित करें, उधर नहीं देखें। आप ममताजी की तरफ मत देखिये, इधर ही देखिये।

श्री बंशीलाल खटीक : सभापति महोदय, मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी बात को सुनें और उसको हंसी में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नहीं उडाएं। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह आदरणीय सदन है और इस गरिमामय सदन की सम्मान और वैल्यू करना परम कर्तव्य बनता है। जिन लाखों लोगों ने आपको चुन कर इस राजस्थान के लोकतंत्र के भवन में बैठाया है तो उनकी भावनाओं का सम्मान और कद्र करना परम कर्तव्य है। यदि जनता की भावनाओं की कद्र आप नहीं करोगे तो आने वाले समय में आज की जो संख्या है उससे घट कर बहुत ही कम हो जाओगे।

सभापति महोदय, हमारी सरकार में जो एक परिवर्तन का तूफान आया है उस परिवर्तन के तूफान में हमारे प्रतिपक्ष के, कांग्रेस के सदस्यों के दिल में एक कुन्ठा है, इनको राज की बहुत याद सताती है कि हम राज में क्यों नहीं हैं। अपने काले कारनामों के कारण आप इधर बैठे हुए हैं। तो जनता ने जो जनाधार दिया है उस जनाधार का सम्मान करना चाहिए और जनाधार को स्वीकार करना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त....

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सदस्य, आप नये माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। बीज में डिस्टर्ब मत करो।

श्री नवरतन राजोरिया : माननीय सदस्य, आप व्यवधान नहीं डालें, इनको बोलने दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन। नोट अलाउड। नो, नो, नो। यह बोल रहे हैं वो रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड नहीं होगा, आप जो बोल रहे हैं रिकार्डिंग नहीं हो रही है।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री सभापति : रिकार्ड ही नहीं हो रहा है। रिकार्ड नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री नवरतन राजोरिया : नये सदस्य हैं, उनको बोलने दीजिये। आप बैठिये, आपका नम्बर नहीं है।

श्री सभापति : आप बिराजिए, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में।

श्री बंशीलाल खटीक : भारतीय जनता पार्टी ईमानदार, साफ लोगों की पार्टी है।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री सभापति : प्लीज टेक योअर सीट। प्लीज, माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजें। माननीय सदस्य, आज माननीय मुख्यमंत्री का रिप्लाई होना है और प्रतिपक्ष के नेता महोदय का भी भाषण होना है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह सलाह देने वाले आप कौन हो, वह खुद विवेक रखते हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : मेरे समय का ध्यान रखा जाए।

श्री सभापति : इसलिए पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें और जब एक माननीय सदस्य बोले तो दूसरे इन्ट्रप्शन नहीं करें। इस बात का ध्यान रखें।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापति : Hon'ble Parliamentary Minister wants to say something.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं कि आज सदन की दर्शक दीर्घा के अन्दर कुछ विदेशी मेहमान विराजमान हैं इसलिए कृपया उनके सामने इस सदन की जिस तरह की गरिमा और परम्परा है उसी तरह हम सब लोग उनके सामने उस तरह का आचरण करें। इस तरह की व्यवस्था फरमाएं।

श्री सभापति : बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री बंशीलाल खटीक : सभापति महोदय, मेरा समय जो इस हो-होल्ले में निकला उसको काटा जाए और उसमें जोड़ा नहीं जाए।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

श्री बंशीलाल खटीक : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त, सच्चे, ईमानदार कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिसमें गरीब से गरीब को लेकर बड़े से बड़े धनवान तक का सम्मान किया जाता है। उसमें झोपड़े का एक गरीब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं इस गरिमामय सदन में आउंगा, यह भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले एक छोटे से व्यक्ति का सम्मान किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत-बहुत आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस आशीर्वाद का यदि मैं सात जन्म ले लूं तो भी अहसान नहीं उतार सकता।

श्री सभापति : कनक्लूड करिये, प्लीज।

श्री बंशीलाल खटीक : सभापति महोदय, इन्होंने अपना, कांग्रेस का गुणगान किया तो मेरी भारतीय जनता पार्टी का गुणवान करना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है।

तो, सभापति महोदय, आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने राजस्थान में ऐतिहासिक परिवर्तन किये हैं। पूर्व की कांग्रेस की सरकारों नें जो शिक्षा के मामले में मखौल उडाया है और हमेशा राजस्थान की जनता, राजस्थान के बालकों के साथ जो खिलवाड किया है वह खिलवाड हमारे छात्र याद रखेंगे और आपको सबक सिखाने के लिए आतुर हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 1402 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है एवं विद्यालय क्रमोन्नत करने के साथ साथ शिक्षकों की भर्ती भी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा इन क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गयी है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी का मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र, राजसमन्द में तीन सीनियर हायर सैकण्डरी और 31 उच्च प्राथमिक विद्यालय, दो सैकण्डरी एवं 21 राजीव गांधी पाठशाला खोली हैं, उसमें दो करोड़ का खर्च हमारे इस राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी का बहुत-बहुत साधुवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आज खेल के क्षेत्र में हमारे राजस्थान में बहुत ही परिवर्तन आया है। इसके लिए राजस्थान के दो संभागों में खेल स्टेडियम को राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप विकसित करने का निर्णय भी हुआ है और उसकी क्रियान्विति भी होने जा रही है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने करोडों रूपए का प्रावधान रखा है।

समाज कल्याण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृद्धजन, जिनका कोई नहीं हो उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, आज समाज कल्याण के 2004-05 में

(श्री बंशीलाल खटीक)

राज्य में डे-केयर सेन्टर पर वृद्धों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर 30.81 लाख का व्यय किया गया है।

श्री सभापति : समाप्त प्लीज।

श्री बंशीलाल खटीक : मैं पहली बार बोल रहा हूं माननीय सभापति महोदय, मुझे अतिरिक्त दिया जाए समय।

श्री सभापति : रिप्लाई होगा।

श्री बंशीलाल खटीक : राज्य में अनुसूचित/जनजाति के बालक बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाये जाने के लिए 75 नये राजकीय छात्रावास प्रारम्भ किये हैं जिसमें 1900 बालक बालिकाओं को लाभ होगा।

समाज कल्याण के क्षेत्र में माननीय समाज कल्याण मंत्री ने माननीय दिलावर साहब ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। पूर्व ही सरकार के जो काले कारनामें थे जो कि सदन में बताये गये थे और उन काले कारनामों को पचाने के लिए यह लोग अक्षम है। इसलिए माननीय गरिमामय सदन का समय ज़ाया कर रहे थे यह लोग।

माननीय सभापति महोदय, नि:शक्त जन कल्याण के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2004-05 में सरकार द्वारा नि:शक्तों के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष पैकेज के अन्तर्गत विशेष सुविधाएं राज्य के 17 जिलों में मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालकों हेतु विशिष्ठि शिक्षण संस्था की स्थापना का निर्णय लिया है।

माननीय सभापति महोदय, नि:शक्तों को छात्रवृत्ति योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 125 लाख रुपये का प्रावधान इस वर्ष में 2004 में 35 लाख रुपये का प्रावधान कर 3300 नि:शक्तजनों को लाभान्वित किया है। वृद्धावस्था, विधवा एवं नि:शक्त जन पेन्शन योजना के तहत वर्ष 2003-04 में 113.41 लाख रुपये लेकर 5,58,249 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है जबकि चालू वर्ष में 130.00 लाख का प्रावधान है।

सहरिया जनजाति के ऊपर तो मेरे माननीय सदस्य बहुत ही घड़ियाली

आसूं बहा रहे थे जबकि सबसे ज्यादा यदि हमारी सरकार ने किसी पर खर्च किया है और किसी की सुध ली है तो वह सहरिया क्षेत्र में ली है।

हमारे सहरिया क्षेत्र के परिवारों को एक व्यक्ति को आवश्यक रूप से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के अन्तर्गत चार हजार मैट्रिक टन गेहूं के आबंटन पर बीस करोड़ खर्चा किया है और यह घडियाली आंसू बहा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उनकी शिक्षा, आवास, रोजगार, सुरक्षा हर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है और कल विपक्ष में बैठे लोग खाली घडियाली आंसू बहा बहाकर ऐसा ढिंढोरा पीट रहे हैं, सहरिया के लिए बोल रहे हैं जैसे सहरिया इनको और ज्यादा वोट दे देंगे। सहरियाओं को बताने जा रहे हैं कि सहरियाओं के हम हिमायती हैं तो भारतीय जनता पार्टी है।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री बंशीलाल खटीक : ग्रामीण विकास में हमारी सरकार ने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। पंचायत राज चुनाव में हमारे राजस्थान में जनाधार बता कर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा हमारे जिला परिषद के चुनावों में और प्रधानों के चुनाव में प्रामाणिक तौर से इन कांग्रेस भाइयों को बता दिया है तो भी यह लोग अभी तक भी आज भारतीय जनता पार्टी के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री ने, आज हमारे एस.सी., एस.टी. के ऊपर यह लोग अपना राज चला रहे थे उन अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों पर इन लोगों ने उनका खाली शोषण किया है न कि उनका उत्थान।

श्री सभापति : कृपया आप समाप्त करें।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताने से नहीं चूकूंगा इसका सीधा-सीधा कारण है कि मैं जिस विधान सभा से आया हूं। मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूं और अनुसूचित जाति का सदस्य यदि अनुसूचित जाति की बात नहीं कहता है तो मुझे लगता है उन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ठीक नहीं होगा।

(श्री बंशीलाल खटीक)

माननीय सभापति महोदय, माननीय भैरोंसिहजी शेखावत हमारे यहां राजस्थान में हर वर्ग का समायोजन होना चाहिए, हर वर्ग का स्थान होना चाहिए उन्होंने 1995 में हमारे एस.सी., एस.टी. का सभी वर्ग का नम्बर आए, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया। आज उनकी मेहरबानी से 1995 के उस कानून के तहत मैं सरपंच बना। पांच साल तक सरंपच रहकर मैंने जनता की सेवा की और जनता की सेवा करने के बाद माननीय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक योग्य व्यक्ति समझकर आज मुझे एम.एल.ए. बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

श्री सभापति : समाप्त प्लीज। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (अनुपस्थिति)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, मेरा थोड़ा सा रह गया है।

श्री सभापति : श्री हरीश चन्द्र कुमावत।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय,

श्री सभापति : प्लीज टेक योअर सीट, यू हैव टेकन 15 मिनट्स।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : माननीय सभापति महोदय, 3 फरवरी को महामहिम राज्यपालजी का अभिभाषण हुआ उसके लिए हम उनके आभारी हैं। राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति सभी माननीय सदस्यों को दी गयी। यह अभिभाषण की प्रति हमारे लिए ऐसा आइना है जिस आइने में अपनी-अपनी तस्वीर को जिस रूप में देखना चाहते हैं वह रूप दिखाई देता है। सत्ता पक्ष अपनी तस्वीर देखता है, प्रतिपक्ष अपनी तस्वीर देखता है। इस शासन से पहले प्रदेश में कांग्रेस का राज था, उनका प्रचण्ड बहुमत था लेकिन उस प्रचण्ड बहुमत के उन्माद में उन्होंने जैसा काम किया आज उनके तीन-तीन पूर्व मंत्रियों के कोर्ट में चालान पेश रिश्वत के लिए हुए हैं वह चालान बता रहे हैं कि उनका राज किस प्रकार का था। आज उन्होंने जो काम किए हैं उन कामों के कारण से ही उनको विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

अभी गौशालाओं की बात थी। गौशालाओं के लिए भूमि के आबंटन में इन्होंने इतना पक्षपात किया कि मारौठ में गौशालाओं की भूमि का आबंटन करना था उसको भी उन्होंने नहीं किया। उसके लिए धरने पर बैठना पड़ा। चारे के अनुदान की जो बात है, गौशालाओं के अनुदान की बात है, नागौर जिले में इन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2002 से 21 अक्टूबर अनुदान अभी तक नहीं दिया है और उस अनुदान के साथ-साथ महामहिम राज्यपाल ने कथा कराकर विशेष सहायता जिन गौशालाओं को दी वह पैसा भी उस अनुदान से कटौती करके महामहिम राज्यपाल का जो अधिकार था उस अधिकार के विपरीत इन्होंने काम किया और महामहिम राज्यपाल की भी इस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के राज में तौहीन की। इसी का फल है कि आज उनको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है।

हमारी माननीय मुख्यमंत्री और उस समय की हमारी अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस के राज में ही प्रदेश के कोने-कोने में जाकर उस अकाल के समय में जनता को सम्भाला उनके दुखों को सुना और जो उनको भरोसा दिलाया उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का राज पूर्ण बहुमत के साथ 120 सीटें लाकर यहां आया। उसके बाद लोक सभा के चुनाव हुए उसमें भी 21 लोक सभा की सीटें जीती और उसके बाद जब नगर पालिका के चुनाव आए उसमें भी जो हमारी सोच थी उससे भी अधिक सीटें आयी। पंचायत चुनावों में जहां कहते हैं कि गांवों में भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है वहां भी अच्छी सफलता हासिल की, उप चुनावों में तो जहां हमारा जनाधार नहीं था अलवर में और लूणी में वहां भी कांग्रेस को शिकस्त दी और वहां पर हमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी ने राज में आकर भारतीय जनता पार्टी का यह मन है कि हम कोई सेवा का उपयोग करने नहीं आए हैं। हमारा भाव है सेवा का, हमारा भाव है विकास का, हमारा भाव है सम्मान करने का और उसी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना बनायी, एक वर्षीय कार्य योजना बनायी और केवल योजना नहीं बनायी, जो बजट में प्रावधान रखे हैं, जो जो हमारे घोषणा पत्र में बातें थीं

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

उनके लिए निर्देश दिए और उन कामों की मानीटरिंग और उन कामों को उन्होंने करवाया।

कांग्रेस सरकार कहती थी कि हमारा खजाना खाली है लेकिन ऐसा रोना हमारी सरकार ने नहीं किया। कुशल वित्तीय प्रबन्ध किया। जिससे वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। केन्द्र सरकार से राजकोषीय सुधार सुविधा के अन्तर्गत 59 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। बेहतर कर प्रबन्धन के पश्चात् दिसम्बर, 2000 की अवधि में गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऋणों की अदला बदली की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। जिससे ब्याज की देयता में कमी लाकर राजस्व को नियंत्रित किया गया। कुशल वित्तीय प्रबन्धन का ही परिणाम है कि 2004-2005 में राज्य को अभी तक ओवर ड्राफ्ट की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। वार्षिक योजना का आकार भी हमने बढ़ाया और हमने केवल बढ़ाया नहीं है उससे अधिक खर्च करके राजस्थान के विकास के काम में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने अपनी सूझ-बूझ एवं सभी वर्गों की राय से इस प्रकार का बजट बनाया जिससे आज सभी वर्ग के लोगों ने उस बजट की सराहना की और उस बजट के अनुसार काम चालू हुआ।

इस वर्ष जो अकाल की स्थिति आयी है काम खोलकर लोगों को रोजगार दिया। अकाल की स्थिति से निपटने का काम किया। 60 रुपये से बढ़ाकर 73 रुपये प्रतिदिन के टास्क के आधार पर श्रमिकों को भुगतान करने की व्यवस्था की और आज बराबर काम हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया। उचित मूल्यों के दुकानों के खोलने की नीति पुनः निर्धारित की गयी। राज्य में किसी भी व्यक्ति की असहाय स्थिति में भूख से मृत्यु नहीं हो, इसके लिए फूड स्टैम्प योजना प्रारम्भ की गयी। प्रत्येक पंचायत को फूड स्टैम्प उपलब्ध कराकर भूख से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता हेतु 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना, अन्तयोदय योजना व बी.पी.एल. राशन कार्डधारकों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए राशन टिकट योजना लागू की गयी।

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

इस प्रकार सेवा भाव से गरीबों की सहायता का हमने हमशा संरक्षण किया। राज्य के गरीब नागरिकों के लिए घरोंदा, नाम से अनुपम योजना 13 शहरों व कस्बों में प्रारम्भ की गयी। इस योजना में न्यूनतम मजदूरी कमाने वाले व्यक्ति 18 रुपये प्रतिदिन की बचत पर 20 वर्ष की अवधि में मासिक किश्त पर मकान खरीदने में भी सक्षम हो सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गयी। मिशन बसेरा के अन्तर्गत केवल 10 रुपये प्रतिदिन देकर भी वह मकान हासिल कर लेगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गयी।

सभापति महोदय, किसानों के लिए कृषि कार्यों के लिए कई जरूरतें होती हैं उसके लिए भी राशि बढ़ाकर 30 हजार से 50 हजार की। इस प्रकार हमने अनेक काम किये हैं।

सभापति महोदय, विद्युत उत्पादन के लिए भी काफी काम किये और किसानों को बराबर सात घंटा बिजली दी। जहां ट्रान्सफार्मर जल गये उसके लिए तुरन्त व्यवस्था की। इस प्रकार से बिजली की भी आज कोई कमी नहीं रही। तब आन्दोलन होते थे बिजली के वह भी समाप्त हो गये।

सभापति महोदय, इसी प्रकार शिक्षा काम में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी और माननीय वसुन्धरा राजेजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के लिए इस प्रकार के काम किये कि आज इस सरकार ने इतने स्कूलों को यहां पर खोला जिससे सब लोग आज अचंभित हैं। एक साल में किस प्रकार का शिक्षा का काम वहां पर हुआ है। आज केवल शिक्षा की स्कूलों को क्रमोन्न्त ही नहीं किया, प्राथमिक विद्यालयों के लिए सवा तीन लाख, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सवा चार लाख रुपये इस प्रकार से एक-एक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम दो-दो करोड़, ढाई-ढाई करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। उनके लिए भवन उपलब्ध कराये गये और शिक्षकों की भर्ती के लिए भी बराबर प्रयत्न किया ताकि अध्यापकों की भी व्यवस्था हो।

इसी प्रकार से सड़कों के काम में भी आज उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जिनती सड़कें हुई हैं, आज गांवों के

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

लोग शहरों से जुड़े गये हैं और एक निकटता बढ़ गयी है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने यह चेष्टा की है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : हमारे विकास के कामों में कमी नहीं हो और हमने इस प्रकार की समरसता पैदा करने की चेष्टा की ताकि हम सबमें समरसता हो। हम कहते हैं विश्व कल्याण हो, प्राणियों में सदभावना हो, इस प्रकार की बात कहते हैं। हमारी जो संस्कृति है इसको हम आचरण में लायें और हम चाहते हैं कि सब प्रकार से भेदभाव भुलाकर के विकास के काम में लगें।

मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर आकर भी सही चर्चा नहीं करें, अपनी बात को नहीं रखें तो ऐसा समझा जायेगा, वहां जाकर के राज का पैसा है वह व्यर्थ गंवाया जा रहा है। इसलिए सार्थक बात में अपना समय दें और यहां पर सार्थक बात करें। हम चाहते है कि हम सब मिलकर इस राजस्थान का चहुंमुखी विकास करें वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में राजस्थान ऐसा शानदार बने यहां पर किसी प्रकार की कमी नहीं है। विकासशील राजस्थान बने। इसमें पूरा योगदान दें। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : मेरा नाम है भरत सिंह।

श्री राकेश मेघवाल : सभापति महोदय, यहां विदेश से आया हुआ प्रतिनिधि मण्डल है, कोई एक व्यक्ति अंग्रेजी में बोले तो ठीक होगा।

श्री भरत सिंह : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर भाग लेते हुए मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 67 प्रतिशत जनसंख्या हमारे देशों में गांवों में निवास करती है।

श्री सभापति : Can you speak in English ? They would appreciate.

श्री भरत सिंह : No. But I would speak in Hindi before this House and we should behave in the same manner not for the foreigners.

(श्री भरत सिंह)

श्री सभापति : No problem. Good.

श्री भरत सिंह : मेरा आपसे निवेदन है कि ....(व्यवधान)

श्री सभापति : This I will allow you.

श्री भरत सिंह : अगर इस सदन को व्यवस्थित करने के लिए विदेशी की आवश्यकता है तो रोज ही विदेशी यहां बुलायें ताकि यह सदन व्यवस्थित रूप में चल सके।

श्री सभापति : I mean not that.

श्री भरत सिंह : यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें व्यवस्थित रहने के लिए...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलिये, आप तो बोलिये...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह : बोल रहा हूं। घंटी बजायें तब बता देना।

श्री सभापति : आप बोलिये, प्लीज।

श्री भरत सिंह : मैं इस प्रदेश के किसान के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूं और इस प्रदेश के अन्दर जो किसान के सम्बन्ध में बातें रखी उसमें जो कमियां हैं उसके ऊपर सरकार का ध्यान दिलाऊं। चिन्ता की बात यह है कि पिछले एक साल के अन्दर प्रदेश के किसान की हालत खराब हुई है और जब विश्लेषण करते हैं इस साल भर के कार्यकाल का और जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हम विश्लेषण करते हैं तो किसान जो इस अर्थव्यवस्था की बैक बोन है, कृषि जो इस अर्थव्यवस्था की बैक बोन है उसको देखकर इसका विशलेषण करना होता है। हमारे खरीफ का उत्पादन पिछले वर्ष में जो वर्षा कम हुई है, 33 लाख हैक्टेयर में बुवाई हमारी कम रही है। बुवाई कम हुई उस पर तो कोई नियंत्रण नहीं है। अगर वर्षा अपर्याप्त होती है और 18 हजार गांवों में अकाल की स्थिति बनती है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि ना केवल बुवाई कम रही मगर पिछले एक

(श्री भरत सिंह)

साल के अन्दर किसान को उसकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिला। अपनी फसल पैदा करने के लिए उसकी लागत बढ़ी है, खर्चा बढ़ा है, डीजल की कीमत बढ़ी है, खाद की कीमत बढ़ी है, खाद मिला नहीं, ब्लैक में लिया और जब वह बेचने जा रहा है तो उसको मण्डी में उसका बाजार भाव नहीं मिला। उससे दुःखद बात इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकती थी और इस देश के लिए नहीं हो सकती है। जहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर अटकी हुई है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सैक्टर में नेशनल लेवल पर लें, चाहे स्टेट लेवल पर, यह पिछड़ा रहा है। हमारे देश के अन्दर वर्षा कम होती है। बरसात कम होती है। दस प्रतिशत हमारे पास भू-भाग है, इसके अन्दर कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरे प्रदेशों से हम पानी लेने की बात कर रहे हैं। मगर इसमें यह दिशा नहीं है कि हम हमारे व्यर्थ बहते पानी को पूर्ण रूप से रोकें। मुझे पीड़ा होती है जब आप दूसरी नदियों से ले जाने की बात करते हैं परन्तु जिस सम्भाग की नदियां चम्बल में बहकर आ रही है। वहां के खेत सूखे पड़े हैं और पानी व्यर्थ बहकर जा रहा है इसलिए खेती के सम्बन्ध में जितनी भी योजनाएं इसके अन्दर ली हैं, कमी जो इसमें रह गयी है उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, कृषि बीमा योजना की बात की है। मैं स्वागत करता हूं जब कृषि बीमा योजना लागू की गयी। प्रदेश के सारे किसानों ने इसका स्वागत किया था। मगर इस बीमे का नतीजा क्या निकला। किसानों के लिये जिस रूप में बीमा योजना को लागू किया। कोई किसानों से चर्चा नहीं हुई। कभी कृषि मंत्री ने सम्भाग में जाकर कृषकों से समझने की कोशिश नहीं की कि यह बीमा योजना है क्या ? अनिवार्य रूप से किसानों को जब कृषि कार्ड दिये गये बीमे की राशि उसमें कटौती कर ली। पूरी तहसील को एक इकाई मान लिया गया इसके अन्दर और जब नुकसान हुआ कोटा के अन्दर, वर्षा ऋतु में बाढ़ आयी, गांव के अन्दर सोयाबीन की फसल बह गयी और जब कृषि बीमा योजना की बात की गयी तो उनमें से एक को बीमा नहीं मिला

(श्री भरत सिंह)

और अभी जो ओलावृष्टि हुई है इसका जब पूरा आंकलन होगा तब किसानों को पता लगेगा। यहां तक की स्थिति आयी है कि किसान ने अपने खेत में फसल बोई नहीं, उसने लोन लिया ओर लोन लेने के आधार पर बैंक ने सीधा, बिना खेत में फसल करे, उसकी फसल का बीमा करके उसका पैसा काट लिया तो उससे कम्पनियों को तो फायदा हुआ है मगर किसान को नुकसान हुआ है। वापिस उसका विशलेषण करना पड़ेगा कि किसानों के पास जाकर इस योजना का इसलिए कृषि मंत्रीजी जायें और इस बात की जानकारी लें कि किस प्रकार से इसमें क्या-क्या सुधार किया जा सकता है।

सभापति महोदय, नयी कृषि कनेक्शन नीति बनायी गयी और एक दिशा देने की कोशिश की गयी कि हमारे हजारों कृषि कनेक्शन पेन्डिंग हैं उनको एक निश्चित समय में कृषि का कनेक्शन दिया जाये। डिमाण्ड नोटिस निकल गया करोड़ों की संख्या में, मैं खुद की तहसील की बात करता हूं, दीगोद विधान सभा की बात करता हूं। 800-850 किसानों ने करोड़ों रुपये जमा कराये और यहां जिक्र किया कि हमने अगस्त और सितम्बर में इसके अन्दर कनेक्शन दे दिया है।

मैंने एक प्रश्न किया था और उससे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। 819 काश्तकारों ने अपने पैसे जमा कराए थे, अगस्त महीने में 360 काश्तकारों ने अपने पैसे जमा कराए और सितम्बर में 2361 ने और कनेक्शन आज तक दिए गए हैं 819 की तुलना में 249 काश्तकारों के करोड़ों रुपये जमा है और इस आशा से जब उसके पास खेती की उपज का पूरा पैसा नहीं मिला था, उसने इस विश्वास पर आपको पैसा जमा करा दिए कि उसको एग्रीकल्चर का कनेक्शन मिल जाएगा। काश्तकारों को न तो कनेक्शन मिला, बैंक और क्रेडिट कार्ड जो आपने जारी किए हैं उनसे लोन लेकर उसने वह पैसा जमा कराया है और किसान परेशान है। आपकी नीति रही थी कि किसानों को फायदा मिले मगर फायदा नहीं मिला। किसानों के लिए आपने उसकी सुविधा की योजना बनाई, 30 हजार से

(श्री भरत सिंह)

उसकी राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की इस उम्मीद से कि किसान को जब नुकसान होगा, किसान मर जाता है खेती में काम करते हुए तो उसको 50 हजार रुपये दिये जाएंगे, मैं उसका स्वागत करता हूं मगर मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को लिखी चिट्ठी सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं, सत्ता पक्ष की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अनेक किसान दवाइयां छिड़कते हुए मर जाते हैं। मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं कि खेतों के अन्दर दवाइयां छिड़कते हुए किसान मर जाता है, मजदूर मर जाता है उसके लिए योजना है। मेरे तहसील में चार किसान अपने मालिक के लिए दवाइयां छिड़कते हुये मर गए। मालिक अपने बचाव के लिए पुलिस से मिल गया और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने दी कि दवाई छिड़कने से ये लोग मरे। जब उसकी दरख्वास्त वहां जाती है और उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि ये तो जहर खाकर मर गए। यह विसंगति जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो इस किताब के अन्दर जो सुहानी योजना आ गई है, अगर उसमें असली गरीब आदमी, जो पीड़ित है, उसका एक उदाहरण देकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, चार नहीं ऐसे सैकड़ों लोग-बाग मरे हैं और मरते रहेंगे क्योंकि जब दवाई छिडकते हैं तो लापरवाही होती है और किसान-मजदूर मर जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। मैं आपके अनुशासन की पालना भी करना चाहता हूं मगर बहुत कुछ किसानों के हित में बोलना भी चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वक्ता बहुत हैं, समय सीमित है इसलिए मैंने घंटी बजाई इसलिए सारी फोर इण्टरप्शन। आप सम अप करें।

श्री भरत सिंह : सम अप हो गया।

श्री सभापति : खड़े होकर सम अप करें। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह : मुझे कहना बहुत कुछ है। मैं दूसरों का समय क्यों लूं ? मैं इतना ही कहूंगा कि आसन पर यदि विराजमान होते हैं तो व्यवस्थित रूप से सदन का संचालन करें, इससे हमारे जैसे लोग-बाग जो कम बोलते हैं,

(श्री भरत सिंह)

यह सत्यमेव जयते, +++ हम व्यवस्थित रूप से जो बात करने वाले हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। नियम 271 में बात करने के लिए मैंने यहां पर दरख्वास्त दी थी, मैंने अध्यक्ष के चैम्बर में जाने की...

श्री सभापति : आप सब्जैक्ट पर बोलिये।

श्री भरत सिंह : सब्जैक्ट पर ही तो बोल रहा हूं। यही तो बोलना है, यही सुनने की क्षमता रखिए आप, सुनने की क्षमता रखिए। +++ (व्यवधान) यह सुन लीजिए, +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज टेक योर सीट।

श्री भरत सिंह : मैं तो सीट नहीं, आपसे विनम्र निवेदन करके जाता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, पहले डा. बैद को बोलने नहीं दिया, अब आप भरत सिंह को बोलने नहीं देना चाहते। मतलब क्या व्यवस्था चलाना चाहते हैं आप ?

श्री सभापति : मेरी पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, सिट डाउन।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, यह कोई तरीका नहीं है, आसन को हमारे अधिकार की रक्षा करनी पड़ेगी।

श्री सभापति : लेट मी स्पीक।

श्री भरत सिंह : आपकी अनुमति से मैं व्यथित हूं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आप विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : डाक्टर बैद अच्छा विषय लेकर आए थे, इनको बोलना था, बोलने नहीं दिया। (व्यवधान) सत्ता पक्ष के लोग 45-45 मिनट बोले हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आप इनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : आप आग में घी डालना चाहते हैं सभापति महोदय।

(श्री सभापति)

श्री सभापति : आप बैठे न। आप खड़े हो जाते हैं सारे। प्लीज सिट डाउन। रिकार्ड में नहीं जा रहा है इनका। लोढ़ाजी का रिकार्ड में नहीं जाएगा। नथिंग इज गोइंग आन द रिकार्ड। आप पहले मेरी बात सुनिये। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप एक मिनट सुन लीजिए। आप बोले जा रहे हैं। आसन पांवों पर।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : हम तो बाहर जा रहे हैं +++ बाहर जा रहे हैं हम। (व्यवधान)

श्री सभापति : नो नो, नथिंग, ऐसे नहीं चलेगा।

डा. सी.पी. जोशी : ऐसे भी नहीं चलेगा।

श्री सभापति : नहीं-नहीं आप सुनिए। (व्यवधान) बैठे-बैठे न बोले। मेरे पास पक्ष और प्रतिपक्ष का एक-एक मिनट का रिकार्ड है। आप सुनिए। (व्यवधान) आप बैठे-बैठे न बोलें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं और आप बैठे-बैठे न बोलें। कौन बोल रहा है बैठकर ?

मेरे पास पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता महोदयों की चिट्ठी आई है और उन्होंने कहा कि चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्रीजी की रिप्लाई होनी है, आपको भी बोलना है, उन्होंने कहा कि आप पांच मिनट का सबको समय दें और ज्यादा से ज्यादा कोई पाइंटेड बात है, अच्छा वक्ता है, बोल रहा है तो उसे 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : 10 मिनट।

श्री सभापति : हां, 10 मिनट। सुन लीजिए। मैंने उसी हिसाब से कोशिश की है कि पांच के बजाय सात-सात मिनट दूं। इधर के भी बहुत से माननीय सीनियर मैम्बर्स को मैंने सात मिनट में बैठा दिया।

मैं आपको समय भी बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी को 9 घंटे 39 मिनट अलोटेड थे, 6 घंटे 35 मिनट लिए गए, टोटल स्पीकर्स हैं, शेष समय 3 घंटे 4 मिनट। इण्डियन

(श्री सभापति)

नेशलन कांग्रेस को अलोटेड टाइम इज 4 घंटे 24 मिनट, 4 घंटे 13 मिनट ले चुके, 11 मिनट बाकी है। उसके बावजूद भी आप आसन पर आरोप लगा रहे हैं, आसन की बात को सुन नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री सभापति : आप अपनी बात ढंग से भी रख सकते हैं, उसके बाद भी आप जोर-जोर से चिल्ला कर अपनी बात रख रहे हैं, यह कोई तरीका है ? आसन पर अपनी बात थोपना चाहते हैं, इट विल नोट बी लाइक दिस।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, निवेदन है कि माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं, पहली बार बोल रहें है, दो मिनट और दे दीजिए।

श्री सभापति : मैंने माननीय सदस्य को सीनियर हैं इसलिए सात मिनट बोलने दिया, मैंने कहा माननीय सम अप कीजिए, मैंने रोका नहीं उनको।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, एक मिनट सुन तो लो, आप ज्यादा बोल रहे हैं, यहां और ये कम बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा है पांच मिनट का, थोड़ा समय और दे दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 10 मिनट का, देख लीजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी : पहली बार बोल रहे हैं, कम बोलने वाले सदस्य हैं तो आसन भी देखें, तथ्यात्मक बोल रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के मामले में बोलते तो और ज्यादा समय देने की आवश्यकता होती, इससे हाउस में बैठे हुए माननीय सदस्यों का ज्ञान अर्जन होता। थोड़ा समय और दे दीजिए। सबकी सहमति है इसमें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को मैंने रोका नहीं है। मैंने कहा है कि आप सम अप करें। मैंने वर्ड यूज किया है "सम अप" इसलिए जब वे बैठ गए उसके बावजूद भी मैंने उनसे कहा कि आप खड़े होकर अपने भाषण को सम अप कीजिए। सम अप दो मिनट में भी हो सकता है, तीन मिनट में भी हो सकता है। मैंने रोका ही नहीं उनको। यस, भरत सिंह जी।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : सभापति महोदय, आपने इन लोगों को भी समय दिया है। हमें भी बोलने का समय दिया जाए।

श्री सभापति : हां, विराजिए। दे रहा हूं। मुझे मालूम है। भरत सिंहजी बोलिए। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, एक मिनट कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : इस पर डिबेट मत कीजिए।

श्री दलजीत सिंह : सभापति महोदय, एक मिनट। मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन का समय एक घंटे, डेढ़ घंटे से लेकर ढ़ाई बजे तक अव्यवस्था के कारण, क्योंकि आप कोई व्यवस्था नहीं दे पाए कि मंत्री महोदय को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सदन का समय खराब हुआ है। 10 मिनट अभी बेफजूल खराब हुए हैं कि भरत सिंहजी को बात करनी है या नहीं करनी है। आप मेहरबानी करके सही व्यवस्था रखिए ताकि सब लोग बोल पाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय महोदय, देखें सदन में कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। क्योंकि सदन ऐसे नहीं चल सकता, सदन के कुछ नियम हैं, व्यवस्था है, समय निर्धारित करना पड़ेगा। कोई भी खड़े होकर किसी भी बात पर बोलना शुरू कर देगा फिर कह देगा कि ऐसे नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। फिर आसान पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। भरत सिंहजी, प्लीज।

श्री भरत सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरों का समय लेकर बोलना नही चाहता था मगर आप सबने मुझे अनुमति दी इसके लिए आभारी हूं। मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं कृषि से सम्बन्धित बात कर रहा था। धनिये की मण्डी का काम किया है, भावों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। किसान पैदावार कुछ भी कर ले जब तक उसे उसकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा, आपने लहसुन की मण्डी की बात की है, इसकी मण्डी तो पहले से ही रामगंज में स्थापित है, हिन्दुस्तान और दुनियां में सबसे बड़ी मण्डी है आप क्या स्थापित करेंगे ? वहां तो मण्डी बरसों से

(श्री भरत सिंह)

स्थापित है और विश्व की सबसे ज्यादा बड़ी धनिया मण्डी वहां है। मगर भाव क्या है ? 10 वर्ष पहले जो भाव था उससे भी कम भाव आज मिल रहा है। हमने सरकार को चिटिठयां लिखी, हमने इसके लिए लिखा कि धनिये पर आप चार परसेन्ट टैक्स लेते हैं मगर भाव आपके नियंत्रण में नहीं है। तो सरकार को लिखें कि उसका समर्थन मूल्य तय हो। लहसुन के लिए यह लिखें, लहसुन का भाव क्या हो रहा है, काश्तकार मर रहा हैं, मण्डी स्थापित करने से। फूल मण्डी की, फूल तो हम हो रहे हैं, काश्तकार फूल हो रहे हैं उसको मूर्ख बनाया जा रहा है। मण्डी का नाम लेकर यह काम नहीं चलेगा जब तक हम उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे।

पर्यटन की बात की है। राजस्थान के अन्दर पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग बन सकता है। जो हमारे पास चीज है उसको हम संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। केवलादेव नेशनल पार्क का क्या हुआ ? विदेश से पर्यटक आते है। सिर्फ इसलिए आ रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए भतरपुर आ रहे हैं। सवाईमाधोपुर आ रहे हैं। वो हिन्दुस्तान के वाइल्ड लाइफ के टूरिज्म स्पोट्स देखने जा रहे हैं। सरिस्का का क्या हुआ ? टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं और पूरा जंगल उजड़ रहा है।

पानी की व्यवस्था की बात है। पानी के लिए तो ये कह चुके हैं इक्कीसवीं सदी में पानी के ऊपर ही युद्ध रहेगा। हमार जो बर्डस का वाटर पार्क है, हम आपस में पानी के लिए लड़ रहे हैं उस बर्ड सेंक्चुरी के लिए हम पानी की कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते। मैं अभी भरतपुर आ गया था यहां पर विधान सभा में बोलने के पहले मुझे पीड़ा थी, मैं बचपन से, 1965 से उस पार्क को देखता था। इस देश के और विदेश के लाखों लोग उस पार्क का आनन्द ले चुके हैं, देख चुके हैं उनको कितनी पीड़ा हो रही है कि आज भरतपुर जैसा नेशनल पार्क इस हालत में है। मैं वन मंत्रीजी से चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा, भरत सिंहजी, मैं क्या करूं इसके लिए ? मैंने कहा, कुछ नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दो, एक मैसेज तो जाएगा। यह मैंने इसलिए कहा कि इतनी गम्भीर बात है। आज सरिस्का नेशनल पार्क तो नहीं

(श्री भरत सिंह)

है, रणथम्भौर है, मगर वहां एक शेर नहीं बचा। टूरिज्म की बात करते हैं इस दस्तावेज के अन्दर टूरिज्म का उल्लेख कर रहे हैं, यहां लोग-बाग आ रहे हैं। गलती से वो ट्यूर प्रोग्राम करके फोरेनर्स भरतपुर में गये और वहां खड्ढों के अन्दर गौशाला बनी हुई है, गाएं खाड़ी हुई है और वह ट्यूरिज्म का केन्द्र बना हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस दस्तावेज में जो आपने पेश किया है उसके अन्दर जिन बातों का आपने उल्लेख किया है किसानों की जो बातें मैंने आपसे कही, मेरा आपसे यही निवेदन है।

मेरा एक निवेदन और है। एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से ट्वंटी पाइंट की जो मीटिंग होती थी सरकार ने एक साल के अन्दर फर्स्ट स्टेज की मीटिंग जिसमें जन-प्रतिनिधि होते हैं कम से कम कोटा जिले के अन्दर एक बैठक नहीं हुई। जो व्यवस्था थी, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है उसके अन्दर जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी आपने नहीं रखी। आपने जिला आयोजना समिति बना रखी है। जिला आयोजना समिति पूरे वाटरशेड के जो प्रोग्राम हैं, जो एनीकट बन रहे हैं, माननीय सिंचाई मंत्रीजी बैठे हैं मेरे यहां 38 लाख के एनीकट सैक्शन किये हैं, उस जिला आयोजना समिति ने किये हैं जिसमें एम.एल.ए. सदस्य नहीं है। किये कहां हैं ? जो सिंचित क्षेत्र हैं उसमें एनीकट सैक्शन कर दिये। मैं कह रहा हूं आप 38 लाख का एक ही एनीकट करें मगर उस पानी का लाभ जो पैसा खर्च कर रहे हैं ग्रामीण जनता को तो मिले। मगर यह विडम्बना है कि जिला आयोजना समिति, जिला परिषद और नगर परिषद के सदस्य बैठकर, एक समिति हो, उसके अन्दर व्यवस्था ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन किया कि क्या एम.एल.ए. उसका सदस्य नहीं है ? जब आप जिले की योजना तय कर रहे हो और उसमें एम.एल.ए. को बाहर रख रहे हो जो यहां पर इस हाल में अन्दर अपने क्षेत्र की समस्या रख रहा है। ये मेरी कुछ बातें थीं, मुझे अतिरिक्त समय दिया, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री तगाराम चौधरी। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, कई दिनों बाद आपने मुख्य सचेतक महोदय, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कार्य समिति ने मुझे अवसर दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय के दिनांक 3 फरवरी के

(श्री तगाराम चौधरी)

अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोलने के लिए, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलिए, उधर ध्यान मत दीजिए। 5 मिनट में प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी : मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। जहां तक राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे साहिबा के मंत्रिमण्डल और विशेष तौर से मुख्यमंत्री महोदय की कार्यशैली के बारे में और स्वच्छ छवि का मंत्रिमण्डल के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यह बात भी आयी कि जिस दल का मैं भी सदस्य हूं, जिस दल की सरकार है यह एक अनुशासित और देशभक्त पार्टी है। हमारी नेता मुख्यमंत्री महोदय के इस राजस्थान को एक आधुनिक राजस्थान देखने का सपना उनके दिल में है यह भी सभी जानते हैं।

जो पिछला बजट 2004-05 में आया उस बजट की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं के ऊपर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों के पास में कोई विशेष इस तरह की बात नहीं थी। जिनको लेकर बजट के बारे में कुछ अंगुली उठायी जाए। यह हकीकत है और उसके बाद जब उपलब्धियों का सवाल आया अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं और की जाएंगी। इसके बारे में भी कोई बात जो विपक्ष कहता है वो बढ़ा-चढ़ाकर कहीं से ढूंढकर कहता है। सहरियाओं की बात है, सहरियाओं का कोई देहान्त हो गया होगा, कुपोषण से हुआ या किसी बीमारी से हुआ उनको ढूंढकर लाकर बवाल खड़ा करने का प्रयत्न किया गया। किसानों का आन्दोलन राजनीति से प्रेरित था। इंदिरा गांधी नहर के दो चरण है, प्रथम चरण के किसानों को तो किसी न किसी तरह से इस आन्दोलन की ओर किसी ने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए भड़काया होगा और आगे का द्वितीय चरण, वो भी इसी राजस्थान नहर का है। राजस्थान नहर जिस उद्देश्य से बनी है तो विशेष तौर से रेगिस्तान को रोकने के लिए बनी है। बढ़ता हुआ रेगिस्तान थार से कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। एक इन्जीनियर था कंवरसेन उसकी योजना थी। जो नदियों का पानी है वो बहकर विदेश में न जाए और

(श्री तगाराम चौधरी)

उस पानी के लिए बहुत बड़ी नहर बनायी जाए और पठानकोट से काण्डला तक नावें डालकर देश की सुरक्षा के लिए नहर बने। वह सपना था। वह बीच में कटता गया। किसके समय में कटा, कौन उसका जिम्मेदार है यह आपको सोचना है, हमारे सोचने की बात नहीं है। माननीय भैरोसिंहजी के राज में, माननीय वसुन्धराजी के राज में इसमें बढ़ोतरी की गई है और भी मैं इस बात के लिए वसुन्धराजी की सरकार को धन्यवाद दूंगा चाहे नर्बदा हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर हो, उसमें जो बन्द काम पड़े थे, पिछले पांच वर्षो में मुख्यमंत्री अशोक गहलोतजी के राज में बन्द हो गये थे, बिलकुल बन्द हो गये थे और किसान चिन्ता में पड़ गये थे कि हम क्या करें इस नहर के बारे में, हमारी कोई सुनता नहीं और पानी बन्द हो गया। बिगोडी लेते रहे, आबियाना लेते रहे, कोई माफ नहीं किया। अब जाकर वर्तमान सरकार ने सुध ली है, आबियाना भी माफ किया है और डिग्गियां बनाने का सरकार ने इस राज में निर्णय लिया है वो सराहनीय है। इससे किसानों को भी लाभ होगा, राजस्थान को भी लाभ होगा, देश को लाभ होगा, लेकिन पानी की खपत सीमित होगी। डिग्गियां बनाना ही एक किसान को आगे बढ़ाने का रास्ता निकलेगा, पानी तो कभी बरसात नहीं होती है और कभी कई कारणों से नीचे से कम पड़ जाता है। तो ट्यूबवैल भी खोदने पड़ेंगे। मैं तो सुझाव दूंगा इसी के साथ-साथ कि भविष्य में वहां पर कहीं भी मीठा पानी निकले तो ट्यूबवैल खोदने के लिए भी किसानों को इसी तरह से मदद दी जाए। जैसे डिग्गियों के बारे में अभी सोचा जा रहा है, किया जा रहा है तो किसानों की बात करते हैं।

श्री सभापति : समाप्त करिये। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : और किसानों की सुध ली है तो वसुन्धरा सरकार ने ली है। फसल बीमा की बात ले लें। फसल बीमा की बात तो तब की है इसके क्या परिणाम और किस तरह से आगे चलेगा वह नया एक मामला है, कोई भी योजना है वह नये रूप से चालू होती है उसको चालू करने वाले को बहुत-बहुत बधाई देनी चाहिए उनका किस तरह से किया जाए वह आगे की बात

है। किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा उसमें राशि बढ़ाना ये सारी चीजें हैं वह किसानों के हित की हैं। कई चीजें हैं उनको करवाने के लिए तो...

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी : मेरे को समय ही नहीं दे रहे हैं, आसन भी समय नहीं दे रहा है। हमारे साथी तो बोल गये और मैं एक शब्द बोला तो कहते हैं पूरा हो गया तो मैं क्या कहूं ? सबसे पहले तो यदि हमारे लिए एक अनुकरणीय बात है तो भैरोसिंहजी के राज में भी भारत सरकार हमारी पार्टी की नहीं थी और वसुन्धराजी के समय में भी अपनी पार्टी की नहीं है। इसके उपरान्त गत पांच वर्षों में तो अशोक जी के राज में एक ही शब्द सुनने को मिलता था, अखबारों में पढ़ने को मिलता था, खजाना खाली है, खजाना खाली है, हमारे पास कुछ नहीं है, भारत सरकार दे नहीं रही है। मैं लाख-लाख बधाई देता हूं माननीय वसुन्धरा जी को कि उन्होंने कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया और उसके उपरान्त बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के ऊपर 59 करोड़ भारत सरकार ने दिये हैं प्रोत्साहन राशि, वह इस बात का प्रमाण है कि कितना कुशल प्रबन्धन हुआ है जिसके तहत उन्होंने भी यह सराहा है। ओवरड्राफ्ट तो पता नहीं कितना उठता था लेकिन ओवरड्राफ्ट भी नहीं उठाया है। ये सारी उपलब्धियां हैं। ये बड़ी-बड़ी उपलब्धियों गिना रहा हूं क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, अब गिनाई जाए, एक एक को लिया जाये तो कितना ही टाइम लगे और आपके तो हल्ला मच जाए, बवाल मच जाए इसलिए अब राज के काज से जनता प्रसन्न है या नहीं, मैं कहूंगा कि कार्यकाल तो 14 महीने का बीत गया लेकिन चुनावों में और क्या कहते हैं। आचार संहिता पैर धरने नहीं दे रही थी सरकार को, सरकार के प्रशासन को। उसके बीच में भी प्रशासन आपके द्वारा काम किया है, किये गये हैं। आपको दावे के साथ कहता हूं जब से आजादी हुई है तब से ये जनता के द्वारा चुनी गयी लोकप्रिय सरकार काम करने लगी है उससे लेकर आज तक प्रशासन आपके द्वार...(व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी : अभी तो यह आपके द्वार कभी गांवों के साथ, कभी शहरों के साथ यह होता रहा है लेकिन इस बार हमारे अधिकारियों ने जिस तरह से कार्य किया है वह पूरा किया है मैंने उसको देखा है और हकीकत कह रहा हूं, मेरी आदत नहीं है बढ़ा-चढ़ाकर के बात करने की।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। श्री विजय बंसल।

श्री तगाराम चौधरी : मैं तो एक बिलकुल साधारण से साधारण व्यक्ति हूं और आज के दिन भी मैं और मेरी घरवाली झोपड़े में रहते हैं। मैं वर्णन कर रहा हूं कि मेरे यहां ढाणियां कच्ची-कच्ची हैं, झोपड़े में हम रहते हैं वह मैंने अकाल राहत मंत्री महोदय से भी निवेदन किया और सब हंसे, आग लग गई, मैं कहता हूं कि उसमें हम खाना बनाते हैं, हम सारा काम अग्नि से करते हैं वहां पर कोई हमारे पास गैस के चूल्हे नहीं है तो इसलिए फिर कुदरतन आग लग जाती है, कई ऐसे केस हो गये हैं और वह मांगते हैं, वह कहते हैं कि हमारे को पक्का ढूंढा तो बनाकर रख दो। यह मांग है।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी : इसलिए कल राहत में इस तरह की सहायता की भी मैंने मांग की है और मुझे विश्वास है कि.....

श्री सभापति : श्री विजय बंसल।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं तो अभी शुरू ही हुआ हूं और आया भी पहली बार हूं।

श्री सभापति : आप शुरू ही अभी हुए है, 10 मिनट में शुरू हुए हैं तो समाप्त कब करेंगे।

श्री तगाराम चौधरी : मैं एक बिन्दु पर बोल कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : कोई माननीय सदस्य बीच में इंटरप्ट नहीं करें।

श्री तगाराम चौधरी : मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, आप

(श्री तगाराम चौधरी)

मेरे को बोलने दीजिए। मैं एक ही बात पर बोलूंगा कि श्रीमती वसुन्धरा राजे ने, एक चुनाव वाला तो बोलने दीजिए, दो छोटी-छोटी बातें है। कोई ज्यादा लम्बा नहीं करूंगा। माननीय वसुन्धरा राजे ने जिस दिन परिवर्तन यात्रा का शब्द ढूंढा था और उस परिवर्तन यात्रा में मैंने उनको बधाई दी थी बायतू के अन्दर वह यही थी, यह शब्द ढूंढा है आपने यह साकार होकर रहेगा और हुआ।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी : मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है। श्री विजय बंसल।

श्री तगाराम चौधरी : जनता ने इस राज को समर्थन दिया है। जब परिवर्तन यात्रा होकर रही उस समय उप चुनाव हुए तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकजी गहलोत के राज में हुए थे उसमें भी उस परिवर्तन यात्रा, मैं कहना चाहूंगा देखिए, आप जानते हो क्या हुआ और अभी जब उसके बाद राजस्थान में विधान सभा के चुनाव हुए, आप नम्बर एक मुख्यमंत्री जो बोला था।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज। विजय बंसल।

श्री तगाराम चौधरी : क्या हुआ यह तो कहने की जरूरत नहीं है, जनता ने स्वागत किया, मतदाताओं ने किया।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के 3 फरवरी को इस सदन में दिये हुए अभिभाषण की चर्चा में भाग लेता हुआ (व्यवधान) पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री तगाराम चौधरी : इनकी मेरे बाद बारी है। कृपया मेहरबानी करें।

श्री सभापति : तगारामजी बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : एक बात रह गई, माननीय वसुन्धराजी के पग फेरे से बाड़मेर में विशेष तौर से मेरे घरों के पास जो काला सोना निकला है वह एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्री सभापति : वह बोल दिया, पहले आ गया।

श्री तगाराम चौधरी : वह देश के लिए भी बहुत ही हितकारी है।

श्री सभापति : वह पहले आ गया।

श्री तगाराम चौधरी : इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा और बधाई भी दूंगा मुख्यमंत्री महोदय और हमारे खान व सिंचाई मंत्रीजी को और सरकार को कि बाड़मेर में उसकी रिफाइनरी मंजूर करवा कर, विपक्ष को भी मैं इसके बारे में धन्यवाद दूंगा कि एक राय होकर दिल्ली जाएं।

श्री सभापति : श्री विजय बंसल शुरू करिये।

श्री तगाराम चौधरी : और बाड़मेर में जो तेल निकला वहीं रिफाइनरी कायम करने के बाद आप सब को मैं निमंत्रण देता हूं मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से इस सदन को कि वहां रिफाइनरी लगे और आप पधारें तो मैं मेरी तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत करूंगा, अभिनन्दन करूंगा और वहां की हालत यह है कि बाड़मेर में वर्षों तक कांग्रेस ही कांग्रेस जीती है। वहां पर पहली बार कमल खिला है और किसानों को मुआवजा दिया है।

श्री सभापति : आप बिराज जाइये तगाराम जी। No. No. I won't allow now. No. No. Nothing will go on record. Whatever he is speaking, nothing will go on record.

श्री तगाराम चौधरी : x x x

श्री विजय बंसल : माननीय सभापति महोदय, 3 फरवरी को इस सदन में महामहिम राज्यपाल द्वारा दिये हुए अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं इस पर धन्यवाद प्रेषित करता हूं और पुरजोर शब्दों में इसका समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस सदन की नेता मुख्यमंत्री महारानी वसुन्धरा राजे को जिन्होंने सुनामी की आपदा पर सबसे पहले पहल करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दो करोड़ रुपये तमिलनाडू को और एक करोड़ रुपये अंडमान

(श्री विजय बंसल)

निकोबार को देने के साथ-साथ 4 जनवरी, 2005 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में 51 चिकित्सकों का दल भेजकर राजस्थान की जनता की शान बढ़ाई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह समर्थन इस वजह से कर रहा हूं कि पिछले एक वर्ष के शासन में जहां पिछली सरकार पांच वर्ष तक खाली खजाना रोती रही वहीं कुशल मानीटरिंग के द्वारा बगैर किसी ओवरड्राफ्ट लिये हुए बगैर जनता पर किसी टैक्स का बोझ लादे हुए बल्कि टैक्सों में रियायत देने के पश्चात भी राजस्व की पूर्ण प्राप्ति कर राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं महारानी वसुन्धरा राजे को बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो हर क्षेत्र में विकास की गति आगे बढ़ी है पर स्वास्थ्य सेवाओं में निश्चित रूप से काफी सुधार हुआ है। मेरे क्षेत्र भरतपुर में पहली दफा नई सीटी स्केन मशीन खरीदी गई, जीर्णोद्धार करके एक आदर्श औषधालय का निर्माण किया गया और एक करोड़ 72 लाख रुपये लगाकर इस हास्पिटल की व्यवस्था सुधारी गई। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि दो हास्पिटल अलग-अलग स्थानों पर वहां चल रहे हैं तो आने वाले बजट में इसका प्रावधान कर एक जगह पर एक हास्पिटल चलाया जाए जिससे जनता को दो जगह परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की यह सरकार कितनी संवेदनशील है इसका पता इस बात से चलता है कि मैंने भरतपुर में हो रहे अवैध खनन के बारे में एक पत्र द्वारा खान मंत्री महोदय को सूचित किया था उसके सात दिन के अन्दर इन्होंने दौरा कर 50 साल से चल रहे अवैध खनन को न केवल रोका बल्कि अवैध खनन करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह जिन्होंने सोसायटी के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये का चूना सरकार को

(श्री विजय बंसल)

लगाया था उसको राज्य सरकार के कब्जे में लिया और खनिज नीति बनाते हुए उसको अब अलाटमेन्ट द्वारा राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ का मुनाफा होगा। इसके लिए खान मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से काफी प्रगति हुई है और नये स्कूल खोले गये हैं। 931 राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक शालाओं में बदला गया है। 2445 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया एवं 401 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में बदला गया है। 207 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बदला गया है। इसके अलावा 2826 नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जैसा कि कल की चर्चा में कुछ कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने कहा था कि विपक्ष के साथ उपेक्षा का व्यवहार हो रहा है, मैं इससे भिन्नता जाहिर करते हुए कहना चाहूंगा कि हम भी विपक्ष में बैठे हैं, मेरे यहां 14 नवीन विद्यालय खोले गये, 8 राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई, 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया, एक सैकण्डरी एवं एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। तो यह पहली दफा है कि कोई सरकार पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाने जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक पर्यटन की बात करें तो निश्चित रूप से गत वर्षो में काफी विकास पर्यटन के क्षेत्र में हुआ है। विदेश से आने वाला हर तीसरा पर्यटन राजस्थान में प्रवेश अवश्य करता है। लेकिन राजस्थान में पर्यटन के लिए पुरानी हवेलियों की ही नहीं, सबसे बड़ी पर्यटन की चीज है तो तीन सेंक्चुरीज हैं। एक भरतपुर स्थित घना बर्ड सेंक्चुरी, एक सरिस्का और एक रणथम्भौर। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि तीनों सेंक्चुरीज अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। भरतपुर के पक्षी विहार की बात करें तो भरतपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान विश्व में पक्षी विहार के जरिये जाना जाता है। 500 सी एफ्टी पानी छोड़ने की घोषणा पहली बार मुख्यमंत्री महोदय ने की

(श्री विजय बंसल)

थी। पिछले चार वर्षों से वो पानी के लिए तरस रहा है। अगर यही हाल रहा तो पक्षी विहार अपना अस्तित्व खो देगा लेकिन माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के पश्चात भी ऐसे क्या कारण थे कि वह पानी नहीं छोड़ गया। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि एक चीफ इन्जीनियर एस.पी. गुप्ता ने जान-बूझकर बदमाशी करके यह बात लीक की थी और उस पक्षी विहार का नुकसान किया गया है। मैं आशा करता हूं राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से कि वह पहल कर भरतपुर के इस पक्षी विहार को जो विश्व में वर्ल्ड हैरिटेज के नाम पर राजस्थान का नाम रोशन कर रहा है इसकी रक्षा की जाए, इसके पानी की पूर्ण व्यवस्था की जाये। माननीय फोरेस्ट मंत्रीजी मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, वहां पर पानी की कमी की वजह से विलायती बबूल अपना स्थान तेजी से बढ़ा रहे हैं। इन बबूल की कटाई की व्यवस्था की जाए क्योंकि वैसे तो कटाई पर रोक है लेकिन विलायती बबूल से घना का प्राकृतिक वातावरण नष्ट होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात और कहना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड हैरिटेज के साथ-साथ पास के ही एक जिले आगरा में ताजमहल भी वर्ल्ड हैरिटेज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए अथाह पैसा खर्च करके उसके स्मारक को बहुत ऊपर स्थान दिया है तो उसी तरह बगल में इस वर्ल्ड हैरिटेज को बचाने को राज्य सरकार से प्राथमिकता पर ले। पिछले दिनों जब पंजाब सरकार द्वारा .6 एम.ए.एफ. पानी रोका गया तो पूरा राजस्थान चिंचित हुआ था, मात्र तीन जिलों का सवाल ही था और इस सदन ने भी सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था कि राजस्थान की जनता और 200 सदस्य एक हैं, हम .6 एम.ए.एफ. पानी को पंजाब को नहीं रोकने देंगे। यह तो तीन जिलों की बात थी। भरतपुर का घना पक्षी विहार तो पूरे राजस्थान की नाक है पूरे संसार में। तो मैं सदन के सारे माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि एक मत से राजस्थान की शान को बचाने में अपना योगदान प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, सकल घरेलू उत्पादन में पूर्वी राजस्थान जिसमें पांच जिले आते हैं भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर

(श्री विजय बंसल)

इनका महत्वपूर्ण योगदान है, सर्वाधिक योगदान है लेकिन विकास के नाम पर पैसा लगाने के नाम पर यह क्षेत्र हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से तकनीकी विश्वविद्यालय या कोई यूनिवर्सिटी पूर्वोत्तर के इन पांच जिलों में कहीं न कहीं स्थापित की जाए। माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा पशुधन होने के बावजूद कोई वेटेरिनरी कालेज इस जगह नहीं बना हुआ है। इस अभिभाषण में इसके लिए कोई स्थान नहीं दिया हुआ है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो पिछले बजट भाषण के दौरान मैंने कहा था कि तकनीकी विश्वविद्यालय या बैटेरिनरी कालेज केवल सम्भागीय आयुक्त कार्यालय भरतपुर में खोला जाए। इस अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है पर आने वाले बजट में इसका अवश्य प्रावधान करने की मेहरबानी करें।

एक बात अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार में भरतपुर कृषि मण्डी का पैसा भरतपुर के बगल के क्षेत्र, जो आज माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का क्षेत्र है, तब भी वहां से मंत्री महोदय थे, पांच करोड़ रुपये कृषि उपज मण्डी का पैसा भरतपुर से ट्रान्सफर कराकर कुम्हेर ले गये। यह ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। भरतपुर का पैसा भरतपुर में ही लगना चाहिए।

अंत में मैं एक बार अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने 3 फरवरी को राजस्थान की विधान सभा में आकर अभिभाषण दिया इसके लिए तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं लेकिन राजस्थान की सरकार ने राज्यपाल के मुख से जो केवल कल्पनाओं के आधार पर लोगों में भ्रमजाल फैलाने के लिए अभिभाषण कहलवाया है उसका मैं सख्त विरोध करता हूं....

श्री सभापति : बोलिये आप, बोलिये आप। आपका समय ज़ाया हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : एक साल से ज्यादा का समय हो गया, राजस्थान की आम जनता के साथ जो वादा-विश्वास करके राजस्थान की जनता ने जो विश्वास दिया था चाहे वह किसानों का सवाल हो, राजस्थान के गरीब मजदूरों का सवाल हो, विद्यार्थियों और नौजवानों का सवाल-हो, हर सवाल के साथ राजस्थान की सरकार ने विश्वासघात करने का काम किया है। राजस्थान की सरकार ने आम जनता विरोधी कार्य और पूंजीपतियों के पक्ष में काम करने का काम किया है। जहां राजस्थान के किसान ने पानी मांगा, वहां राजस्थान की सरकार ने गोलियां देकर उनकी जान की कुर्बानी लेने का काम किया है। आप अन्दाजा करेंगे सभापति महोदय, आज राजस्थान की सरकार और वसुन्धराजी पूरे राजस्थान के एक-एक विधान सभा क्षेत्र में जाकर कह रही थीं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार राजस्थान के किसान और आम जनता को बिजली के माध्यम से लूट रही है। अगर हम सत्ता में आये तो अभी बिजली मंत्रीजी सुबह बता रहे थे कि मीटर चैक करेंगे, बिजली की रेट भी समायोजित करेंगे लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि इसी एक तारीख से राजस्थान के किसान और आम जनता पर सालाना 521 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का काम कर रही है। जहां राजस्थान कि आम जनता कि कमर तोड़ने का काम किया है। वहीं राजस्थान के बड़े उद्योगों के उद्योगपति परस्त नीति का काम किया है। एक नया पैसा उद्योगों में नहीं बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान के किसान और आम जनता की विरोधी है और राजस्थान के पूंजीपतियों की पक्षधर है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : xxx

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज, नो नो। सुरेन्द्र सिंहजी, आपका नम्बर आएगा, तब आप बोल लेना। प्लीज नहीं। इनका कोई रिकार्ड नहीं होगा। नो नो। रिकार्ड में नहीं लें, इनका रिकार्ड पर नहीं आएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : xxx

श्री अमराराम (धोद) : यह तो आपके कार्यकर्ता बतायेंगे।

श्री सभापति : आप इधर देखकर बोलिये। मैंने इनका रिकार्ड में नहीं लिया है कुछ भी।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बोलिए।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, जहां तक रेट से लूटने का सवाल है, यहां सरकार ने बहुत बड़ी-बड़ी घोषणा की थी कि राजस्थान का किसान स्पेशल स्कीम में आएगा। उसको मांगने से पहले कनेक्शन मिल जाएगा। राजस्थान के हजारों किसान आज भी, जहां 40,000 किसानों को कनेक्शन देने का इस अभिभाषण में वायदा किया गया है कि 40,000 किसानों को कनेक्शन मिल जाएगा लेकिन करोड़ों रुपये जमा कराने के बाद 6-6 महीने तक भी इस भंयकर अकाल के अन्दर जिसमें 18000 गांव भयंकर अकाल की त्रासदी भोग रहे हैं। राजस्थान के किसान को करोड़ों रूपया बिजली कम्पनियों में जमा कराने के बाद भी 6-6 महीने तक कनेक्शन नहीं मिलता है। आज किसान अपनी मेहनत का पैसा, ट्यूबवैल बनाकर, फिटिंग करके, डिमाण्ड नोट जमा कराकर भी, उसके बाद भी राजस्थान की सरकार पूरे पैसे लेने के बाद भी कनेक्शन देने में असफल रही है। सभापति महोदय, यही नहीं, वह न केवल इसमें असफल रही है, बी.सी.आर. के नाम पर जिस तहर से लूट हो रही है, शायद राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई कि एक-एक किसान, जिस किसान का 16 नवम्बर को कनेक्शन होता है और 17 तारीख को 50-60 हजार का बी.सी.आर. भरी जाती है और सरकार का आदेश है कि कोई उसकी सुनवाई नहीं करेगा। बिजली बोर्ड के अधिकारी से लेकर बिजली कम्पनी के एम.डी. कोई उसकी सुनवाई नहीं करेगा। 60,000 की बी.सी.आर. है वह तमाम उसके अन्दर भरी जाएगी। यह राजस्थान की सरकार ने जो वायदा किया है कि हमारी सरकार आएगी, पैराटीचर्स, पैरा डाक्टर्स, पैरा नर्स सबको स्थाई कर्मचारी बना देंगे। क्या हुआ, 13 महीने हो गये इस सरकार को। आज इस सरकार के उन वायदों के लिए राजस्थान का वह कर्मचारी जो सुदूर बैठकर

(श्री अमराराम)

शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो शिक्षाकर्मी है और पैराटीचर है, वे लोग जिन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज उन वादों के लिए आपके जी को रो रहे हैं। वह कहां गये आपके वादे, मैं समझता हूं जिस तरह से किसान के साथ हो रहा है। न केवल किसान के साथ बिजली और पानी में किया जा रहा है, पैसा भाव के साथ में किया जा रहा है। आज औसियां का किसान अपनी फसल को जलाता है क्योंकि उसको पैदावार के लागत जितना मूल्य भी नहीं मिलता है और यही हालत राजस्थान के अन्य हिस्सों में हो रही है। राजस्थान की सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है कि राजस्थान के किसान की पैदावार कैसे बढ़े क्योंकि राजस्थान का 67 प्रतिशत किसान आज राजस्थान के विकास में सबमें अग्रणी है। उसके साथ अगर राजस्थान...

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, भाव केन्द्र सरकार बढ़ाती है और आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है। भाव बढ़ायें, हम तो आपके पक्ष में हैं। दोनों हाथ खडे कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : दोनों कर दिये पहले ही।

श्री सभापति : आप बोलिये, उधर मत देखिये, इधर देखकर बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, जिस तरह से किसान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है चाहे वह केन्द्र की सरकार हो चाहे वह राजस्थान की सरकार हो, दोनों सरकारों ने मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी जिस तरह से आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं चाहे वह डीजल की रेट हो, चाहे वह बिजली की रेट हो, चाहे वह खाद की व्यवस्था हो, अभी रबी की फसल में राजस्थान की सरकार चुप बैठी हुई थी। राजस्थान के किसान को जहां डी.ए.पी. की आवश्यकता थी, वहीं राजस्थान के किसान को प्रति कट्टे के हिसाब से 200 रुपये की ब्लैक में खरीदना पड़ा। सरकार मौन है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है इसलिए...(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठे बैठे बात नहीं करिये। आपस में नहीं बोलें। मंत्रीजी। माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बोलें। बोलें-बोलें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी : यह बिलकुल गलत +++ है कहीं खाद की कमी नहीं आई। कहां आई, यह बताओ आप।

श्री अमराराम (धोद) : कहां नहीं आई, आप एक जगह बता दो जहां राजस्थान में डी.ए.पी. किसान को मिलता हो। राजस्थान में नकली डी.ए.पी. भी खूब मिलता है।....मैं तो उधर देखकर भी बोल रहा हूं। आप बाकी को आर्डर में रखें। इसी तरह से पूरे राजस्थान के किसान के साथ जिस तरह से किसान विरोधी काम किया है, चाहे वह केन्द्र सरकार की नीतियों हों चाहे वह राजस्थान सरकार की नीतियां हों, उत्पादन की लागत से लेकर भाव तक की जो मार है। मैं धन्यवाद दूंगा रावला और घड़साना के किसानों को जिन्होंने पूरे देश में इन किसान विरोधी नीतियों के कारण, किसान अपनी दरिद्रता के कारण आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन गंगानगर के रावला, घड़साना और खाजूवाला के किसान राजस्थान की सरकार के घुटने टिकाकर अपने खेत को बचाने में सफल रहे और एक रास्ता दिखाया है कि आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। किसान विरोधी नीतियों के कारण संघर्ष करके सरकार को झुकाकर अपने खेत और परिवार को बचाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय जहां.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपनी नेतागिरी के लिए मरवा दिया लोगों को।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : आप वापस ले आओ। माननीय सभापति महोदय, जहां बड़ी-बड़ी शेखियां बघारी जा रही थी सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा कि राजस्थान में पहली बार फसल बीमा योजना लागू की है और राजस्थान के किसानों का बड़ा भलाई का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी भरत सिंहजी ने आपके सामने रखा, जब से लागू किया गया है, राजस्थान के किसानों को मुआवजे के रूप में फसल के मुआवजे के रूप में एक पैसा नहीं मिला है जबकि किसानों से प्रीमियम के रूप में चाहे वह रबी की फसल हो,

(श्री अमराराम)

चाहे वह खरीफ की फसल हो, जिस तरह से फसल बीमा योजना को राजस्थान में लागू किया गया है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसान की भलाई के स्थान पर राजस्थान के किसानों को लूटने के लिए फसल बीमा योजना लागू हुई है। अभी मुख्यमंत्रीजी जवाब देंगे। वह बता देंगे कि राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू होने के बाद राजस्थान के किसानों से प्रीमियम के रूप में किसानों की ओर से और राजस्थान की सरकार के खजाने से कितना पैसा बीमा कम्पनियों को जमा हुआ है और राजस्थान के किसान को कितना मुआवजे के रूप में मिला है, शायद रिकार्ड आपके सामने आ जाएगा। राजस्थान में फसल बीमा योजना जो लागू की गई है, वह राजस्थान के किसान को लूटने के अलावा और कुछ नहीं है। बगैर सहमति के, जिसने भी लोन लिया है, चाहे फसल बीमा से लिया हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड से लिया हो, किसान के बगैर सहमति के जो प्रीमियम काटा जा रहा है, मैं समझता हूं, वह किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, अभी माननीय सदस्य बहुत बड़े स्कूलों के नम्बर बता रहे थे सत्ता पक्ष के, प्राइमरी से लेकर सीनियर तक और रिकार्ड तोड़ दिया। शायद राजस्थान के 50 साल के इतिहास में नहीं है, ये 300 से ज्यादा बी.एड. कालेज को मान्यता दे दी। लेकिन मंत्रीजी, केवल इतना जो उत्तर दे दें कि प्राइमरी से लेकर सीनियर तक, महाविद्यालय तक, जितने विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं, क्या उनमें उतने अध्यापक लगा दिये है ? मंत्रीजी बड़े जोर-शोर से घोषणा करते थे कि एक जुलाई को सत्र शुरू होगा और एक भी विद्यालय में अध्यापकों की कमी नहीं होगी। सारे अध्यापकों की भर्ती होगी। अब सत्र समाप्त हो रहा है। एक जुलाई से आज 17 फरवरी है, मार्च में एग्जाम होंगे, आज तक अध्यापक नाम की कोई चीज नहीं मिलती है। केवल इसमें यश नहीं मिलता है कि आप प्राइमरी को मिडल में क्रमोन्नत कर दें, मिडल का सैकण्डरी और सैकण्डरी को सीनियर में क्रमोन्नत कर दें। इससे शिक्षा का विस्तार नहीं होगा। मंशा सरकार की है कि सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अराजक स्थिति हो जिससे निजी विद्यालय और महाविद्यालय

(श्री अमराराम)

चलाने वालों को फायदा मिल सके इसलिए इस मंशा के साथ में जिस तरह से न केवल विद्यालय, महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन सरकार की सोच का अन्दाजा है कि इसी सत्र में निजी विश्वविद्यालय के नाम पर जहां छत्तीसगढ में अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, एक लूट शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में कुछ लोगों ने, मुठ्ठी भर लोगों को चाहे वह डेन्टल और मेडिकल कालेज हों, शायद राजस्थान की 99 प्रतिशत आबादी अपने बच्चों को निजी मेडिकल और डेन्टल कालेज में नहीं ले जा सकती। यह नीतियां हम यहां बैठकर, सरकार जिन नीतियों पर चल रही है, मैं समझता हूं राजस्थान की आम जनता के पक्ष में नहीं है। कुछ मुठ्ठी भर लोगों के लिए, चाहे वह बीओटी में हो, चाहे वह जांच में हो, चाहे वहे निजी मेडिकल और डेन्टल कालेज और विश्वविद्यालय की ताक में हो, ऐसे लोगों की पक्षधर सरकार रही है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि सरकार ने जो वायदे किये हैं, अगर पूरे नहीं करेगी तो उस सरकार का वही हश्र होगा जो एक साल पहले पूर्ववर्ती सरकार का हुआ है, मैं समझता हूं इससे भी बुरा हाल आपका आने वाले समय में निश्चित रूप से होगा। यही बात कहते हुए आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री महीपालजी मदेरणा। (व्यवधान) आपस में बैठे-बैठे बातचीत नहीं, प्लीज।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन दिन से चर्चा हो रही है। महामहिम का अभिभाषण 45 पेज के विस्तार वाला, 123 बिन्दुओं का प्रस्तुत अभिभाषण समग्र रूप से जिस सरकार का है, जिसने तैयार करवाया है, उसी दिशाहीनता और स्तरहीनता का परिचायक है। Aimless, directionless and standardless. यह अभिभाषण बिना किसी स्पष्ट सोच के, संरचना के एक टुकड़ों का जमावड़ा है। इससे ज्यादा इस अभिभाषण के अर्थहीन विस्तार को यह सदन तीन दिन से चर्चा कर रहा है, राजस्थान की जनता को

(श्री महीपाल मदेरणा)

यह कोई लाभ देने वाला नहीं है। न इनका सपना है, न ही कोई साकार है इस अभिभाषण के अन्दर, ऐसा लगता है कि सारी बातों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया है और एक नौकरशाह के निबन्ध से ज्यादा यह अभिभाषण कुछ नहीं कहता है।

इसी प्रसंग में मैं आपको बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कहा है, टॉफ्लर ने और उनकी उक्त पंक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करके कहना चाहता हूं कि इस इक्कीसवीं शताब्दीं के निरक्षक केवल वे नहीं होंगे जिन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता हो बल्कि वे होंगे जो लर्न्ड हैं, ई-लर्न्ड है एण्ड अनलर्न्ड है। यह अभिभाषण लर्न्ड, ई-लर्न्ड एण्ड अनलर्न्ड वालों का तैयार किया हुआ है, न तो यह अभिप्रेरक के रूप में बन पायेगा, यह दस्तावेज जो राजस्थान का विकास, राजस्थान की प्रगति, राजस्थान को दिशा नहीं दे सकता, ऐसा अभिभाषण जिसके ऊपर चर्चा हो, मैं समझता हूं कि बहुत ही बडा दुर्भाग्य है जनता के साथ में।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से मेरी अपेक्षा थी, मुझे इस सरकार से अपेक्षा थी, चौदह महीने का शासन चलाई हुई सरकार से अपेक्षा थी कि यह राजस्थान की उन विशेषताओं की, विलक्षणताओं को, अन्य राज्यों की तुलना में अपना स्थान कहां होगा, आपने अभिभाषण में इस बात की कोशिश की, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने, बल्कि इन्होंने अपने यहां स्पष्ट उल्लेख नहीं किया कि आज क्या रूप है, आज हम भी, यह राजस्थान का राज्य अब भी इसकी क्षमता और सम्भावनाओं का और हम भी बीमारू राज्य की श्रेणी में हैं, हम अपनी क्षमताओं और सम्भावानाओं को राजस्थान के तेजी से विकास और प्रगति पर नहीं लगा रहे हैं। मैं यह आपको कहता हूं वस्तुतः यह मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे नहीं, राजस्थान की जनता को अनुभव है और आने वाली, यह तो चलती का नाम गाडी है, भगवान भरोसे चल रही है, सरकार चलेगी, यह बात मैं मानता हूं सरकार का चलना है पर

(श्री महीपाल मदेरणा)

होना यह चाहिए था कि इनका विकास का मुद्दा होना चाहिए था। उस गरीब के ऊपर जो गरीब बैठा है, काश्तकार बैठा है जिसकी इनके इस अभिभाषण में कोई चिन्ता नहीं है। बहुत सारी जन समस्याओं का हल निकलेगा, यह हल निकाल नहीं सके हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस अभिभाषण में इनका कोई दृष्टिकोण मुझे नहीं नजर आया। इस अभिभाषण के दस्तावेज को क्या कहेंगे आप, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, पता नहीं किस तरीके का है। मैंने कई अभिभाषण आपके पढ़े हैं, मुझे एक किताब दी थी और उसके अन्दर कोई जैविक स्वरूप ही नहीं है। जैविक स्वरूप ही नहीं है। इसमें कहां से प्राण डालोगे। ना इसकी कथनी और करनी में कोई सोच है। इस देश के हमारे राष्ट्रपति जी ने कथनी और करनी की तरफ आपको ध्यान आकर्षित किया और 2020 का एक डाक्यूमेंट दिया था। इनको डाक्यूमेंट में कुछ नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा था इस देश को एक संकल्प प्रस्तुत किया था और एक सपना देखा था कि समय के साथ यह साकार होगा, इस सरकार को बताना चाहिए कि उसका संकल्प क्या है, उनका सपना क्या है जिसको यह साकार करना चाहते हैं।

यही विद्वान शिक्षा मंत्री कह रहे थे, मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से इस सदन में आश्वासन दिये लेकिन शिक्षा के मामले में मारवाड को इन्होंने कम दृष्टि से देखा, भेदभावपूर्ण तरीके से इन्होंने बरताव किया है। क्वालिटिटीव एजुकेशन की कल बात कर रहे थे, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि भेदभाव से अगर शिक्षा नीति चलेगी तो राजस्थान में शिक्षा का विकास नहीं होगा और उसका सबसे बड़ा खामियाज़ा यहां की आने वाली युवा नेक्सट पीढ़ी को, जनरेशन को होगा और वह आपके नाम पर कलंक लगेगा। आपके कार्यकाल में ना संकल्प है, ना सपना है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला और राजस्थान को पिछड़ेपन की तरफ ये ले जा रहे है। अच्छा है, चार साल तो ले जाना ही पड़ेगा इनको। इनके ना स्थिति है, ना गति दिखती है मुझे, ना स्पष्ट दिशा है,

(श्री महीपाल मदेरणा)

ना विकास है, न प्रगति-पूर्ति है, न लक्ष्य और ऐसे लक्ष्य पूर्ण करने के इनके इरादे भी नहीं है। (व्यवधान)

मैं और दिला देता हूं, शायद भूल गये होंगे। हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम पर सम्बोधन में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, उसमें रोजगार की समस्या को केन्द्र में रखते हुए जो समग्र विकास का माडल उन्होंने बनाया, जिस दृष्टि और जिस सोच को उन्होंने प्रस्तुत किया, हमारी सरकार के इस अभिभाषण में न कोई सोच है और न ही कोई, अगर पड़ता है, रस्म अदायगी है, तरीका ही नहीं बदलेंगे। आप अपने स्वयं का आत्म निरीक्षण कर लीजिये, नई तरह से करना चाहिए, बेहतर तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं और शुरूआत में भी नहीं करना चाहते हैं तो निश्चित मानना आप, कि जनता इस लापरवाही को बर्दाशत नहीं करेगी। आप बहुत बैठे हैं और न कोई आपके तालमेल है, मंत्री का अधिकारी से तालमेल नहीं है, अधिकारी को नीचे जनता से तालमेल नहीं है चौदह महीने में और यह बैठे हैं, कठपुतली बने बैठे रहोगे तो यह विडम्बना और अभिशाप की स्थिति में राजस्थान में कोई सुपुर्द करके जायेंगे तो यह चौदह महीने की सरकार सुपुर्द करके जायेगी। (व्यवधान) हमारी सुनो, क्लास भी दे सकते हैं। (व्यवधान) कल्ला साहब से तो हो गया, कल्ला साहब को तो आप...(व्यवधान) कल्ला साहब तो हमारे हैं कल्ला साहब अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह ध्यान रख लेना, इसी सदन में आप और हम दोनों बैठेंगे हां, यह मत समझो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.पी. साहब, अब क्या होगा। यह आपने कह दिया। सी.पी. साहब, आप भी कह दो। आप भी कह दीजिये।

श्री महीपाल मदेरणा : He is agreed to the proposal I have made.

डा. सी.पी. जोशी : समर्थन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कह दो फिर।

डा. सी.पी. जोशी : कह रहा हूं, समर्थन कर रहा हूं मैं तो। महीपालजी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं मैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : सरग्यो, सरग्यो धन्धो बस। सरग्यो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पन्द्रह साल इन्तजार करना।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने यह तो मान लिया कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, यह तो मान लिया न।

श्री सभापति : माननीय सदस्य प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पन्द्रह साल बाद होगा मुख्यमंत्री कांग्रेस का, कम से कम पन्द्रह साल तो शासन यही रहने वाला है।

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन। नो इन्ट्रप्शन प्लीज। प्लीज, नो इन्ट्रप्शन।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, यह जो बीच में बैठे हैं न, वह भी कुछ सोच रहे होंगे।

डा. सी.पी. जोशी : मुंगेरी लाल के सपने क्यों थोड़े रहे, पन्द्रह साल क्या, पांच सौ साल रखो न आप। मुंगेरी लाल के सपने कम थोड़े ही हैं।

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शासन मांग कर थोडे ही लिया है..

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री पद तो मांग कर लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तो आपने भी मांगा होगा कहीं से।

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं, बस।

श्री महीपाल मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ इस अभिभाषण से कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि के बारे में, कार्य योजना के बारे में. कल भी माहिर आजाद साहब कुछ बोले थे, कोई उल्लेख नहीं है... (व्यवधान) न किसी से डरो, मेरी बात को सुन लीजिये।

श्री सभापति : बैठे-बैठे नहीं।

श्री महीपाल मदेरणा : जबकि आपको स्थिति अच्छी तरह पता है कि हम बीमारू राज्य की स्थिति से मुक्त नहीं हो पाये हैं, सरकार को विशेष रूप से इस जनसंख्या वृद्धि पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। मेरा है, उसमें बताऊंगा। राजस्थान की आप प्रमुख समस्याओं पर चुप्पी डाल दोगे, निष्क्रियता कर लोगे, मैं तो यह संकेत करने जा रहा हूं कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या जो है, वह बहुत आगे आपको ले पड़ेगी। अभिभाषण के प्रति...(व्यवधान) आपकी कोई कार्य योजना है नहीं, अब बोल रहे हो आप बीच में...

आपने अभिभाषण पर बोला, कोई सार वाला भाषण बोला आपने ? बात करते हो राजनीति की। राजनीति की भी बात करूंगा मैं। हां मैं आपसे करूंगा आप कैसे बोल रहे हो। नहीं आपकी आदत में शुमार हो गया है कि किसी न किसी को टोका जाना चाहिए। माननीय सदस्य और मुख्य सचेतक को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं सबसे ज्यादा इस सदन में आप करते हो। हम बोलते नहीं हैं इसका मतलब यह नहीं है, हम सदन की गरिमा रखना जानते हैं यह सदन जनता का सदन है, सर्वोपरि सदन है, सदन जिसको राजस्थान की जनता देख रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज सब्जेक्ट पर बोलें।

श्री महीपाल मदेरणा : आप तो बोल ही नहीं रहे हो मुख्य सचेतक को कह ही नहीं रहे।

श्री सभापति : हां रोक दिया आप बोलिये सब्जैक्ट पर प्लीज।

श्री महीपाल मदेरणा : मैं उसी का उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि रोजगार को केन्द्रित किया था अभिभाषण के बिन्दु संख्या 65 में। रोजगार के नाम पर हमारी सरकार भी करती थी और इस सरकार ने भी वो मुद्दा ले लिया, मानव दिवस में उल्लेख हुआ है, ऐसी भाषा प्रस्तुति और आपके मुख से भी हम सुन रहे हैं। सुनता और पढ़ता हूं राजस्थान की भी जनता को बहुत पीडा हुई है। इन मानव दिवसों से किसी को रोजगार नहीं मिला आप भी

(श्री महीपाल मदेरणा)

जानते हैं और हम भी जानते है। वहां जानते हो सरंपच क्या करता है ? मानव दिवस के रूप में रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। यह इन आंकड़ों का छलावा है और बहुत क्रूर व्यंग्य है उन बेरोजगारों के साथ जो आपकी सरकार ने किया है। यदि आपके परिवार का बेटा-बेटी, भाई-बहन मानव दिवस रोजगार के सौ दिन जो आपने रखे हैं इन मानव दिवसों के क्या वो अपना पेट भर सकता है ? आपने रखा है मैंने नहीं रखा है। इसमें एक स्पष्ट योजना होना चाहिए। अगर कहीं गलती हो रही है उस गलती को कम करना चाहिए और आपको कार्य योजना बनानी चाहिए। इस तरीके से आकंडों के छलावे से रोजगार उपलब्ध नहीं होता है और इसके लिए आपको न्यूनतम और आधारभूत जरूरतें जो गांव में बैठा आदमी है उसकी ओर इंगित करना चाहिए था जो इस अभिभाषण में परिलक्षित नहीं होती। वो कैसे चलायेगा अपनी आजीविका ? देखा है ढाणी के झोपडे में बैठने वाला जिसको दो रोटी नहीं मिल रही हैं। आप वृद्धावस्था पेंशन नहीं दे रहे हैं। कहते हैं यह हमारा जमीन का मामला होगा, यह होगा वो होगा, उसको आपकी जो भी व्यवस्था है रोजगार देने की...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था आपके ही समय की है वो।

श्री महीपाल मदेरणा : आप तो करो। देखिए अब कौन सम्भाल रहा है सरकार को ? आप नहीं है सरकार में ? From past 14 months, you have got this responsibility. It is the responsibility to the Vasundhara government. क्या बात करते हो आप। आप आजीविका नहीं दे सकते झोंपड़े में बैठने वाला जो भूखा मर रहा है जिसके लिए अकाल का प्रबन्ध नहीं आपका, पानी का प्रबंध नहीं है, पशुधन का प्रबन्ध नहीं है। यहां बैठने से कुछ नहीं है। मैं तो आपको भी एक श्लोक से सभी बता दूंगा....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) आपने कुछ नहीं किया।

श्री महीपाल मदेरणा : नहीं किया तो नहीं किया आप नहीं करोगे तो आप भी इधर आ जाओगे। इसमें क्या बात है यह तो जनता करेगी।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री महीपाल मदेरणा : यस। जन समाधान होना चाहिए। ये इश्यूज इतने सैटल इश्यूज हैं जिनका जन समाधान होना चाहिए। रोजगार के अवसर पैदा करें। इन दोनों को अलग नहीं कर सकते तीन प्रमुख स्त्रोत है जिनके ऊपर कोई भी बात नहीं कही गयी। थोड़ा बहुत भरत सिंहजी ने जरूर कहा। समस्या से जी चुराओगे तो हमारी जैसी हालत होगी समस्या से जी मत चुराओ। समास्याओं का समाधान करने की जनसाधारण की अपेक्षाओं के अनुसार आप काम करें अन्यथा बड़े गम्भीर परिणाम होंगे और गम्भीर परिणाम हम तो भुगतते ही हैं और आप भी भुगतने में कम नहीं रहेंगे यह बात आप अभी से ध्यान रखें। 25% period of your political..... (व्यवधान) आप शांत रहिये। आप बोले तब मैंने नहीं कहा।

श्री सभापति : बैठे-बैठे नो कमेन्टस। आप बोलिये।

श्री महीपाल मदेरणा : अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको भी इन्टरवीन करूंगा।

श्री सभापति : प्लीज आप अपनी बात कहें।

श्री महीपाल मदेरणा : दूसरा, आपके इस अभिभाषण में कोई भी युवा नीति का संकल्प नहीं है जिसकी समस्या और रोजगार के लिए देश में विकास कर सकें और स्वरोजगार दे सकें। आप देखिये कितने आपके टैक्निकल इन्जीनियर्स हैं, लाखों हजारों कितने हैं जिनको तकनीकी विकास का लाभ जैसा उनके लिए बन सका होगा, बहुत पीड़ा है, राजस्थान का परसेन्टेज अगर देश का परसेन्टेज लेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा नौकरी के अन्दर। करोड़ों नवयुवक हैं जो आपकी तरफ आपकी कार्यक्षमता पर और अब अगर उनको रोजगार के अवसर नहीं देंगे तो वो भीड़-भगदड़ बढायेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जनसंख्या विरोधी और रोजगार दोनों को जोड़ कर आपको कार्य करना चाहिए। सरकारी नौकरियों का तो मामला ही दूसरा है। आपने किसी को नहीं दी सब डोल रहे है। एडहाक पर कोई कर लो जैसे कैसे भी है। इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके ऊपर हमको काम करना चाहिए पहला तो है कृषि विकास और पारम्परिक कृषि जिसके लिए वो बोल चुके हैं फसल अधिक मिले, अधिक

(श्री महीपाल मदेरणा)

मूल्य वृद्धि हो, उत्पादन ज्यादा हो, अनेक विकल्प सोचने चाहिए कृषि मंत्री को। वैज्ञानिक प्रोद्योगिकी का लाभ लेना चाहिए और पढ़े-लिखे नवयुवक जो शहर की ओर भाग रहे है उनको स्वरोजगार के अवसर गांव में मिलने चाहिए। यह काम आपको प्राथमिकता से करना चाहिए और इसका समाधान भी करना चाहिए अन्यथा समय रहते आपने काम नहीं किया तो भीड़-भगदड़ आपको जिस ओर ले जाएगी उसके परिणाम की परिकल्पना आप कर लीजिये।

दूसरा है वृक्ष, वनस्पति और वानिकी इन तीनों को जोड़ो रोजगार से। ऐसे अवसर पैदा करें। उन्नत कृषि, वनस्पति विकास कुछ नहीं किया गया। सडकों का कह देंगे, स्कूलों का कह देंगे, हास्पिटल्स का कह देंगे जो चीज जहां पर हो रही है जो मूल समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। आदमी आज भीड़-भगदड़ बच्चा बनता जा रहा है। युवा पीढ़ी दौड़ रही है, शराब के पीछे दौड रही है, उसके पास रोजगार नहीं है। उसके रोजगार के अवसर पैदा करने मैं आपको तीन प्रमुख क्षेत्र बता रहा हूं और इसके अन्दर सब्जियों के जैसा आपने अभी कहा फलों का विकास होना चाहिए, फूलों के उत्पादन से जुड़े बाजार से और बहुत अपार सम्भावनाएं हैं। अन्यथा जो महानगर बना रहे हो ये और भी गन्दा महानगर बन जाएगा। विशेष रूप से ग्रामीण नवयुवकों के नजरिये को उस ओर ले जाना चाहिए। उनको स्वराज के अवसर देने चाहिए। पशुपालन का क्षेत्र है। पशुपालन और कृषि/वनस्पति तीनों को साथ मिल कर आपको काम करना चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनिया : पशुओं की तो नस्ल ही बिगाड़ दी। विदेशी नस्ल ला-लाकर। राजस्थान में मूल रूप की जो गाय है, भैंस है उनकी नस्ल ही बिगाड़ दी।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : नस्ल तो बीच का आदमी बिगाड़ता है।

श्री रामप्रताप कासनिया : बीच का आदमी हूं इसलिए बच रहे हो। नहीं तो आप बच ही नहीं सकते थे।

श्री सभापति : समाप्त करने दीजिये प्लीज।

श्री महीपाल मदेरणा : वस्तुस्थिति और वास्तविक स्थिति यह है सभापति महोदय, अब निष्क्रियता से काम नहीं चलेगा। प्रशासन अगर यह है गांव का किसान गरीब जिसकी आर्थिक विषमताओं से भयंकर स्थिति हो रही है और राज्य में राजस्व बढ़ाना, संसाधन बढ़ाना और प्रशासनिक खर्च में अफसरशाही के खर्च ये तो भूलते ही जा रहे है। ज्यादा है और आधारभूत ढांचा जो रोजगार का है उसको ठीक करने का दृष्टिकोण आपका नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह निष्क्रियता आपको, सरकार को पंगु बना देगी।

मेरा दूसरा आपसे यह अनुरोध है कि कृपया करके जनता आपकी बेखबरी से खबर ले रही है। हवाई बातें करने से और सब्जबाग दिखाने से काम नहीं चलने वाला। हालात बिगड़ गये और बहुत आगे चले गये तो न ही तो आपके हाथ में कुछ रहेगा और न मेरे हाथ में कुछ रहेगा और यह लोकतंत्र जिसको कहते हैं...।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री महीपाल मदेरणा : Yes, I am coming to my last point. मुझे आपके अभिभाषण में एक बात अच्छी लगी। जब महामहिम प्रतिभाजी से उनके अभिभाषण का अंत गीता के दो श्लोक से कराया गया। इसने अवश्य मेरे मन और भाव को सन्तुष्टि दी और ऐसा कार्य हुआ किन्तु अच्छा होता कि गीता के इन दो श्लोकों का अनुवाद मैं निहित विचारों से और भावों से भली प्रकार प्रस्तुत कर पाते तो मुझे और भी अच्छा लगता। गीता के दो श्लोकों की पात्रता भी सरकार में हो तब ना। सबको साथ लेकर चलने की, किसको साथ लेकर जाये। यह विधायक बैठे हैं पीछे कूद रहे हैं। आपकी कथनी तक सीमित न रहकर करनी भी प्रकट होनी चाहिए और इसी के साथ उपनिषद में जो आह्वान किया है विवेकानन्दजी द्वारा उदघोषणा किया गया है "उतिष्ठ जागृते" अब आप लोग उठ जाओ। उठना पड़ेगा, जनता के लिए उठना पड़ेगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, निष्क्रियता से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को यह सलाह दे

(श्री महीपाल मदेरणा)

रहा हूं मैं उठो और लोगों के काम करो। बैठे-बैठे इस तरीके के अभिभाषणों को, परिकल्पनाओं को आप ले जाओगे तो राजस्थान के विकास और प्रगति में आप लोगों की बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री दाताराम गुर्जर।

स्पष्टीकरण

डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। आज 12 बजे यहां के एक सीनियर माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर अनर्गल, गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाया उसके लिये मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। उन्होंने आज यह बोला, मैं यह प्रोसिडिंग लेकर आया हूं, कि आप शाम को 5 से 7 बजे तक कहीं बैठते हैं। मैं उनको चैलेन्ज करता हूं इस फ्लोर के ऊपर या तो वह अपनी बात को सिद्ध करे नहीं तो मैं उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाऊंगा या वह सदन को कहे कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना और गैर वाजिब बयान दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप धमका रहे हैं उनको।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, धमका नहीं रहा मैं सत्य बात कह रहा हूं। आप पढ़ें, आप पढ़ें 276 । मैं उनसे कहता हूं कि वह या तो उस आरोप को सिद्ध करे या अपने शब्दों को वापस लें। इस तरह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। मैं भी किसी के अगेन्स्ट कुछ भी कह सकता हूं लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप सीनियर आदमी है, कई बार चुन कर आ चुके हैं। आपको ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहनी चाहिए थी और मुझे बड़ा दुख है कि आपने मेरे बारे में ऐसी बात कही। यदि आपकी बात सही है तो आप इसको सिद्ध करें, नहीं सही है तो आप कहें कि आप अपने शब्द वापस लेते हैं और इसको प्रोसिडिंग में से एक्सपंज किया जाये। यह मेरा निवेदन है आपसे। इसमें कोई भी गलत बात हो तो आप बता दें।

श्री मदन राठौड़ : यह कहें कि मैं ऐसा नहीं करता तो तो स्पष्टीकरण हुआ यह स्पष्टीकरण थोड़े ही हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराज जाये।

मोहम्मद माहिर आजाद : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने समाज कल्याण मंत्री के बारे में कोई बात कही थी तब यह कहा गया था कि नोटिस देकर आइए। आज जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य को तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में कोई भी बात कहनी थी या आरोप लगाना था तो नोटिस देकर आना चाहिए था।

श्री सभापति : आप विराजे, एक मिनट विराजिये..I am on my legs. जिन पर आरोप लगे हैं मैंने उन माननीय सदस्य को अपने एक्सप्लेशन का समय दे दिया है। उन्होंने एक्सप्लेशन दे दिया....What more do you want ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह आरोप लगाया वह अपने शब्द वापस लें और इसको प्रोसिडिंग से एक्सपंज किया जावे। या यह इसको सिद्ध करे दे क्योंकि इस सदन में किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य के ऊपर या मंत्री के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने का एक नियम और प्रक्रिया है। ऐसे सदन में खड़े होकर आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते।

श्री सभापति : अब आप विराजिये। पाइंट आफ आर्डर आपने उठा दिया। अमरारामजी विराज जाये, अमरारामजी का रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यह बात सही है कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने सवेरे यह आरोप लगाया था कि यह एक क्लिनिक में बैठते है दो घंटे के लिये। इस कारण से यह प्रश्न उठ रहा है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। माननीय सदस्य बिना जानकारी के और यह उनको चुनौती दे रहे हैं कि मैं वहां नहीं बैठता। या तो यह सिद्ध करे और सिद्ध नहीं करते हैं तो ऐसे असत्य

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आरोपों को नहीं लगाना चाहिए असत्य आरोपों के लिये इनको सदन से माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्द वापस लेने चाहिए। नहीं तो वह सिद्ध करें कि उन्होंने किस आधार पर यह बात कही है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन में परम्परा रही है कि हम असत्य मिथ्या भाषण नहीं करते और किसी माननीय सदस्य के ऊपर गलत आरोप, विवेकहीन आरोप नहीं लगा सकते। आरोप लगने की एक प्रक्रिया है, नियम है हमारे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में। उन नियमों का पालन करते हुये ही किसी के ऊपर आरोप लगाने चाहिये। इसलिए या तो वह आरोपों को सिद्ध करे अन्यथा अपने आरोपों को वापस लें और आपके पास भी एक व्यवस्था है कि असत्य आरोप लगाये जाते है तो आप उनको एक्सपंज कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य प्रसिद्ध चिकित्सक है और यह भी सर्वविदित हैं कि आपकी लोकप्रियता के कारण आप अलग-अलग समय में अलग-अलग क्लिनिक पर विराजते हैं और यह भी सही है कि आब्लीगेशंस भेजते हैं। अगर ओ.के. क्लिनिक पर आप नहीं विराजते....

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, गलत बात मैं नहीं सुन सकता, गलत बात बोल रहे हैं। मैं कहीं नहीं बैठता। मैं मेरे घर पर प्रेक्टिस करता होऊंगा, मैं कहीं नहीं बैठता। नहीं, यह असत्य बात कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भी सही है कि एक मरीज को देखने के लिये 50 से 100 रुपये इनकी फीस है जो निर्धारित फीस है। अगर यह ओ.के. क्लिनिक पर नहीं बैठते हैं तो आप क्लिनिक का पता बता दो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको इलाज कराना है क्या। आपको इलाज कराना है। राठौड़ साहब तो आपको घर आकर देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य आप बोलें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री हरिमोहन शर्मा : वह तो खुद ही झेप महसूस कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हर महीने अलग-अलग क्लिनिक वाले इनको बुलाते है तो आप क्यों जलते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप क्या हो, आप क्या हो बीच में जबरदस्ती। (व्यवधान) वह तो खुद ही शर्म महसूस कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं और आप बीच में ऐसे ही। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो असत्य कथन उन्होंने किया है वह प्रोसिडिंग से एक्सपंज किया जाये। अगर वह अभी भी इसको इन्सिस्ट करते हैं तो कानून और प्रक्रिया के तहत मेरे को चैलेन्ज करे मैं उसका जवाब दूंगा नहीं तो मैं प्रिविलेज मोशन लाने के लिये बाध्य होऊंगा।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप लाइए प्रिविलेज, यू आर फ्री।

श्री सभापति : श्री दातारामजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपका बहुमत रहता है इसलिए कह रहे हो नहीं तो क्या हिम्मत है आपकी कि यह कह दो।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : सभापति महोदय, यह कोई तरीका नहीं है जब भी हम खड़े होते हैं तो बीच-बीच में यह समय को बरबाद कर रहे हैं और इस सदन का समय कितना कीमती है इस बात को यह सीनियर लोग नहीं समझते। (व्यवधान)

श्री सभापति : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, विराज जाये। आप विराजिए, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री दाताराम गुर्जर : सभापति महोदय, जब भी कोई नया सदस्य खड़ा होता है तो यह सीनियर सदस्य बीच में व्यवधान डालते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कल अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बिना किसी तथ्य के..

डा. चन्द्रशेखर बैद : तथ्य है मेरे पास, आप कहें तो मैं अभी पेश कर दूं।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बैठिए पहले मेरी बात सुनिए और बिना किसी आधार के इन्होंने सी.एम. आफिस के एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाये। आप जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उस पेशे से जुड़े हुए किसी भी मामले में विधान सभा में कोई भी बात कहना, आप विधान सभा के पटल का दुरुपयोग करते हैं और इसलिए मैंने यह कहा कि आप जिस पेशे से जुड़े हुए हैं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आप इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगायेंगे इसलिए मैंने आप पर आरोप लगाये हैं और मैं मेरे आरोप पर कायम हूं और आप जो भी प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हैं आप फ्री हो, लाइए मेरी चुनौती है आपको।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, एक गलत परम्परा है, एक ब्यूरोक्रेट को बचाने के लिये मंत्री खड़े होकर बोले, एक माननीय सदस्य के सम्बन्ध में बाते करे यह गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : किसी ब्यूरोक्रेट को गलत आरोप लगाकर खड़ा कर देते हो आपको कोई अधिकार नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : आप अभी भी आरोप लगाकर गलत परम्परा डाल रहे हैं। आप एक ब्यूरोक्रेट को बचाने के लिए इस तरह की बात करें और एक माननीय सदस्य पर आरोप लगाकर बैठे रहो आप। यह कोई तरीका है, परम्परा है क्या। लोकतंत्र को कमजोर करने के लिये आप कल मंत्री रहेंगे या नहीं यदि इन छोटी बातों पर आकर एक माननीय सदस्य की इज्जत को खराब करना चाहते हैं आप ? आप आरोप किस बात पर लगा रहे है ? सभापति महोदय, यह एक परम्परा हो जायेगी जिस परम्परा का कोई अन्त नहीं होगा। आपको प्रोटेक्ट करना चाहिये। यह सम्माननीय सदस्य हैं, यह भी

(डा. सी.पी. जोशी)

सम्मानीय सदस्य हैं लेकिन एक माननीय सदस्य पर इसलिए आरोप लगाये कि कल एक ब्यूरोक्रेट पर अनर्गल आरोप लगाए इसलिए आप आरोप लगायेंगे यह कथन ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए प्लीज।

श्री कालीचरण सर्राफ : लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अनर्गल आरोप लगायेंगे, आप किसी प्रकार के अनर्गल आरोप लगायेंगे तो आंपके भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।

डा. सी.पी. जोशी : आपको तकलीफ है, आप खुद कह रहे हैं कि अनर्गल आरोप लगायेंगे तो, आरोप लगा रहे है...(व्यवधान)

श्री सभापति : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : यह तथ्य ठीक नहीं है। आपके पास तथ्य हैं आरोप लगाए, यह आपका अधिकार है, मैं मना नहीं करता ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : फायदा पहुंचाने के लिए आरोप नहीं लगा सकते।

डा. सी.पी. जोशी : आपके पास तथ्य हैं आरोप लगाएंगे, यह मत कहिए अनर्गल आरोप लगाए..(व्यवधान)

श्री सभापति : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : कितना समय बेफालतू खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति : एक मिनट, कल कोई माननीय सदस्य ने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपने मेरे से परमीशन चाही एक्सप्लेशन देने की, मैंने आपको परमिट कर दिया, आपने चाहा कि आप दुबारा आरोप पर अपने पर कायम है तो वो बात कहें वरना....(Interruptions)....Let me finish. उन्होंने वापस पलटकर कहा कि मैं आरोप पर कायम रहूंगा। नियमों में प्रावधान है। होना तो

(श्री सभापति)

यह चाहिए कि कोई भी सदस्य चाहे इधर के आरोप लगाते है या उधर के लगाते हैं तो नियम के तहत नोटिस देकर आरोप लगाना चाहिए, लेकिन कई बार सदन में यह गलत परम्परा हो गई कि चाहे जो खड़ा होकर चाहे जिसके विरुद्ध आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। (व्यवधान) एक मिनट, बिराजिए प्लीज, बैठे-बैठे नहीं, मंत्रीजी बैठे-बैठे नहीं। (व्यवधान) आपने एक्सप्लेशन दिया है, आपने पलटकर यह कहा है कि मैं मेरे उस पर कायम हूं नियमों के तहत आपके पास बहुत सारे अधिकार है। नियम के तहत आप प्रस्ताव लाए, आसन उस पर व्यवस्था देगा।

श्री संयम लोढ़ा : आसन एक्सपन्ज तो करें ना उन बातों को। आसन अपना काम करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन, देखिए कल आरोप लगे हैं...

श्री संयम लोढ़ा : बिना नोटिस दिये आरोप लगे हैं, एक्पन्ज करें।

श्री सभापति : इधर से भी लगे हैं, उधर से भी लगे हैं। (व्यवधान) मैंने उनको इसलिए मौका दिया क्योंकि एक्सपन्ज नहीं हुआ। एक्सपन्ज होने के बाद एक्सपन्ज स्वीकार्य नहीं है, फिर एक्सपन्ज किस बात का दिलाए। सिट डाउन प्लीज श्री दातारामजी।

डा. सी.पी. जोशी : इस सदन में अध्यक्षजी ने ऊषा पूनिया के मामले में एक्सपन्ज भी कराया और एक्सप्लेशन भी दिलाया। इसी सदन के अन्दर अध्यक्ष महोदय ने।

श्री सभापति : मैं आपसे पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : ऊषा पूनिया के मामले में एक्सपन्ज भी कराया, एक्सप्लेशन भी दिलाया इसी सदन में। अध्यक्ष की व्यवस्था है।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्रीमती ऊषा पूनिया (पर्यटन राज्य मंत्री) : कोई केस नहीं था।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, यह विवाद का विषय नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रीजी जब खुद आपरेशन करते हैं तो यही प्रेक्टिस करते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती ऊषा पूनिया : नाम लेकर क्यों बोल रहे हैं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं था।

श्री सभापति : बैठिये प्लीज, एक मिनट, बैठिये प्लीज। हर बात का जरूरी है..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सचिवालय पर जो आरोप लगाए वह अनर्गल नहीं है, हमारे पास प्रमाण है। (व्यवधान)

श्री सभापति : रिकार्ड में नहीं जाए।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री सभापति : रिकार्ड में नहीं आएगा।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सभापति : एक मिनट।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री सभापति : रिकार्ड नहीं होगा, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता बिराजे हुए हैं। बैठिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री सभापति : आपके नेता को भी नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री सभापति : आप बैठिये। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री सभापति : एक मिनट, बिराजिये। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। जो भी इन्होंने कोई आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए कुछ भी लगाए, यदि कार्यवाही से निकल जाता है तो एक्सप्लेशन आप किस पर देते जब कार्यवाही में ही कुछ नहीं था (व्यवधान) बैठे बैठे नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री सभापति : Let me complete. Let me complete.

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री सभापति : आप कोई नियम का भी पालन करते हो क्या ?

डा. सी. पी. जोशी : x x x

श्री सभापति : मैं इन किताब से चलता हूं।

डा. सी. पी. जोशी : x x x

श्री सभापति : जो एक्सपंज, जो रिकार्ड में नहीं है उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिलाया जा सकता। (व्यवधान) स्पष्टीकरण नहीं दिलाया जाएगा।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री सभापति : आप तो यह बताइये कौनसे रूल में है कि अंकित नहीं होगा उसके एक्सपंज...(व्यवधान) आप रूल कोट कीजिए। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। I won't allow. I won't allow.

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री सभापति : जो रिकार्ड में ही नहीं है स्पष्टीकरण किस बात का लें, किस बात का स्पष्टीकरण दिलाए (व्यवधान) जो रिकार्ड में है उसी का स्पष्टीकरण....

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया वह वास्तव में नहीं है। यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सदन प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के साथ परम्पराओं और अध्यक्ष के आदेशों से चलता है...(व्यवधान)

श्री सभापति : एक प्रश्न पूछता हूं, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जो रिकार्ड नहीं होगा उस पर एक्सप्लेशन किस बात का दिया जाएगा, किस बात का जवाब देंगे ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं समझ गया, मैं यही कह रहा हूं....

श्री सभापति : नियमों में कहां प्रावधान है कि जो रिकार्ड में ही नहीं है उस पर एक्सप्लेशन दिलाए जाए ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पर्यटन राज्य मंत्रीजी ने वक्तव्य भी दिया और उनके बारे में जो कहा गया था वह एक्सपंज भी हुआ। आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये।

श्री सभापति : मैं उसके अनुसार नहीं चल रहा, कानून के अनुसार चल रहा हूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए उनकी बात बिलकुल सही है, मैं समझता हूं कि दुबारा जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने हेकड़ी में यह बात तो कह दी कि मैं आरोप पर कायम हूं लेकिन माननीय सदस्य चुनौती दे रहे हैं कि वह क्लिनिक में कभी नहीं बैठे जब से एम.एल.ए बने हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कह दिया, एक्सप्लेशन ही जरूरी नहीं है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए इस तरह की बात को आपको समान आधार पर, चूंकि पर्यटन राज्य मंत्रीजी ने वक्तव्य भी दिया और उनके बारे में जो बात कही गई थी। वह एक्सपंज हुई थी।

श्री सभापति : लाइये प्रस्ताव लाइये। नियमों के आधार पर लाइये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसी आधार पर अध्यक्षजी की व्यवस्था के आधार पर आपको उसको एक्सपंज करना चाहिए। (व्यवधान) मैं समझाता हूं कि आसन की तरफ से तो कम से कम जस्टिस, इक्विटी गुड कांसियसनैस

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लक्षित (व्यवधान) होना चाहिए। क्षमता, विवेक और न्याय से फैसला होता है तब जाकर आसन की व्यवस्थाओं की भी एक तरीके से चर्चा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जस्टिस, इक्विटी और गुड कांसीयसनैस का इस्तेमाल करते हुए जो फैसले हुए उसी आधार पर इस पर फैसला करें।

श्री सभापति : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रशेखर बैद : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य की प्रसिद्धि से चिकित्सा क्षेत्र में आज कल्ला साहब और इनको क्यों जलन है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं यह वर्तमान क्लिनिक में भी बैठेंगे, ओ.के. क्लिनिक में भी बैठेंगे। जहां इनकी मांग होगी वहां पर बैठेंगे। अगर यह बैठे तो इसमें गुनाह कौनसा किया है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ओ.के. क्लिनिक में...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री सभापति : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री सभापति : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री सभापति : नो, नो हरिमोहनजी नो, आप अपने सदस्य को भी नहीं सुनना चाहते।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री सभापति : बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कांग्रेस के अन्दर पशु चिकित्सक (व्यवधान) यह कोई बात है क्या ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए इनके पास उसके कोई सबूत नहीं है। मैंने जो आरोप लगाया उसका सबूत है। मैं सदन के पटल पर रखता हूं। आप इसकी जांच करवाये कि मैंने कल सत्य बोला था या नहीं बोला था। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री सभापति : आप नोटिस दें, आप नोटिस दें। (व्यवधान) सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको मना कर दिया। (व्यवधान) आप बोलना चाहते थे, मना कर दिया उपाध्यक्ष महोदय ने। (व्यवधान) दातारामजी।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय. महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा 3 फरवरी को इस सदन में जो अभिभाषण पढ़ा गया....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

डा. दिगम्बर सिंह : xxx

श्री सभापति : इस मामले को समाप्त करें। श्री दातारामजी। बिराज जाइये। (व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजिये। (व्यवधान) दातारामजी। दातारामजी का ही रिकार्ड पर जायेगा। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : 3 फरवरी, 2005 को हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा इस सदन में पढ़े गये अभिभाषण को मैं पुर-जोर शब्दों में स्वागत करता हूं। (व्यवधान) इस सदन में चार रोज के बाद में मेरा नम्बर आया है। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पूरा उपयोग करके सत्तापक्ष के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान) यह इनकी सूक्ष्म बुद्धि का परिचायक है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री दाताराम गुर्जर : जो राजस्थान में हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्रीजी ने कार्य किया है, जनता के लोकहित के लिये कार्य किया है, इससे यह साबित होता है कि उन्होंने जो कहा...(व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी। व्यवस्था को बदलने के लिये आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं। मैंने व्यवस्था दे दी। उनको मौका दे दिया। अब उनको कोई शिकायत है तो और नोटिस देकर लायें। वे नोटिस देकर लायें अब। (व्यवधान) आप आसन पर कार्यवाही थोपेंगे नहीं। नो, नो, सिट डाउन। सिट डाउन प्लीज। (व्यवधान) आई वुड नोट अलाउ। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री सभापति : रिकार्ड पर नहीं जायेगा। (व्यवधान) आप किसी भी मामले में खड़े होकर हल्ला करें...(व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, बैठ जाइये। कुछ नहीं...यस।

श्री जुबेर खान : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री दाताराम गुर्जर : और उसका नमूना इस सदन में आये दिन देखने को मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीलाल : x x x

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री ओम बिरला : xxx

चौ. विनोद कुमार : xxx

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : xxx

(समय 16:33 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : चेअर आन लेग्स। आसन पांवों पर है। आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया. तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य। फिर भी जिन माननीय सदस्य ने आरोप लगाया वे उस पर स्ट्रिक हैं। आगे नियमों में जो प्रावधान है, आप उस पर स्वतंत्र है आने के लिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने किस नियम और प्रक्रिया के अधीन मेरे ऊपर आरोप लगाया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हम स्वीकार मानते हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया।

श्री अध्यक्ष : आराम से धीरे-धीरे बोलें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपकी जो व्यवस्था है उसे हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया और स्टेण्ड कर रहे हैं। प्रिविलेज कमेटी का हमारा मानते हैं... इश्यू यह है कि माननीय सदस्य ने जो बात कही उसके सम्बन्ध में कागज रखे हैं यहां पर और कागज यह रखे हैं उसमें कि वहां पर सी.एम. आफिस के जो अधिकारी हैं उनकी पत्नी, जो ठेका हुआ है उसके अन्दर वह काम करती है। वह ठेका सोसायटी के रूल्स और नियम के अन्तर्गत नहीं हो सकता है। कोई भी कानून मंत्रीजी बता दें, हम अपने आपको विदड्रा कर लेंगे। शिक्षा मंत्रीजी को यह मालूम है कि सरकार ने ठेका निकाला, सरकार काम्पीटेन्ट है। सरकार का ठेका नहीं हुआ। यह एक एडजस्टमेन्ट किया. विटविन सोसायटी और इन्डिविजुअल फर्म के। आप बता दें, हम आपकी बात को विदड्रा कर लेते हैं। यदि आपकी जो सोसायटी बनी हुई है उस

(डा. सी.पी. जोशी)

सोसायटी को यह प्रिविलेज है कि वह सोसायटी किसी प्राइवेट आदमी को, प्राइवेट फर्म को बिना किसी टेण्डर के लाये हुए..(व्यवधान) उसको दे सकती है. तो आप हमको बता दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है और यदि आपको दूसरे आदमी लिखकर दे रहे है उससे कम पैसे में वह काम कर सकते हैं और उसके बाद केवल मात्र इसलिये कि उस फर्म में सी.एम. आफिस में काम करने वाले अधिकारी की वाइफ काम करती है यदि यह आधार है तो यह कागज यहां पर रखे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। यह हमारी मांग है। बाकी हमारी कोई मांग नहीं है।

श्री ओम बिरला : ये सुना रहे हैं, माननीय मंत्रीजी। सुबह भी सुना रहे थे, फिर सुना रहे हैं, सुनो आप। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप जवाब दे दें। मिनिस्टर काम्पीटेन्ट नहीं है तो आप दे दें। आप अपना काम करिये।

श्री ओम बिरला : पहले सुनाया है। सुबह एक-एक बात सुनायी, फिर सुना रहे हैं, सुनो आप ध्यान से।

डा. सी.पी. जोशी : मिनिस्टर काम्पीटेन्ट हैं, आपकी जरूरत नहीं है। ये काम्पीटेन्ट हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं हूं। मैं सिर्फ एक आर्डर की 4 लाइनें पढ़कर सुना रहा हूं, "The Medical Relief Society would decide the number and types of diagnostic treatment machines required for efficient functioning of the hospital. Broad criteria, after deciding the number and types of the machines , would be vest on patients' load capacity of the machines has already installed in the hospital. With a view to equip the government hospitals with the latest diagnostic treatment machines, equipments it has been decided to involve the private sector to instal these diagnostic machines, equipments in the hospitals as per the following procedure.."

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह आदेश निकला है 2-2-2000 को जब कांग्रेस पार्टी के राज में मेडिकल केयर रिलीफ सोसायटी को टेण्डर करने के लिये अधिकृत किया। टेण्डर हुआ, इस टेण्डर के बाद में टेण्डर के बारे में आब्जेक्शन हुआ, टेण्डर के बाद में आब्जेक्शन हुआ और टेण्डर को दुबारा निरस्त कर दिया गया। जब टेण्डर हुआ तो ओ.के. और नीरज दो के लिये हुआ। उसके बाद में उस पर आब्जेक्शन किये गये। आब्जेक्शन के बाद इसको निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के बाद में दुबारा टेण्डर कर दिये गये। दुबारा टेण्डर बार, जो आपका एक सिस्टम है, वेट, एवरेज, रेट के आधार पर किया गया। उसको भी उसमें वर्धमान वाला लोएस्ट आया। इसके लोएस्ट आने के बाद में ओ.के. वाले ने, नीरज ने इन सबने मिलकर 9 प्रकार की रिट याचिकाएं राजस्थान हाइकोर्ट में की और हाइकोर्ट ने उन सभी रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया और कहा कि यह ठेका ठीक है। इसके बाद यह ठेका हुआ, इस ठेके के अन्तर्गत हिन्दुस्तान में सबसे सस्ता ठेका है। तीन बातें मैं बताना चाहूंगा। नम्बर-एक, 800 रुपये में पहले जो हम सरकारी मशीन से करते थे। (व्यवधान) आप सुन लें, ऐसा नहीं है, 800 रुपये में सरकार मशीन से करती थी। इसके बाद में इसका जो ठेका हुआ है वह 700 रुपये का है और 7 दिन में दुबारा करना पड़ा तो वह फ्री है। ऐसे अगर एवरेज लगायेंगे तो यह 500 का एवरेज है। मेरा किसी पर चार्ज नहीं है। बी.पी.एल. फ्री है और सरकारी कर्मचारियों का जो करवायेंगे, वह भी होगा। और इस प्रकार से जो 20 परसेंट यूजर्स का फ्री है, वह भी वहां पर होगा। यह कुल मिलाकर 700 के बजाय 500 में पड़ेगा और जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है जो 5000 और 2300, 5000 में एम.आर.आई. और 2300 का सिटी स्केन बाजार में होता था इसके कारण से मार्केट क्रेश हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इस कारण से कि मार्केट को लूटकर खाना चाहते थे, यह फोर्स जो गरीबों का शोषण करना चाहते थे वैस्टेड इण्ट्रेस्ट के लोग आज बौखलाकर ही आरोप लगा रहे हैं। किसी प्रकार से अगर इसमें शिकायत होगी मैं किसी को भी नहीं बचाना चाहता। अगर किसी सी.एम.ओ. के आफिसर की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पत्नी भी होगी तो मैं यह नहीं कहता कि पत्नी कहीं नौकरी करने की अधिकारी नहीं है या मेरा बेटा कहीं काम कर ले, अगर उसके कारण से उसको मिला है तो में यह रेस्पांसिबिलिटी आन करने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान) सुनिये एक मिनट। ऐसा नहीं, आरोप लगाना ठीक नहीं। सुन लेना भी चाहिए। मैं आपकी सुनूंगा अभी। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप मेरी भी सुनना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, सुनूंगा मैं आपकी बात। दूसरी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मशीन खराब होने के बाद जो आदेश दिये गये हैं, वह आदेश यह दिया गया है कि मशीन खराब हो गयी, यह बात सही है। यह लडाई जो है टेण्डर की और उसकी, आप चाहे तो कल सारी बहस है, ओपन हे, मेडिकल यूनिवर्सिटी का कल बिल आ रहा है, सारा परव्यू मेडिकल कालेजज का ओपन रहेगा। मैं इस पर पूरी बहस करने के लिए तैयार हूं लेकिन इस समय यह जो मशीन खराब हुई है, इस कारण से यह जो रेट का टेण्डर किया गया है, इसी रेट के आधार पर इसको दिया गया है। यह मशीन अभी तो खराब हुई है 26 दिसम्बर को और फरवरी में नयी मशीन लग जाएगी जिसमें सरकार का काम चालू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं और माननीय बैद साहब को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें यह जिम्मेदारी मेरे पर ले रहा हूं, आप सबको पता है कि यह किस जगह टेण्डर और ठेका होता है, सब जानते है। न उसमें कहीं सी.एम.ओ. आता है, न कोई मिनिस्टर आता है और न कोई सैक्रेटरी आता है। यह जिस ढंग से हुआ है वह सारा लेकिन मेरी जानकारी में है अगर इसमें मुझे आप बताएंगे कि यह-यह गलतियां हुई हैं, यह-यह नुकसान हुआ है तो मैं स्वयं देख लूंगा।

दूसरी बात आप किसी भी माननीय सदस्य का, किसी का भी किसी भी प्रकार से अवमानना करने का कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं है। आपके ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आप वेस्टेड इण्ट्रेस्ट के कारण से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बोल रहे हैं। मैं बिलकुल नहीं कह रहा हूं इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कल बहस है, आप. बहस में आकर पूरा पक्ष रखें। आपने आरोपों का जवाब दे दिया, प्रक्रिया के अन्तर्गत इसलिए बात कर लेंगे इसलिए इसको व्यक्तिगत मान, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाकर राज्य के मरीजों का ठीक से हो जाए। परसनल एक्सप्लेनेशन भी हो गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको समाप्त करें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक बात खाली। मैं मंत्री महोदय की बात से सहमत हूं। एक बात का खाली मंत्री महोदय जवाब दें। टेण्डर की प्रक्रिया हाइकोर्ट का जजमैन्ट, एक पार्ट है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, किसी का भी हुआ। इसमें जो इश्यू है वह यह है कि इस पर्टिकूलर जब आपकी मशीन कोलेप्स हो गयी तब आपने पर्टिकूलर फर्म को ही लिया। What was the yardstick ? Why ? मेरी बात सुन लीजिए आप। आपकी जब मशीन कोलेप्स हो गयी तब आप तीन आदमियों को और टेण्डर बुला लेते, उसकी लोअर रेट पर कोई आज भी आपका लिखा हुआ है कि उसकी लोअर रेट पर काम करने के लिए तैयार है Why we have selected only this particular firm ? जब आपकी कोलेप्स हो गयी तब आपने इस पर्टिकूलर फर्म को दिया, यह इश्यू है। हाइकोर्ट में आपने टेण्डर किया, अच्छी व्यवस्था की, कार्टेल खतम हुआ, पैसा कम हो रहा है, अच्छी चीज है। I am not saying it but पर यह तो इन्टेन्शन कहीं बताना पड़ेगा कि इसी पर्टिकूलर, जब आपकी मशीन कोलेप्स हो गयी 26 तारीख को, तब आपने पर्टिकूलर इस "एक्स" को ही क्यों सलेक्ट किया यह एक सस्पेन्स डाउट करता है। आप इस बात को समझा दें कि नहीं हमने पांच आदमियों को बुलाया, पांच से बात की, नेगोशिएट किया, आज इससे भी कम रेट पर जैसा कि उन्होंने बताया कि जो नयी टेक्निक आ गयी. उसकी अच्छी एफिशिएन्सी की मशीन अवेलेबल है, कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है तब हम इस पर्टिकूलर "एक्स" पार्टी को ही क्यों देना चाहते हैं, यह बोन आफ कण्टेन्शन है इसलिए यह बात कही जा रही है कि वहां पर सी.एम.ओ. आफिस मे जो काम करते हैं, उनकी पत्नी, पत्नी काम करें, सबको अधिकार है। मैं

(डा. सी.पी. जोशी)

उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन यह जो एक डाउट क्रिएट करता है कि आपने मशीन का टेण्डर लेकर आर्डर निकाल दिया, हाइकोर्ट का फैसला हो गया, अप्रैल में मशीन आ जाएगी बात बिलकुल ठीक थी, कोई तकलीफ नहीं पर आपने पर्टिकूलर इस आदमी को बिना टेण्डर लिये जो एग्रीमैन्ट किया इन बिटविन व्यवस्था करने के लिए, यह व्यवस्था करने का जो काम है वह सस्पेन्स पैदा कर रहा है। उसमें आप जवाब दें तो हमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नाम भी ले लो न। आप नाम ही ले लो।

श्री चन्द्रशेखर बैद : माननीय मंत्रीजी, मैं आपकी बडी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। आप बहुत अनुभवी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं इसको व्यक्तिगत नहीं ले रहा हूं। दो चीजें हैं। एक तो आपने यह अभी टेम्प्रेरी व्यवस्था की है इसमें पहली चीज तो आप यह देख लें कि यह मशीन अप्रैल के पहले नहीं लग सकती। दूसरी बात टेक्निकली यह पोसिबल ही नहीं है। तीसरी बात इस मशीन पर जो टेस्ट किये जायेंगे वह पाइंट 5 टेस्ला की मशीन पर किये जा रहे हैं, जो दस साल पुरानी है। मेरा निवदेन इतना है कि आप चाहे किसी को भी दें लेकिन उसका लोएस्ट रेट करके 1.5 टेस्ला पर करें, कम दाम पर हो रहा है बहुत खुशी की बात है लेकिन 1.5 टेस्ला पर यह होगा तो मरीजों को लाभ होगा। कई गरीब दुखियारे आपको दुआएं देंगे, यह मेरा निवेदन है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1.5 टेस्ला सिर्फ ओ.के. के पास ही है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, आठ जगह है, आठ। आप गलत कह रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं कि आप सीधे-सीधे पैरवी कर रहे हो।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं है तो नहीं होगा, आप क्यों प्रि-जुडिस हो रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह सिर्फ ओ.के. के पास है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आठ जगह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिर्फ ओ.के. के पास है।

डा. सी.पी. जोशी : We are not for O.K. We are not for anybody. आप ओ.के. को रिजेक्ट कर देना। इनकी बात को आप एक्सप्लोर कर लीजिए। एक्सप्लोर कर लीजिए कि पोसिबल है और सुविधा मिल सकती है तो क्यों नहीं कर सकते हैं ? Why are you strict about this ? यह जो टेक्निकल बात कह रहे हैं यदि वह मशीन दो-तीन आदमियों के पास अवेलेबल और कम दाम में हो सकता है तो जब आपने इतना बड़ा काम किया, आपने कार्टेल को खतम किया, मरीज को रिलीफ दी, आपने इसमें बेइमानी को हटाया तो एक कदम और आगे बढायें। क्या तकलीफ है यह एक कदम क्यों रोक रहे हैं आपका ? यह एक कदम रोकना यह आपको प्रेरित कर रहा है कि इसमें घनश्यामजी, कहीं अपने आपको मंत्री बनने के चक्कर में न फंस जाएं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि एक बार हम और कोशिश कर लेते हैं और तीन फर्म में से जिसमें कम पैसा आता है उनसे कर लीजिये। आपकी अप्रैल तक मशीन नहीं आये तो क्या तकलीफ है। एक महीने तक इनको रखिये और दुबारा आप देख लीजिये कि यदि कोई अच्छी तीन फर्म अवेलेबल हैं, कम पैसों में काम करने के लिए तैयार है तो उनका भी एक्सप्लोर कर लीजिये जिससे आपका इन्टेशन साफ हो जाएगा। दैट्स आल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं-नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं कोई टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं। 1.5 और जो आपका सारा सिस्टम है, वह सब मुझे नहीं जानकारी है लेकिन यह इसलिए किया गया कि फरवरी में तो सिटी स्केन की मशीन इन्स्टाल हो जाएगी। एक और अप्रैल में एम.आई.आर. की मशीन इंस्ट्राल हो जाएगी। उस फर्म के टेण्डर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में वर्तमान जो टेण्डर फाइनल हो गया तो उसमें उसने लिखकर दिया कि चूंकि मैं फरवरी में लगा रहा हूं और दो महीने के लिए मैं उसी रेट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर आपके यहां पर वह काम करने के लिए तैयार हूं। आने-जाने का, वाहनों की व्यवस्था भी मैं करूंगा और सारा काम करूंगा वह रेट जो हम फरवरी में चालू करने वाले थे इसलिए दो महीने के लिए दूसरे को देने के बजाय इसको कर दिया। जहां तक जो 1.5 वाला है, इसको मैं देख लेता हूं और अगर इसमें ठीक बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी बात मान ली डाक्टर साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री दाताराम गुर्जर।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : (व्यवधान) आप तो कम से कम बैठ जाओ। अभी पहले ही हा-हुल्लड़ किया उस समय हम तो बीच में ही रूक गये थे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस हा-हुल्लड़ के बाद में दुबारा मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोल रहे हैं ऐसा।

श्री दाताराम गुर्जर : तीन फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में पढ़े गये अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में मैं समर्थन करता हूं। स्वराज की कल्पना को साकार करने का जो दर्पण इस अभिभाषण में और जन भावनाओं को साकार करने की दृढ़ कल्पना इस अभिभाषण में की गयी है। वह इस एक साल के कार्यकाल के विकास की गति को देखते हुए पूरे राजस्थान में आम जन-जन में गत लोक सभा चुनावों और पंचायती राज चुनावों की सफलताओं को देखते हुए राजस्थान की जनता ने इस सरकार पर विश्वास प्रकट किया है। आज राजस्थान में एक ही चर्चा है कि जो कहा है वह पूरा किया है उस शख्सियत को कहते हैं राजस्थान में वसुन्धराजी। ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें 13 महीने के इस अल्पकाल में विकास का कोई काम नहीं

(श्री दाताराम गुर्जर)

हुआ हो, चाहे शिक्षा को देखें, चाहे पेयजल को, चाहे चिकित्सा को, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित सड़कों को देखें। मानव के सार्वजनिक जीवन में जो मूलभूत सुविधायें कांग्रेस के 44 साल के कुशासन में इस प्रदेश को नहीं मिल सकी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले आठ वर्ष में और इस एक साल में पूर्ति करने की कोशिश की है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में एक कीर्तिमान स्थापित किया है एक वर्ष के शासन काल में। स्कूलें शिक्षा के केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करना, नई स्कूलें खोलना और उसके साथ-साथ भवनों की पूर्ति करना मात्र इस सरकार ने किया है। दो-तीन रोज के समय देखा है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पक्षपात किया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 44 साल तक इस राज्य में आज जो वर्तमान में प्रतिपक्ष है, उन्हीं की पार्टी का शासन रहा है। क्या एक ही साल में 44 साल की पूर्ति आप देखना चाहते हैं। इस एक वर्ष के समय से शासन को देखकर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बौखला गये हैं। जनता में उनका जोर नहीं चला। सदन से बाहर उनका जोर नहीं चलता। सिर्फ एक साल में यह एक महीने का समय इस सैशन का आता है और उस कीमती समय को, इस अमूल्य समय को यहां बेवजह बर्बाद किया जाता है। पिछले चार रोज से, मैं तो नया सदस्य चुनकर आया हूं लेकिन मैंने देखा है कि कांग्रेस को जो समय आलाट हुआ, उसका पूरा उपयोग किया गया और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उन सबको सुना और जब सत्ता पक्ष के सदस्य बोलने के लिये खड़े होते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। बीच में व्यवधान पैदा किया जाता है। अभी मेरा नाम पुकारा गया। 45 मिनट हो गये बीच में छोटी-सी बात को, बेतुकी बात को लेकर इतना कीमती वक्त ज़ाया किया गया है। कोई इस प्रकार की बात कहे, हमारे माननीय सदस्य चिकित्सा पेशे से हैं। जन सेवा की भावना इनकी है। राजनीति में भी जन सेवा होती है और चिकित्सक के रूप में भी जन सेवा होती है। अगर ऐसी बात की गयी है तो कोई बुरी बात नहीं है। यह तो जनता को दोहरा फायदा दिया जा रहा है।

(श्री दाताराम गुर्जर)

हमारी माननीय मुख्यमंत्री जब से राजस्थान आई हैं, विकास की नई दिशायें तय हुई है और एक तरफ़ आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जब यह हाल देखा जाता है तो मन बड़ा दुखी होता है। कांग्रेस के नेता ने आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े देश में और उसके प्रधानमंत्री को तीन राज्यों के चुनाव में इस प्रकार से उनकी उपेक्षा हुई है, इससे मेरा दिल बड़ा दुखी है। वह लोग कहते हैं। कल परसों दो रोज में सुना है कि सोनियाजी भवानी हैं, सोनियाजी दुर्गा हैं। मैं तो कहता हूं सब कुछ है। वह आदर के योग्य भी हैं, लेकिन इस प्रकार से एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की उपेक्षा करना इस बात से क्या कोई भी कांग्रेसी दुखी नहीं है, उनका मन दुःखी नहीं है।

आज विकास से चिन्तित ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, अभी हर व्यक्ति ने इस अभिभाषण के विरोध में बातें कहीं हैं। लेकिन मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जिले में जो आज तक 53 साल आजाद हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र को हो गये और जिला मुख्यालय पर आज तक इसी कांग्रेस के शासन में एक सरकारी कालेज की स्थापना नहीं की गयी।

झुन्झुनूं जिला शिक्षा की दृष्टि से सबसे आगे रहा है। लेकिन उसकी भी गत वर्ष की सरकारों ने उपेक्षा की है और जिला मुख्यालय पर सरकारी कालेज खोलकर जो सौगात इस सरकार ने दी है, उसके लिये मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

गांवों में सड़कों का जो जाल बिछा है, मैं तो मेरे क्षेत्र में जो हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उसमें एक वर्ष में 20 सड़कें स्वीकृत की गयी हैं। इससे बड़ी उपलब्धि इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई नहीं हो सकती। ऐसा कोई विभाग नहीं हैं, वैसे चार रोज में हर विभाग की आकड़ोंवाइज यहां बाते कहीं गयी हैं, लेकिन मैं तो इस सदन में एक ही बात कह सकता हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि कोई ऐसा विभाग बचा हो जिसमें इस सरकार ने कोई उपलब्धियां अर्जित नहीं की हो।

(श्री दाताराम गुर्जर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां इस सरकार ने गरीब और मजदूरों के लिये आवास की योजना "घरौन्दा योजना" के नाम से एक अनुपम योजना प्रारम्भ की गयी है। 18 रुपये प्रतिदिन की कमाई करने वाला मजदूर भी अपना आवास खरीदकर रह सकता है। इस प्रकार गरीब, बेरोजगार, युवा, व्यापारी, किसान, हर वर्ग का ख्याल रखने वाली पहली सरकार अगर कोई सरकार आठ साल के बाद में....(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और उसके उत्तर तक, पारित होने तक समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्रीजी के भाषण तक।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, भाषण और पारित होने तक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय मुख्यमंत्रीजी के भाषण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के माननीय सदस्यों की स्टेटेजी है कि सारे भाषण दें, लोग सारे सुनेंगे, फिर मुख्यमंत्रीजी का भाषण नहीं सुनेंगे। शोभादायक तो नहीं होगा। आप देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह आपको कैसे पता लगा इस बात का ?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आप हमको अभी से ही बाध्य कर रहे हो क्या ? कमिटमेन्ट लेना चाहते हो क्या ? हम क्या करेंगे यह तो उस वक्त तय होगा। (व्यवधान) आप अपनी जगह से बोलो।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह हमको पता चला है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो नियमों की रोज हमें सीख देते हो। नहीं, आप हमसे कमिटमेन्ट लेना चाहते हो क्या ? यह तो आपके एक्शन पर रि-एक्शन होगा। आपका व्यवहार ठीक रहेगा तो हमारा भी ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : यदि प्रतिपक्ष ऐसा करेगा तो बहुत गलत बात होगी।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह हमें आपके ही बीच से पता चला है। हमारे मित्र भी आप में बैठते हैं। उन्होंने बताया कि आपकी स्ट्रेटेजी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उन मुखबिरों को नाम तो बताओ, कौन मुखबिर है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय सदस्य गंगापुर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। बोलिये। आपका समय खतम हो रहा है। दो मिनट में खतम करिये।

श्री दाताराम गुर्जर : रोजगार के क्षेत्र में 46,551 शिक्षकों की भर्ती का प्रयास, इस सरकार ने किया है। यह आज तक भारत देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जिसमें एक साथ इतने शिक्षकों की नियुक्तियों का प्रावधान किसी सरकार ने किया हो।

बिजली के क्षेत्र में गत सरकार के समय किसानों को चार घंटे बिजली मिलती थी। लेकिन इस सरकार ने जो वायदा चुनाव से पूर्व किया, उसको बखूबी निभाया और सात घंटे आज किसानों को थ्री फेस बिजली मिल रही है। इससे राजस्थान का आम किसान खुशहाल नजर आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो इस अभिभाषण का पुनः पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। आज राजस्थान

(श्री दाताराम गुर्जर)

का आम जन-जन सरकार की नीतियों और विकास की गति से खुश है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री केसर देव बाबर-(अनुपस्थित)। श्री दलजीत सिंह।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : माननीय अध्यक्षजी, मैं राज्यपाल के अभिभाषण की प्रशंसा भी करना चाहूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस कारण से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं विपक्ष में बैठा हूं। इस कारण से प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दिस इज विजन लैस।

मैं प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह एक वीजन लेस, डाइरैक्शन लैस डाकुमेन्ट है। इसके अन्दर ना कोई सोच है....

श्री अध्यक्ष : ना कोई ऐसा विचार है।

श्री दलजीत सिंह : ना उसमें कोई विचार है। किस ओर यह सरकार राजस्थान को ले जाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, इस डाकुमेन्ट के अन्दर राजस्थान के अन्दर कोई थ्रस्ट एरिया स्पष्ट नहीं किया गया है। यह तो ठीक है कि आंकडों भरी किताब हो सकती है या हो सकता है कि आपने हजारों किलोमीटर की सड़क बना दी, इतने हैण्ड पम्प लगा दिये पर आप राजस्थान को किस ओर ले जाना चाहते हो, यहां पर आपने अपने आपको बताया नहीं। (व्यवधान)

प्लीज, मैंने आपको सुना है, अब आप मेरे को सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : शांति से सुनें।

श्री दलजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आन्ध प्रदेश ने, कर्नाटका ने एक थ्रस्ट एरिया बताया कि हम आई.टी. की ओर जायेंगे। वे क्यों गये आई.टी. की ओर ? वहां का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर था, उनका एक लैंग्वेज का था, हम नार्दन इण्डिया के अन्दर अंग्रेजी ज्यादा बोलते नहीं है उसका फायदा उठाते हुए वह आई.टी. की ओर गये और हम पीछे रहे गये। हमको यह बता दिया जाए कि

(श्री दलजीत सिंह)

हम एग्रीकल्चर की ओर जाना चाहते हैं, हम ट्यूरिज्म की ओर जाना चाहते हैं, हम इन्डस्ट्री की ओर जाना चाहते हैं। कहां, किस ओर जाना चाहते हैं और जिस ओर हम जाना चाहते हैं हमको उसी ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को हमको पढ़ाना चाहिए और बनाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि जिस ओर हम जाना चाहते हैं, बाकी चीजें आप ध्यान में नहीं रखे। वह तो ठीक है पंचवर्षीय योजना के अन्दर आपको निर्देश, आदेश मिल गये कि आप इतने स्कूल खोलेंगे, आपने स्कूल खोल लिये, इतने सैकड़ों किलोमीटर की आप सड़क बनायेंगे। आपने सड़क बना दी पर एक मां और बाप अपने बच्चों को उसकी काबलियत देखते हुए एक जगह ले जाते हैं, एक स्थान पर ले जाते हैं कि आपको डाक्टर बनना है, आपको इन्जीनियर बनना है कि क्या बनना है, इसी तरह हमको सबको सोचना चाहिए हम राजस्थान को किस ओर ले जाना चाहते हैं ?

मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार सबके आंसू नहीं पौछ सकती है, ज्यादा नौकरियां नहीं दे सकती है। चाहे जितनी मर्जी हम चिल्लाएं कि हम एक लाख नौकरी दे देंगे पर एक बार एक अंग्रेज ने, अंग्रेज का मतलब दूसरी पार्लियामेन्ट के हैं, उसने यह बोला था कि We expect no jobs in the Government but we do expect creation of the jobs in the Government. उसका कहने का मतलब यह है कि हम सरकार से इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं कि आप हम को नौकरियां दो पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बना कर दीजिए जिसमें नौकरियां उपलब्ध हो सकती हैं, चाहे प्राइवेट सैक्टर में, चाहे पब्लिक सैक्टर के अन्दर, चाहे सरकारी या गैर सरकारी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर हर जिले को अपने-अपने हिसाब से कुदरत ने कुछ दिया है, कुछ इन्सान ने दिया है। जब तक हम जिलेवाइज आगे जाकर विकास को नहीं ले जायेंगे और राजस्थान एज ए हाल लेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। कई जगह माइनिंग है, कई जगह एग्रीकल्चर है, कई जगह डेयरी ज्यादा है, कई जगह तैल है उन-उन क्षेत्रों के अन्दर हम

(श्री दलजीत सिंह)

जाकर उसी हिसाब से अपना विकास करें तो राजस्थान का विकास हो सकता है। हम सोच लें कि हम भेड़ किसी और जगह लगा दें, जब भेड़ की पालन कहीं और हो सकता है, यह वाजिब नहीं है।

मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार ने स्कूल नहीं खोली है, मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने सड़कें नहीं बनायीं हैं पर हरेक चीज को बनाने के पीछे एक मंशा होती है, उस मंशा को हमको पूरा करना है। एक-एक एम.एल.ए. आप भी जानते हो और अपने दिल के अन्दर टटोल कर देखो कि वास्तव में जो हमें शिक्षा मिल रही है, हमारे बच्चे आगे बढ़ पायेंगे। प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा दी जा रही है क्योंकि मिडिल स्कूल उपलब्ध नहीं है। अब आपने खोले, धन्यवाद पर मिडिल स्कूल के बाद में फिर क्या। एक सैकण्डरी के लिये किसी बालक या बालिका को दस किलोमीटर दूर जाना पडे तो बालक तो चला जायेगा, बालिका कहां जायेगी। तो जब तक हायर शिक्षा को घर के द्वारा नहीं ले आओगे, आप हरेक पंचायत में नहीं खोलोगे तब तक मैं समझता हूं यह कहना कि हम दस प्रतिशत से साठ प्रतिशत चले गये हैं, हां ठीक है हमने अ आ इ सीख ली, एक, दो, तीन, चार सीख लिया पर उसके बाद में क्या स्कोप है आगे बढ़ने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए उसके बाद क्या स्कोप है।

मैं मानता हूं सड़क बनी है पर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, एक क्षेत्र के अन्दर जो सबसे पिछड़ा हुआ गांव है जहां आज तक मेरे ख्याल से पचास साल में कोई कर्मचारी तक भी नहीं गया होगा क्योंकि वहां सड़क नहीं है, उसका विकास हुआ होगा। तो कोई भी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पहले उसका विकास कियां जाए ताकि वह बराबर आ जाए। वरना क्या होता है, सड़क के किनारे हरेक, हम भी जाते हैं, कोई अधिकारी भी जाता है सड़क के किनारे और दूर-दराज इलाके के अन्दर कौन जाता है, तो वह पिछड़ता हुआ चला जाता है।

(श्री दलजीत सिंह)

जाब्स के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि कई तरीके है, यह कहना कि हम एक लाख नौकरी दे देंगे और हमें कहना कि आपने एक लाख नौकरी नहीं दी, मैं इसको वाजिब नहीं समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, फेमीन के अन्दर हम एक लाख नौकरी दे दें और हम कह दें कि हमने दस दिन की रिटेन्शन दी। ठीक है, एक लाख की नहीं आपने पचास लाख की दे दी पर वो क्या पूरे साल, 365 दिन उस बेचारे गरीब का पेट भर पाओगे। अब राजस्थान में सबसे बडी जो समस्या है और सदियों से चली आ रही है वह है फेमीन ओर पानी, इन दोनों मुद्दों के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फेमीन हमारे हाथ में नहीं है, यह तो कुदरत के हाथ में है, बारिश हो गयी तो फेमिन नहीं हुआ बारिश नहीं हुई तो फेमीन है पर इतने सालों जो हम काम करवाते हैं वहां पर, क्या यह स्थायी रूप के काम हैं, जो काम होने चाहिए फेमिन के, यह नहीं कि मैंने कच्ची सडक बना दी, मैं और आप सब जानते हैं कि किसी लेबर ने तो वह सड़क बनायी नही कोई जे.सी.बी. लग गयी वहां पर करा दिया, एनीकट हो गया तो जे.सी.बी. लगा दी और हाजरियां भरी जाती हैं। मेरा विचार यह है कि फेमीन के समय में जो वाटरशेड बनाये जाये उन-उन जगह के अन्दर पानी उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है कि घर के द्वार फेमीन का कार्य हो। कोई आदमी भूखा मर रहा हो तो वह पलायन कर सकता है दिल्ली को, वह पलायन कर सकता है किसी शहर को कि अपने जिले के अन्दर एक बडा बांध बनाने के लिए, एक बड़ा कार्य बनाने के लिए वहां जाकर उसको नौकरी मिलती है, वो जायेंगे नहीं क्या।

लॉ एण्ड आर्डर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, अच्छी बात है, आपने यहां लिख कर दे दिया कि हमने इतने इनामी डकैतों को मार दिया, इतने लोगों को हमने पकड लिया सवाईमाधोपुर में, करौली में आदि, आदि पर, अध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त का दुर्भाग्य है कि सदियों से चली आ रही डकैती, उसका माहौल, उसका वातावरण जो करौली और धौलपुर में है आज तक हम उसे मिटा नहीं पाये हैं और जब तक हम उस वातावरण को नहीं मिटा पायेंगे

(श्री दलजीत सिंह)

तब तक हम अपनी कानून व्यवस्था को सफल नहीं दिखा पायेंगे। उन क्षेत्रों के लिए और क्षेत्रों से अलग हमने क्या व्यवस्था की है, कुछ नहीं। एक उदाहरण के नाते मजबूरी से मैं अपने क्षेत्र को लेना चाहता हूं। पुलिस स्टेशन के नीचे फैक्ट्रियां हैं, आये दिन वह बन्द हो जाती है, कोई एफ.आर.आई. दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह जानते हैं कि बिना डकैत के चिन्ह दिये हुए पुलिस भी नहीं खोल सकती है। यह पुलिस थाने के नीचे है। अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त करें।

श्री दलजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण के नाते एक वातावरण की बात बता रहा हूं डकैती की। कोई चार पांच महीने पहले हमारा बाडी नगर का जो चैयरमेन है उसको गिरफ्तार किया गया। ठीक है उसने जुर्म किया होगा, गिरफ्तार किया उसमें कोई ऐतराज नहीं पर उसे जो सीधा कचहरी ले जा सकते थे आपने बीच बाजार जो एक नामी डकैत को भी आप नहीं ले गये उनको हथकडी में आप ले गये और यही नहीं उसकी जमानत के बाद भी आप हथकडी से वापस ले गये। यह क्या तरीका है ? तो क्या सन्देश गया उस एरिया के अन्दर कि एक नगरपालिका के अध्यक्ष के साथ यह हो सकता है और डकैत के साथ नहीं हो सकता है, इस वातावरण की बात मैं कह रहा हूं आपसे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अध्यक्षजी कि यह किसी मंत्री का कसूर है। आखिर वह किसी भी सरकार में बैठा होगा, अपने मंत्रालय के ऊपर हरेक चीज के लिए दोषी नहीं होता है। पर यदि कोई ऐसी बातें आती हैं और उसके ऊपर वह कुछ करते नहीं है तो उतना ही दोषी वह है जितना जिसने यह गुनाह किया उतना ही।

एक बात और कहना चाहता हूं। यहां बलात्कार की बात की गयी है कुछ महीने पहले पहली बार आपने सुना होगा एक बच्चा था ग्यारह साल का बच्ची नहीं, बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद में उसको मार दिया गया। मैं एस.पी. के पास गया, मैंने कहा साहब ठीक है आपको सूझ नहीं पड़ रही है

(श्री दलजीत सिंह)

पर इससे आपका डी.एन.ए. तो निकल आएगा जिनके ऊपर आपके सस्पैक्टस हैं, इसको डी.एन.ए. के लिए भेज दो। मैं माफी चाहता हूं पर आठ महीने निकल गये उस डी.एन.ए. की रिपोर्ट आज तक नहीं उपलब्ध हुई। तो क्या वातावरण, क्या सन्देश आप देना चाहते हो ऐसे माहौल में ? इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि हम एक ऐसा वातावरण बनाएं चाहे स्कूलों में, चाहे कालेज में जहां हम शिक्षा पढें, ऐसे वातावरण में पढें जहां हम आगे जाकर पढें यह नहीं कि हम अट्ठारवीं, सौलहवीं शाताब्दी की जैसे हमारे बच्चे जमीन पर पढ़ रहे हैं। न कोई किताब, न कोई मेज, न कोई चीज, यह कब तक हम ऐसे झेलेंगे।

पानी पीने के लिए हैण्ड पम्प से पूर्ति नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं आखिर में पानी के लिए जितने भी हमारे डैम उपलब्ध हैं, जितने भी एनीकट्स उपलब्ध हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें आप।

श्री दलजीत सिंह : उनको हम यूठिलाइज करें पानी पीने के लिए। काश्तकारों के लिए उतना पानी दीजिए उसको बन्द मत करिये पर आप उस बांध को मेहरबानी करके सूखा मत करिये। कोई पता नहीं है कि अगले साल बरसात होगी या नहीं होगी या कितनी होगी तो कम से कम एक लेवल रहना चाहिए उसमें। इन चीजों की ओर हमको ध्यान करना है और जहां पानी उपलब्ध है उन जगहों के अन्दर हम पानी बचाने की कोशिश करें चाहे हमारा पूरा बजट उसमें चला जाए क्योंकि इन्सान बिना सड़क के जी सकता है, रोटी और पानी के बिना वह नहीं जी सकता है। तो हमको अपने देश को, अपने प्रान्त को आगे ले जाना है, हमको ऐसी-ऐसी चर्चाएं यहां पर करनी चाहिए। ख्वामखां छोटी-छोटी बातों में उलझ जाते हैं, घंटे निकल जाते हैं। मैं समझता हूं राजस्थान में यह परम्परा नहीं है। जब आप थे इस पक्ष में तो आप हल्ला कर रहे थे। विपक्ष में आ गये तो हम हल्ला कर रहे हैं। ऐसे शांतिपूर्वक हम यह निकालें। मुद्दों के ऊपर हम लड़ें, छोटी-छोटी बातों पर हम नहीं लड़ें। इन

(श्री दलजीत सिंह)

बातों को कह कर एट दी एण्ड आई वुड लाईक टू से आपने बड़ी-बड़ी बातें की हैं कि आपने कितने चुनावी....

श्री अध्यक्ष : आपने दो ही मिनट तो मांगे थे।

श्री दलजीत सिंह : एक मिनट, बस इतने में ही खतम कर रहा हूं। आपने बड़ी-बडी बातें की है कि कितने लोकसभा में जीते, विधान सभा में जीते, फलानी जगह पर जीते पर इतना फील गुड मत होओ नहीं तो आपने अपने फील गुड का परिणाम लोकसभा में ही देख लिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए समर्थन तो करता ही हूं मैंने पहले ही कहा था इस बात के लिए जहां अच्छे काम सरकार करती है निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूं और खुलकर के समर्थन करता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं होता लेकिन जहां गलतियां हम करेंगे तो मेरा फर्ज वह यह बनता है कि उसके लिए सुझाव भी मैं रखूं और जिसके लिए सुधार की भी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तेरह महीने के इस शासन में जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शासन सम्भाला और जो विजन राजस्थान के लिए उन्होंने दिया उस समय राजस्थान के विकास की एक सोच उन्होंने रखी और उस सोच के तहत काम करने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूं काफी स्तर पर वह प्रयासों में सफलता हासिल कर पाए हैं। बहुत दिनों से बातें चल रही हैं, चार दिन से इसमें बहस हो रही है। पक्ष और विपक्ष की बातें आ रही हैं और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होता कि जहां अच्छे काम होते हैं उन अच्छे कामों का और उन अच्छे काम करने वालों का सम्मान किया जाना चाहिए लेकिन जहां गलतियां हैं हमारी उन गलतियों का सुधार अगर हम नहीं करेंगे तो निःसन्देह आगे आने वाले समय में जो लाभ हम प्रदेश को देना चाहते हैं वह नहीं मिल पाएगा।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

यहां अन्य बातों पर समय बरबाद करके जब सार्थक बहस का समय निकाल दिया जाता है, बडी पीड़ा होती है इस बात के लिए साढ़े पांच करोड़ की जनता ने जो जन प्रतिनिधि यहां भेजे हैं, जनता के हित के विषय के ऊपर यहां सार्थक बात करने की आवश्यकता होती है और कई बार जो यह देखने को आता है कि जो सबसे बड़ा गम्भीर विषय होता है उसको हल्ला गुल्ला करके खतम कर दिया जाता है। उसका जो एक जवाब आना चाहिए, जो एक दिशा तय होनी चाहिए व दिशा बदल दी जाती है।

अभी बलात्कार का मामला चल रहा था, मैं यह कहना चाहता हूं इस बात के लिए कि अपराध तो कभी भी हो सकते हैं और किसी भी सरकार के समय हो सकते हैं। गोलीकाण्ड की जहां तक बात चली, गोलीकाण्ड पहली सरकारों में भी हुए हैं और अब की बार भी हो गये लेकिन यह दोनों विषय इतने बड़े गम्भीर हैं कि अगर इन पर सार्थक बहस की जाती तो मैं समझता हूं प्रदेश के लिए और जिन लोगों के हित के लिए हम बात कर रहे थे उसमें कुछ न कुछ सार्थक रास्ता निकलता।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी और सरकार को यह कहना चाहता हूं कि अपराध करने के बाद अपराधी को पकड़ना और अपराधी को सजा दिलवाना अलग-अलग पहलू हैं लेकिन अपराध के पहले प्रशासन की मुस्तदी, प्रशासन की संचेतना और प्रशासन को उन अपराधों को रोकने के प्रति काम करना अलग विषय है। इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी और मुख्यमंत्रीजी से मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार के अधिकारियों को उनकी संवेदनशीलता को मजबूत करने की जरूरत है और जहां पर भी जिन अधिकारियों की लापरवाही है, जिनकी गलतियां है उनको निश्चित रूप से पनिशमेन्ट देना चाहिए तब जाकर के हम उन अपराधों को रोकने की स्थिति में आ सकते हैं। घड़साना का गोलीकाण्ड हुआ, बहुत कुछ बहस हुई, मुझे इस बात से नहीं, मैं भी किसान परिवार का बेटा हूं, जिस दिन गोलीकाण्ड हुआ था उसी दिन से मेरा भी खून जल रहा है। इसलिए जल रहा है कि वह मरने वाले किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति, किसी के पिता थे। किसी भी सरकार की गोली अगर उसी सरकार के जनता के ऊपर चलती है मैं उसको कभी भी अच्छा नहीं मानता।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

कई बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे इस गोलीकाण्ड को बचाया जा सकता था। बहुत कारण ऐसे हो सकते हैं कि उनको रोका जा सकता था। पहली सरकारों के समय भी कुछ गोलीकाण्ड इस प्रकार के हो गये कोई भी सरकार रहे सत्ता में लेकिन उसको अधिकार नहीं होता कि किसी को मार दिया जाए। आत्मरक्षा में गोली चलाना और केवल उस बात से पीछा छुडा लेना यह एक अपने आपको बचाने की स्थिति है।

लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत गम्भीर बात है कि इस प्रशासन की संवेदनशीलता अगर रहती है तो निश्चित रूप से जनता के हमारे जन प्रतिनिधियों की संवेदशीलता रहेगी तो उस क्षेत्र के अपराधों की रोकथाम हो सकेगी लेकिन ऐसा देखने में आया है कि हम जानबूझकर उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से वाकिफ होते हुए भी अपने आपको केवल बचाकर के दूर कर लेते हैं और घटना घट जाती है। घटना घटने के बाद शासन का काम है, प्रशासन का काम है, उनको पकडना, सजा देना यह तो अलग है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा जहां तक क्षेत्र के विकास की बात है जिस प्रकार से विद्युत के मामले में सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट करने का जो प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया पिछले काफी सालों से मैं देखता आ रहा हूं, पिछले पांच सालों में और पिछले दस सालों में जो किसानों को कनेक्शन नहीं दिये गये वह पिछले एक साल में पिछली जुलाई, 2003 से 2004 के बीच दिये गये। मेरे खुद के क्षेत्र में मैं यह कह सकता हूं कि पिछले पांच सालों में जो विद्युत के कनेक्शन जारी नहीं हुये थे वह पिछले एक साल में जुलाई, 2004 तक के कनेक्शन जारी कर दिये गये किसानों को। एक बहुत बडा काम किया गया है। सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट के लिए अलग-अलग सब-स्टेशन खोलकर घर के दरवाजे तक 200 वोल्टेज की बिजली पहुंचाने का काम करने का प्रयास किया गया है। उसमें कमियां हो सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन उनको सुधारने के लिए सरकार को काम करने की बहुत जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों की जहां तक बात है, मेरे क्षेत्र में साढे आठ करोड़ रुपये की सड़कें स्वीकृत हुई है। जो पिछले काफी समय से वंचित क्षेत्र थे और उनके लिए काम नहीं हो रहा था वह अब हो रहा है।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक स्कूलों की बात है, 19 प्राइमरी, 8 मिडिल स्कूल, 2 सैकण्डरी और 1 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली गयी ओर कम से कम 82 लाख का बजट स्वीकृत करके वहां पर भवन बनाये गये।

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी ज्वाइन करोगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : बी.जे.पी. ज्वाइन करूं या कांग्रेस ज्वाइन करूं। यह तो मेरा अधिकार है और निर्दलीय रहकर जो मैं काम कर रहा हूं वह बी.जे.पी. के क्षेत्र में रहकर कर रहा था ना कांग्रेस के रहते हुए आप कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल : आपको कुछ तकलीफ हो रही है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : यह मेरा क्षेत्र है, यह मेरा अधिकार है। जहां तक बोलने की बात है।

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : आप इस बात को नहीं चैलेन्ज कर सकते हैं। जो काम हुए हैं उनको नकारना केवल उस बात से पीछे हटना है।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से बिजली के मामलों में किसनों को बड़ी बड़ी बातें पिछले समय से कही जाती रही हैं और किसानों की जो बदतर हालत हुई है। पिछले एक साल के अन्दर किसान को घर के दरवाजे तक वे सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो प्रयास किया गया है यह अपने आप में अनुकरणीय है। सुनने की भी हमें जरूरत है और हमें सीखने की भी जरूरत है। यह हालात क्यों हो गये। अभी तीन दिन से मैं सुनता आ रहा हूं। बी.जे.पी. ने इतने जीत लिये, कांग्रेस ने इतने जीत लिये। मैं निर्दलीय आदमी हूं और मेरे क्षेत्र में 8 निर्दलयी प्रत्याशी पंचायत समिति के चुनाव जिताकर के लाया हूं।

श्री ओम बिरला : बड़ी निष्पक्ष बात कही है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : लेकिन उसके बावजूद मैंने यह देखा कि सरकार काम करना चाहती है तो सरकार का सहयोग करने के लिए वहां मैंने

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

भाजपा का प्रधान बनवाया। पंचायत समिति विराटनगर में निर्दलीय जीते तीन आदमी, उसके बावजूद मैंने तीनों आदमियों को साथ लिया, भाजपा का प्रधान पंचायत समिति विराट नगर में बनवाया। मैं बताना चाहता हूं कि काम करने में, काम बताने में और जो हो रहे हैं उसके लिए सम्मान करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं तो यहां तक और कहता हूं कि शासन, प्रशासन में ऐसे जो अधिकारी काम बढ़िया करने वाले हैं उनको भी प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या गलत कामों में लिप्त हैं उनके खिलाफ पूरी ताकत के साथ उनको सजा दिलानी चाहिए। जो राम राज की बात बोलते हैं वह बहुत बड़ी बात हो सकती है लेकिन समानता की बात और अन्य न्याय की बात जो आनी चाहिए एक क्षेत्र के अन्दर वह तब कायम हो जायेगी जब हम सहायता के साथ शासन और प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष : दस मिनट का समय आपको दिया गया है। एक मिनट में आप कनक्लूड करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश की पालना में मेरी बात को कनक्लूड करते हुए निवेदन कर रहा हूं....

श्री ओम बिरला : यह निष्पक्ष बात कह रहे हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह चाहे सुझाव के रूप में लें। पिछले कुछ समय से कृषि उपज मण्डियों की आय, सरकार का एक प्रावधान है कि 75 प्रतिशत राशि उसी क्षेत्र में खर्च की जाये जिन मण्डियों से पैसा इक्ट्ठा किया जाता है, वह चाहे प्रभाव में रहे हों, चाहे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों के कारण रहे हों। वह पैसा उन मण्डी समितियों के क्षेत्र में ना लगकर अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जाता रहा। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सारी मण्डियों का पैसा उसी क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए ताकि वहां के किसानों को जो लाभ हो सकता है जिससे वे वंचित हो जाते हैं उनको वह मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक फसल बीमा की बात करते रहे हैं। माननीय कृषि मंत्रीजी इस सदन में जितने भी लोग हैं वह सारे किसानों के

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

परिवार से, कुछ को छोड़कर के आते हैं। हम किसानों के बारे में बहुत बात करते हैं। किसानों की बड़ी-बड़ी बात सब तरफ़ से कहते रहे हैं। लेकिन कई बार देखने में यह आया है कि किसान की जो वास्तविक पीडा है उसको सुनने, समझने और उसका समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। किसानों को जिस प्रकार फसल बीमा दिलवाया जा रहा है। उसका विस्तृत रूप किया जाये। आज 100 गज जमीन पर फैक्ट्री लगाने वाले व्यापारी को जब उसका पूरा मुआवजा देने की व्यवस्था होती है। उसका पूरा बीमा हो सकता है एक लाख रुपये, दस लाख रुपये तक का मुआवजा मिल जाता है। किसान को उसकी फसल का जो वास्तविक मुआवजा है वह भी नहीं मिल पाता। इसको एक विस्तृत दायरा देने की जरूरत है। दूसरा, इसमें पशुधन को, किसान के तो दो ही धन हैं। एक पशु धन और एक फसल धन और दोनों ही खुले में रहते हैं। आसमान के नीचे खुले में रहने वाले धन वह केवल किसान का है और उसके ऊपर 24 घंटे खतरा मण्डराता रहता है। एक किसान का एक भी पशु मरता है तो 20 हजार रुपये की चोट उसके दिल पर बीतती है। साल भर में उसकी की हुई मेहनत खतम हो जाती है। उस पैसे का कोई बीमा नहीं हो। पशु के मामले में कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में जरूर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्रीजी से मैं प्रशासन की संवेदनशीलता, पुलिस के इतने संवेदनशील अधिकारियों को गांव के अन्दर यह तय किया जाये कि थाने में जाने वाले लोगों से बात पूर्ण रूप से सुनकर के सही तरीके से उसको जस्टिफाई करके काम किया जाना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि थानों की

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

अवहेलना से केस की गम्भीरता बढ जाती है जिसका खामियाजा सरकार के मंत्री तक को भुगतना पडता है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा और इस बात का समर्थन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। श्री रणधीर सिंह भीण्डर। नहीं हैं क्या ?

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, हैं।

श्री अध्यक्ष : कागज बन्द कर लिये थे ? बन्द कर लिये थे तो कोई बात नहीं। कागज बन्द कर लिये आपने।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : मैंने सोचा अब नम्बर आयेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : दस मिनट का समय है। दस मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि मेरे जैसे नये सदस्य को बोलने का मौका दिया। मैं हमारे माननीय सदस्य कालीचरणजी ने जो प्रस्ताव रखा उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारे एक साल के कार्यकलाप का लेखा-जोखा है और इस एक साल के फ्लेश बैक में हम जायें तो हमें यह जानते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने जो वायदे किये थे। हमने एक संवेदनशील सरकार देने का वायदा किया था, उस वायदे पर हमारी सरकार ने खरा उतरने का प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो दिन से जो बहस चल रही है उसमें इनके सदस्यों ने सरकार पर कुछ आरोप लगाये। लेकिन संवेदनशील विकास के काम के जो मापदण्ड होते हैं, एक दो स्टेटिक्स होते है उस पर हम नहीं जायें तो आम आदमी को तकलीफों से मुक्ति दिलाये उस सरकार को हम संवेदनशील सरकार कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या के बारे में पिछली सरकार के टाइम पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी बुरी हालत थी। इस बार जब हम सत्ता में आये तो लोगों की हमसे बडी अपेक्षाएं थी। मैं आपको बताऊं कि मेरे

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

विधान सभा क्षेत्र में जल स्तर इतना नीचे उतर गया कि हैण्ड पम्प तक सूख गये थे लेकिन इस गर्मी में हमारी सरकार ने 566 टैंकर एक तहसील में लगाये। एक कीर्तिमान स्थापित किया। आज तक ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उन फले, ढाणियों में बिजली पहुंचाने का कार्य किया जिन्होंने आजादी के 60 साल बाद भी उजाला नहीं देखा। मेरी तहसील में करीब आठ फले ओर आठ ढाणियां ऐसी थी जहां पर बिजली पहली बार हमने पहुंचायी है। किसानों की बात हम सभी लोग करते हैं। कांग्रेस के लोग भी, हम लोग भी। कई सालों से किसानों से वोट इसी आधार से ले रहे हैं कि हम आपका कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन पहली बार किसी सरकार ने प्रयास किया है। किसानों के लिये कुछ किया जाये। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां बड़े किसान नहीं हैं, छोटे किसान हैं। जिनकी होल्डिंग छोटी है, एक बीघा, डेढ बीघा, सात बीघा, यह होल्डिंग है और बिजली के डिमाण्ड आते थे डेढ-डेढ लाख, दो-दो लाख के। इस सरकार ने पहली बार प्रयास किया और बिजली के कनेक्शनों को इतना सस्ता किया कि तीन होर्स पावर का कनेक्शन साढ़े सात हजार में और पांच होर्स पावर का कनेक्शन साढ़े बारह हजार रुपये में दिया जाएगा। पहले की सरकार के समय में छोटा किसान हिम्मत नहीं कर सकता था लेकिन सरकार की पहल के कारण छोटे किसान भी बिजली का कनेक्शन लेने की हिम्मत कर सकता है। किसानों के लिए पूर्व सरकार ने आठ घंटे बिजली देने की बात की थी लेकिन हम जब गांवों में जाते थे तो लोग कहते थे कि दो घंटे, तीन घंटे भी बिजली नहीं आती। अब की बार हमारी सरकार ने सात घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया और लगातार सात घंटे बिजली गांवों में उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जो एक उपलब्धि है।

हमारी सरकार ने किसानों को उचित मूल्य मिले इसके लिए बाजार हस्तक्षेप योजना भी चालू की है, क्रेडिट कार्ड भी अबकी बार खूब वितरित करवाये हैं।

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर चुनावों की बडे जोरों से चर्चा हो रही थी और लोग कह रहे थे कि वह पार्टी हारी है, हम जीते हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि नगरपालिका चुनावों में कानोड़ नगरपालिका में 15 में से 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और यह एक रिकार्ड है। मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को एक चैलेन्ज देना चाहता हूं कि ऐसा रिकार्ड आप तोडकर बताएं कि 15 में से 15 वार्डो में वापस लाकर बताएं।

कानून और व्यवस्था की बात बहुत जोरों से कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि यह नहीं किया, यह नहीं किया। मैं दो दिन से ये बातें सुन रहा हूं और देख रहा हूं, गृह मंत्रीजी आपने जो मुद्दे उठाये उन पर वे पहले से तैयारी करके आए हैं उन्होंने पहले से ही कार्यवाही कर रखी थी। जबकि आपके गृहमंत्री के खुद के घर के नौकर की हत्या हो गई और उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाये। आप लोग जो यह बात कर रहे हो कि कानून और व्यवस्था बिगड़ी है।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : अब तो जेल जाने की तैयारी हो रही है।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : कानून और व्यवस्था की बात करने वालों को मैं बताऊं कि उनके गृहमंत्री के खुद के क्षेत्र में एक कालबेलिया प्रकरण हुआ था, कालबेलियों को एक थानेदार ने थाने में नचाया था। जब हमने उसको सस्पैण्ड करने के लिए कहा तो उसको सस्पैण्ड नहीं किया उसको पदोन्नति देकर डीवाई.एस.पी. बना दिया, ऐसे इनके गृहमंत्री थे। जो हमको चैलेन्ज कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है।

हमारी सरकार संवेदनशील है, सारे लोगों को पढ़ाना चाहती है। हमने कितने स्कूल खोले हैं उसमें मैं पूरा नहीं जाना चाहता। हमने चिकित्सा सुधार की व्यवस्था की है। हमने नई सड़के बनाई हैं और अकाल राहत कार्य एक दिसम्बर से चालू कर दिये। आप लोग तो मई-जून में अकाल राहत कार्य शुरू करते थे।

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

हमारे मेवाड़ में एक कहावत है कि कांग्रेस और काल का जोड़ा है। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। मेरे उदयपुर जिले में अब की बार वसुन्धराजी आई और बारिश आई, जहां-जहां कांग्रेस के एम.एल.ए. जीते वहां बारिश नहीं आई, बाकी पूरे क्षेत्र में आई। चाहे आप सराडा को ले लें या गोगुन्दा को ले लें, इन दोनों ही जगह पर बारिश नहीं आई, बाकी पूरे उदयपुर जिले में बहुत अच्छी बारिश आई।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : नाथद्वारा भी उदयपुर में आता है, वहां बरसात खूब हुई है।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : नहीं हुई है।

डा. सी.पी. जोशी : पूछ लें बंशीलालजी से, पानी पिला रहे हैं या नहीं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन मंत्री) : वह तो सारी शिवजी महाराज की कृपा है।

डा. सी.पी. जोशी : वह तो आपके गांव में आई थी इसलिए हुआ है, बाकी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से अभिभाषण पर यहां बहस चल रही है लेकिन किसी ने भी माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद नहीं दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को सभी विधायकों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी विधायकों को कम्प्यूटर दिए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी समय सीमा बांध दी है पर माहिर आजाद साहब यहां नहीं है, उनका क्षेत्र कौनसा है, मैं यह नहीं जानता...

श्री अध्यक्ष : अब रहने दो।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : नगर के हैं। वे काफी शेर सुना रहे थे तो मैं भी एक शेर सुनाकर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

"हमको दुश्मन की नजर से देखा न कीजिए,

प्यार ही प्यार है, हम पर भरोसा कीजिए"

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : जुबेर खानजी, आप सुन लीजिये, आगे कह देना।

श्री जुबेर खान : शेरों शायरी का डिपार्टमेन्ट माहिर साहब के पास ही है, मैं तो कविता ही सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। पांच मिनट का समय है, केवल पांच मिनट का।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रशंसा करते हुए पूरा-पूरा समर्थन करती हूं। मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धराजी की प्रशंसा इसलिए करती हूं कि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। इनके पांच साल की सरकार में जोधपुर शहर में कहीं कोई काम नहीं हुआ। अब उनको यह बात बर्दाशत नहीं हो रही है और बात गले नहीं उतर रही है कि हमने 13-14 महीनों में ही इतना विकास किया है जो इनकी पांच साल की सरकार में नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पांच मिनट का समय दिया है। इसलिए मैं पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धराजी ने जो यश प्राप्त किया है और सूरज की तरह से चमकी हैं वह इनके गले नहीं उतर रहा है। पिछली सरकार ने जब भी कोई बात आई तो यह कह दिया कि हमारा खजाना खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है मगर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धराजी ने कभी यह नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, उन्होंने विकास की जो गंगा बहाई है उसकी मैं पूरी-पूरी प्रशंसा करती हूं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मैं दो-चार बातें कहना चाहती हूं क्योंकि समय नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जहां से मैं निर्वाचित होकर आती हूं वहां की भौगोलिक स्थिति है कि तंग-तंग गलियां है, स्टेट के टाइम का बसा हुआ शहर है, उसमें ज्यादा विकास होने की गुन्जाइश नहीं है। तंग गलियों में लोग पानी के अभाव में भारी तकलीफ में आ गए थे, पानी मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। जब इस बारे में मैंने वसुन्धराजी से बात की तो उन्होंने वहां ऐसी व्यवस्था की कि मुझे हर बात की रिपोर्ट मिल जाए कि कहां-कहां पानी नहीं आ रहा है, यह बड़ी भारी बात है। मैंने कहा कि देंखे कि गलियों में पानी क्यों नहीं आ रहा है। मिरची बाजार में चट्टानियों की गली है उसमें पानी से सात मकान ढह गए, वहां पानी इसलिए नहीं आ रहा था कि स्टेट के टाइम की जो पाइप लाइन डली हुई थी वह सड गई थी और वहां सुरंग बन गई थी। मैंने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धराजी से टेलीफोन पर निवेदन किया तो उन्होंने तुरन्त जलदाय विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा इनको दो और तुरन्त शहर की गलियों की पाइप लाइन को ठीक करवाया जाए। यह बहुत बडी बात है। अध्यक्ष महोदय, तुरन्त 40 लाख रुपये सैंक्शन हुए और वहां काम शुरू हो गया। आज की तारीख में वहां पाइप लाइन का काम चल रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : सूर्यकान्ताजी, इससे तो यह पता चलता है कि पाइप लाइन डलवाने के लिए भी मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान न डालें। यह बडी खराब आदत है आपकी, जब चाहे बीच में खड़े हो जाते हैं आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप चिन्ता मत करो। मैं आपके बारे में भी बात करूंगी, तसल्ली रखो, मैं आपकी बात भी बोल रही हूं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : जैसे आपको टिकट लेने के लिए सोनियाजी के पास जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, आसन ग्रहण कीजिए। इनकी तो आदत पड़ गयी है, सभी को बीच में टोकने रोकने की, आप बोलो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रही हूं कि पूर्व सरकार ने यह काम नहीं किया और हमारी सरकार ने यह काम किया, सारे लोग अपनी-अपनी बात कह रहे हैं पर मैं सौ बातों की एक ही बात कहना चाहूंगी कि इनकी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जो जोधपुर के थे, हमें गर्व था कि हमारे जोधपुर का आदमी मुख्यमंत्री है मगर मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि 2003 में नवचौकिया में जो हास्पिटल है, जो डिस्पेन्सरी कहलाती है। वहां पर उन्होंने उदघाटन कर दिया और मैं अभी वहां जाकर देखकर आई हूं कि वहां पर कुछ नहीं है सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम का पत्थर लगा हुआ है। मैं बिलकुल आत्मा की आवाज से कह रही हूं, वहां की जनता कह रहीं है, वहां की औरतों ने मेरे सामने रोना रोया है कि हम इतनी दूर से आते हैं और यहां कुछ नहीं मिलता है। हालांकि वहां पूरे डाक्टर है, सब मुझे मिले इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन वहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए मुझे तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष : आपने दोनों मुख्यमंत्रीयों की तुलना कर दी, बस अब बहुत है, ठीक है, अब आप विराजो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं तो काम की बात करती हूं, मेरी बात तो आपको सुननी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजो, आसन ग्रहण करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जब वहां के लोगों ने यह कहा (व्यवधान) अभी तो दो मिनट ही नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आपका समय हो गया 5 मिनट। अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : 5-7 मिनट तो आपने कहा ही है। राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी ने चिकित्सकों को और हैल्थ मिनिस्टर को एक टीम लेकर बाहर भेजा। पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री ने कभी यह भी नहीं सोचा। भैरोसिंहजी की सरकार में पूर्व हैल्थ मिनिस्टर राजेन्द्रजी राठौड़ यहां पर विराजमान हैं, इन्होंने नवचौकी के अन्दर जो डिस्पेन्सरी है वहां पर एक डाक्टर की सुविधा की, क्योंकि वहां कन्जस्टेड जगह है...

श्री अध्यक्ष : अब आपने अपनी बात कह दी। अब समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : ऐसे मत करो। अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने दो। मैं अपनी बात तो कहूंगी। आज मुझे थोड़ा बोलने दो आप।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रजी की तारीफ पहली बार हो रही है। थोडा तो बोलने दो। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : वहां पर भी व्यवस्था की। सारे डाक्टर हटा दिये गये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : भूतपूर्व मुख्यमंत्रीजी के बारे में सुनाया जा रहा है थोड़ा और टाइम दो।

श्री अध्यक्ष : आपने 5 मिनट का समय मांगा था, आपको 8 मिनट हो गये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : दो मिनट ही नहीं हुए। मैंने मेरी बात भी कुछ नहीं कही।

श्री अध्यक्ष : ऐसे नहीं करते। आपने दोनों मुख्य मंत्रियों की तुलना कर दी, आपने जोधपुर की सारी बातें कह दीं अब और क्या कहना चाहती हैं आप ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, कोई बात तो कहने दो।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रजी राठौड़ की पहली बार थोड़ी तारीफ हुई है, थोड़ी-सी करने दीजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं। (व्यवधान) आप मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री और उनको उकसा रहे हो। आप मंत्री लोगों का यही काम है क्या ? आप और उकसा रहे हो उनको। आपने मुझसे 5 मिनट का समय मांगा था, आपकी टर्न भी नहीं थी, आप एबसेन्ट थीं, मैंने आपको समय दिया। अब आप गलत बात कर रहीं हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री के बारे में हाउस में कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बात समाप्त करें, (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : एक मिनट मेरे बारे में।

श्री अध्यक्ष : यह बात गलत है। आपने तो तमाशा बना दिया। क्या कर रहें हैं आप मंत्री लोग ? आप मंत्री लोग यह क्या करते हैं ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एशियन डवलपमेन्ट बैंक का जो काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी भारी बात बता रही हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर जालौरी गेट से फतेहपोल तक इस सरकार ने करोड़ रुपये की सड़क बनवायी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : वह एशियन डवलपमेंट बैंक की वजह से या तो महाराजा उम्मेद सिंहजी ने सड़क बनायी या वसुन्धराजी की सरकार ने सड़क बनवायी है। मैं उसके लिए सी.एम. साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप अपनी बात समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अब आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो क्या करें।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : खैर, आपने जितना समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, ऐसी हठधर्मी ठीक नहीं है। मैं तो अब तक यह समझती थी कि जो और माननीय सदस्य हैं ये ही शायद इस आसन की अवहेलना करते हैं, लेकिन मुझे पता लगा आप भी उससे पीछे नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैंने मेरी भावनाएं प्रकट की हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ममता शर्मा। माननीय सदस्या, एक बात याद दिला दूं 6 बजे प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे और अब 6 बजने में 16 मिनट है। आपको 6 मिनट का समय है, 6 मिनट में आप अपनी बात कह दें।

श्री संयम लोढ़ा : हमारी इकलौती शेरनी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप यह कहकर कि वो भी शेरनी है, आप खामख्वाह में सबको यह कर रहें है, यह क्या तरीका है आपका ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह एक्सपंज करें। माननीय सदस्या को शेरनी कहा है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय सदस्या को शेरनी कहा है। शेरनी कैसे कहा ?

श्री जुबेर खान : टाइम वैसे ही कम है, क्यों खराब कर रहे हैं ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : फिर शेर कौन है ?

एक माननीय सदस्य : शेर तो मिल ही नहीं रहे, शेरनी कहां से आ गई ?

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीगणों को क्या हो जाता है आप बात को मखौल नहीं बनाएं, सदन की गम्भीरता बनाए रखें, बात को मखौल से बनाएं।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चलते चौथा दिन है, लेकिन देखने को यह मिला कि किसी ने भी इस बहस में कुछ एचिव नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आप कर लीजिए, आपके लिए छोड़ रखा है।

श्रीमती ममता शर्मा : उधर के भी सदस्य और इधर के भी सदस्य, बात को गम्भीरता से लेने में मुझे असमर्थ नजर आये। बहुत गम्भीर मामला

(श्रीमती ममता शर्मा)

है। आज हमें विचार करना होगा कि हमारा राज्य कैसा हो, अमन चैन हो, खुशहाल हो, सेहतमंद हो और गरीबी कैसे हटे। खास बात यह है कि गरीबी कैसे हटे। किसान, मजदूर, व्यापारी, वैज्ञानिक, शिक्षक हमारे प्रान्त की रक्षा करें, प्रान्त को उन्नत करने में पूरा-पूरा सहयोग दें, हमारी नीयत होनी चाहिए।

सरकार द्वारा दावा किया गया है कि चहुंमुखी विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए हमने 6 प्राथमिकताएं तय की हैं। गरीबी, कुपोषण, भूख से मुक्ति, अशक्त महिलाओं को संबल, शिक्षा, चिकित्सा हर क्षेत्र में राज्य के विकास को गति देने का दावा है, लेकिन देखने को यह मिल रहा है ऐसा दावा किया है वह सच नजर नहीं आ रहा है। हमारे देश में, हमारे राज्य में थ्री टीयर सिस्टम, जो पंचायत राज का है, जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें। सैक्शन नम्बर 9 के तहत पावर का डिवोल्युशन बहुत जरूरी है। यह हस्तान्तरण जो भी हो संवैधानिक हो, कानून के तहत हो। जब पावर का दुरुपयोग होता है तो दुष्प्रवृत्ति बढ़ती है और जब दुष्प्रवृत्ति बढ़ती है तो राज्य के विकास में स्टेगनेशन आता है और वो स्टेगनेशन आज देखने को मिल रहा है। यह सब जिम्मेदारी हम राजनैतिक दलों की है, किसी एक की नहीं है। राजनीति बीमार हो चुकी है। मैं तो यह कहूंगी पोलुटेड हो चुकी है। जिसके कारण हम विकास को गति नहीं दे पा रहे हैं।

मध्यकाल में जड़ता नहीं थी। वो क्यों नहीं थी क्योंकि जितने भी राजनैतिक दल थे वो किसी लक्ष्य को लेकर, किसी ऐम को लेकर सामने आये थे। वो चाहते थे कि राज्य आगे बढ़े, राज्य में कुछ हो, कुछ विकास हो।

दो दिन से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं राज्य में विकास पता नहीं चरम सीमाएं छू रहा है। हम भी सुन रहे हैं, लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं पिछले 40 वर्षों में क्या भाखडा-नांगल आपने बनाया, क्या चम्बल आपने बनाया, क्या गंग नहर आपकी देन थी ?

श्री अध्यक्ष : भाखड़ा नांगल यहां कहां है ?

श्रीमती ममता शर्मा : यह सब कांग्रेस की देन थी चाहे राजस्थान हो, चाहे देश हो। श्रीमती गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाये, 30 साल हो गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यहां विराजमान हैं, मैं एक छोटा-सा शेर गरीबी के ऊपर सुनाना चाहती हूं "आज भी एक भीड ऐसी है जिसके रोटी के ख्वाब होते हैं" लेकिन उस भीड को रोटी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। (व्यवधान) यह शेरनी का शेर है। हमारा कर्तव्य राष्ट्र को जागरूक करना है, आर्थिक चेतना देना है, जीवन शैली को उन्नत बनाने के लिए वैज्ञानिकों का सम्मान करना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद भी दूंगी कि उन्होंने नॉलेज कोरीडोर की बात की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेन्टेशन पूरी तरह से हो, यह भी हम चाहेंगे। आपने समय की सीमा को बान्ध दिया है इसलिए मैं कहना चाहूंगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित है, लेकिन एक बात जो अभी माननीय सदस्य दलजीत सिंहजी ने कही वो बिलकुल सही कही है कौनसे जिले में किस चीज का पोटेन्शियल है उसकी स्टडी बहुत जरूरी है। आप कृषि की बात करते हैं। जहां स्टोनी डेजर्ट है वहां कृषि कहां से होगी ? जहां माइन्स चल रही है वहां कृषि कहां से होगी ? हां, बून्दी जिला एक ऐसा जिला है जहां कृषि भी है, माइनिंग भी है, ट्यूरिज्म भी है और क्या नहीं है, सब कुछ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ममता जी भी हैं।

श्री अध्यक्ष : वहां ममता शर्मा भी है।

श्रीमती ममता शर्मा : धीरे-धीरे मैं अपनी बात कहने की चेष्टा कर रही हूं। सबसे पहले मैं चिकित्सा सुविधा पर आऊंगी। 3-4 लाइन में अपनी बात कहना चाहूंगी। चिकित्सा के बारे में आप देख रहे हैं शहरों में आप बहुत कुछ कर रहे हैं, पिछली सरकारों ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन ग्रामीण अंचल की हालत चिकित्सा के बारे में बहुत ज्यादा खराब है। माननीय मंत्री महोदय बैठे है वहां लेडी डाक्टर्स नहीं है और ग्रामीण अंचल को या राजस्थान आप चाहो कि मुम्बई, कलकत्ता और देहली हो जाए, मेल गायनाकालोजिस्ट काम कर सके तो राजस्थान में वह नहीं कर पायेंगे। वहां लेडी डाक्टर की

(श्रीमती ममता शर्मा)

जरूरत है ग्रामीण अंचल में इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ग्रामीण अंचल में चिकित्सा सुविधा को सुधारने के पूरे-पूरे प्रयास होने चाहिए। शिक्षा की बात कहूंगी।

श्री अध्यक्ष : आपका समय पूरा हो गया, अब आप एक मिनट में अपनी बात करें। कनक्लूड करें।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी शुरू किया है, आपसे तो मैं आशा करती हूं, पूरी पार्टी में एक महिला हूं और आप मुझको भी टाइम नहीं देना चाहती हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी भी इस बात को कहेंगी कि मुझे कम से कम 5 मिनट और दिए जाएं।

श्री अध्यक्ष : आप यहां जेन्डर के आधार पर थोड़े ही आयी हैं?

श्रीमती ममता शर्मा : नहीं, नहीं, जेन्डर के आधार पर नहीं आई हूं लेकिन कहलाऊंगी तो महिला ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे तो इस पार्टी में मर्द ही एक नजर आ रहा है।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि आपने बहुत स्कूल क्रमोन्नत किये हालांकि बहुत बायस्ड एटीट्यूड रहा है सरकार का हम लोगों को कांस्टीट्यूएंसीज में उतने स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुए जितने भारतीय जनता पार्टी की कांस्टीट्यूएंसीज में हुए।

श्री अध्यक्ष : हुए तो हैं ना ?

श्रीमती ममता शर्मा : एक बात मैं और कहना चाहूंगी, राजा के लिए प्रजा बराबर होती है इसलिए सब जगह आपको उतने स्कूल क्रमोन्न्त करने चाहिए और खास तौर से मेरा निवेदन है कि बालिका जो स्कूल हैं, माननीय दलजीत सिंहजी ने अभी-अभी कहा है कि कोई लड़का तो साइकिल चलाकर 20 किलोमीटर चला जाता है लेकिन लड़की नहीं जा पाती है, गांव का वातावरण वह नहीं है और जितनी वीमेन एट्रोसिटीज बढ़ी हैं उस हिसाब से तो लड़कियों

(श्रीमती ममता शर्मा)

को लोग घरों से बाहर निकालने में झिझक रहे हैं इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि कम से कम बालिकाओं की तो रक्षा की जिम्मेदारी आप लें। कई स्कूल ऐसे हैं गांव में जहां साल-साल भर से टीचर नहीं हैं, हमने गलतियां की हैं कि हम टीचर नहीं दे पाये लेकिन आपसे हमने कुछ आशाएं और अपेक्षाएं भी की हैं कि आप जरूर देंगे। कई टीचर्स ऐसे हैं वह साफ इल्जाम लगाते हैं आपके ऊपर, 15 हजार देकर आया हूं कोई माई का लाल मुझे निकाल दे। यहां मैं आपसे इसलिए निवेदन करूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि...

श्री अध्यक्ष : साफ नाम बताइये न, कौन कहता है यह, ताकि ये कुछ जांच करा सकें। कौन कहता है ताकि जांच हो, कौन कहता है नाम बताओ, ऐसे कहने से थोड़े ही है।

श्री संयम लोढ़ा : कहने की क्या जरूरत है आपको खुद को पता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं नाम भी बता दूंगी। ग्राम गुढा है जहां माइनिंग होती है, डाबी क्षेत्र का गांव है वहां एक टीचर ने कहा है, कोटा में रहता है, आता नहीं है, 15 दिन में एक दिन आता है और बच्चों से कह देता है कि आज तुम्हारी छुट्टी हो गई।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, कृपया नोट करिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वहां कोई ट्रान्सफर नहीं किया, यदि वह लगा हुआ है तो कांग्रेस के टाइम से ही लगा हुआ है और कांग्रेस वालों का ही दोष है, वह देख लेंगे इसको।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यहां आने से पूर्व मैं दौसा कालेज में लेक्चरर था और मैंने आपकी सरकार के एक मंत्री को पैसे पहुंचाए, फिर मेरा ट्रान्सफर बून्दी से दौसा हुआ, बोलो आप। आपकी सरकार के अन्दर।

श्रीमती ममता शर्मा : मेरी बात सुनिए, रिश्वत देने वाला भी क्रिमिनल है, लेने वाला ही नहीं, आपने भी क्राइम किया है, अगर आपने पैसा दिया है। किसने कहा था कि आप पैसा दीजिए, जो नौकरी करेगा जहां सरकार भेजेगी उसको जाना पड़ेगा।

श्री अशोक (खण्डार) : मंत्रीजी, यह तो अच्छी बात नहीं है, आप तो परम्पराएं डालते हुए आये हो।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, रिश्वत दी है तो अब आपका राज आया है, कार्यवाही करो न। (व्यवधान) यह मुख्यमंत्रीजी बैठी हैं। आप स्टेटमेन्ट दे रहे हो कार्यवाही कराइये आप। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : जिन्होंने दिया है वे लेते भी होंगे, इसकी गारन्टी नहीं है। आप मुकदमा दर्ज कराइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : पैसे देकर ट्रान्सफर कराया है, कितने पैसे देकर मंत्री बने हो, यह भी बताइये आप। आपकी तो आदत पड़ गयी है पैसे देकर काम कराने की।

श्री सी.डी. देवल : और यह तो कह दो कि आगे पैसे नहीं खाऊंगा।

श्री अशोक (खण्डार) : मंत्री महोदय, मैं भी सरकारी नौकरी में था, मेरा ट्रान्सफर हुआ और आपके मंत्री ने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिये इसलिए मैं नौकरी छोड़कर आया, मैं नौकरी छोड़कर आया, मैंने पैसे नहीं दिये। एक आदत होती है यह तो आप लेते भी होंगे जो रिश्वत दी है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आपका ट्रान्सफर भी मैंने कराया।

श्री अशोक (खण्डार) : आपने कराया था।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आपने चाय भी नहीं पिलाई।

श्री अशोक (खण्डार) : आपने कराया पर मैंने वह नौकरी छोड़ दी थी, मैं नाराज हो गया था अनंग कुमारजी से। मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं, मैं तो आपको फिर से धन्यवाद दे रहा हूं।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पुलिस प्रशासन और क्राइम रेट बढ़ने की बात भी कहना चाहती हूं, कानून व्यवस्था के ठप्प होने की बात कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो बहुत अब ज्यादा समय ले रही हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक की बुरी हालत है। महिलाओं से बलात्कार, चैन स्नेचिंग, यौन शोषण के इतने मामलात सामने आ रहे हैं कि चार दिन से सदन इस बात के लिए चिल्ला रहा है। मैं आप महामहिम गवर्नर साहिबा और माननीय मुख्यमंत्रीजी तीन महिलाएं बैठी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : आप चौथी महिला हैं न ?

श्रीमती ममता शर्मा : वहां पर एक आवाज उठ रही थी कि काली की कमी है, लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा आ गई हैं, काली की कमी है, मैं कहना चाहूंगी आगर काली आई तो राक्षसों का संहार भी होगा इसलिए इस बात की आवाज मत उठाइये और सदन में अपने शब्दों से गरिमा का ध्यान रखें।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप तो गोरी हो, गोरी।

श्रीमती ममता शर्मा : आपने सदन की गरिमा को खतम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि आपके जो नये जीतकर आये हैं इनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है, एक इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दें।

डा. एन.एस. गुर्जर : ममताजी आप तो गोरी हो, काली कहां हो।

श्रीमती ममता शर्मा : धन्यवाद बैठ जाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह आपके पीछे अनीता भदेलजी रही उनको मंत्री बना दीजिये वह अच्छा ही कर देंगी आप लोगों का।

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीस सदस्य, किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करे।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खास जयपुर की हालत है कि जे.डी.ए. ने 400 गज के प्लाट पर कामर्शियल काम्पलेक्स बनाने की इजाजद दे रखी है। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, छोटी-छोटी सड़कों में जहां पार्किंग नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां पर दुकानें खुल चुकी हैं, बड़े-बड़े काम्पलेक्स बन चुके हैं। पुलिस मैमोरियल जो बना है उसकी हालत आप देखिए, हफ्ते में एक दिन भी बन्द नहीं होता, कानून व्यवस्था यह है। उनके पास पार्किंग की कोई जगह नहीं है, कानून व्यवस्था यह है, चेतक मार्ग पूरा भरा रहता है गाडियों से।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यदि मैंने तुड़वाना शुरू किया न तो सबसे पहले आपका टूटेगा।

श्रीमती ममता शर्मा : हम लोग अपनी गाडियां पार्क नहीं कर सकते, हमने पुलिस को बहुत बार कहा लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपने कौन से मार्ग पर बनाया है।

श्रीमती ममता शर्मा : मैंने किसी मार्ग पर नहीं बनाया है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यदि तुड़वाना शुरू कर दिया तो सबसे पहले आपका नम्बर आएगा।

श्रीमती ममता शर्मा : मेरा कोई काम्पलेक्स नहीं है। ममता शर्मा का न बून्दी में कोई काम्पलेक्स है, न राजस्थान में है और न जयपुर में है, कहीं नाम हो ममता शर्मा और उसके पति का तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहती हूं कि सामने रखें।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, 6 बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना है, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां, झालावाड़ सब जगह क्राइम की हालत बढ़ गई है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें क्योंकि मैं देख रही हूं कि महिलाएं आसन का ज्यादा उल्लंघन कर रही हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : इतनी लिबर्टी तो एक महिला दूसरी महिला से ले ही सकती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बून्दी में सबसे बड़ा उद्योग चावल उद्योग है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा न, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से कहूंगी चावल उद्योग में 32 मिल्स हैं, वह हमारी सिक होने जा रही है, उनके लिए कुछ न कुछ आप करें, बहुत जरूरी है, वहां का चावल एक्सपोर्ट होता है, उसके बारे में आप कुछ करें, सोचें वरना बून्दी जो कृषि प्रधान जिला है वह खतम सा होने जा रहा है, शुगर मिल बन्द हो गई है। एक बात और कहूंगी शुगर मिल के जितने भी कर्मचारी थे उनको जो कांग्रेस में नौकरियां दीं वहीं हैं बाकी जो 70-80 बचे हुए हैं उनको भी आप नौकरी देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : अब खतम करें आप।

श्रीमती ममता शर्मा : पर्यटन की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : अब आप खतम करें, 6 बजे आपके नेता महोदय बोलेंगे।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और हैं, दो मिनट में ही खतम कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट बोल चुकी हैं आप।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगलों की जो हालत है वह बहुत दयनीय है, ओर्गेनाइज्ड पोचिंग है जो चल रही है। उस दिन हमारे माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया था, आसपास जितने भी गेम सेंक्चुअरी के लोग रह रहे हैं, वे शिकारी है। अगर शेर का शिकार नहीं होता है और शेर अपनी नेचुरल डेथ से मरता है उसकी नेचुरल डेथ होती है तो उसकी डेड बाडी मिलनी चाहिए, उसके नाखून मिलने चाहिए, कुछ तो नामोनिशान हो लेकिन आप देखिए कि यह कहीं न कहीं तो कुछ है और मैं एक माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि आपने जो इसके लिए टास्क फोर्स बनाई है उन

(श्रीमती ममता शर्मा)

अधिकारियों को उसमें नहीं रखे जिनके कार्यकाल में सारे शेर मरे। 25-26 शेर थे सरिस्का में जो खतम हो गये हैं, 15 शेरों की जानकारी आई है लेकिन उनका भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो मैं चाहती हूं कि उस कमेटी का दुबारा गठन हो और शेरों के जो हालात हो रहे है उनको बचाने के लिए वन्य जावों, राजस्थान में दो गेम सैंक्चुरी पूरे देश का उदाहरण है कि किसी भी स्टेट में दो गेम सैंक्चुरी एक साथ नहीं मिली थी केवल राजस्थान को ही मिली थी और डा. करणसिंह जो कश्मीर के राजा हैं उनकी सिफारिश पर दी गई थी इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इस पर ध्यान दें और एक बहुत अहम मुद्दा है, मैं सारी बातों को छोड़ रही हूं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें आप।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहे बिना नहीं बैठना चाहूंगी। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि बून्दी में एक नदी है ऐरू उसका पानी रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं 40 करोड़ योजना ले गया हूं और उससे 40 हजार लोग लाभान्वित होंगे। क्या रेश्यो हुआ ? एक करोड़ में एक हजार। ऐरू नदी का पानी रामगंजमण्डी में नहीं जाएगा चाहे आन्दोलन करना पड़े और चाहे सीने पर गोली खानी पड़ें। वह पानी नहीं जाएगा और अगर माननीय सदस्य को पानी लेना है तो जवाहर सागर या चम्बल से ले लेकिन बून्दी के जवाहर सागर डैम से रामगंजमण्डी में पानी नहीं जाएगा। उस पर हक बूंदी के किसानों का है। हमने सात करोड़ रुपये की स्कीम बनाई थी और उसमें एक लाख 40 हजार लोग लाभान्वित होने वाले थे। मैं इनता ही कहकर आपके बार-बार कहने पर अपना भाषण समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त। नेता प्रतिपक्ष।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका पुरजोर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

विरोध करता हूं क्योंकि यह अभिभाषण उपलब्धि शून्य है। रोजगार की स्थिति देखें तो बिलकुल ऋणात्मक उपलब्ध है। यदि हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो उसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। हमारे राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, 13 प्रतिशत अपराध बढ़ गये। राज्य में किसी भी प्रकार से एक यूनिट बिजली पैदा नहीं हुई, पावर सैक्टर में उपलब्धि शून्य है। हमारे यहां महिला अपराधों में निरन्तर वृद्धि है। हिन्दुस्तान में महिला अपराधों में एक लाख आबादी में सबसे ज्यादा हमारे यहां हो गये, महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश से दूसरे नम्बर पर और दिल्ली के बराबर आ गये हैं। डकैतियों में 61 प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई। यह राज्य की स्थिति 13 महीनों में हो चुकी है।

सबसे पहले अपना वक्तव्य मैं इस बात से खास तौर से शुरू करता हूं कि हमारा विकास का आधार होता है हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत ढांचे का विकास हम कैसे करें ? अधारभूत ढांचे के विकास के लिए जब यह पक्ष इधर बैठता था तो मैंने यहां पर इनके नेता को और इनके सभी पार्टी के लोगों को सुना था कि गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन होना चाहिए। वह गाडगिल फार्मूला आजकल गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के नाम से विख्यात है। मैं पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि गाडगिल फार्मूले में 60 प्रतिशत जनसंख्या का आधार होता है, 25 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय आधार होता है, साढ़े सात प्रतिशत सम्पादन और साढ़े सात प्रतिशत स्पेसिफिक कण्डीशन का आधार होता है। उन साढे सात प्रतिशत का भी खुलासा इस प्रकार है कि यदि आप कोई करारोपण के माध्यम से वित्तीय सुधार करते हैं तो उसके ढाई प्रतिशत मिलता है, फाइनेंशियता मैनेजमेंट का दो प्रतिशत मिलता है, एक प्रतिशत महिला साक्षरता का मिलता है, एक प्रतिशत जनसंख्या नियंत्रण का मिलता है और इसी प्रकार .5 प्रतिशत भूमि सुधार का मिलता है, .5 प्रतिशत बाहय सहायता से जो प्रोजेक्ट चलते हैं और वो जितनी जल्दी पूरे होते है, समयावधि में पूरे होते हैं तो उसके कारण से ये .5 प्रतिशत मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने 13 महीने में गाडगिल फार्मूले में सुधार के लिए क्या उपाय किये ? इसमें भी आप लोग बढ चढ़कर के कहते थे कि बाजरा हमारा एक स्टेबल फूड है और वो भी तीन साल में एक बार पैदा होता है, उस बाजरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैलौरी का

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

गाडगिल फार्मूला उसको समझता है तो इसके लिये आपने क्या उपाय किये ? मैं जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्रीजी अपनी रिप्लाई दें तो इस सम्बन्ध में यह बताये कि उन्होंने गाडगिल फार्मूले में और मुखर्जी फार्मूले में परिवर्तन के लिए अपनी तरफ से कोई चिट्ठी लिखी क्या और यदि चिट्ठी लिखी तो वह सदन की मेज पर रखें या उसका उद्धरण दें तो पता लगेगा कि आपकी कथनी और करनी में क्या अन्तर है।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य को सैन्ट्रल ग्रिड से जो एन.एच.पी.सी. नेशनल हाइडल पावर प्रोजेक्टस और नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन एन.टी.पी.सी., इन दोनों से जो ऊर्जा में हिस्सा मिलता है उसके लिए राज्य का आपने क्या हित रखा है उसके लिए खासतौर से राज्य को यह बताना चाहिए कि हमारे यहां की जनसंख्या की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, प्रति व्यक्ति उर्जा के उपभोग की मात्रा को देखते हुए, हमारे यहां के मरुस्थल को देखते हुए, राजस्थान के कृषिगत कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, निरन्तर अकाल जो हमारे यहां पर पड़ता है उसको देखते हुए, हमारे यहां कुए गहरे हैं उनको ध्यान में रखते हुये तथा हमारी बहुत बडी अन्तरराष्ट्रीय सीमा है उस अन्तरराष्ट्रीय सीमा के कारण फ्लड लाइटिंग के ऊपर हमको बहुत अधिक मात्रा में बिजली चाहिए, इन सब आधारों पर क्या आपने कभी कोई चिट्ठी लिखी कि हमको सैण्ट्रल ग्रिड से ज्यादा से ज्यादा पावर मिलनी चाहिए ? लेकिन मैं समझता हूं कि इसके बारे में 13 महीने में राज्य की सरकार ने...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : गाडगिल फार्मूले के वक्त में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे ? घुटने किसने टेके ?

श्री सी.डी. देवल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको रोक दीजिये नहीं तो ठीक नहीं है। हम भी करेंगे जब इनके सदन की नेता बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं टोकें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमने क्या किया, क्या नहीं किया, यह बातें अभी नहीं हैं, अभी तो बात आपकी है कि आप शासन में है। मैंने पहले भी एक बार यह बात कही थी :-

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

थे मजा करो महाराज, आज धरी पांवों घी में है।

थाने पुरस्यों सगलो प्रदेश, और थारे कांई जी में है।।

आप आज सत्ता में बैठे हो और हमसे पूछ रहे हो। आपकी मुख्यमंत्रीजी जवाब दे देंगी, आपके बस की बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इतने बड़े विद्वान की बात का तो वो ही जवाब देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं तो विद्वान हूं या नहीं लेकिन अब आप विद्वता की बात कर लें। आप इस कमेटी में थे क्या ? आप नहीं थे इस कमेटी में। पहले इसका भी बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष : बोलो आप तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने यह लिखा है-

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टबा पुरोवाच प्रजापतिः

अनेन प्रसविष्य ध्वमेष वोडस्तिवकामधुक

मैं यह आपके माध्यम से विधान सभा की जो लाइब्रेरी है उससे गीता की पुस्तक लाया हूं और इसका सही वाचन करके बताता हूं। मुझे बड़ा अफसोस होता है अध्यक्ष महोदय, कि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी और इतना बड़ा प्रशासन फिर मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने इसको एप्रूव किया और देखकर के श्लोक लिखा था वो भी गलत लिखा है। इसका सही उच्चारण है-

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टबा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्य ध्वमेष वोडस्त्विष्टकामधुक्।।

दूसरा भी श्लोक गलत लिखा है। (व्यवधान) लेकिन आप इस तरह से बीच में करेंगे तो हम भी मुख्यमंत्रीजी से बार-बार ऐसे ही पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोले।

श्री जुबेर खान : यह दो विद्वानों की लडाई है घनश्याम जी की ओर डाक्टर साहब की, आप बीच में मत पड़ो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : फिर आपने लिखा है- देवान्य यतानेन, इसकी जगह है

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।

यह प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। यह प्रिंटिंग मिस्टेक यहां आती है क्या कभी। फिर इसका अनुवाद किया है।

श्री अध्यक्ष : शुरू से तो बोलो। आप आखिर से प्रारम्भ कर रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसका अनुवाद ही गलत किया है। मैं अंत में ही करता। इसका अर्थ है-प्रजापति (ब्रह्मा) ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त होवो (और) यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे। और दूसरे को अर्थ है- वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में उन्नति करते हुए परम कल्याण का प्राप्त होवोगे। इसका भी भावार्थ आपने बिलकुल चेंज किया है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, कृपया शांतिपूर्वक प्रतिपक्ष के नेता का भाषण सुनें। आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री सी.डी. देवल : मैं यह कहने खड़ा हुआ हूं कि जब आपने नेता महोदया बोलेंगी तो हम भी खड़े हो जाएगे। आप इनको रोक दें। आप इनको रोकें।

श्री अध्यक्ष : आप विराजे। क्या आवश्यकता है आपको खड़ा होने की ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इनको कम से कम आइन्दा गलत न हो, मुख्यमंत्रीजी को इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरी बात, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस अभिभाषण में योजना के आकार की बात की है, मैं जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चालू वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है इसके लिए 6922.5 करोड़ की योजना पारित कराई, क्या मुख्यमंत्रीजी इस योजना को आप वर्तमान में वर्ष में पूरा कर लेंगे ? हमारे कई विद्वान साथियों ने आपको बताया है कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का कहीं-कहीं तो 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत पैसा आप खर्च कर पाये हैं। अब फरवरी के इतने दिन और मार्च में आप इतना पैसा खर्च कैसे कर लेंगे ? मुझे लगता है कि आपकी वर्तमान वार्षिक योजना करीब-करीब 600 से 900 करोड़ रुपये तक की इसमें कटौती होगी और योजना आयोग के अध्यक्ष ने जब आप अगले वर्ष की वार्षिक योजना मन्जूर कराने के लिए गये थे जो 8350 करोड़ रुपये की है, उस समय आपको कहा है कि आपकी चालू वार्षिक योजना में कटौती होगी क्योंकि आपको जो कदम उठाने चाहिए थे, वह कदम आपने उठाये नहीं। मैं आपको चुनौती पूर्वक कहता हूं कि आपकी योजना 6922.5 करोड़ की पूरी नहीं होगी और जो लक्ष्य आपने रखे थे, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपने 100 दिन का एक कार्यक्रम दिया, एक 365 दिन का कार्यक्रम दिया। 100 दिन पूरे हो गये। 365 दिन करीब-करीब पूरे हो गये या होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि यदि आप में थोड़ा भी विवेक हो और लोकतंत्र में आपकी आस्था हो तो मैं चाहता हूं कि व्हाइट पेपर पब्लिश करें कि 100 दिन के कार्यक्रम में आपने कौन-कौन से लक्ष्य पूरे किये और 365 दिन के कार्यक्रम में कौन-कौन से लक्ष्य पूरे किये। आप प्रेस कान्फ्रेन्स करते है तो प्रेस वालों को भी यही कहते है कि आप अपने उपयोग के लिए रखना, आप इधर-उधर मत देना। मतलब इतना 100 दिन का कार्यक्रम गुप्त रखा और 365 दिन का कार्यक्रम आपने जो दिया है, मैं चाहता हूं, इसके लिए व्हाइट पेपर पब्लिश करके आम जनता को बतायें कि हमने ये लक्ष्य रखे थे और ये लक्ष्य पूरे हुए। मैंने जब शुरूआत की थी तो यह कहा था कि रोजगार के कार्यक्रम ऋणात्मक थे, वह इसलिए कहा था कि रोजगार के लिए हमारी बजट स्पीच में और जो सदन में प्रस्तुत किया गया था राजस्थान का बजट, उसमें हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मुख्यमंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि हम वर्ष 2004 और 2005 में पांच लाख लोगों को खनन कार्य से रोजगार देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को कि खनन कार्यों के लिए 9163 खानें आज बन्द पड़ी है और 10 लाख लोग बेरोजगार हो गये है। इसलिए यह ऋणात्मक ग्रोथ हुई है। यह राजस्थान में पहली बार हुआ है। राजस्थान के इतिहास में इससे पहले कभी भी ऋणात्मक ग्रोथ नहीं हुई और मुझे यह बेरोजगारी के लिए कहना पड़ेगा कि "तमाम शहरी बेरोजगार लगता है जो नौकरी का कहीं इश्तिहार लगता है" एक नौकरी का कहीं इश्तिहार लगता है तो आप देखेंगे यहां पर पिछले दिनों में जब सेना की भर्ती हुई थी। भीड़ इस कदर आई की वहां पुलिस का प्रबन्ध करना पड़ा। नौकरी के लिए तो एक तरीके से लोगों की आखें फट जाती है, अखबार देख-देखकर थक जाते है पर कहीं नौकरी मिलती नहीं है। आपने स्वयं ने माननीय सदस्यों के प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उनमें यह स्पष्ट बताया है कि जिन जिन विभागों में नौकरी दी गई है, उसमें करीब-करीब 3500 से अधिक पद मृत कर्मचारियों के आश्रितों से भरे है, नई नौकरी कहां दी है और अभी कई दिनों से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और शिक्षा मंत्रीजी, ये शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन शिक्षकों की भर्ती आप देखिए, कितने तो लिटिगेशन हुए हैं और उसके पास उनके प्रश्नपत्रों में 12 से लेकर 22 तक गलतियां निकली है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है लेकिन हकीकत में आप कह रहे है कि पांच वर्ष बाद राजस्थान को हिसाब दूंगी। अच्छी बात है, पांच वर्ष बात तो लोग ही आपके हिसाब-किताब का आंकलन कर लेंगे और हिसाब तो अभी राजस्थान की जनता ने दे दिया है। (व्यवधान) आप पधारो, आप बाहर जाओगे तो मेरे को बहुत मजा आएगा क्योंकि आप व्यवधान मंत्री है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री नहीं है वह, व्यवधान सदस्य बोलिये। मंत्री थोड़े ही है वह।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं, इन्होंने एक वर्ष का लक्ष्य रखा था कि हर वर्ष एक लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। एक साल तो करीब-करीब पूरा हो गया, 14 महीने पूरे होने को आये है। आप बतायें सही में कितने-कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है। रोजगार के अवसर सृजित करना और रोजगार देना, दो अलग-अलग बातें है और यदि ईमानदारी से बतायें कि आपने जो रोजगार के अवसर भी सुलभ करायें है तो केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में कितने कराये, राज्य प्रवर्तित योजना में कितने कराये और रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में कितने कराये तो आपकी पोल खुल जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने केवल मात्र काम क्या किया है, एक ही छत के नीचे हम एलोपेथी, आयुर्वेदिक, होम्योपेथी अस्पताल लेकर आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां बीकानेर में पारीक चौक के स्कूल के पास में एक यूनानी दवाखाना था। उसको तोड़कर पी.बी.एम. अस्पताल में डाल दिया। होम्योपेथी की डिस्पेन्सरी को तोड़कर पी.बी.एम. अस्पताल डाल दिया। एक आयुर्वेदिक अस्पताल को तोड़कर पी.बी.एम अस्पताल में डाल दिया और एक छत के नीचे अस्पताल हो गया सारा। यह काम किया है राजस्थान की सरकार ने। ऐसा पूरे राजस्थान में हुआ है। जैसे काम हुआ था, पुरानी विधान सभा में हमारी जो जहां भोजन व्यवस्था होती थी, उसका नाम केन्द्रीय कक्ष लिखा गया और वहां उसका उदघाटन भी हो गया। ये ऐसे कार्यक्रम करेंगे तो जनता के सामने आपकी पहचान आ जाएगी।

अभी पंचायतीराज के चुनाव हुए। पंचायती राज के चुनावों में पंचायतों में डाइरेक्टर्स, जिला परिषद् में डाइरेक्टर्स हमारे ज्यादा आये। 0.9 प्रतिशत वोट हमको ज्यादा मिले और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह अपने आप में जनादेश कांग्रेस को मिला। लोगों ने भाजपा को नकार दिया। इसलिए नकार दिया क्योंकि इसने 12 महीनों में 12 स्थानों पर लाठीचार्ज किये और चार स्थानों पर गोली चलाई। सहाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में। उसके बाद में इन्होंने गोली चलाई कुहाडवास झुन्झुनूं में, उसके बाद रावला और घड़साना में।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इन चार स्थानों पर तीन महीने में एक जगह गोलीचार्ज औसत में ौर करीब करीब यह हाल हर महीने कहीं न कहीं एक जगह लाठीचार्ज या ल प्रयोग किया। इससे लाठी और गोली की सरकार के रूप में इस सरकार की ख्याति हो गई और लाठी ओर गोली से प्रजातंत्र नहीं चलता, प्रजातंत्र सेवा से चलता है, लोगों की समस्याओं का हल करने से चलता है। यह सरकार संवेदनहीन, संवादहीन और उपलब्धि शून्य रही और इसी कारण से जनता ने पंचायती राज में यह फैसला किया कि 16 जिला प्रमुख हमारे आये है। जिस तरह से पंचायत समितियों में....

श्री अध्यक्ष : 19 हैं आपके।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 19 पिछले चुनावों में थे। मैं स्टेटिस्टिक्स का आदमी हूं, मेरा दिमाग स्टेटिस्टिक्स से भरा हुआ है इसलिए इसमें गलती नहीं करूंगा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कल्लाजी, नगरपालिका में क्या हुआ और आपके वार्ड में क्या हुआ नगरपालिका में ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बोलने दो इन्हें। माननीय मंत्रीजी, बोलने दीजिये इनको। आप बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे है ?

श्री कालीचरण सर्राफ : आपके 19 थे, 16 रह गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे वार्ड में श्रीमती पारीक जीती है। आपको मालूम नहीं है। वार्डो का ज्ञान नहीं है। आपको पता नहीं है। आप एक दिन के लिए आब्जर बनकर आ गये तो जैसे बीकानेर का सारा ज्ञान कर आये। कांग्रेस की श्रीमती पारीक जीती है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप बुरा मत मानना। जिस वार्ड में आप रहते हैं, जहां आपका मकान है, वहां का वार्ड पार्षद आपका हारा है। हम हराकर आये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जहां रहता हूं, वहां आपको दिखा दूंगा, क्या हराकर आये हैं, आपको पता ही नहीं है। मेरे यहां पर श्रीमती पारीक खड़ी थी और कांग्रेस के टिकट पर जीती है, आपको बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान के नेता से वार्ड की बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें, व्यवधान नहीं डालें। आप बीच में नहीं बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब इन्होंने कहीं से सुन लिया, किसी भी बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक जानकारी करके कहना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बात कह रहा था कि पंचायती राज के चुनावों में जनादेश कांग्रेस को मिला और उसके पीछे कारण क्या था। लोग भूखे मरे। हिण्डौली में मरे और जगह मरे। स्थान-स्थान पर व्यवस्था नहीं होने के कारण भूख से यहां पर मौतें हुई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चार स्थानों पर शराब दुखान्तिकाएं हुई। लोक सभा के चुनाव में भीलवाड़ा में पहली शराब दुखान्कि हुई, नौ आदमी मरे। फिर रामपुर भिवाड़ी में हुई, जहां 27 आदमी मरे। उसके बाद जलोता खैरथल में हुई और उसके बाद सांगानेर में अभी-अभी हाल में जो घटना घटित हुई, वहां पर भी आदमी मरे। कुल 45 से अधिक आदमी इस शराब दुखान्तिकाओं में मारे गये और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैं कह रहा था कि संवेदनशून्य सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए था। यदि हमारी सरकार होती और हमारा मुख्यमंत्री नहीं जाता तो हमारे विधायक दल में इस बात के लिए मांग की जाती कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं गये, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाये लेकिन मुख्यमंत्रीजी, चार स्थानों पर इतनी बड़ी घटनाएं हो गई यह सांगानेर तो बिलकुल पास में है और वहां पर अभी जाकर के संवेदना व्यक्त भी नहीं की। और तो और, खाजूवाल-घड़साना-रावला यहां पर गई तो करीब-करीब डेढ़ महीने बाद और वहां पर सहरिया क्षेत्र में पधारी तो करीब तीन महीने बाद। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को जिस समय लोकतंत्र नहीं था, जहांगीर का

एक राज हुआ करता था, घंटी बजा देते थे तो लोग पहुंच जाते थे और आवाज को कह देते थे, तो लोकतंत्र में जब तक संवेदनशीलता नहीं होगी, मैं समझता हूं कि शासन पुख्ता नहीं हो पायेगा। इसलिए सरकार के कान बिलकुल खुले रहने चाहिए और निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी सुहाय....

श्री अध्यक्ष : छवाय। सुहाय नहीं, छवाय। आंगन कुटी छवाय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह तो अलग-अलग, ऐसा है डायलाग्स में फर्क होने पर यह हो जाता है इसलिए....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप गलती कर दें तो ऐसा हो जाता है और हम गलती कर दें वैसे हो जाता है, यह क्या बात हुई।

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान में कितनी बोलिया हैं, बोलियों में फर्क होता है। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि खास तौर से....

श्री अध्यक्ष : निन्दक नियरे राखिये, आप कह रहे थे निन्दक नियरे राखिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां। हमेशा प्रशासन में जो लोग बैठे है उनको इन बातों को गम्भीरता से लेना चाहिए और मिल करके उन समस्याओं को हल करना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहिए, उदारतापूर्वक उनको अनुदान देना चाहिए।

खास तौर से अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है, बी.पी.एल कार्ड अब तक नहीं बने। बी.पी.एल. कार्ड नहीं बने, वह तो अलग बात है और जिनके बने हुए हैं उन बी.पी.एल. कार्डधारकों को पूर्व सरकार ने निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की थी, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में और इस वर्ष में करीब-करीब, मैं समझता हूं कि काफी दिन और रात का अन्तर आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री सहायता कोष से आपने कितने गरीबों की मदद की, मैं जानना चाहता हूं, आप बतायें कि मुख्यमंत्री सहायता कोष गरीबों की, निर्धनों की, विकलागों की

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कितनी मदद की गई और खास तौर से यह भी आप बतायें कि बी.पी.एल. कार्डधारकों में जो हार्ट पेशेन्ट है, जो लोग असाध्य रोग के पेशेन्ट हैं, कैंन्सर के पेशेन्ट हैं उनकी आपने कितनी मात्रा में मदद की ?

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछला एक वर्ष जनता के ऊपर भारी करारोपण वाला रहा। आपने पहले पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर में बढ़ोतरी की। उसके बाद आपने अभी एक फैसला लिया कि बीस नये पैसे से लेकर पैसठ नये पैसे प्रति यूनिट बिलों में वृद्धि की जायेगी और उस बिजली के बिलों के पेटे राजस्थान की जनता के ऊपर लगभग साढे पांच सौ करोड़ से ऊपर का भार पड़ेगा। अभी तो मार्च तक, असेम्बली भी है, पंचायत चुनाव भी थे, आपने अनुदान दे दिया, आप बतायें कि राज्य में आने वाले समय में अप्रैल से क्या राज्य सरकार अनुदान देकर बिजली की दर बढ़ायेगी या नहीं बढ़ायेगी।

यह भी समाचार हमको कहीं से ज्ञात हुआ है कि आपने तीन साल का पानी का खर्चा कितना है और उससे आय कितनी है उसका भी आंकलन किया है और आने वाले वक्त में पानी की दर भी आप बढ़ाने वाले हैं, इससे राज्य की जनता दब जायेगी।

पहले से ही बिजली की दरें बढ़ गई, पैट्रोल और डीजल पर कभी भी राजस्थान में सेस नहीं लगा, आपने पचास नये पैसे प्रति यूनिट, प्रति किलो, प्रति लीटर...(व्यवधान) प्रति लीटर, कई बार गलती हो जाती है। पचास नये पैसे प्रति लीटर डीजल और पैट्रोल पर आपने सेस लगा दिया और उस सेस लगाने के कारण राज्य की जनता करों के बोझ से दब गई।

आपने बिक्री कर के रेशनालइजेशन के नाम पर राज्य में लगभग पांच सौ करोड़ का ब्रिकी कर का भार किसान, मजदूर और गरीब के ऊपर बढ़ा दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका अभिभाषण किसान विरोधी, गांव विरोधी, मजदूर विरोधी और प्रदेश की आम अवाम का विरोधी अभिभाषण है, इसमें कोई उपलब्धियां नहीं है, यह हम सब लोगों के लिए घातक है, प्रदेश के लिए घातक है। इसके बाद मैं खास तौर से....(व्यवधान) क्या धन्यवाद अभी। देखिये, इस तरह से ऐसे करेंगे इसीलिए स्लिप ऑफ टंग होता है कई बार।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा आपसे, नेता, प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डाले।

श्री नरपत सिंह राजवी : ए.डी.बी. के जो एग्रीमेन्ट साइन किये हैं उसके आधार पर अगर बढ़ रहे है, अगर बढ़े तो वह साइन तो आप लोगों ने किये हैं, थोड़ा ध्यान से देखें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या ?

श्री नरपत सिंह राजवी : ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के आधार पर जो अरबन डवलपमेंट आपने करवाना आरम्भ किया था जिसमें जोधपुर में काफी कुछ पैसा लगा है, उसकी शर्त है पानी की कीमत बढ़ाने की।

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यक नहीं है इनके प्रश्नों का जवाब देना आपके लिए। आप बोलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप फिर हमको भी, जैसे मंत्रियों को आप अलाऊ कर रही हैं, हमको भी अलाऊ करना, हम भी पूछते रहेंगे बीच-बीच में मुख्यमंत्रीजी है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा : मुख्यमंत्रीजी से दो सवाल पूछने देना हमको भी, दो सवाल मुख्यमंत्री से।

श्री अध्यक्ष : अभी से कोई प्रश्न की बात नहीं है। अब बोल रहे हैं आपके नेता।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण को अलाऊ कर रहीं है तो हमको भी करने दें आप, दो सवाल पूछेंगे सिर्फ।

श्री अध्यक्ष : आप अपने ही नेता को टोक रहे हैं। आप अपने ही नेता के व्यवधान पैदा कर रहे है। प्रतिपक्ष के नेता, यह सदस्य आपके वश में नहीं हैं, यह आपको बीच में टोकते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे को नहीं टोक रहे हैं। यह यह कह रहे हैं कि यह टोकेंगे तो हम भी प्रश्न पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : बोलें, बोलें आप बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि राज्य में ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसका लाभ आम अवाम को मिला हो और यदि मिलता तो फिर यह नतीजे इस प्रकार नहीं आते। अभी मुझे फूड एण्ड सिविल सप्लाई मिनिस्टर साहब ने यह पूछा कि नगर पालिकाओं के रिजल्ट में क्या हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय हम 156 व्यक्ति थे उस समय हमारी नगरपालिकाएं, बोर्ड, नगर निगम ज्यादा आये थे। लेकिन वोटिंग परसेन्टेज, आज भी हमको 1.78 प्रतिशत वोट उस समय से भी ज्यादा मिले है। वोटो की गणित अलग होती है। पांच-छह स्थानों पर झुन्झुनूं में हमारा अध्यक्ष का उम्मीदवार था उसका नोमिनेशन खारिज हो गया। ब्यावर में, पुष्कर में मेजोरिटी में होते हुए भी हम लोग, एक तरह से जोड़-तोड़ की राजनीति में इन्होंने अपने बना लिये। मैं इनकी पोल इस रूप में खोलना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आपका कहां खारिज हुआ था। झुन्झुनूं में आपका कब खारिज हुआ था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, चित्तौडगढ़ में भी हमारे माननीय सदस्य समय पर पहुंच नहीं पाये नोमिनेशन भरने के लिए, इस कारण संख्यात्मक दृष्टि से पांच-छह स्थान पर हम रह गये लेकिन कुल मिलाकर के...

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी पंचायत राज में भी जैसे सोसरदेवी जो देवली पंचायत समिति की एक पंचायत समिति की डाइरेक्टर हैं अनुसूचित जाति की हैं, उनको राज्य के मंत्री, उनके लड़के को बुलाकर साम-दान-दण्ड-भेद और सब के सामने उसका अपहरण करके पुलिस

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

की उपस्थिति में, जहां डीवाई.एस.पी. थानेदार सारे लोग उपस्थित थे, उनका अपहरण हुआ और इसका प्रमाण है यह। यह पंचायत समिति, देवली के प्रधान पद के निर्वाचन हेतु आयोजित बैठक में अपरान्ह 3.00 बजे के पश्चात् निर्दलीय अभ्यर्थी श्री नारायण सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अवगत कराया कि श्रीमती सोसरदेवी, पंचायत समिति सदस्य, बोर्ड संख्या 17 को उदालाल, अभ्यर्थी के समर्थक बलात अपहरण करके ले गये। थानाधिकारी, देवली ने भी पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करके उक्त तथ्यों की पुष्टि की है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पंचायत समिति देवली के प्रधान पद हेतु निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचन कराने की दृष्टि से राजस्थान पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 59(3) के अन्तर्गत पंचायत समिति देवली के प्रधान पद हेतु मतदान करने की अवधि सायं 8.00 बजे तक बढ़ाई जाती है। यह रिटर्निंग आफिसर के आदेश दिया। यानि अपहरण हुआ और अपहरण के बाद भी वहां के मंत्री वहां की पंचायत समिति को बना नहीं सके और जब वह एफ.आई.आर दर्ज कराने गये तो अध्यक्ष महोदय, उनकी एफ.आई.आर. जिस रूप में उन्होंने दर्ज की, दर्ज नहीं की गई और आज भी जितने अभियुक्त उसका अपहरण करके लेकर गये, वह गिरफ्तार नहीं हुए।

दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप जानती हैं चन्द्रकलाजी यहां पर पूर्व में विधायिका थी, उन्होंने पुलिस में अनेक पत्र दिये कि मुझे अमुक-अमुक व्यक्ति से खतरा है और एक दिन उनकी लाश वहां सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज पहुंच जाती है और किसी को मालूम नहीं, एफ.आई.आर.लाज कराने जाये तो थानेदार उसकी एफ.आई.आर. लाज नहीं करें। यह स्थिति जिस राज की हो जाये तो वह राज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं होता है अध्यक्ष महोदय।

आज सवेरे से और दो-तीन रोज से आप देख रही हैं, साढ़े तीन वर्ष की बच्ची के साथ रेप होना और इसी तरीके से अनेक प्रकार के महिला उत्पीड़न के मामले जो इस सदन में आये हैं, इनको गम्भीरता से लेना चाहिए।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना राज्य में की जानी चाहिए ताकि राजस्थान में अपराधों पर रोक लगे।

मैं चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कि नैतिक शिक्षा का प्रसार-प्रचार करें, मोरल एजुकेशन राज्य में दे और यह बताये कि मातृवत पर दारेसु, पर द्रव्य सुलोष्टवत। पराई स्त्री को मां की तरह समझें ओर पराये धन को चुराये हुए धन की तरह समझें, तब जाकर वह प्रदेश बचेगा, नहीं तो यह प्रदेश जो अपनी संस्कृति, अपनी धरती और उसके लिए प्रसिद्ध था वह प्रदेश धीरे-धीरे एक तरीके के कमजोर होता जा रहा है, उसकी थाती समाप्त होती जा रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय यह जानना चाहता हूं कि अपराधों की रोकथाम के लिए यह सरकार बिलकुल विफल रही है और अब मैं आता हूं शिक्षा के ऊपर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे तो छोड़ कम से कम....

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं मैं बहुत साइलेन्ट फीचर्स शिक्षा के बताऊंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक घर तो छोड़ो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : शिक्षा के मामले में खास तौर से महिला शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य में पैरा टीचर्स की समस्या मुंह बाये खड़ी है। आप बतायें पैराटीचर्स के बारे में आप क्या करने जा रहे है। उर्दू के पैराटीचर्स को आपने बिलकुल ही हटा दिया। लोक जुम्बिश मुक्ताकाश के जो कार्यकर्ता गांवों में जाकर पढ़ाई का काम करते थे जिसने साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा था वो आज सारे के सारे जो रोजगार प्राप्त किये गये थे वो बेरोजगार हो गये। ऐसे लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता देनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके बारे में शिक्षा मंत्रीजी विचार करेंगे।

हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था की जाती थी और प्राइवेट स्कूलों में भी खास तौर से यह व्यवस्था की जाती थी सेन्ट

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

एंजिला, सोफिया स्कूल, एम.जी.डी. स्कूल, विद्याश्रम स्कूल बड़े-बड़े जो पब्लिक स्कूल हैं. उनमें राज्य सरकार अपने खर्चे से बच्चों को हमेशा पढ़ाती आयी है लेकिन राजस्थान में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को भर्ती नहीं किया। मैंने इस सवाल को पहले भी उठाया था। मैं चाहता हूं कि प्रतिवर्ष पांच सौ विद्यार्थियों को इस सैक्टर में इस खाते में भर्ती किया जाता था उसको बराबर रखा जाए नहीं तो यह अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और यह पहले कभी नहीं हुआ राजस्थान में पहली बार हुआ है। इसलिए समाजिक न्याय का जो क्षेत्र है उसमें भी यह सरकार उपलब्धि शून्य रही है। बल्कि जो उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों को कम किया है।

इसके अलावा आपने कहा था कि सौ दिन में स्थानान्तरण नीति लागू कर देंगे। अभी तक सौ दिन नहीं हुए क्या ? या आपकी बीरबल की खिचड़ी है जो कैसे पकेगी इसका कोई अन्दाजा नहीं है।

इसके अलावा मैं खास तौर से यह भी कहना चाहता हूं कि बी.एस.टी.सी. टीचर्स जो पास किये हुए हैं उनको प्राथमिक शिक्षा में पहले स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए आपकी क्या नीति है ? क्योंकि वो स्पेशल ट्रेनिंग किये हुए लोग हैं।

हायर एजुकेशन की स्थिति को यदि आप देखें तो उसकी तो बड़ी विचित्र स्थिति है। राज्य के जो 22 पी.जी. कालेज हैं वहां प्रिन्सिपल नहीं हैं और 8 अन्डर ग्रेजुएट कालेज है वहां प्रिन्सिपल नहीं है। एक हजार से ज्यादा व्याख्याताओं की कमी है और जो लैक्चरर्स काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है अध्यक्ष महोदय, वो छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं वालेन्टरी रिटायरमेन्ट ले रहे है कम से कम 22 लोगों ने वालेन्टरी रिटायरमेन्ट ले लिया। और यूनिवर्सिटी की क्या पोजिशन है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक साल में एक हजार रिटायर हो गये, रिटायरमेन्ट हमने तो किये नहीं। तो यह कमी है तो हुजूर आपकी ही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उनको भर्ती करना चाहिए न। भर्ती का प्रोसेस शिक्षा मंत्रीजी चालू रखना चाहिए।

यूनिवर्सिटी की बात देखिये वहां करीब 45 से अधिक विभाग हैं लेकिन वहां पर एक चयनित प्रोफेसर है यह हमारी यूनिवर्सिटी की स्थिति है और कोटा, बीकानेर इन यूनिवर्सिटीज को बनाने के बाद हमको तो समय बहुत कम मिला आप लोग पधार गये। इन यूनिवर्सिटीज में आज आप जानकर ताज्जुब करेंगे 2-4 आदमी हैं तो उधार के लैक्चरर वगैरह वहां लगे हुए हैं डेपूटेशन पर कोई प्रोफेसर नहीं कोई रीडर नहीं, कोई लेक्चरर नहीं। आप कैसे यूनिवर्सिटीज को चलायेंगे ? आज राजस्थान यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन से अनुदान प्राप्त करने वाले प्रदेशों में नीचे से नीचे तीन प्रदेशों में एक है लेकिन हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले कौनसे नम्बर पर थे ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : तभी तो हमने यूनिवर्सिटीज खोली। हमने 5 यूनिवर्सिटीज खोली और राजस्थान को आगे लाने का प्रयास किया। लेकिन अब उन यूनिवर्सिटीज को डवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है ? आज किसी यूनिवर्सिटी में कोई ब्लॉक ग्रान्ट तय नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में परमानेन्ट स्टाफ की व्यवस्था मन्जूर ही नहीं की जा रही है तो कैसे यूनिवर्सिटीज चलेगी। यूनिवर्सिटीज के लिए एक वाइस चान्सलर को आर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है उसमें विचार करके उनके कॉमन सिलेबस के बारे में उनका सिलेबस यू.पी.एस.पी. के बराबर बने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी देहली जिनका सिलेबस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पैरेलल बना हुआ है जब भी आई.ए.एस की लिस्ट आती है तो उसमें ज्यादातर लोग वहां के आते हैं क्रिश्चियन कालेज, चेन्नई के लोग ज्यादा आते हैं, उडीसा के लोग आते हैं लेकिन हमारे राजस्थान के पहले आज से करीब-करीब मैं आपको बता रहा हूं 1985 और 1990 के बीच में राजस्थान की रेटिंग पहली तीन यूनिवर्सिटीज में हिन्दुस्तान में होती थी जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी आती थी लेकिन आज हमारी यूनिवर्सिटीज की

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

स्थिति बहुत खराब है और इन यूनिवर्सिटीज को डवलप करने के लिए फण्डस आप कुछ दे नहीं रहे हैं। इसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उच्च शिक्षा का हमारां अच्छा स्तर हो। उच्च शिक्षा का स्तर होगा तभी प्राथमिक एलीमेन्ट्री एजुकेशन का स्तर अच्छा होगा और इनका स्तर यदि खराब होगा तो मैं समझता हूं कि आप जानते है फिर किस तरीके से हमारे अध्यापक और दूसरे लोग तैयार होंगे।

मैं इस सन्दर्भ में इन्जीनियरिंग कालेज का उदाहरण देना चाहूंगा। अजमेर का इन्जीनियरिंग कालेज, बीकानेर का इन्जीनियरिंग कालेज दो-दो इन्जीनियरिंग कालेज है। मैं यह चाहता हूं कि यहां पर भी परमानेन्ट स्टाफ की व्यवस्था की जाए और परमानेन्ट स्टाफ कान्ट्रेक्ट बेसिस पर नहीं करके परमानेन्ट शर्तो पर यदि आप करेंगे तो इन इन्जीनियरिंग कालेज का विकास होगा। ये कालेजज तो प्रायः-प्रायः सैल्फ सफीशियेंट कालेज है और खुद अपने खर्चे निकाल सकते है। इसलिए इन कालेज में स्टाफ देने में क्या दिक्कत है। मैं चाहता हूं कि वित्त विभाग भी अपनी अडियल शैली को रोके और रोक करके एक वायेबल शैली अपनायें ताकि ऐसे प्रोजेक्ट जहां से विद्यार्थियों से फीस आने पर कालेजज चलते हैं, आप बतायें इन्जीनियरिंग कालेज को आपने अजमेर को और बीकानेर को कितना-कितना अनुदान दिया। बिना अनुदान दिये हुए कालेज चल रहें है लेकिन उसके बावजूद भी आप परमानेन्ट स्टाफ दादागिरी से नहीं दे रहे है तो ऐसे काम कैसे चलेगा ? प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा कैसे हमारे इन्जीनियर्स तैयार होंगे ? इसलिए इन सब बातों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, औद्योगिकरण की बात यहां पर जोर शोर से कई माननीय सदस्यों ने की। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार के वक्त 1800 करोड़ के प्रोजेक्टस मंजूर हुए फिर यह नयी सरकार आ गयी, नयी सरकार ने उनकी समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद इसका क्या हश्र हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रायः-प्रायः उद्योग छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश,

(डा. बुलाकीदास कल्ला):

उत्तरांचल चले गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि 13 महीनों में यहां पर कितना इन्वेस्टमेन्ट आप लेकर आये क्योंकि इसी से प्रदेश का पता लगता है कि औद्योगीकरण कितना हुआ। इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेन्ट कितना हुआ इसी से प्रदेश के विकास की झलक मिलती है तो मंजूर शुदा उद्योग थे वो ही चले गये पलायन कर गये यहां से और 1800 करोड़ में से मैं समझता हूं अधिकांश उद्योग राजस्थान से बाहर चले गये तो आपने औद्योगीकरण के लिए क्या-क्या उपाय किये और आइन्दा आप क्या करने जा रहे है। मैं तो समझता हूं औद्योगीकरण के लिए राज्य में लेण्ड सब्सिडी दी जानी चाहिए और राज्य में इस प्रकार के उपाये किये जाने चाहिए ताकि बाहर से लोग न केवल देश से बल्कि विदेश से भी आकर के यहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगा सकें और इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेन्ट के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अधिक से अधिक मिनरल बेस, एग्रो बेस, इण्डस्ट्रीज राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा लगनी चाहिए।

जहां तक हमारे राज्य में कई माननीय सदस्यों ने अभी भीण्डर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि अमुक पार्टी के लोग आते है तो बरसात नहीं होती है। अब तो राजस्थान में आप लोग 121 हो फिर 18600 के लगभग गांवों में अकाल क्यों पड़ा हुआ है ? यह अकाल किसी के हाथ में है अकाल तो प्रकृति का खेल है इसलिए अध्यक्ष महोदय अकाल के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या किया जो प्रकृति आपदा कोष में लगभग 272 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं और केन्द्रीय सरकार ने दो लाख टन गेहूं आबंटित कर दिए, चार लाख टन और गेहूं आगे और आबंटित हो जायेगा। ऐसा आश्वासन है लेकिन इसके बावजूद भी राहत कार्य नहीं खुल रहे है। राहत कार्यो को खोलने के लिए मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूं मैं डूंगरपुर गया था, बासंवाड़ा गया था वहां मुझे किसानों ने कहा कि वोटर लिस्ट देखते हैं मस्टररोल देने से पहले कि यहां बी.जे.पी. के वोट कितने मिले, कांग्रेस को कितने वोट मिले और उसके बाद....

मैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही बोल रहा हूं और आप आसन से ऐसे कर रही हैं इसका मतलब मुझे वहां लोगों ने जो जानकारी दी है....

श्री अध्यक्ष : यह बात तो मत कहो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बिलकुल सही कह रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, आसीन्द के एम.एल.ए. यहां बैठे है हंगामी लालजी ने मुझे कहा कि मेरे यहां मस्टररोल, अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में उनको बुला लेना और मेरे को बुला लेना..

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रतिपक्ष के नेताजी, कुछ तो राम धर्म रखो, कुछ तो धर्म रखो। ऐसी कौनसी जगह है डूंगरपुर में जहां यह बात आपके सामने आई है ? कौनसी जगह डूंगरपुर में है जो आप यह बात कह रहे हो कि मस्टररोल देने से पहले बी.जे.पी. को वोट दे ? यह कहा, कौनसी जगह है कौन आदमी है, कहां है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : डूंगरपुर के हमारे जिला अध्यक्ष ने मुझे यह बताया कि मस्टररोल राजनीतिक विद्वेष के आधार पर दिये जाते है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तैयार हो चलने के लिये ? एक दिन आप समय निकालकर चलिये मैं भी आपके साथ चलता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार कहां है ? कम से कम और क्षेत्रों में हो सकता है हमारे इस मेवाड़ क्षेत्र में यह बेईमानी नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : सुरास में अकाल राहत चल रहा है और एक नदी के किनारे बाड़ी गांव है। सुरास में बी.जे.पी. को वोट मिला, गिरदावरी में सुरास अकाल में है। इधर बाड़ी में 25 वोट बी.जे.पी. को मिले और 600 वोट कांग्रेस को मिले वहां अकाल राहत नहीं है। इधर नदी के इस तरफ धूलखेडा है वहां अकाल राहत नहीं है। इधर पाटियाखेडा है वह अकाल राहत में नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, आप चलिये और इसकी जांच करिये। उन गांवों में चलिये और विधान सभा की टीम लेकर चलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे हिसाब से शायद आपका विषय थोड़ा दूसरा है मैंने थोड़ी दूसरी बात कही। कहां काम खुले कहां नहीं खुले यह नहीं था।

श्री कैलाश त्रिवेद्वी : पहले गिरदावरी इसी आधार पर की गई तो खुलना वहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने यह कहा कि मस्टररोल देने से पहले किसी ने उन्हें यह पूछा कि तुमने वोट दिया कि नहीं दिया ? मैं सोचता हूं यह सवाल हमारे इस क्षेत्र में कम से कम अभी नहीं है। किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेद्वी : आप तो कमेटी बना लीजिये और चलिये। मुख्यमंत्रीजी इसकी कमेटी बनाइए और पता करें इसका।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले पांच साल जो निकाले है वाकई में आपने उसी तरीके से काम किया है। पांच साल तक कांग्रेस ने सिर्फ उन्ही लोगों को मस्टररोल दिया जो उनके वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। पांच साल तक हमने आपके नाम का रोना रोया है। बांसवाड़ा जिले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पांच साल तक कांग्रेस के लोगों ने उन्हीं लोगों को मस्टररोल दिया जो अपने कार्यकर्ता थे हमारे एक कार्यकर्ता को चाहे जनता दल के हो, चाहे बी.जे.पी के हो किसी को भी एक मस्टररोल नहीं दिया और अपने लोगों को मस्टररोल दिया है, यह सही बात कह रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई वह रिपोर्ट है, 17 साल से बारां से मुख्यमंत्री निर्वाचित हो रही है....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री हेमराज मीणा : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री अध्यक्ष : आपके नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं आप बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। भुखमरी की बात वह भी कह सकते हैं, वह भी कह देंगे सुप्रीम कोर्ट की बात। (व्यवधान) आपको कोई कागज देना है तो नेता प्रतिपक्ष को दीजिए। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं वह कह देंगे।

श्री हेमराज मीणा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री अध्यक्ष : आप नेता प्रतिपक्ष को दीजिये। आप बीच में व्यवधान नही डाले। आप कभी भी खड़े होकर व्यवधान डालने लग जाते हैं यह कौनसा तरीका है आपका। आप पुराने सदस्य हैं, नियमों की जानकारी है, आपके ही नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं आप बीच में खड़े होकर व्यवधान करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : जब सता पक्ष ने व्यवधान डाला है मैंने उन्हें भी रोका है। मैंने मंत्रियों को भी रोका है, आप यह कैसे कह सकते है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने कहां रोका है यहां तो मंत्रीजी व्यवधान कर रहे हैं। जब मैं अपनी बात कह लूं मंत्रीजी अपनी तरफ से उत्तर दे-दें। क्या सभी मंत्रियों को अधिकार है बीच में बालने का ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा था एक शेर के रूप में कहना चाहता हूं

"बरसी वहां-वहां पर समन्दर थे जिस जगह

ऊपर से हुक्म था घटाये क्या करें।"

जैसा हुक्म था वैसा कार्य हुआ है अकाल में। सरकार का जहां हुक्म हुआ था वहां राहत कार्य खोले गये और जहां हुक्म नहीं था वहां राहत कार्य नहीं खोले। हमारे वक्त में राज्य में 35-35 लाख लोग अकाल राहत कार्यों में लगे हुए थे। अभी कल ही माननीय मंत्रीजी का भाषण मैंने पढ़ा था राज्य में अभी लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है उसमें भी रोजगार

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम खुले हुए हैं और राज्य में एक भी पशु सेवा शिविर नहीं खुला है। राज्य में गायों को अनुदान नहीं मिला और खास तौर से अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि राज्य में चारा डिपो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं खोले गये जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जब अकाल पड़ता है तो ऋणों की वसूली स्थगित हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप टेबल करें या आदेश उद्धत करें कि क्या आपने ऋणों की वसूली स्थगित कर दी उन अकालग्रस्त क्षेत्रों में। ऐसा लगता है कि अकाल राहत के वक्त में जो काम किये जाने चाहिए उस काम के प्रति सरकार को बिलकुल भिज्ञता नहीं है। जब अकाल पड़ता है या अभाव कि स्थिति होती है तो क्या-क्या काम किये जाने चाहिये वह काम नहीं किये गये।

फसल बीमा का इस अभिभाषण में जिक्र किया गया है। फसल बीमा आपने की। मैं जानना चाहता हूं कि जहां फसल का खराबा हुआ है वहां किसानों को कहां-कहां भुगतान हुआ उसकी सूची आप सदन की मेज पर रखें। अजमेर, नागौर में अथवा झालावाड़ में, बारां में, कोटा में जहां-जहां भी आपने कोई राशि दी है तो जिलेवाइज सूची हमको दें। आपने फसल बीमा कराया और जहां खराबा हुआ, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में 32 के 32 जिलों में कहां -कहां आपने बीमा कराया और फसल बीमा का खराबा होने पर किस-किस किसान को कितना भुगतान हुआ यह आप बताये।

अध्यक्ष महोदय, डेयरी के चुने हुये अध्यक्षों को इस सरकार ने हटाया फिर वह हाई-कोर्ट में गये स्टे लेकर आये। डबल बैंच में गये, सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिये हैं कि 6 महीने के अन्दर-अन्दर सहकारिता विभाग के चुनाव कराये जाये। वह अवधि करीब-करीब पूरी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्रीजी यह बताये कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण, सहकार का मतलब होता है एक सबके लिए और सब एक के

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लिये। सहकारिता का एक बहुत बड़ा हमारे यहां तंत्र है। इस सहकारिता में लोकतंत्र कब आयेगा और आप इसके चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार तमाम सहकारिता विभाग के चुनाव कब तक करायेंगे। कृषि उपज मण्डियों के चुनाव भी कई दिनों से नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं आप आज अपने उत्तर में यह बताये कि सहकारिता से सम्बन्धित चुनाव और कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव कब करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद किसान की बेटी हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आज एक बिसलरी खरीदने जाये तो 12 रुपये लगते हैं और किसान का दूध सरकार किस भाव में खरीद रही है, साढ़े सात रुपये लीटर, आठ रुपये लीटर। पूर्ववर्ती सरकार से तीन से चार रुपये प्रति लीटर कम कीमत के ऊपर दूध खरीदा जा रहा है और किसान को जो कैटल फीड दिया जा रहा था वह कैटल फीड पूर्ववर्ती सरकार के वक्त में चार रुपये प्रति किलो दिया जाता था। आज उस कैटल फीड के करीब-करीब पोने दो से दो रुपये प्रति किलो के भाव बढ़ गये। किसान को जो चीज दे रहे हो आप उसकी तो कीमत बढ़ा रहे हो और किसान जो पैदा कर रहा है उसकी कीमत को घटा रहे हो यह हम राजस्थान में नहीं चलने देंगे। इसके लिये हमें सड़कों पर आना पड़ेगा तो आयेंगे, आन्दोलन करेंगे। जितना भी हममें जोर होगा कोशिश करेंगे कि सरकार को झुका कर रहें और किसान को उसके उत्पादन की पूरी की पूरी कीमत दिलवा कर रहेंगे। आपने विज्ञापनों के ऊपर इतना करोड़ रुपये खर्च कर दिया। यह जनता का पैसा है, पशुपालकों का पैसा है इसे व्यर्थ मत गंवाईये। इसको किसान को दीजिये। किसान के हक की कमाई किसान को दीजिए।

डेयरी बनी थी, विज्ञापन के लिये नहीं बनी थी। डेयरियां बनी थी किसानों के उसके दुधारू गायों की कीमत देने के लिए। हमारी इकोनोमी बेस्ट कैटल इकोनोमी रही है। इसलिए हमारे पशुओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा भी संवेदनशील हैं तो उरमूल डेयरी को निर्देश

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

दे कि अकाल और अभाव की स्थिति में दूध के भाव जो पूर्ववर्ती सरकार ने रखे थे कम से कम वह स्तर तो आप रखे, तब आपकी प्रगति का आपके अभिभाषण का कोई महत्व रहेगा, नहीं तो इस प्रदेश में 70 प्रतिशत किसान है इसीलिए पंचायत के रिजल्ट आपके खिलाफ गए। बल्कि आपने गांव की गरीब के, किसान के हितों की अनदेखी की है।

मैं खास तौर से यह कहना चाहुंगा कि एक तरफ जैसे मैंने गांव की बात कही और गांव में ही रबी की फसल के समय क्या हुआ ? रबी की फसल के समय डी.ए.पी. की खाद, बीज, उर्वरक सब ब्लेक मार्केटिंग में बिके। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंगल राज हो रहा है। किसी ने नहीं देखा कि यह सब ब्लेक मार्केटिंग में क्यों बिक रहे हैं। ब्लेक मार्केटिंग के ऊपर रोक लगनी चाहिए और किसानों को उचित मूल्य पर उनके उपयोग में, खेती के उपयोग में आने वाली चीजे मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां नस्लों के सुधार के लिए क्या कार्यक्रम हैं ? कुछ माननीय सदस्यों ने इधर से उधर से टिप्पणी की। मैं चाहता हूं कि हमारी थारपारकर, कांकरेट, राठी नस्ल, इन नस्लों को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है ? राजस्थान में जब तक इन चीजों को बचाकर नहीं रखेंगे तब तक हमारी राजस्थान की कैटल बेस्ड इकोनामी पैरालाइज, पंगु हो जाएगी और कभी राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकेगा।

शहरों के बारे में जो प्रोग्राम चला राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रोग्राम, इसमें खासतौर से 60 करोड़ रुपये छह मेडिकल कालेज और वहां के अस्पतालों के संवर्धन उनमें अच्छे इक्वीपमेन्ट वहां के भवनों के लिए रखे गये थे, आप देखें कि राज्य सरकार ने आते ही 60 करोड़ रुपये एक तलवार लेकर एक तरह से उसको काट दिया, 60 करोड़ रुपये।

मेडीकल कालेज और अस्पतालों के लिए पैसा बडी मुश्किल से मिलता है। राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अपना पैसा देना बन्द

कर दिया कम से कम ऐसी चीजों का तो हमको ध्यान रखना चाहिए। ए.डी.बी. प्रोजेक्ट में बडी मुश्किल से यह 60 करोड़ रुपये इन 6 मेडिकल कालेज के लिए हमने जुड़वाए थे वह पैसा किसी भी सूरत में नहीं कटना चाहिए।

इसकी जो सैकेण्ड स्टेज है, जिसमें 35 शहर हैं, 25 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 75 हजार या इससे अधिक है और 5 शहर ऐसे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 5 शहर ऐसे हैं जो हमारे धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 35 शहरों की एक हजार की योजना आज भी ठण्डे बस्ते में पडी हुई है। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए इन योजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए। जहां तक हमारे राज्य में आने वाला जल विवाद है उनके बारे में मैं आज अपनी बात रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : 7 मिनट बाकी हैं और एक घंटे में, आप कितना समय और लेंगे यह बता दें, मैं यह नहीं कह रही, मैं तो पूछ रही हूं, आप कितना समय और लेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अन्दाजन 15-20 मिनट।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के सुनना नहीं चाहते इससे आपको क्या दर्द है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके नेता बोल रहे हैं और आप वाकआउट करके चले जाए मुझे बड़ा तरस आ रहा है आपके नेता पर। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप भी तो पधारे थे आप क्यों पधारे थे।

श्री महीपाल सिंह यादव : आपके बैदजी का बाल है क्या ? (व्यवधान) धोत्ती में बैदजी का बाल है क्या ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसी सदन में, रावी-व्यास पानी के समझौते के लिए जुलाई वाले सदन में हमने एक प्रस्ताव पारित किया था और माननीय मुख्यमंत्रीजी को पूरे सदन ने संकल्प पारित करके यह अधिकार दिया था कि

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हमारा जो हिस्सा 8.6 मिलियन एकड़ फीट बनता है। उसमें .6 मिलियन एकड़ फीट पानी हमको उलपब्ध नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप लोग बीच में बातें नहीं करें। आपस में बातें नहीं करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए हमने पूरा अधिकार आपको दिया और इसके साथ-साथ भाखड़ा व्यास, मैनेजमेन्ट बोर्ड जिसके ऊपर पंजाब का कन्ट्रोल है वह बी.बी.एम.बी. को मिले, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में 8 महीनों में आपने क्या कार्यवाही की और इसके लिये क्या प्रगति है ? क्योंकि पूरे सदन में यह सकंल्प पारित किया है, इसलिए हमारा यह अधिकार बनता है आप सदन को यह अवगत कराए कि 8 महीनों में आपने इस .6 मिलियन एकड़ फीट पानी को लेने के लिए और हैड वर्क्स का नियंत्रण बी.बी.एम.बी को दिलाने के लिए क्या उपाय किए और क्या प्रयत्न किए ? उसके बारे में प्रकाश डालिये।

इसके बाद मेरा दूसरा बिन्दु यह है कि यमुना नदी जल विवाद कई वर्षो से चल रहा है और उसमें 12 बी.सी.एम. टोटल पानी है, उसमें 1.119 बी.सी.एम पानी राजस्थान का है और इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा से आपने पिछले 13 महीनों में कब-कब बात की और इस पानी को प्राप्त करने के लिए आपने क्या उपाय किया ? आपको जानकर ताज्जुब होगा आपका भी जिला उसमें आता है झुन्झुनूं, चूरू और भरतपुर इसके लिए 1100 करोड़ की योजना बनी है और इसका केवल 10 से 15 प्रतिशत पानी अभी तक प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस यमुना जल भरतपुर, झुन्झुनूं और चूरू को दिलाने के लिए आपने पिछले 13 महीनों में क्या प्रयत्न किए ? और आप क्या प्रयत्न करने जा रही हैं ?

इसी प्रकार हमारे माही नदी जल विवाद के सम्बन्ध में जो गुजरात से सम्बन्धित है. गुजरात में तो आपकी सरकार है, बी.जे.पी. की। पानी भी खूब है लेकिन आपने वार्ता कब की उससे ?

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से यह जानना चाहता हूं कि माही नदी का पानी इसका विकास होने पर इसको नर्मदा परियोजना में स्थानान्तरित करना था। गुजरात ने इसके लिए मना कर दिया है। यह पानी कडाना में जाने वाला था और उसका एक भाग हमको मिलने वाला था जिससे जालौर और राजस्थान के अन्य सूखा स्थलों पर खेती हो सकती थी। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए आपने क्या प्रयत्न किये, 13 महीनों में गुजरात के साथ कब-कब बैठक ली ? कौनसे पत्र दिये ? उनको आप उद्धृत करते हुए बताएं कि इन इन्टर स्टेट डिस्प्यूट के बारे में राज्य ने क्या प्रयत्न किये और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप सदन को व्हाइट पेपर पब्लिश करके बताएं कि आपने कब-कब इन्टर स्टेट डिस्प्यूट के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये ताकि सदन और माननीय सदस्य को जानकारी मिल सके कि सरकार इनके बारे में चिन्तित है।

इसके अलावा चम्बल नदी का पानी, इसके सम्बन्ध में दो डिस्प्यूट हैं। एक तो 61.52 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश से हमको लेने हैं और दूसरी बात यह है कि चम्बल नदी के उस क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में आता है, अध्यक्ष महोदय, 294 स्ट्रक्चर बन चुके हैं, एनीकट, कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स। उससे चम्बल नदी में पानी की आवक निरन्तर कम हो रही है इसके लिए आपने क्या उपाय किये ?

अध्यक्ष महोदय, खास तौर से मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पार्वती एक्वाडक जो हमारे क्षेत्र में है, जितना पानी उन्होंने वहां रोक रखा है उतना ही पानी आगे मध्य प्रदेश में जाने से रोकने के लिए आपका विचार है क्या ? विचार नहीं है तो इस समस्या का हल करने के लिए आपने अब तक क्या प्रयत्न किए ? नहीं तो एक तरफ पंजाब में हमारी पानी .6 मिलियन एकड़ फीट बह रहा है, दूसरी तरफ 294 स्ट्रक्चर बनने से चम्बल का स्वरूप समाप्त हो जाएगा और चम्बल में हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्टस लगे हुए हैं या इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उन सारे के सारों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैं अब आता हूं आर.ए.पी.पी. के बारे में। राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट बैंकिंग का 250 मेगावाट बिजली राजस्थान को हमेशा मिलती रही है। एन.डी.ए सरकार के दबाव में सरकार ने बिजली को हमेशा के लिए मध्य प्रदेश को एक तरीके से ट्रान्सफर कर दिया। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आपकी क्या पालिसी है ? क्या 250 मेगावाट बिजली को आप वापस लाना चाहते हैं या उस बिजली को हमेशा के लिए उनको दे देंगे ? बिजली के मामले में तो खास तौर से संकट तभी से आया है जब से यह 250 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को दी गई है। हमारे यहां राजस्थान में कृषि कनेक्शन महंगे हो गये, मिनीमम चार्जेज बढ़ गये और जो कनेक्शन साढ़े सात हार्स पावर के ग्रुप में था उसकी 35 हार्स पावर के ग्रुप में कर दिया गया जिसके कारण किसान जो एक खम्भे का कनेक्शन साढ़े सात हार्स पावर का 5200 रुपये में लेता था आज उसको कम से कम 50 हजार रुपये से अधिक की राशि भरनी पड़ती है यह ग्रुप का क्लासीफिकेशन जब से किया गया है तब से राजस्थान की जनता और किसान एक तरीके से आर्थिक भार से दब गये।

मैं इसके बाद कौल और पार्वती परियोजनाओं के बारे में कहना चाहूंगा। पार्वती बैली प्रोजेक्ट जिसमें करीब-करीब 2 हजार मेगावाट से अधिक बिजली पैदा होने वाली थी उसमें हमारा 40 प्रतिशत हिस्सा था। यह एन.डी.ए. सरकार के वक्त में नेशनल हाइडल प्रोजेक्ट कारपोरेशंस को दे दिया गया और हमारी सूचनाओं के अनुसार उसमें केवल हमको 70 मेगावाट बिजली मिलने वाली है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अन-अलोकटेड सेण्ट्रल ग्रिड की जो पावर है उसमें हमारा हिस्सा, एक तो पंजाब के, पंजाब में जो 5 प्रोजेक्ट लगे जैसे मुकेरिया, आनन्दपुर हाइडल और इसी प्रकार आपने यू.डी.वी.सी स्टेज सैकिण्ड, थीम डैम और शाहपुर गांधी जिसमें 575.54 मेगावाट बिजली हमको मिलने वाली थी। वह बिजली नहीं मिली और यह मामला सुप्रीम कोर्ट को रैफर करने की बात हुई और जब तक इसका फैसला नहीं हो तब तक हमको

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अलोकेटेड पावर में से करीब-करीब 40 प्रतिशत हिस्सा 1996 तक मिलता रहा। मैं जानना चाहता हूं कि यह हिस्सा निरन्तर कम हो रहा है। इसको 40 प्रतिशत के स्तर पर लाने के लिए आपने क्या उपाये किये ? और नहीं किये तो क्यों नहीं किये और अब क्या करने वाले हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि इण्डस वैली प्रोजेक्ट जिसमें करीब-करीब 11 लाख 65 हजार किलोमीटर में ड्रेनेज व्यवस्था है और खोसला आयोग ने जून, 1970 में हमको एक तरीके से अवार्ड दिया था उस अवार्ड के अनुसार हमारे को यूनिट फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बी.एस.एल प्रोजेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है उसमें 85 प्रतिशत एक तरीके से पंजाब का हिस्सा था और 15 प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा था। पावर कम्पोनेन्ट में 80 प्रतिशत पंजाब का, पंजाब भी यूनाइटेड पंजाब और 20 प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा था। सैकिण्ड यूनिट जो पोंग डैम के नाम से विख्यात है उसमें पावर और इर्रिगेशन में 41.5 प्रतिशत तो एक तरीके से हिंस्सा था हमारा पावर में और 58.5 प्रतिशत हिस्सा हमको इर्रिगेशन में मिला। तो मैं कहना चाहता हूं इस ट्रीट के आधार पर हमको पूरा हक है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो तब तक इन इण्टर-स्टेट मैटर्स के बारे में एक विशेषज्ञों की कमेटी नियुक्त करें और मैं तो कहना चाहता हूं कि हम यह मांग करें कि एक इण्टर-स्टेट ट्रिब्यूनल की स्थापना हो और जिसमें सुप्रीम कोर्ट....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मोदीजी को बना दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बात कर रहा हूं इण्टर स्टेट की, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इण्टर स्टेट का ही बनाया है इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इण्टर स्टेट और इण्टर नेशलन।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह आपने राजस्थान के लिए बनाया है और मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपको। मैं क्या करूं, आपकी बात समझ में नहीं आये तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : राज्य मंत्री का दर्जा दिया था उन्होंने स्वीकार नहीं किया, आपके पद को।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इण्टर स्टेट ट्रिब्यूनल की बात केन्द्र सरकार से की जानी चाहिए जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और सम्बन्धित प्रदेशों के प्रतिनिधि रहें। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत वाला व्यक्ति उसका चेयरमैन रहे। ताकि इन इण्टरस्टेट डिस्प्यूटस को सम्बन्धित राज्य उस जज की अध्यक्षता में मिल बैठ कर निपटा सकें। आपने मोदीजी को बनाया, बहुत अच्छी बात है लेकिन आपने विधान सभा से पहले-पहले राजवंशीजी को और अभी-अभी बनाया है। लेकिन 8 महीने में आपने क्या किया ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इण्टर स्टेट मैटर्स को गम्भीरता से नहीं लिया है। इन 13 महीनों में राजस्थान और इनकी सरकारें है, भारतीय जनता पार्टी की, गुजरात, मध्य प्रदेश में कम से कम आपको इनके मैटर्स को तो हल करना चाहिए था। आपने एक भी मीटिंग नहीं ली उनके साथ। मैं चाहता हूं कि हर 3 महीने में आप गुजरात, मध्य प्रदेश, इनके चीफ मिनिस्टर्स से कम से कम मीटिंग्स लेकर इनके मसलों को तो हल करायें। कल मैं आपके सामने कहूंगा कि इन इण्टरस्टेट मैटर्स को हल करने में हमारी सरकार कामयाब रही, लेकिन आप करो कुछ नहीं और आप यह कहो कि आपके अभिभाषण की कोई तारीफ करे, तो कौन करेगा।

अब मैं कौल डैम के बारे में, जिसमें 800 मेगावाट बिजली पैदा होने वाली थी। इसके लिए भी 12 सितम्बर, 1981 को और 30 जून, 1984 को अनुबन्ध हुआ था। राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री शिवचरणजी माथुर साहब थे। इन्होंने यह कौल और पार्वती योजनाओं को लाने का प्रयास किया। मैं अब जानना चाहता हूं कि इन स्कीम्स को अब नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल ग्रिड के लिये बनाने जा रही है। आपने राजस्थान का हिस्सा जो इसमें करीब-करीब 63 प्रतिशत पावर का हिस्सा था इस हिस्से को लेने के लिये आपने 13 महीने में क्या-क्या उपाय किये।

इस प्रकार मैं चाहता हूं कि किसाऊ डैम प्रोजेक्ट जो सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश के बार्डर पर है। उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा इसमें लगता है। यह यमुना नदी का पानी है। इसमें हमारा हिस्सा बनता है। यह 70 मेगावाट

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

की योजना है। रेनूका डैम प्रोजेक्ट यह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने एक परियोजना बनाकर के सैण्ट्रल वाटर कमीशन को भेजी। इस परियोजना में यमुना नदी में हिस्सा होने के कारण 1.119 बी.सी.एम. का हमारा जो हिस्सा है उसके आधार पर हमारी इस बिजली में हिस्सा बनता है और मैं चाहता हूं कि आपने रेनूका डैम प्रोजेक्ट और किसाऊ डैम प्रोजेक्ट के लिये 13 महीनें मे क्या -क्या काम किये।

अब मैं आता हूं राऊ घाट, जो चम्बल नदी के डाउन स्ट्रीम पर बनने वाला है। जिसकी तत्कालीन, अब तो विद्युत कम्पनियां बन गयीं, उस समय आर.एस.ई.बी. थी और यह योजना 1987 में बनाकर हमने भेजी थी। इसमें शुरू में 40-40 मेगावाट के 4 संयंत्र लगने वाले थे। एक देवीपुरा में, दूसरा, गजापुरा, जैतपुरा और बरसाला। अब दुबारा जब इसका एस्टीमेट किया गया तो देवीपुरा में 31, गजापुरा में 10 और जैतपुर में 10 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, बरमाला में 16 मेगावाट, इस तरह 67 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसके लिये इनिशिएटिव राजस्थान सरकार ने लिया और यह राऊ हाइडल परियोजना बरसों से चल रही है। इस परियोजना के लिए राजस्थान के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की। लेकिन मध्य प्रदेश ने सैण्ट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी उसको कहकर ठुकरा दिया है कि आप पहले भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय का सर्टिफिकेट लेकर दें, तब जाकर हम इसमें शेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन योजनाओं के बारे में मानिटरिंग करें। हर महीने कम से कम और मेरा तो पिछली विधान सभा में भी यह सुझाव था कि आपने विष्णु मोदीजी को और अब राजवंशीजी को, देर आये दुरूस्त आये, आपने एक टेक्निकल आदमी को लगाया है। लेकिन इण्टर-स्टेट डिस्प्यूटस के लिये मात्र इरिगेशन और एक विधायक से काम नहीं चलेगा इसमें आप...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सम्माननीय विधायक हैं ये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मोदीजी को आप सामान्य विधायक नहीं माने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप संसदीय कार्य मंत्री होकर ऐसा कहते हैं। फिर मैं बार-बार उठूंगा, आपकी मुख्यमंत्रीजी बोलेंगी तो। आप क्यों व्यवधान पैदा करते हैं। (व्यवधान) समझाएं इनको। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कल्लाजी, कल्लाजी।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कहना चाह रहा हूं, जो विषय किसी ने टच नहीं किये वह नये विषय मैं आपके सामने ला रहा हूं और इनमें तो घंटों बोला जा सकता है। बहुत शार्ट में बोल रहा हूं। इससे शार्ट में क्या बोलूं मैं।

पार्वती प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी जल्दी के कारण, मैं यह बताना चाहता हूं मुख्यमंत्रीजी को आपके माध्यम से कि साढ़े सात करोड़ रुपये हमने सर्वे और इन्वेस्टीगेशन पर खर्च किये थे। हिमाचल प्रदेश को तो नेशनल हाइडल पावर कारपोरेशन पैसे वापस दे रहा है और आपको अभी तक एक पैसा नहीं वापस दिया। इसके लिये आपने क्या कोई चिट्ठी लिखी ? तो यह सब बातें डिस्कस करना जरूरी है। बिजली समेत पैसा मिला है हिमाचल प्रदेश को। हमारे को एक भी पैसा उन्होंने नहीं दिया जबकि सर्वे और इन्वेस्टीगेशंस हमारी कोस्ट पर हुए थे। हमने उसके लिए 70 प्रतिशत पैसा दिया था, हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, एच.पी.ई.बी. को । तो कहना का मेरा तात्पर्य यह है कि इन इण्टरस्टेट डिस्प्यूटस के ऊपर जैसे आपने जन-प्रतिनिधि को लिया है, इर्रिगेशन के एक आदमी को लिया है, आप इलेक्ट्रिक इन्जीनियर को लीजिए जो एक्सपर्ट हो, एक लायर को लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रिटायर जज हो उसको लीजिए, पांच-छह आदमियों की एक, दो अच्छे आई.ए.एस. आफिसर्स को लीजिए ताकि सारे के सारे मिलकर इण्टर स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में...

श्री सांवर लाल : यह सारी बातें माननीय नेता महोदय, आपको पांच साल में याद नहीं आयी। हमारी कमेटी बनाने के बाद में आपको याद आया। आपने तो कुछ नहीं किया पांच साल में। क्या किया वह भी बता दो न थोड़ा ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे को कह रहे है पांच साल में क्या किया तो मैं बताऊं आपको क्या किया ? मैं बताता हूं आपको, सुनो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप जिस राऊ घाट का जिक्र कर रहे हो उसमें माननीय शिवचरणजी माथुर ने बहुत इण्ट्रेस्ट लिया था। यह मौके पर पहुंचे थे, करौली भी गये थे। अब....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे बाद में बता देना आप। मेरे बाद में कृपा करके।

डा. किरोड़ी लाल : मैं तो इतना सा कहना चाहता हूं कि वन एवं पर्यावरण का...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या पूछना चाहते हैं ? खामख्वाह व्यवधान डाल रहे है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे पास में पूरी हिस्ट्री है कि किस-किस प्रोजेक्ट के बारे में कब-कब हमने क्या पत्र दिये। आप बताओ कि किस बारे में बताऊं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आप यह जो कह रहे हो कि आप वह ले लो, वह ले लो तो आप यह बताओ कि आपने कौनसी कमेटी बनायी इण्टरस्टेट डिस्प्यूट्स हल करने के लिए ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : देखिए, चम्बल नदी के बारे में मैं एक उदाहरण देकर बता दूंगा तो पता लग जाएगा कि क्या-क्या किया। चम्बल नदी के बारे में 17-7-2000 को वित्तीय सलाहकार, मध्य प्रदेश व राजस्थान, अन्तरराज्यीय नियंत्रण मण्डल की बैठक हुई। 19-08-2000 को सचिव राजस्थान सरकार और वहां के सचिव स्तर की मीटिंग हुई। उसके बाद 24-9-2002 को फिर वित्तीय सलाहकारों की आपस में बैठक हुई। 26-10-2002 को इन्हीं लोगों की फिर दुबारा मीटिंग हुई।

श्री सांवरलाल : सारे स्ट्रक्चर तोड़ दिये क्या आपने जो बने हुए थे आपके समय के अन्दर ? वह स्ट्रक्चर तोड़ने की कोई भी चिट्ठी लिखी हो तो बता दो हमने लिखी है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर कैचमेन्ट के एरिया में आपके राज में बनाये गये।

श्री सांवरलाल : आपके राज में बने, तोड़ने के लिए लिखा क्या ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, कल्लाजी का मान-सम्मान करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनको मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है कि वह उत्तर दे पायेंगे या नहीं दे पायेंगे। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : इस सरकार ने राऊ घाट, जाखम अनास और (व्यवधान) उसमें जितनी विजिलैन्स, सतर्कता रही है और जितना इस सरकार ने किया है, पूर्व सरकार तो सिर्फ चिट्ठी लिखने वाली सरकार थी। पिछली सरकार ने 5 साल में सिर्फ चिट्ठी लिखी है और उसके अलावा कुछ नहीं किया। इस सरकार ने इतना बड़ा काम किया है; उसमें राऊ घाट भी, अनास भी है, जाखम भी है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जितने प्रयास पूर्ववर्ती सरकार ने किये हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि सदन का यह नियम है कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता जब बोलें तो कोई बीच में व्यवधान नहीं डालें, यह बहुत गलत परम्परा है, आप व्यवधान डाल रहे हैं, नहीं डालें।

श्री जुबेर खान : विष्णु मोदीजी तो डेपुटेशन पर हैं उनको तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, विष्णु मोदीजी हमारे डेपुटेशन पर गये है न इसलिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इतना पैरवी कर रहें हैं तो भी उनको मंत्री नहीं बनाया है अभी तक।

श्री अध्यक्ष : अब आपके ही सदस्य आपको कर रहे हैं। इतना इन्होंने कहा था वह तो हो गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो कह रहे हैं कि मेरी तो बात अधूरी है, क्या करूं मैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय आप व्हाइट पेपर्स क्यों नहीं पब्लिश करते जिन इण्टर स्टेट डिस्प्यूटस के बारे में मैंने यहां पर जिक्र किया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कह दिया आपने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उनके बारे में आप पूरे सदन को 10-15 पेज में पूरी जानकारी क्यों नहीं देते ? पता लग जाएगा कि आपने क्या-क्या उपाय किये। कब-कब क्या चिट्ठी लिखी ? किन-किन मंत्रियों के साथ, किन-किन चीफ मिनिस्टर्स के साथ आपने क्या-क्या मीटिंग्स रखीं ? तो हम समझ जायेंगे कि आपने उपाय किये हैं।

श्री अध्यक्ष : वे देंगे जवाब आपकी बात का।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अनास हाइडल के बारे में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक घंटा 13 मिनट हो गये हैं आपको। आपने सवा घंटे की बात की है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसमें कम से कम 20 मिनट तो व्यवधान में चले गये। वह माइनस कर दीजिये आप। (व्यवधान) हमारे कोई माननीय सदस्य बोर नहीं हो रहे हैं। आपको मेरा भाषण नहीं सुहा रहा है उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, बोर तो कोई नहीं हो रहा है लेकिन मैं एक बात आपको याद दिला देती हूं। Brevity is the soul of wit. बस यह ध्यान रखिये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ठीक है। अनास हाइडल प्रोजेक्ट जो 45 मेगावाट का है जो माही पावर हाउस-II, दूसरी इकाई 21-03-1982 को निर्णय

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हुआ अब इसकी क्षमता 21.6 मेगावाट आंकी गयी है, यह भी हमारा गुजरात के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी आपने कोई 13 महीने में प्रयास किया है तो जरा बता दीजिये। कुल मिलाकर राज्य में जो भी कदम उठाये गये हैं इण्टरस्टेट डिस्प्यूट्स के लिए, उसके बारे में मुख्यमंत्रीजी रिप्लाई देते वक्त अपना ब्यौरा निश्चित रूप से दें।

श्री अध्यक्ष : हां, सही बात है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिनके बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किरायेदार कानून बना इसमें इसकी पालना दो तरीके से हो रही है। 31 मार्च, 2003 तक जिनके मुकदमें हैं उनको मार्केट रेट के हिसाब से किराया देना पड़ रहा है और 01 अप्रैल, 2003 के बाद किराया वृद्धि की दर 5 से 7.5 प्रतिशत की दर से की जा रही है, इसको रिवाइज्ड किया जाना चाहिए और जो भी वृद्धि है वह एक जैसी हो। एक प्रदेश में दोहरे कानून नहीं चल सकते हैं इसलिए इसको एक जैसा किया जाना चाहिए।

खास तौर से हमारे कई माननीय सदस्य पर्यावरण के बारे में बहुत बातें कर रहे थे और वह बहुत उचित थीं। घना अभयारण्य, सरिस्का, रणथम्भौर यह जितने भी हमारी गेम्स सैंक्चुरीज हैं आज उनकी 13 महीनों में क्या स्थिति हो गयी है ? खुलेआम हमारे टाइगर्स की खाले बिक रही है। पंजे बिक रहे हैं। बांदीकुई में मेरे पास एक फैक्स मैसेज आया है उसमें सारी चीजें खुले बाजार में बिक रही है और ऐसे लग रहा है कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है तो मैं चाहता हूं कि हमारे अभयारण्यों की सुरक्षा की जाए। वहां पर पानी की व्यवस्था की जाए। एक तरफ तो भारत की संसद के ऊपर अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है कि "अयं निज परोवेन्ती गणनां लघु चेतसाम्। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम्।।

यह तेरा और मेरा भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

विशाल चरित्र वाली है जिसमें सारा संसार एक कुटुम्ब और परिवार की तरह है और हम जो वेद हमारा कहते हैं देवो शांति अन्तरिक्ष शांतिः, पृथ्वी शांतिराया:शांति घावा, इसमें जीव जन्तु, वनस्पति सभी की हम शांति चाहते हैं और सभी का सम्बर्द्धन चाहते हैं लेकिन राजस्थान जैसे प्रदेश में हमारे अभयारण्य जिसके कारण से पर्यटक आते हैं, वे हमारे अभयारण्य सूने होते जा रहे हैं। वहां पर हम पानी का प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं, कितने शर्म की बात है। आज हमारा घना की गेम सैंक्चुरी जो पहले रामसर लिस्ट में थी, फिर मोंट्रियल लिस्ट में आयी और अब वह इण्टरनेशनल हैरिटेज की जो साइट है वह अपने आप में समाप्त हो जाएगी तो इसके लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ? यह ऐसे गम्भीर विषय हैं जिनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

अन्त में मैं, यह कहना चाहूंगा कि खास तौर से कि हमारी कुछ कामन प्राब्लम्स हैं जिसके लिए पहले भी जब पूर्ववर्ती सरकार थी जब हम प्रोफेसर केदार, विपक्ष के नेता को, अपने हमारे शर्माजी जो भरतपुर से आते हैं उनको हमारे मुख्यमंत्री चाहे शिवचरणजी माथुर साहब हो, हरदेवजी हो, चाहे अशोकजी हो, सब लोग उनको साक्षरता, जनसंख्या नियंत्रण के लिए खास तौर से बुलाते थे, उसके लिए स्टेट लेवल पर मिशन बना हुआ है तो पिछले 13 महीनों में साक्षरता जैसे कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनके दोहन के लिए और खास तौर से राजस्थान में नैतिक शिक्षा के प्रसार के लिए और नशा मुक्ति के लिए, यह ऐसे विषय हैं जहां राजनैतिक वातावरण से ऊपर उठकर सोचा जा सकता है और उसमें काम किया जा सकता है। इसके लिए कभी आपने कोई मीटिंग बुलाई ? कभी इसके लिए कोई काम किया ?

"संयम खलु जीवनं", संयम ही व्यक्ति के जीवन का धर्म है। एक तरफ हम इस तरह की बात करते हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार क्या कर रही है, बिक्री कर शराब के ऊपर 16 परसेन्ट छूट, शराब के कारखाने 15 यहां पर लगते हैं और हमारे जो पब्लिश सैक्टर का कारखाना है गंगानगर का उसका

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

25 परसेन्ट काम छीनकर निजी हाथों में दे दिया जाता है। जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर शराब के कारखाने खुलेंगे और शराब के कारखानों के साथ सरकार व्यवसाइयों पर, शराब कैसे पी जाए, उसके साथ क्या खाया जाए, उसको कैसे पीया जाए और फिर पुष्कर जैसी लीलाएं होगी तो प्रदेश में अपराध बढेंगे, महिला उत्पीडन बढ़ेगा और महिलाओं का शोषण बढ़ेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को कुछ रचनात्मक कार्य करने चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जिससे प्रदेश का नैतिक विकास हो। नैतिक विकास का काम हो और कुछ काम ऐसे किये जाए जिनके ऊपर सारी पार्टियों के लोग एक राजनैतिक दायरे से ऊपर उठकर प्रदेश के भले के लिए सोचें।

आज हमारे राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा हैं लेकिन इसके बावजूद भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पूरा नहीं हो रहा है और आज भी हम कच्चे माल के निर्यातक प्रदेश के रूप में विख्यात हैं इसलिए आइये हम पक्के माल का निर्माण करें और निर्मित माल को बनाकर राजस्थान के संसाधनों का उचित और यह कहना चाहिए कि फायदा राजस्थान के लोग लें तब जाकर राजस्थान का भला होगा और अन्त में मैं, यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने अभी कुछ मुकदमें वापस लिये और मुकदमें किसके लिए ? अपनी पार्टी के लिए। राजनीति और धर्म के आधार पर मुकदमें वापस नहीं लेने चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं जो खुद मुजरिम है लोगों की नजर में, वही अब फैसले करने लगे तो उससे फायदा नहीं होगा। आपको यदि फैसले वापस लेने थे, मुकदमें वापस लेने थे तो एक आधार पर लैने चाहिए थे। आप सराड़ा के बहुसंख्यक लोगों के मुकदमें वापस ले लेते हैं और अकलियत के मुकदमों को ऐसे ही रख देते हैं। आपको कोई माफ नहीं करेगा। इसलिए कम से कम तराजू के आधार पर न्याय, समता और विवेक के आधार पर फैसला कीजिए। मै रिपीट करना चाहूंगा जस्टिस, इक्विटी और गुड कांशियसनैस के आधार पर इस

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सरकार में फैसले नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं अभिभाषण प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे उठाये है, उसके बारे में मुख्यमंत्रीजी उत्तर देंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले राज्यपाल महोदया का उनके राजस्थान आने और आगमन पर अभिवादन करना चाहूंगी। महामहिम जब से आई हैं, यहां से अनूठा स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थान को और तीनों सर्वोच्च सवैंधानिक पदों के ऊपर महिलाएं आसीन हैं। इस प्रकार मैं समझती हूं कि राजस्थान महिला शक्ति का एक अनुपम उदाहरण बनकर देश में आगे आया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और अपने अभिभाषण के माध्यम से इस पवित्र सदन के अन्दर हम सबका मार्गदर्शन किया है। इस अवसर पर अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सब माननीय सदस्य, जिन्होंने भी भाग लिया था, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों ने सकारात्मक सुझाव हम लोगों को दिये और मेरी सरकार का मार्गदर्शन किया, उनको तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी ही, परन्तु साथ ही प्रतिपक्ष, के नेता और जिन माननीय सदस्यों ने आलोचना और समालोचना के माध्यम से भी अपने बड़े रचनात्मक सुझाव हमारे सामने रखे, सरकार को दिये, उनका भी मैं पूरी तरह से आभार प्रकट करना चाहूंगी।

लगभग एक वर्ष और दो महीने हमारे कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं और मैं सदन में सब माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगी कि जिन लक्ष्य और उद्देश्यों को लेकर हम सरकार और सत्ता में आये, उन लक्ष्य और उद्देश्यों को हम पूरी तरीके से एक निश्चित कालावधि के अन्दर पूरा करेंगे। यह भरपूर प्रयास हम सबकी ओर से किया जायेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैंने बार-बार यह कहा कि राजस्थान के अन्दर सत्ता ली है वह एक सेवा का सबसे बड़ा माध्यम हम लोगों के लिये है और राजस्थान की साढे पांच करोड़ जनता ने जो आशीर्वाद, विश्वास हम पर किया है, उसके ऊपर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे, यही हमारा एक मात्र ध्येय है और इसको हम अच्छी तरह से हर मौके पर याद रखते हैं।

इस एक वर्ष में जो लोक सभा चुनाव हुए हैं, स्थानीय निकाय के भी चुनाव हुए हैं। राज्य में तीन उपचुनाव भी हुए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी हुए हैं और बड़े शांतिपूर्वक रूप से पूरे हुए हैं पर इन चुनावों की वजह से करीबन पांच महीने यानि 156 से 160 दिन आदर्श आचार संहिता के अन्दर प्रभावित हो गये और मैं इसलिए इस बात को नहीं रख रही हूं कि विकास कार्य के अन्दर कोई भी कमी करने की मेरी मंशा है। परन्तु मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहती हूं कि इन सब व्यवधानों के बावजूद भी हमने अपने लक्ष्यों की जो समय सीमा बांधी थी, उस समय सीमा के अन्दर हमने अपने लक्ष्यों को पूरा किया या हम उनको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। प्रयास में कोई कमी नहीं रही है और मैं बताऊंगी आपको, कि जो 100 दिवसीय कार्यक्रम थे और जो 365 दिवस के कार्यक्रम थे, इसी संकल्प से हमने उनको चालू किया था। 100 दिवसीय योजना के लक्ष्यों को हमने लगभग 98 प्रतिशत पूरा किया है और 365 दिवसीय कार्ययोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं जबकि यह व्यवधान बीच में भी आये हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य हमारे हैं उनको पूरा करने में हमको सफलता मिलेगी और हम उस रास्ते पर चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के विकास की अधुरी वार्षिक और हमारी पंचवर्षीय योजनाएं है। आजादी के बाद देश के अन्दर दस पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं और इनके माध्यम से राजस्थान में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, मैं समझती हूं सब लोगों ने राजस्थान की जनता और राज्य की जनता के सामूहिक विकास के लिये पयास किये हैं और पूर्ववर्ती सरकार के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कार्यकाल के अन्दर यह नहीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 27,650 करोड़ रुपये की बनाई गयी बड़ी योजना थी। परन्तु खेद का विषय है कि सिर्फ 19,567 करोड़ रुपये की ही रह गयी है यह योजना और इसका आकार 63 प्रतिशत पूरा कर सके और यही नहीं दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो साल के अन्दर जो शासन कांग्रेस के हाथ में ही था, उस समय भी प्रस्तावित योजना थी उनको बहुत छोटा कर दिया गया और इस वजह से राजस्थान की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सत्ता संभालते ही सबसे पहले वर्ष 2003-04 के अन्दर वार्षिक योजना के आकार में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर 29 प्रतिशत की वृद्धि हम लोगों ने करवाई है और जो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर हुआ, उसकी तुलना में 41 प्रतिशत अधिक किया है। मैं समझती हूं कि यह रिकार्ड है और हमारे लिये बड़े सन्तोष का विषय है।

मैं सदन को आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि राजस्थान राज्य की पर-कैपिटा इनकम में, औसत वार्षिक वृद्धि जो पिछले पांच वर्ष के अन्दर बिलकुल ही शून्य हो गयी थी, वह वर्ष 2003-04 के प्रारम्भिक आंकड़ों के आधार पर करीबन 22 प्रतिशत हो गयी है और यह एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि हमारी है। यह हम सब लोगों के लिये हर्ष का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को अपने सामने रखते हुए हमने 2005-06 की योजना 8,350 करोड़ की बनाई और मैं यह कहना चाहूंगी कि आज तक सबसे बड़ी वार्षिक योजना यही है।

अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह के, पाली के. निवाई के, ब्यावर के, बाड़मेर के, जैसलमेर के, हिण्डौली के, सिरोही के और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्यों ने पंचायती राज संस्था के बारे में कई तरह की चर्चाएं की हैं। कांग्रेस ने भाजपा को हमेशा शहर की पार्टी समझा है और ऐसा ही इसका प्रचार किया है। अभी-अभी पंचायत चुनाव के अन्दर माननीय प्रतिपक्ष के नेता

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ने भी इसके ऊपर काफी बात रखी और मैं बताना चाहूंगी कि पहली दफा भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी इतनी गहरी पैठ दिखाई और इसी का नतीजा है कि 124 प्रधान हमारे बने और 10 व्यक्ति जो प्रधान बने हैं, वह जो प्रधान सीट पर पहुंचे हैं, वह हमारे समर्थित थे। अपने आपको गांव की पार्टी कहने वाली जो कांग्रेस है, उनके सिर्फ 90 प्रत्याशी जीतकर प्रधान बने हैं और मैं समझती हूं कि करीबन 40-50 का घाटा या ज्यादा का घाटा उनको इसमें हुआ है। बिगत पंचायत के चुनाव के अन्दर 65 अधिक प्रधान और तीन अधिक जिला प्रमुख हमारे बने हैं और मैं यह समझती हूं कि यह भी हमारे लिये खुशी का बिषय है। जिला परिषद और पंचायत के चुनाव पार्टी के निशान पर ही होते हैं और यह जिला परिषद के वर्ष 2000 में चुनाव हुए थे उसमें 365 सदस्य हमारे बने थे इस वर्ष चढ़कर 460 हो गये है। मैं समझती हूं कि यह भी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी प्रकार 94 वार्डों में पिछले चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और इसी प्रकार पंचायत समिति के 5200 कुछ वार्डों के अन्दर भारतीय जनता पार्टी ने 2200 वार्डो के अन्दर जीत हासिल की है। जो पिछले दफे करीब 1800 थी। मैं समझती हूं यह भी हम लोगों ने बहुत कुछ आगे कदम रखे हैं।

यह आंकड़ा सिद्ध कर देता है कि हमने लगातार बढ़ोतरी कायम की है और मुझे यह खुशी है कि जनता के आशीर्वाद से हम लोग इसको पूरा कर सके हैं। प्रदेश की जनता ने विधान सभा चुनाव के अन्दर भी बहुत ही प्रचण्ड बहुमत हम लोगों को दिया, लोक सभा चुनाव के अन्दर भी, स्थानीय निकाय के चुनाव के अन्दर भी और बहरोड और लूणी के उप चुनाव के अन्दर वो विजय यात्रा जो भी हमारी थी उसमें मैं समझती हूं कि एक आशीर्वाद, विश्वास और प्यार की एक मोहर लगायी उसने और इस सदन के माध्यम से मैं उन सब जनता का आभार प्रकट करना चाहूंगी।

अभी प्रतिपक्ष के नेता ने करीबन डेढ़ घंटे के भाषण के अन्दर ...

श्री जुबेर खान : सवा घंटे।

श्री अध्यक्ष : एक घंटे 22 मिनट....(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : एक घंटा बीस, बाईस मिनट के भाषण के अन्दर कई बातें हमारे सामने रखीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह रिकार्ड दिल्ली जायेगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं यही सोच रही थी कि उन्होंने इतने सारे प्रश्न मेरे को एक घंटे बीस मिनट में पूछे लिये, वैसे तो मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बोलते हुए पहले भी सुना है, वैसे तो रोड मैप बताते हैं, मार्गदर्शन भी होता है, रचनात्मक बातें भी रखते हैं परन्तु आप लोगों ने इतने श्वेत पत्र मांगे, इतनी बातें मेरे सामने रखीं, इतने प्रश्न मेरे से पूछे कि अगर मैं वह सब प्रश्न का जवाब दे दूं तो मैं समझती हूं यहां कोई शायद ही बचेगा। तो अगर आप माइन्ड नहीं करो तो कुछ चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मास्टर हैं, प्रश्न पूछते ही रहते हैं यह।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अच्छा, सत्ता की बागडोर संभालने के साथ साथ यह जो परिवर्तन यात्रा हमारी थी उसमें हमने आकर गरीबी और भुखमरी, इन सब चीजों को बहुत पास से देखा था, बहुत करीब से देखा था और उस समय मैंने यह सोचा था कि मुझे यह समझ में नहीं आता है कि 55 साल निकल गये, 55 साल निकलने के बाद भी लोगों को अपनी रोजीरोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य और बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बात रखी और मैंने उस समय यह संकल्प किया, यह बात सही है कि हर चीज का जवाब हमारे हाथ में नहीं है, न पांच महीने या आठ महीने के अन्दर कोई जादू का डण्डा अपने हाथ में है जो हम पूरे क्षेत्र को बिलकुल ही साफ और ठीक करके रख दें, जो 55 साल में आज तक नही हुआ है। परन्तु हमने यह तय किया कि जनता की पीड़ा को समझ कर हम पूरी तरह से उस कोशिश में लगेंगे जिस कोशिश की वजह से हम लोगों को यह प्यार और समर्थन मिला है। शोषित और पीड़ित लोगों की तकदीर को किस तरीके से हम बदल सकते हैं, उसकी तरफ हम लोग कदम उठाने की कोशिश करेंगे। मैं जानती हूं कि काम मुश्किल है, काम आसान नहीं है परन्तु उसके

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बावजूद भी अगर लक्ष्य बनाकर मेहनत की जाए तो मैं समझती हूं कि कुछ काम जरूर हो सकते हैं।

यह परिवर्तन चाहने वालों का सपना हमने उनकी आखों में देखा था और मैं समझती हूं कि इन्होंने जो अरमान संजोये हैं, वही आशीर्वाद की वजह से हम लोग यहां इतनी संख्या में आज बैठे हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि सत्ता की चकाचौंध में मैं उन गरीबों के हालातों को नहीं भूलूंगी, मेरे दिल के तार आज भी उन लोगों से जुड़े हुए हैं और उनकी मुसीबतों को अपने ध्यान में बार-बार रखने की कोशिश करके हम योजनाओं की क्रियान्विति करेंगे ताकि उन सबको लाभ मिले।

कई प्रश्न मेरे से पूछे तो मैं माननीय सदस्यों के प्रश्न के ऊपर जाने से पहले प्रतिपक्ष के नेता ने जो मेरे से प्रश्न पूछे थे उसके बारे में थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी।

आपने यह आरोप लगाया कि साढ़े सात हार्स पावर के कनेक्शन पर मांग पत्र की राशि बढ़ा दी है, यह बिलकुल सही नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आपको बता सकता हूं। हमारे यहां बीकानेर के जो गांव है, डूंगरगढ़ और बीकानेर के, नापासर के जो गांव साढ़े सात हार्सपावर में थे उसको 35 हार्स पावर के ग्रुप में डाल दिया, उसके कारण वहां कनेक्शन महंगे हो गये।

श्री अध्यक्ष : साढ़े सात वाले को तो 35 में डाल ही नहीं सकते। गलत बात है। साढ़े सात को 15 में डाल दिया होगा, 10 में डाल दिया होगा, 35 में कैसे डाल देंगे ? आप भी अजीब बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चैंज करा सकता है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : बिजली की जो मुसीबत है उसके ऊपर ही आप. कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव हारी है और इस चीज को आपने ध्यान में रखकर, हमने तो हमारे सी.एम.ओ. के अन्दर ही एक ग्रुप बनाकर रखा है जो डेली जगह-जगह के ऊपर मानीटरिंग करता है और मैं आप लोगों को कहना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चाहूंगी कि अगर किसी का भी ग्रुप इधर से उधर गलती से भी हुआ तो उनके हाथ में इतना है कि वह फोन करके हमें कह दे और तुरन्त ही अपने ग्रुप को चेन्ज करवा के काम करवा लें।

श्री अध्यक्ष : साढ़े सात का 35 हो ही नही सकता, यह गलत है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : हो ही नही सकता, यह मैं कह रही हूं। यह बिलकुल ही गलत है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर, नापासर में यह हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नहीं बता सकते। आप थोड़ा जानकारी करिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर और नापासर में यह हुआ है।

श्री अध्यक्ष : 12 हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता। आप गलत कह रहे हैं, गलत बात है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इसी तरीके से आपने यह कहा कि कोई भी किसान को को-आपरेटिव लोन के अन्दर आपको कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि यह भी सरासर गलत है। को-आपरेटिव डिपार्टमेन्ट ने आर्डर इश्यू कर दिये हैं to convert short term loans to medium term loans जो भी फेमिन अफेक्टेड एरिया है उसके अन्दर (व्यवधान) हां, मैं आ रही हूं उस पर। आपका जवाब ही दे रही हूं।

आपने यह कहा है कि फर्स्ट दिसम्बर के अन्दर जो आपने हमें बताया था कि फेमिन कोड वगैरह आता है, उसको ध्यान में रखते हुए तुरन्त ही आर्डर उस पर निकल गये हैं वसूली भी और ऋण के अन्दर, सब स्थगित हो गये हैं। तो यह भी बात गलत है। (व्यवधान) मैं आपको बता रही हूं, यह गलत नहीं।

इसी तरीके से आपने कहा है कि टैक्स लोड को सिम्प्लीफिकेशन के दायरे में, सिम्प्लीफिकेशन का नाम लेकर हमने इसको और बढ़ा दिया है। यह भी बिलकुल गलत है क्योंकि आप यह ध्यान करें कि बजट भाषण के अन्दर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैंने केवल टैक्स रेट को सिम्प्लीफाई किया था। सरचार्ज और टर्न ओवर टैक्स को हटा भी दिया था और मैं यही कहना चाहती हूं कि किसी पर अधिक मार न हो। मार किसी पर हो, यह बिलकुल ही गलत बात है तो इसलिए इस चीज के ऊपर भी आपको बताना चाहूंगी कि यह बात जो आपने कही है वह गलत है।

इसी तरीके से आपने जो कहा कि खाद की कमी है और ब्लैक मार्केटिंग इसके अन्दर हो रही है, मैं खाली यह बताना चाहूंगी कि माह दिसम्बर और जनवरी के अन्दर दो लाख टन यूरिया खाद ज्यादा वितरित हुआ है, तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

इसके साथ-साथ यह आपने अभी कहा है कि दूध बाजार भाव से तीन रुपये कम में खरीदा जा रहा है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि दूध लीटर के हिसाब से नहीं वैसे, वह के.जी. फैट के हिसाब से लिया जाता है और प्रदेश की विभिन्न कोआपरेटिव यूनियंस ने वर्तमान में 160, 210 रुपये लीटर के.जी. फैट का इसके ऊपर ले रहे हैं जो पिछले वर्ष से अधिक है और यही कारण है कि इस समय यूनियंस करीब बीस लाख लीटर दूध अभी प्रतिदिन एकत्रित कर रहे हैं, ज़ो पिछले साल से बहुत ज्यादा है। वह अपने आप में ही कीर्तिमान है।

इस तरीके से मैं बताना चाहती हूं कि प्राइस आफ पावर, आपने कहा वह रेज हो गया टू 65 पैसा पर यूनिट, यह भी बिलकुल गलत है। हमने तो कुछ दरें बढ़ायी ही नहीं है और मैं इसके ऊपर आने वाली हूं।

तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूं कि अपन जो भी बात कर रहे हैं वह बात ध्यान में रखें। कोई गलत बात हाउस में नहीं आनी चाहिए और मैं मानती हूं कि जो भी हम लोगों ने किया है वह संवेदनशीलता बरतते हुए लोगों की कठिनाई और उनकी मुसीबतों को देखते हुए उसको हल्का करने की कोशिश में हमने किया है।

कई माननीय सदस्यों ने सदन के अन्दर अच्छे सुझाव रखे हैं और अपनी कठिनाइयों को भी रखा है। मैं सब माननीय सदस्यों की भावनाओं का

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आदर करती हूं और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए बारां जिले के अन्दर तथा क़थित भूख से हुई मौतों के बारे में चिन्ता व्यक्त की। मैं समझती हूं कि मेरे से ज्यादा किसी को चिन्ता होनी चाहिए क्योंकि वह क्षेत्र मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र के चप्पे-चप्पे को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूं। यह बात सही है कि दो साल पहले जब अकाल पड़ा था राजस्थान के अन्दर तो भूख की मौतें हुई थीं परन्तु आज अकाल नहीं है। यह 50 साल से जो जनजाति है काठोडी और सहरिया, इनके ऊपर चिंन्ता करने की जरूरत थी परन्तु पिछले पचास साल से आपकी सरकार लगातार होने के बावजूद भी किसी ने इनकी सुध नहीं ली है, इनके बारे में किसी ने पूछा तक नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2004 में हर्ष मंडेर जी को बारां जिले का सर्वेक्षण करने और उसके बारे में रिपोर्ट देने को अधिकृत किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा है कि बारां जिले के अन्दर जो मौतें हुई हैं वह भुखमरी के कारण हुई है। उन्होंने यह जरूर कहा है कि कुपोषण की वजह से प्राब्लम उठी और उन्होंने यह जरूर कहा है कि खाद्य सुरक्षा के बाबत कोई सकारात्मक सुझाव हमने अपने लिखे हुए हैं। इन सुझावों पर आप ध्यान दीजिए। हम भी इस बात को कह रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मुख्यमंत्रीजी गलत कोट कर रही हैं। मेरे पास भी यह रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट है मेरे पास में (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिराजिये आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री नन्दलाल बंशीलाल : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण।

डा. दिगम्बर सिंह : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्यगण....

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्रीजी एक बार आप भी स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, यह नियमों के विपरीत है। जब माननीय मुख्यमंत्रीजी अपना पूरा भाषण दे लें उसके बाद यदि आपको कोई क्लेरिफिकेशन लेना है, कोई प्रश्न पूछना है तो आपको पूछने की इजाजत फिर भी दे सकती हूं। बीच में आप बिलकुल नहीं बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आई विल नोट अलाउ।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : xxx

डा. दिगम्बर सिंह : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की बड़ी स्वस्थ परम्पराएं रही हैं। इसकी गरिमा को न बिगाड़ें आप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भाषण की समाप्ति के बाद आपको कोई शंकाएं हैं, कोई आपको प्रश्न पूछना है तो मैं आपको आज्ञा दे सकती हूं लेकिन इस प्रकार से नेता सदन के बोल रहे हों...

श्री संयम लोढ़ा : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : और आप बीच में खड़े होकर के कुछ विघ्न डालते हैं यह उचित नहीं है और यह सदन की परम्पराओं के बिलकुल विपरीत है, नियमों के विपरीत है।

श्री हेमराज मीणा : x x x

डा. दिगम्बर सिंह : x x x

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे मजबूर न करें। (व्यवधान) रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य आप मुझे मजबूर न करें। आप नये-नये हैं नियमों की जानकारी नहीं है।

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य इस आसन की उपेक्षा करेगा यह आसन भी उसकी उपेक्षा करेगा। आसन नियमों से चलता है। आप यदि उपेक्षा करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? तो आसन को भी इग्नोर करना पड़ेगा। क्या करेगा आसन।

श्री जुबेर खान : x x x

श्री अध्यक्ष : यह गलत है। मैं भी मानती हूं (व्यवधान) सत्ता पक्ष के भी कुछ माननीय सदस्य आसन का काम करने लग जाते हैं। आसन का काम आसन करेगा। आप शांत होकर बैठे रहा करें। मुख्यमंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं विपक्ष के सदस्यों को इतना ही कहना चाहूंगी "तुम्हारें पांवों की थकान भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकालकर तो देखो।"

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर इस कुपोषण को हां, अगर मौतें कुपोषण की वजह से, बीमारी की वजह से वहां हो रही है तो पचास से पचपन साल में किसी ने इसको अपने हाथ में ले लिया होता, यह मामला सीरियस है तो मैं समझती हूं कि इन लोगों के जीवनयापन करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनकी समस्या को हम लोग निपटा सकते थे और इसीलिए क्योंकि मेरा खुद का क्षेत्र है इसलिए मैं इसके बारे में कह सकती हूं, बाहर का कोई कहे उस क्षेत्र के बारे में तो जितना हम जानते हैं उस क्षेत्र

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के बारे में मैं समझती हूं कि बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि सहरिया के कुपोषण की स्थिति को हमने बहुत ही नजदीक से देखा है, इसका आभास हमें पूरी तरह से भलीभांति है और इसमें हम कोशिश में लगे हैं कि कोई पैकेज बनाकर इसको नजर में रखकर बजट के अन्दर इनके कल्याण के लिए कुछ लाभकारी योजनाएं हम बनाएं। उनकी घोषणाएं हमने कीं ताकि यह लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और इनके अन्दर दो तीन घोषणाएं की हैं जो पिछले बजट के अन्दर भी थीं।

मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी फिर से कि सहरिया जाति के प्रत्येक परिवार को बी.पी.एल. परिवार के समान सभी सुविधाओं का महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया। सहरिया जनजाति के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया है हम लोगों ने। हमने उनके लिए 1200 आवासों का निर्माण किया है। हमने अन्त्योदय योजना में शेष बचे हुए सहरिया परिवार को दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से 35 किलो गेहूं उपलब्ध करवाया है। सहरिया आदिवासियों को वन विभाग के कार्यों में रोजगार उपलब्ध करवाया है ओर बारां जिला और किशनगंज इलाके में आदिम जनजाति समूह के आर्थिक और शैक्षणिक उद्धार के लिए हम लोगों ने पैकेज तैयार किया है। यह काम जुलाई के महीने में हम लोगों ने बजट पारित किया और यह काम उसके दो या तीन महीने में तुरन्त बाद चालू कर दिया।

मैं समझती हूं कि इससे जल्दी कोई काम हो ही नहीं सकता था। इस सरकार ने किया है और आजादी के बाद पहली बार ऐसा काम यह हुआ है और मैं समझती हूं कि इतने सारे लोग इतने पीड़ित लोग जो हैं उनको अब गरीबी से कुछ निजात मिलने की आशा लगती भी है। मैं समझती हूं आत्मा निर्भर होकर अपने पैरों पर खड़े भी हो सकेंगे।

मैं यह कहना चाहती हूं कि राज्य सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 को राजस्थान में तथाकथित मौत के बारे में एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में वर्तमान यू.पी.ए. सरकार के कृषि राज्य मंत्री ने यह कहा कि राजस्थान के सहरिया जनजातियों में भूख से कोई भी मौत नहीं हुई है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अकाल के मुद्दे पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य दिए हैं और इसमें परबतसर, शिव, पीलीबंगा, सुमेरपुर, लूणी यह सब माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी हैं। मैं उन सबके ध्यान में दिलाना चाहूंगी कि पिछले एक दशक से नौ बार राजस्थान में अकाल पड़ा है और ऐसा लगता है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अकाल राजस्थान की नियति के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस वर्ष हमारे ऊपर प्रकृति ने कृपा की है और प्रदेश के अधिकांश भागों में पर्याप्त वर्षा भी हुई है। हमारे किसान खुशहाल भी दिखतें है, खुश भी दिखतें है। लेकिन कुछ इलाके हैं जहां कमजोर मानसून है और वह 18 हजार के लगभग गांव है जहां 50 प्रतिशत से अधिक फसल बरबाद हो गयी है। इस बहुत ही संवेदनशील मामले में मैं समझती हूं कि सब लोग दुःखी हैं, इसके बारे में चिन्तित भी हैं और अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन मुझे समझ में यह नहीं आया कि हम लोग जब वक्तव्य देना चाह रहे थे हाउस के अन्दर उस समय कोई भी इस विषय पर सारगर्भित बहस नहीं हो सकी, अगर यह हो जाती तो मैं समझती हूं इससे हमारे लोगों को जनता को और जनता को बहुत कुछ फायदा भी मिलता। वैसे भी हम लोग राज्य के अन्दर प्रभावित जन धन, जो पशु धन है उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और इसके लिए हम लोगों ने आवश्यक कदम भी उठा लिये हैं। हमने एक ज्ञापन के माध्यम से केन्द्र सरकार से 2378.64 करोड़ रुपये की धनराशि और 28.80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की मांग की है और एक दिसम्बर से खसरा, गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर हमने अकाल राहत के काम चालू कर दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में फरवरी से अकाल राहत पर आठ लाख लोगों को नियोजन हेतु श्रमिक सीमा हमने तय कर ली है और पशुओं को अनुमानित दरों पर चारा मिले इसके लिए 1688 चारा डिपो खोलने की हम लोगों ने स्वीकृति जारी कर दी है। पशु संरक्षण के लिए परिवहन अनुदान चारा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

डिपो के लिए दरें 10 से 15 प्रतिशत हमने बढ़ाने का निर्णय ले लिया है ताकि पशु पालकों को सस्ती दरों पर चारा मिले और उनको भी ज्यादा दु:ख देखने की जरूरत ना हो। इस बार अकाल राहत के लिए हमने कुछ नये कार्य भी चालू कर दिये हैं। कुछ ठोस कार्य की भी जरूरत है। जैसा अभी बूंदी से आये हुए माननीय सदस्य कह रहे थे कि काम ऐसे होने चाहिए जो ठोस हों और लोगों को याद रहें कि यह काम हुए हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने वर्षा जल के संग्रहण और भू-जल के पुनर्भरण के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा करीबन 1031 एनीकटों के निर्माण कार्य के मजदूरी का अंश अकाल राहत के अन्दर जोड दिया है। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के चार जिलों में डिग्गी बनाने और फव्वारों का कार्यक्रम इस अकाल राहत के साथ ऋण मद में धनराशि उपलब्ध कराने की हम लोगों ने बात रखी है।

अध्यक्ष महोदय, स्थायी सम्पत्तियां बने, स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण हो, इस लक्ष्य के साथ हम लोगों ने 150 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष में मैटेरियल कम्पोनेंट के लिए अतिरिक्त प्रावधान रख दिया है। ताकि इससे भी उपलब्ध धन राशि के दूरगामी लाभ प्रदेश को हों और इसके साथ-साथ 5 पी.पी.एम. से अधिक जहां फ्लोराइड है उन गांवों को सतही जल के संग्रहण के लिए हम लोगों ने पुराने तालाबों को पुनरूद्वार और नये तालाबों का निर्माण यह भी अकाल राहत में जोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सिरोही से, दूदू से और टोडारायसिंह से इन्होंने मानसी वाकल योजना, बीसलपुर योजना और दूदू बीसलपुर योजना के कार्य की गति पर चिन्ता प्रकट की तो मैं यह बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने जयपुर के लिएं बीसलपुर से पानी लाने के लिए सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी और इस योजना के वित्त पोषण के लिए ठोस व्यवस्था नहीं की थी। फलस्वरूप यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पायी। योजनाओं के बहुत सारे शिलान्यास तो करे हैं परन्तु कोई उपलब्धि हासिल नहं कर पाये हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीसलपुर योजना की परिकल्पना हुई थी और आज हमारी सरकार के समय में इसको

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मूर्त रूप देकर इसको वित्त पोषित करके हमने ठोस प्रयास किये हैं कि यह काम जल्दी से जल्दी हो। हमारी सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए एशियन विकास बैंक और जे.बी.आई.सी. के साथ ऋण स्वीकृत करवा दिया है और निविदा सम्बन्धी कार्य अपेक्षित गति से चल भी रहा है। 31 दिसम्बर, 2007 तक बीसलपुर का पानी जयपुर तक पहुंच जायेगा। इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। दूदू-बीसलपुर इसके साथ जुड़ा हुआ है और मैं समझती हूं कि जब जयपुर तक लाइन आयेगी तो उसके साथ इसकी क्रियान्विति भी समानान्तर ही हो जायेगी। उदयपुर शहर के लिए जो मानसी वाकल योजना की क्रियान्विति कई कठिनाइयों से गुजरी है। हमने उसको एक एक करके सुलझाने की कोशिश की है और अब यह कार्य बहुत ही जल्दी चल रहा है। मानसी वाकल योजना के बांध के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। टनल और जो अन्य निर्माण के कार्य हैं वह बहुत अच्छे और अपेक्षित गति से चल रहे हैं। माननीय सदस्यो ने कहा कि मानसी वाकल योजना पर सिर्फ 32 लाख रुपये खर्च किए हुए हैं। यह बिलकुल सही नहीं है, मैं कहना चाहूंगी कि माह दिसम्बर, 2004 तक इस पर 586 लाख रुपये जनवरी, 2005 तक 818 लाख रुपये व्यय हो गये हैं और इस वर्ष के अन्त तक 1300 लाख रुपये खर्च हो जायेंगे जो कि एक संशोधित वित्तीय प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने यह भी कहा है कि भरतपुर की स्कीम में देरी क्यों हो रही है और इसको जल्दी से जल्दी टाइम लाइन के अन्दर आपने अभी तक क्यों नहीं किया है। यह देरी इसलिए हो रही है कि उसका फिल्टेशन प्लान्ट धौलपुर में चम्बल नदी के अन्दर बनना है। उसको परमीशन आपकी एनवायर्नमेन्ट मिनिस्ट्री से मिलनी है और कई चिट्ठी लिखने के बाद, कई टेलीफोन करने के बाद वह परमीशन हम लोगों को नहीं मिली है। फिल्ट्रेशन प्लान्ट अभी तक चालू नहीं हुआ है इसलिए उसमें डिले हो गया है। मैं आप सब लोगों से यह अपेक्षा करूंगी कि आप लोगों की मदद से शायद इसको आप कहकर के जल्दी करा दें ताकि भरतपुर में पानी जल्दी से जल्दी पहुंच सके।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अध्यक्ष महोदय, वल्लभनगर से आये हुए माननीय सदस्य ने पेयजल के बारे में पुरजोर शब्दों में अपनी बात रखी। मैं यह कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने इस चीज को सबसे पहली प्राथमिकता दी और हमने कोशिश यह की कि फ्लोराइड ग्रसित जो गांव हैं उसके अन्दर जल्दी से जल्दी यह कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाये ताकि आदमी को जानकर के दूषित पानी की जरूरत नहीं हो। 2004 की गर्मी में राज्य सरकार द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से भीलवाडा है, पाली है, राजसमंद है, जयपुर जिले के क्षेत्र के अन्दर रेल के द्वारा हम लोगों ने पानी पहुंचाया था और राज्य के दस हजार गांवो में, ढाणियों में प्रतिदिन हमने 20 हजार टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचाया था, मैं समझती हूं कि अब हमारी कोशिश यह है कि अभी गर्मी आयेगी, हम जानते हैं कि पानी की किल्लत होगी तो हम लोगों ने शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संवर्धन योजनाएं पहले से ही स्वीकृत कर दी है ताकि गर्मी के अन्दर हम लोगों को नुकसान नहीं हो और जनता को पूरा लाभ हो।

अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी से आये हुए माननीय सदस्य और टोडारायसिंह से आये माननीय सदस्य ने यह कहा था कि विद्युत संकट के सम्बन्ध में चिन्तित हैं। हम लोगों को भी चिन्ता थी इसलिए हमने वादा किया था सात-आठ घंटे बिजली देने की कोशिश करेंगे और हमारे किसानों को और उसके साथ-साथ शाम को बिजली सिंगल फेज की और सुबह भी दो घंटे बिजली सिंगल फेज की हम लोग देंगे। मैं यह कह सकती हूं कि हमारे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अगर कटौती करने की भी जरूरत पड़ी क्योंकि जब हमारे थर्मल पावर प्लान्टस फेल हुए उस समय हम लोगों को जब कटौती करने की जरूरत हुई तो कटौती की और ग्रामीण उपभोक्ताओं को विशेषकर रबी की फसल में सप्लाई किया है ताकि उनको कभी भी कठिनाई नहीं हो। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि रबी की फसल के समय 125 लाख एल.यू. जो आपके 2003 के अन्दर इनको मिला था वह वर्ष 2004 में 925 लाख एल.यू. हो गया है जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। 100 लाख यूनिटस हम लोगों को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बाहर से खरीदना पड़ा। दो करोड़ रुपये प्रतिदिन भार हम लोगों को वहन करना पड़ा और इस वर्ष हमने 600 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली अतिरिक्त क्रय की है। हमने राज्य की कृषि को प्रधान अर्थव्यवस्था समझते हुए हर सम्भव सम्बल प्रदान किया है। मैं मानती हूं कि इस विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार हुआ है। फसल के दौरान विद्युत की आपूर्ति को लेकर किसानों को कोई समस्या नहीं हुई है। मैं नहीं समझती हूं कि कहीं किसानों को धरना या कहीं भी बैठकें, प्रदर्शन या कोई ऐसी बात हुई हो, यह भी अपने आप में उल्लेखनीय है।

पिछले कई वर्षों से कृषि कनेक्शनों का जो लक्ष्य हुआ करता था वह मात्र 15 हजार कनेक्शनों का था, हम लोगों ने यह तय कर लिया है कि 40 हजार कनेक्शन देंगे, इसको ध्यान में रखते हुए 28 हजार कृषि कनेक्शन हमने आलरेडी दे दिये है, 31 मार्च तक हम लक्ष्य को पूरा कर देंगे। हमने यह भी तय किया है कि जो मांग पत्र है, उसको ज्यादा सरल कर दें ताकि लोग उसको आसानी से भर सके। तीन साल के अन्दर हमारे जो समस्त लम्बित आवेदक हैं उनको पूरी तरह से कृषि कनेक्शन हम लोग दे दें ताकि अगले 10-12 वर्ष के लिए उनको प्रोब्लम न हो। जो 10-12 साल से दुखी हो रहे हैं उनको प्रतीक्षा करने की जरूरत न हो और इसके साथ-साथ विद्युत की छीजत भी कम हो जाये।

इसके साथ-साथ हमने फीडर सुधार कार्यक्रम भी हाथ में लिया है और उसको गति दी है। इसके लिए हमने 2004-05 के अन्दर 402 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है। 400 के.वी. के दो ग्रिड सब-स्टेशन मेडता और दूसरा जोधपुर के अन्दर, ताकि वोल्टेज के उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान न हो। प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने हमको यह कहा कि आपने 33 के.वी. सब-स्टेशन बहुत कम बनाए, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह गलत है। हकीकत तो यह है कि हम लोगों ने सौ दिवसीय कार्ययोजना के अन्दर दिसम्बर, 2003 से लेकर मार्च, 2004 तक, तीन महीने के अन्दर 322

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गांवों को विद्युतीकृत किया है जबकि पूर्व सरकार के शासन काल में अप्रैल, 2003 से लेकर नवम्बर, 2003 तक, नौ महीनों के अन्दर सिर्फ 48 गांवों के अन्दर बिजली गई थी। इसी प्रकार से दिसम्बर, 2003 से लेकर मार्च, 2004 तक 78 नए 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाए जबकि पिछली सरकार ने 8 महीने के अन्दर सिर्फ 64 ही 33 के.वी. सब-स्टेशन लगाए और इस मार्च, 2005 तक 220 के.वी. के 4 नए ग्रिड सब-स्टेशन हमारे तैयार हो जायेंगे जो है, सुजानगढ, जालौर, फलौदी, अमरसर, जैसलमेर के अन्दर यह चालू कर दिये जायेंगे।

विद्युत दरों की बात उठी तो मैं यह कहना चाहती हूं कि कृषि विद्युत दर 01-12-1998 के अन्दर 50 पैसे प्रति यूनिट थी, यह 01-11-1999 में 70 पैसे प्रति यूनिट हुई फिर 01-04-2001 के अन्दर 90 पैसे प्रति यूनिट हुई। 80 प्रतिशत वृद्धि तीन साल के अन्दर पिछली सरकार ने की। मैं समझती हूं कि इस सरकार ने अपने समय के अन्दर कोई बढ़ोतरी अभी तक नहीं की है। घरेलू विद्युत दरों के अन्दर भी उपभोक्ताओं को 112 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, और 170 पैसे प्रति यूनिट कर दिया, माने 55 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने अपने समय के अन्दर बढ़ी हुई दरों की भरपाई 127 करोड़ रुपये हमारे पहले तीन महीनों के अन्दर विद्युत वितरण निगमों को दे दिए हैं और इस वर्ष 1167 करोड़ रुपये का अनुदान विद्युत कम्पनियों को हम लोगों ने दिया है।

इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विद्युत दरों की वृद्धि के बारे में आपने पूछा था उसके लिए मैंने आपको बताया। मैं समझती हूं कि ट्रान्सफार्मर्स के लिए भी कई लोग चिंतित थे। सुमेरपुर से आने वाले और किशनगढ से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने 29-03-2003 को आदेश दिया था कि शिकायत मिलते ही 72 घंटे के अन्दर ट्रान्सफार्मर्स बदली करनी चाहिए। दिसम्बर, 2003 में जब हमने देखा तो आदेश पर कोई ठोस कार्यवाही

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

नहीं हुई थी और उस अवधि के कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। जैसे ही हमारी सरकार आई हम लोगों ने तय किया कि 72 घंटे फ्रोम टाइम और शिकायत नहीं, जब से जला, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रान्सफार्मर्स बदलें और हम लोगों ने निर्देश दिए कि 72 घंटे की समयावधि के अन्दर कड़ाई से इसकी पालना करनी है और जनवरी, 2004 से जनवरी, 2005 तक हमने 42 लाख 2024 टान्सफार्मर्स जो जले, करीब 41 लाख ट्रान्सफार्मर्स हम लोगों ने 72 घंटे के अन्दर बदले। जो 500 और कुछ थे वह हम लोग नहीं बदल पाए लेकिन 99.7 प्रतिशत औसत हम लोगों को मिला।

श्री अमराराम (धोद) : 42 लाख के आसपास तो है ही नहीं ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : 42 हजार। (धन्यवाद) सड़क के बारे में कई लोगों ने अपनी बात रखी। प्रतिपक्ष के नेता ने ड़ेढ घंटे का समय लिया है और मुझे आप सुनेंगे तो ज़ल्दी खतम कर लेंगे नहीं तो इसके लिए दो घंटे लग जायेंगे। क्योंकि उनके क्वेश्चन है, मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है।

मकराना और परबतसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने सड़क के बारे में बात रखी थी। मैं यह कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने तो प्रथम स्थान अर्जित किया है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्दर और विगत वर्ष के दो माह तक हम लोगों ने 1793 गांवों को सड़क से जोड़ा है, जो एक कीर्तिमान है अपने आप के अन्दर। मैं ऐसा कम्पेरीजन नहीं कर रही हूं कि पांच साल के अन्दर कितना हुआ था और कितना एक-ड़ेढ साल के अन्दर हुआ है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगी कि पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा पूर्व निर्मित डब्ल्यू.बी.एम. रोड्स करीब 2500 किलोमीटर को दो चरणों के अन्दर डामरीकृत होंगे। राज्य सड़क तंत्र को सुधारने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, 12 हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण करने का कार्यक्रम योजनाबद्ध ढंग से हम जल्दी से जल्दी चलायेंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की गोल्डन क्वाड्रेंगल योजना को देखते हुए हम लोगों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ने यह तय किया कि उत्तरी राज्यों से आने वाले यातायात को जो दक्षिण पश्चिम राज्यों में जाता है, उनको सुगम और छोटा मार्ग देने के लिए 1200 किलोमीटर लम्बाई के चार राज्य उच्च मार्गों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी योजना अपने हाथ में ले ली है और यह 50-50 भागीदारी सरकार और आई.एन.एफ.एस. की, यह जोइन्ट वेन्चर करके हमें उम्मीद है कि जुलाई, 2005 तक इसका कार्य प्रारम्भ हो जाएगा, इसके प्रिलिमिनरी वर्क्स बिलकुल ही समय पर हैं तो विश्वास करती हूं कि जुलाई, 2005 तक यह काम चालू हो जाएगा।

मावली से और सीकर से आने वाले माननीय सदस्यों, नाथद्वारा और नगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमने बजट में घोषणा की थी 26 हजार सहयोगिनियों की भर्ती की और यह कार्य हम लोगों ने पूरा नहीं किया है। 12 हजार सहयोगिनियों की भर्ती की है। इसमें मैं यह बताना चाहूंगी कि हमने अब तक 20 हजार सहयोगिनियों को चयन कर लिया है और आप सब जानते हैं कि यह चयन ग्राम सभा के माध्यम से होता है। लोक सभा, विधान सभा, पंचायतीराज और उप चुनाव होने की वजह से ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं किया जा सका है। उसके बावजूद भी 20 हजार का हम लोगों ने किया है और मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि सहयोगिनियों जो बाकी बची हुई हैं, उनका भी चयन बहुत जल्दी ही हो जाएगा।

इसी तरीके से नाथद्वारा से आने वाले, नगर और टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्यों ने विद्यालयों से महिलाओं के ड्राप आउट के बारे में आपनी बात रखी। मैं इसमें कहना चाहूंगी कि विद्यालयों से महिला शिक्षा में जो ड्राप आउट है उसमें हम सब लोग चिंतित हैं, निश्चित तौर पर यह चिन्ता का विषय भी है। हमने यह कोशिश की है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से राष्ट्रीय प्राथमिक स्तर बालिका शिक्षा कार्यक्रम के अन्दर 357 बालिका शिक्षा शिविरों का आयोजन करने का हमने कार्य किया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

शिक्षाकर्मी योजना के अन्दर 54 आवासीय शिविरों के माध्यम से 6 हजार बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है और 15 से 35 ड्राप आउट लड़कियों और महिलाओं का उसमें इस वर्ष 10800 और कुछ महिलाओं के लिए विशेष शिविर रखे हैं और जनवरी, 2005 तक 8090 शिविरों का आयोजन किया जा चुका होगा। इस कार्य के अन्दर हम लोगों ने 10.97 करोड़ रुपये के विरुद्ध 6 करोड़ रुपये का खर्च कर लिया है।

आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने बाहरवीं कक्षा तक जो बालिका रहती है उसको निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करवाने का एक बहुत ही नवीन किस्म का कार्यक्रम बनाया है और यह आजादी के बाद पहली बार मैं समझती हूं कि किसी सरकार ने नहीं किया है। मैं मानती हूं कि इससे बालिकाएं स्कूलों में और रह जायेंगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने बहुत ही छोटे समय में कक्षा 1 से 8 तक के 11.7 लाख बालक बालिकाओं को और 9 से 12 कक्षा के 12.59 लाख बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की है, इसके ऊपर 60 करोड़ रुपये हम लोगों ने खर्च किए हैं एक साल के अन्दर और करीब 11 हजार स्कूल खोले हैं तो मैं यह समझती हूं कि यह भी अपने आप में एक रिकार्ड है।

नाथद्वारा और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने उप केन्द्रों पर प्रसूति गृहों के निर्माण कार्य के बारे में पूछा था। इसमें मैं कहना चाहूंगी कि 150 प्रसूति गृह चालू करने का हमने विचार किया है। अभी तक 16 उप केन्द्र पर प्रसूति गृह का निर्माण हो चुका है, 60 निर्माणाधीन है, शेष के लिए हमने आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी है और वह समय पर हम लोग पूरा कर लेंगे।

इसी तरीके से शाहपुरा, नाथद्वारा के माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने शिक्षकों के बड़ी संख्या में जो रिक्त पद हैं उनके बारे में अपनी बात रखी थी। विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं की वजह से शिक्षकों की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

भर्ती उलझती रही है और इसके पश्चात भी राज्य सरकार ने 37 हजार तृतीय श्रेणी अध्यपाकों की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और मैं यह कहूंगी कि इसमें से 10 प्रतिशत पद विधवा और परित्यक्ताओं के लिए हमने रिजर्व किये हैं जो लगभग 3700 हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका में पारित निर्णयानुसार 28 फरवरी, 2005 तक नियुक्ति आदेश जारी करने पर शायद रोक लगी है, पर भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी। मैं समझती हूं उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष सुयोग्य अधिवक्ता के द्वारा हम लोग रखेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

हमने एक नयी चीज यह चालू करने की कोशिश की है हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं, पर इसके बावजूद भी हम लोगों ने 100 करोड़ रुपये मिड डे मील योजना के ऊपर व्यय करने का सोचा है। भोजन के रूप में सिर्फ घूघरी का भोजन बच्चों को मिलता है। प्राथमिक शालाओं के अन्दर बच्चों का ठहराव करने के लिए और बच्चों को वहां रखने के लिए हमने यह तय किया है कि घूघरी की जगह प्रत्येक वैकल्पिक दिन या तो दाल रोटी या सब्जी रोटी या दाल चावल या मीठे चावल या दाल बाटी उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निश्चय किया है। तीन दिन घूघरी की जगह पूरा भोजन उनको मिलेगा। इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा ओर कुपोषण कुछ हद तक या पूरी तरह समाप्त भी हो जाएगा। इसके अन्दर कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी आकर जुड़ गई हैं और बंगलौर की अक्षयपात्र संस्था ने ये प्रयोग के तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है। 14 पाठशालाओं के अन्दर दाल रोटी दही आदि का वितरण उन्होंने प्रारम्भ कर दिया है। मैं आशा करती हूं कि दिसम्बर, 2005 तक 30 हजार बच्चों तक इनका काम फैल जाएगा और इनको वे लाभान्वित कर सकेंगे। इसके साथ-साथ और भी लोग आ रहे हैं, इस्कान भी हैं, प्रवासी राजस्थानी भी हैं, ये भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो भागीदार बनना चाहती हैं और जितना हो सके हम लोग आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी पूरी तरह से इनका सपोर्ट करेगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जौहरी बाजार से, टोडारायसिंह से, शाहपुरा से और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्यों ने वार्षिक योजना के बारे में कहा, वार्षिक योजना की राशि के सम्बन्ध में उन्होंने चिन्ता प्रकट की और उन्होंने यह कहा कि दिसम्बर, 2004 तक यह व्यय कम हुआ है और केन्द्र प्रवर्तित योजना में भी राज्य पीछे ही चल रहा है। इन सबको मालूम है कि ज्यादातर बुकिंग दिसम्बर और मार्च के बीच में होती है उसके बावजूद भी पिछले वर्ष भी माह दिसम्बर, 2003 तक कुल योजना के आकार का लगभग 48 प्रतिशत व्यय हो पाया था और मैं मानती हूं कि इस वर्ष योजनान्तर्गत व्यय की समीक्षा मेरे स्तर पर सतत रूप से हम लोग उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम हमारे निर्धारित लक्ष्यों की पूरी तरह से प्राप्त कर सकेंगे और प्राप्त करने में सफल होंगे।

इसी तरीके से वित्तीय सुधार और सुशासन के ऊपर भी थोड़ा-सा हमने ध्यान दिया था। मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे कार्यकाल में राज्य द्वारा राजस्व की बढ़ोतरी के ऊपर ध्यान दिया गया और राजस्व व्यय में भी कमी करने के फलस्वरूप वर्ष 2003-04 में राजस्व घाटे का राजस्व प्राप्ति के अनुसार में 22.48 प्रतिशत रहा जो पूर्व वर्ष से 7.6 प्रतिशत का सुधार इंगित करता है। इस सुधार के फलस्वरूप 2002-03 के अन्दर प्रोत्साहन राशि करीबन 60 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई। 2001-02 और 2002-03 में प्रोत्साहन राशि हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। मैं यह उल्लेख करूंगी कि जुलाई, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक राज्य सरकार प्रतिमाह ओवरड्राफ्ट में रही और ओवरड्राफ्ट का संकट कुल 88 दिनों का बना रहा। इसके विपरीत हम लोगों ने जैसे ही टेक ओवर किया उसमें 6 दिन का ओवरड्राफ्ट रहा और चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर एक दिन के अन्दर भी हम लोगों का ओवरड्राफ्ट नहीं रहा यह अच्छी बात है।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के बारे में काफी अच्छे सुझाव दिये। मैं माननीय सदस्य को भी यह स्पष्ट करना चाहूंगी पंचायत स्तर के ऊपर प्रभावी समन्वय की दृष्टि से हम लोग मिनी सचिवालय की स्थापना का सोच रहे हैं और मैं सोचती हूं कि

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पंचायत स्तर के सभी कार्यालयों के कार्मिक एक छत पर नीचे बैठकर काम कर सकते हैं। इसी प्रकार पंचायतीराज संस्थाओं के आपसी समन्वय को प्रभावी पर्यवेक्षण की दृष्टि से पंचायत स्तर के अन्दर एक कम्प्यूटर और कम्प्यूटरीकरण करने की परिकल्पना हम लोगों ने तैयार की है। पंचायत समिति स्तर के नेटवर्क को इसी वर्ष हम लोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

यह बात सही है महात्मा गांधी ने कहा यही था कि भारत की आत्मा गांवों के अन्दर ही रहती है और देश के विकास का रास्ता गांव, खेल और खलिहान के अन्दर से ही निकलता है। मुझे कहते हुए दुख है कि पिछली सरकार का विकास के मामले में गांवों के साथ कुछ तो सौतेला व्यवहार हुआ है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा इन सब चीजों के ऊपर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए लोग तरसते गये। जब भी हम लोग गांव के अन्दर घूमे यह देखने को मिला। गांव हमारी एक बुनियाद है और इसलिए मैं कहना चाहूंगी बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के शहरों और गांवों के अन्दर हम लोग सन्तुलित विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। व्यावहारिक पहलू पर गौर करने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय समिति बनाई गयी है और विभिन्न राज्यों की पंचायतीराज संस्थाओं के कार्य संचालन का वह अध्ययन कर रहीं है। उसके बाद वो व्यवस्था बतायेंगे। सकारात्मक परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो जाए। यह सिर्फ कागज के ऊपर न रहे बल्कि फण्ड, फंक्शंस और फंक्शनरीज का पूरी तरह से डिवोल्यूशन गांवों की तरफ करने की पूरी कोशिश है।

कानून-व्यवस्था के ऊपर काफी लोगों ने चिन्ता प्रकट की। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य, जयपुर ग्रामीण के माननीय सदस्य, नगर के माननीय सदस्य, शाहपुरा के, सुमेरपुर के, केसरीसिंहपुर के, और भी माननीय सदस्यों ने इसकी बात उठायी। मैं आपको बताऊं पुलिस प्रशासन और जनता

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के बीच में एक अच्छे और बेहतर सहयोग की वजह से राज्य के अन्दर कोई भी साम्प्रदायिक किस्सा नहीं हुआ है और बहुत अच्छा सौहार्द, सदभाव बना रहा है। सभी त्यौहार और मेले शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाये गये हैं। राज्य की पुलिस सजग रही है। उसके फलस्वरूप कोई भी आई.एस.आई. या विघटनकारी तत्वों द्वारा इस वर्ष आतंकवादी घटना नहीं घटी है। राज्य पुलिस सीमा सुरक्षा बल और इंटेलीजेन्स एजेन्सी के अन्दर जो आपसी समन्वय है उसकी वजह से नारकोटिक्स और विस्फोटक पदार्थों की जो जनरल स्मगलिंग हुआ करती थी, अवैध रूप से ये सीमा पार करते थे उसमें भी कमी आयी है। भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का चलानी प्रतिशत में बताना चाहूंगी 82 प्रतिशत रहा है जबकि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों में चालानी प्रतिशत 97.66 रहा है और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध दर्ज प्रकरण हैं उनका चालानी प्रतिशत 99 प्रतिशत से अधिक रहा है। इसलिए यह सन्तोष का विषय है। पुलिस और जनता के बीच सहयोग और समन्वय रखने के लिए हम लोगों ने जन-सहभागिता का कार्यक्रम चालू किया है, वह निरन्तर जारी रहने वाला अभियान हमने चालू करवाया है, उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। पर मैं यह जरूर मानूंगी, सब माननीय सदस्यों को फिर से आश्वस्त करना चाहूंगी इससे भी बेहतर प्रबन्ध हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जहां-जहां भी लूपहोल हैं, जहां-जहां भी प्राब्लम एरियाज हैं उनको बन्द करने का प्रयास हमारा जारी रहेगा।

जहां तक महिला उत्पीड़न या अत्याचार की बात है इसमें वृद्धि के आंकड़ों का आधार है उसमें वृद्धि किसी तरीके से साबित नहीं होती है। बाड़ी से आये हुये माननीय सदस्य ने डकैती की बात रखी। मैं मानती हूं आपकी भी बहुत पीड़ा है, बहुत सालों से धौलपुर, इस पूरे डांग इलाके के अन्दर हमने डकैती देखी है, परन्तु चाहे भरतपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे धौलपुर हो। पूरे इलाके के अन्दर हमारी पूर्व की सरकार किसी भी तरीके से उसके ऊपर काबू नहीं कर पाई। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे चलकर इसके ऊपर हम लोग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ध्यान दें और आप जिस बात को हमारे सामने लाये थे, जो चिन्ता की है उस चिन्ता को मिटाने की हम लोग भी कोशिश करें क्योंकि धौलपुर के अन्दर जो मुसीबत है वह लम्बी मुसीबत है, पुरानी मुसीबत है और उसको हम लोगों ने, सबने बड़े करीब से देखा है।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी बातें हम लोगों के सामने रखी हैं। उसमें से एक उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में रखी है और उन्होंने कहा कि बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं यह बताना चाहूंगी पिछले पांच साल के अन्दर तो बहुत ही धीमी गति से था, अब हम लोगों ने यह कोशिश की है कि हमारी वेबसाइट का अपडेशन हम लोग तुरन्त ही करें और 25 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध आपने इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मैं यह बताना चाहूंगी कि बहुत प्रमुख परियोजनाओं को हम लोगों ने हाथ में लिया है, चाहे वह "ई-मित्र" हो, चाहे वह सचिवालय का नेटवर्किंग हो, चाहे वह विकास दर्पण हो, चाहे राज्य डेटा केन्द्र हो, चाहे आन लाइन प्राथमिकी आदि जो बहुत सारी हैं, उन सबको पूरा करने का हम लोगों ने ध्यान दिया है और हम विश्वास करते हैं कि "ई-गवर्नेन्स" तंत्र देश के आदर्श "ई-गवर्नेन्स" तंत्र के रूप में हम विकसित अपना करा सकेंगे। ये परियोजनाएं, मैं आपसे सहमत हूं बहुत ही महत्पूर्ण हैं परन्तु जटिल भी हैं और इससे सम्बन्धित सामान जो भी क्रय और अन्य तंत्र के कार्य ये सब अंतिम चरण के ऊपर हैं। हम वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है उसको पूर्ण कराया जाएगा।

समाज कल्याण के हास्टल्स के विषय पर स्थगन प्रस्ताव आज आ चुका है और मैं समझती हूं कि राज्य सरकार के मंत्री महोदय ने सदन को विस्तृत इसमें जानकारी भी दे दी है और इस क्रम में इतना ही कहना चाहूंगी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 602 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, 264 छात्रावास अधीक्षकों के पद अभी भी रिक्त हैं और रिक्त पदों पर उपयुक्त व्यक्ति लग सके इस हेतु हमने कार्यवाही चालू कर दी है। रिक्त पदों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

को भरने से छात्रावासों के अन्दर जरूर कुछ सुधार होगा परन्तु चार साल की जो मानवाधिकार की रिपोर्ट है वह सीधे इस सरकार के माथे मढे, मैं समझती हूं कि वह भी न्यायिक तो नहीं है। इसके बारे में चार साल के ऊपर तीन साल, माने इतने पहले और इस साल के अन्दर जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई है वह सबके ऊपर लागू है। फिर नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मूक बधिर, नैत्रहीन विद्यालयों की स्थापना आप लोगों को करनी चाहिए जो हम लोग विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए 17 ऐसी संस्थाएं अब तक धौलपुर, डूंगरपुर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर के अन्दर इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। झालावाड़ राजसमंद और जैसलपुर की स्वीकृति अभी विचाराधीन है और शेष 9 संस्थाएं हैं, इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति जारी कर दी जाएगी।

जनजाति के बारे में भी आपने बात उठाई थी और आपने यह पूछा कि महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत आबंटित राशि का कम वित्तीय प्रबन्ध होगा, हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश में है क्योंकि मैं भी मानती हूं कि ट्राइबल्स के लिए कम पैसा अलग कर दिया था इसलिए हमने दिसम्बर माह तक 18-18 लाख का खर्च कर दिया और 85 करोड़ के विरुद्ध माह दिसम्बर के अन्दर 37 करोड़ का खर्चा हम लोगों ने कर दिया है। डी.पी.आई.पी. योजंना के अन्दर कम खर्च होने के सम्बन्ध में आप लोग ने चिन्ता व्यक्त की है। इस सन्दर्भ में मैं, यह कहना चाहूंगी कि 2003-04 के अन्दर 107 करोड़ और 2004-05 में 101.95 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि विगत सरकार ने वर्ष 2002-03 के अन्दर सिर्फ 25 करोड़ रुपये खर्च किये थे। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगी कि इन सब योजनाओं में आबंटित राशि का निश्चित व्यय हम लोग समय के अन्दर पूरा करने की कोशिश करेंगे।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, हम लोगों में इसके लिए प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश के पश्चिमी भाग के अन्दर तेल और गैस के इतने विपुल भंडार हमको मिले हैं। भारत सरकार के महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन ने राजस्थान को पैट्रोलियम पदार्थों के भंडारण की दृष्टि से आसाम, गुजरात और बाम्बे हाई

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के समकक्ष प्रमाणित उत्पादक की प्रथम श्रेणी के अन्दर दर्ज किया है और भारत सरकार के जो केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करके यह कहा है कि पिछले 22 वर्षो में पैट्रोलियम की खोज की सबसे महत्वपूर्ण खोज इस प्रदेश राजस्थान के अन्दर ही हुई है। राजस्थान में तेल रिफाइनरी लगाने की जहां तक बात है 6 हजार और 8 हजार करोड़ का निवेश होगा, उसके साथ-साथ 10 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सरकार बनती भी है और बिगड़ती भी है, पर कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रदेश की प्रगति पूरी तरह से जुड़ी हुई होती है, विकास और आमजन का भविष्य भी इसके साथ-साथ ही जुड़ा हुआ होता है। ऐसे विषय पर हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और उसको अपनाकर चर्चा करें। चाहे वह विषय आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या का हो या अंधाधुंध जल दोहन का हो, गिरते जल स्तर का हो, अन्तरर्राज्यीय समझौते का हो, जो आपने अभी बात कही रिफाइनरी का भी इसी में आता है, जो प्रदेश में विपुल पैट्रोलियम का भंडार जो रिफाइनरी की बात है। वह भी इस चीज के अन्दर आ जाती है। मेरी धारणा तो यह है कि ऐसे विषय के अन्दर सदन बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के चर्चा करे और एकमत होकर चर्चा करे। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं प्रतिपक्ष के नेता और सब विभिन्न राजनीतिक दलों को जिनके माननीय सदस्यों को, जिन्होंने कल हमारे प्रदेश में रिफाइनरी की स्थापना को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन सर्वदलीय बैठक के माध्यम से किया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

इसके पहले मैं एक बात बूंदी से आने वाले सदस्य को कहना चाहूंगी। उन्होंने और दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य, बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही थी केवलादेव घना के बारे में बात रखी थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं यह कहना चाहूंगी कि हम भी उसके ऊपर चिन्तित हैं। यह एक ऐसी चीज है जो हम सबकी सम्पत्ति है। उसके ऊपर हम भी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चिंतित है और इसीलिए हम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत भी की है, और एक टास्क-फोर्स भी बनाने की हमने कोशिश की है परन्तु चिड़िया और जानवर इन लोगों का अभयारण्य है, इन सबके बारे में ध्यान करते समय हम पानी के ऊपर भी ध्यान रखें। आप अपने भाषण का अन्त कर रहे थे तो आपने ऐरू नदी का नाम लेकर बहुत ही उत्तेजित होकर यह कहा कि पानी जाएगा तो हम कैसे उसको जाने देंगे, हम देखेंगे और सीने पर गोली खायेंगे। यही पांचना के लोग भी कहते हैं। आपकी भावना का मैं पूरी तरह से आदर करती हूं और उसी तरीके से मैंने पांचना के लोगों की भावना का भी पूरा आदर किया है। मैं समझती हूं कि उनकी भावना का आदर करते हुए क्योंकि पानी सबकी सम्पत्ति है और इस सम्पत्ति को आपने ध्यान में रखने की जरूरत है। इसको ध्यान में रखकर आपकी मदद मैं चाहूंगी कि हमने अर्म्स आफ रेफरेंस भी कर दिये हैं, टास्क-फोर्स भी बना दी है और ऊपर चिट्ठी भी लिख दी है, आप हमारी मदद करें, ऊपर बात करें, सरकार से, गर्वमेन्ट आफ इण्डिया से, ऊपर उनको कहे कि हमारी जो योजना है, हमने आपके पास भेजी है, उस योजना को, शायद सौ करोड़ की योजना है, उसका पैसा हमको दे दें ताकि हम लोग उसका पानी जल्दी से जल्दी घना तक पहुंचा सकें ताकि जो बर्ड सैंक्चुअरी है उसका इंटरनेशनल स्तर पर नाम है परन्तु जिस तरीके से आप उत्तेजित हुई, ऐरू नदी के ऊपर, उस तरीके से पांचना वाले भी उत्तेजित हुए हैं, उनकी भावना को हमको ध्यान रखने की जरूरत है और बीसलपुर की वजह से भी हुए हैं। पानी एक ऐसी चीज है जो सब लोगों के, जैसे अभी बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, रोजी, रोटी और पानी हम लोगों से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं और उसका कष्ट उन लोगों को भी झेलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें अभी भी....

श्री विजय बंसल : यह उनकी सम्पत्ति नहीं है, सम्पत्ति भरतपुर की है, 1913 का एग्रीमेन्ट उठाकर देख लो। अगर पानी उनकी सम्पत्ति है तो पंजाब का पानी फिर हल्ला क्यों ?

श्री अध्यक्ष : आप उनके भाषण के बाद बोल सकते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : ऐसे बहुत सारे एग्रीमेन्टस हुए हैं। पंजाब का भी एग्रीमेन्ट राजस्थान के साथ है, मध्य प्रदेश का भी एग्रीमेन्ट राजस्थान के साथ है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस सदन की गौरवशाली परम्पराएं और मान्यताएं रही हैं, इसकी चर्चाएं दूसरी विधाओं के अन्दर की जाती हैं। कहते है कि राजस्थान को एक प्रतीक बनाकर सब लोगों के सामने यह सर्वोच्च बनाया गया है तो चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभी माननीय सदस्यों का यह दायित्व बन जाता है कि हम इन परंम्पराओं को और मान्यताओं को बनाये रखने में अपना पूरा योगदान दें और मुझे आशा है और विश्वास भी है कि इस धरोहर को सुदृढ बनाये रखने में आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, यह सदन सहयोग करेगा।

आखिर में मैं, इनता ही कहना चाहूंगी, नगर से आने वाले माननीय सदस्य, अब आपने कहा इसलिए आपके लिए मैंने स्पेशल रखा हुआ है कि-

दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुन्जाइश रहे,

जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिन्दा न हों।

सबके लिए मैं कहना चाहूंगी आखिर मैं....

श्री जुबेर खान : यह तो सिर्फ माहिर भाई के लिए कहा न ? अभी जो आपने कहा है यह तो माहिर साहब के लिए ही कहा न कि कभी-कभी दोस्त भी हो जाएं ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं बोल लूं फिर आपको जो कहना हो वो कहो।

अन्त में-

फिर धीरे-धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है,

वातावरण सो रहा था अब आंख मसलने लगा है।

बात बहुत हो रही है मेरे तुम्हारे विषय में,

जो रास्ते में खड़ा था अब वह पर्वत पिघलने लगा है।।

श्री अध्यक्ष : इतना विस्तृत भाषण सुनने के बाद में अब क्या और आप पूछेंगे ? क्या पूछेंगे ? अब क्या पूछेंगे।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के बारे में विपक्ष के लीडर ने बात की है और मुख्यमंत्रीजी ने ओलावृष्टि के बारे में बात ही नहीं की है। (व्यवधान) किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है उसकी बात ही नहीं की। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि श्री कालीचरण सर्राफ, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 18 फरवरी, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.33 बजे शुक्रवार दिनांक 18 फरवरी, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

निर्यातोन्मुखी वस्त्र इकाइयों हेतु अपैरल पार्क की स्थापना

56. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निर्यातोन्मुखी वस्त्र इकाइयों के लिए जयपुर में रीको द्वारा अपैरल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो कहां एवं इसके लिये कितनी भूमि आरक्षित की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना में किन-किन निर्यातक इकाइयों/व्यक्तियों से भूखण्ड आबंटित करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उक्त में से किन-किन को कितनी-कितनी माप के भूखण्ड आबंटित किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि रीको ने इस क्षेत्र में भूखण्ड आबंटन की अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या रीको ने इस योजना में आवेदन हेतु कोई पात्रता के मानदण्ड निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राज्य में एपैरल पार्क की स्थापना में अत्यधिक विलम्ब हुआ है, जिसके कारण निर्यातक इकाइयां अन्य राज्यों की ओर उन्मुख हो रही हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि निर्यातोन्मुखी वस्त्र इकाइया के लिए अपैरल पार्क जयपुर में तहसील सांगानेर के ग्राम श्रीकिशनपुरा व जीरोता की

(उद्योग मंत्री)

भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित है। ग्राम श्रीकिशनपुरा व जीरोता, तहसील सांगानेर की कुल 121.50 एकड़ भूमि को अपैरल पार्क के लिए आरक्षित किया गया है। परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। इस योजना में भूखण्डों के आबंटन करने हेतु कुल 135 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें 2 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र वापस ले लिये। अभी तक किसी आवेदक को भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं। आवेदकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। आवेदन आमन्त्रित करते समय 50 प्रतिशत बेचने योग्य औद्योगिक भूमि की विकास शुल्क की दर रुपये 500/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई थी एवं प्रथम 20 प्रतिशत बेचने योग्य औद्योगिक भूमि हेतु दर में 20 प्रतिशत की रियायत दी जानी प्रस्तावित थी परन्तु जब अपैरल पार्क में भूखण्ड आबंटन हेतु दिनांक 15-12-2003 से "प्रथम आओ, प्रथम पाओं" के आधार पर आवेदन आमन्त्रित किये गये तो प्रथम दिन दिनांक 15-12-2003 को ही 41 प्रतिशत भूमि के लिए 47 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

अतः यह निर्णय लिया गया कि 41 प्रतिशत औद्योगिक भूमि के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों को भूखण्डों का आबंटन रुपये 400/- प्रति वर्गमीटर की दर से किया जावे एवं शेष भूमि के लिए यह दर रुपये 600/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी। सभी 133 आवेदकों के प्रार्थना पंत्र वर्तमान में लम्बित है।

(4) जी हां। निर्यातोन्मुखी वस्त्र आधारित औद्योगिक अपैरल इकाइयों की स्थापना हेतु "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्वान्त को अपनाया जाकर आवेदन मांगे गये थे। "पिछले आओ पहले पाओ" के आधार पर निम्न पात्रता रखने वाले उधमियों से आवेदन चाहा गया :-

1. निर्यातोन्मुखी वस्त्र आधारित अपैरल इकाई
2. कम से कम 200 सिलाई मशीन लगाने की आवश्यकता
3. 500 से 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड आबंटन के लिये आवेदन

(उद्योग मंत्री)

आवेदन मांगने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक 28-11-2003 को मिलने पर अपैरल पार्क के विकास हेतु निगम द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 6-12-2003 को जारी की गई भारत सरकार से अपैरल पार्क जयपुर हेतु अन्तिम स्वीकृति दिनांक 21-5-2004 को प्राप्त हुई है। इस विकास कार्य हेतु परियोजना की समयावधि 2 वर्ष है। अपैरल पार्क हेतु अवाप्त की जा रही भूमि के अधिकतर काश्तकारों द्वारा मुआवजे के रूप में 15 प्रतिशत विकसित भूमि चाही गयी। जयपुर विकास प्राधिकरण एवं रीको के मध्य हुई सहमति के अनुसार यह आबंटन जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाना है। तदानुसार इस अधिग्रहण प्रक्रिया में समय लगने के कारण अपैरल पार्क के विकास में विलम्ब हुआ है। सभी 133 आवेदकों के प्रार्थना पत्र लम्बित है।

परिशिष्ट-"क"

अपैरल पार्क के लिए अवाप्त भूमि :- औद्योगिक विकास हेतु तहसील सांगानेर जिला जयपुर के ग्राम जीरोता की 190.31 हैक्टेयर निजी एवं 4.31 सरकार अवाप्ताधीन भूमि में से लगभग 50 हैक्टेयर भूमि (121.50 एकड़) भूमि पर अपैरल पार्क विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति रीको द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 2003 को रुपये 3214.00 लाख रुपये की जारी की गई। अपैरल पार्क के लिए प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

अवाप्ताधीन भूमि का विवरण (हैक्टेयर)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	निजी भूमि	सरकारी भूमि	कुल
1	महल	92.43	--	92.43
2	जीरोता	40.76	2.57	43.33
3	श्रीकिशनपुरा	57.12	1.74	58.86
	योग	**190.31**	**4.31**	**194.62**

परिशिष्ट-"अ"

अपैरल पार्क योजना (जयपुर) के आवेदनकर्ताओं की सूची

क्र.सं.	आवेदनकर्ता का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	2	3
1.	मैसर्स श्रीनाथ जी एक्सपोर्टस	1000
2.	मैसर्स राज एन्टरप्राइजेज	1000
3.	मैसर्स गारमेन्ट क्राफ्ट	20000
4.	मैसर्स संजीव एन्टरप्राइजेज	500
5.	मैसर्स शनसाइन एन्टरप्राइजेज	500
6.	मैसर्स जिंदल प्रोजक्ट प्रा.लि.	1000
7.	मैसर्स रमेश चन्द तेजवानी	1000
8.	मैसर्स रमेश कुमार मेघनानी	1000
9.	मैसर्स प्रणव एक्पोर्ट	500
10.	मैसर्स पियुश कुमार सिंह	500
11.	मैसर्स लक्ष्मी गारमेन्ट एक्सपोर्ट	1000
12.	मैसर्स यशवन्त कुमार एण्ड कम्पनी	500
13.	मैसर्स पूर्णिमा हैन्डीक्राफ्ट	10000

1	2	3
14.	मैसर्स आर्कर्ष टेक्सटाइल	1000
15.	मैसर्स वी.डी. स्टाक्स	1000
16.	मैसर्स सेठी एन्टरप्राइजेज	500
17.	मैसर्स रियनो गारमेन्टस	1000
18.	मैसर्स सावी एक्सपोर्ट	2000
19.	मैसर्स आरती ओवरसीज	2000
20.	मैसर्स बीना गारमेन्ट	500
21.	मैसर्स अरूण गारमेन्ट	1000
22.	मैसर्स विनय गारमेन्ट	500
23.	मैसर्स हम्बल गारमेन्ट	500
24.	मैसर्स सवाई एक्सपोर्ट	1000
25.	मैसर्स सराफ एक्सपोर्ट	500
26.	मैसर्स सराफ गारमेन्ट	500
27.	मैसर्स वी.के. ड्रैसेज	500
28.	मैसर्स आर.आर. एन्टरप्राइजेज	1000
29.	मैसर्स अनुपम एसोसिएटस	1000

1	2	3
30.	मैसर्स जेटैक्स	4000
31.	मैसर्स राम स्वरूप गोयन्का	1000
32.	मैसर्स सोमानी फैबिक्स	6000
33.	मैसर्स कोहिनूर एक्सपोर्ट	1000
34.	मैसर्स बोहरा गारमेन्ट इण्डस्ट्रीज	1000
35.	मैसर्स याशी गारमेन्टस	1000
36.	मैसर्स एस्सार एसोसिएटस	500
37.	मैसर्स शीला फैशन्स	2000
38.	मैसर्स मियान बाजार ओवरसीज	8000
39.	मैसर्स बी.पी. ग्रुत	2000
40.	मैसर्स सी.पी. ग्रुत	500
41.	मैसर्स नपुण गारमेन्टस	500
42.	मैसर्स मंगलम एक्सपोर्ट	8000
43.	मैसर्स रतन टैक्सटाइल	8000
44.	मैसर्स सविता पारीक	5000
45.	मैसर्स ट्रैन्ज इन्टरनेशनल	500

1	2	3
46.	मैसर्स हीरोज फैशन्स प्रा. लि.	4000
47.	मैसर्स गणेश क्रियेशन्स	1000
48.	मैसर्स मृदुला सम जैन	1000
49.	मैसर्स पवन एन्टरप्राइजेज	1000
50.	मैसर्स मनीष कछारा	500
51.	मैसर्स प्रकाश चन्द मगलानी	1000
52.	मैसर्स मानसी फैशन्स	1000
53.	मैसर्स संदीप जैन	1000
54.	मैसर्स एन.के. बिल्डकोन प्रा.लि.	2000
55.	मैसर्स उषा गारमेन्ट	500
56.	मैसर्स एवन क्रियेशन्स	10000
57.	मैसर्स अशोका एक्सपोर्टस	1000
58.	मैसर्स इंदर गारमेन्टस	500
59.	मैसर्स दिनेश कुमार मुगल	2000
60.	मैसर्स ललिता देवी मंगल	2000
61.	मैसर्स विकास कंचल	2000

1	2	3
62.	मैसर्स दामोदर कंचल	2000
63.	मैसर्स लकी गारमेन्टस	1000
64.	मैसर्स अतुल महेश्वरी	1000
65.	मैसर्स दीनानाथ गुप्ता	1000
66.	मैसर्स हीरोज फैशन्स प्रा.लि.	6000
67.	मैसर्स पोद्दार इन्टरनेशनल	2000
68.	मैसर्स सिद्दार्थ ओर्गनाइजेशन लि.	2000
69.	मैसर्स आशा गारमेन्टस	500
70.	मैसर्स टी.सी. इन्टरनेशनल	500
71.	मैसर्स सिखवाल एक्सपोर्टस	500
72.	मैसर्स मेवा एक्सपोर्टस	500
73.	मैसर्स अग्रवाल एक्सपोर्टस	500
74.	मैसर्स दिलीप कुमार	1000
75.	मैसर्स अनिल महेश्वरी	1000
76.	मैसर्स सोपरा इन्टरनेशनल	1000
77.	मैसर्स बरखा एक्सपोर्टस	500

1	2	3
78.	मैसर्स राजस्थान प्रा. लि.	2000
79.	मैसर्स प्रमोद पारीक	500
80.	मैसर्स कल्याण गारमेन्टस	500
81.	मैसर्स मिथिलेश शर्मा	1000
82.	मैसर्स रघुवीर शरण गुप्ता	1000
83.	मैसर्स अमित जैन	1000
84.	मैसर्स प्रदीप गुप्ता	2000
85.	मैसर्स बरमेट इम्पेक्स	1000
86.	मैसर्स दुर्गा एक्सपोर्ट	1000
87.	मैसर्स एम.बी. इन्टरप्राइजेज	1000
88.	मैसर्स पवन क्रियेशन्स	4000
89.	मैसर्स सुमन देवी शर्मा	2000
90.	मैसर्स विजय शर्मा	2000
91.	मैसर्स ग्लोबल अपेरल एक्सपोर्टस	2000
92.	मैसर्स गुपायन	2000
93.	मैसर्स गौरव ओवरसीज इन्क.	2000

1	2	3
94.	मैसर्स अरावली इम्पैक्स	1000
95.	मैसर्स पास इन्टरनेशनल	500
96.	मैसर्स श्रीमती विमला देवी	500
97.	मैसर्स पुष्पा एन्टरप्राइजेज	500
98.	मैसर्स मित्तल एन्टरप्राइजेज	500
99.	मैसर्स शाह ओरिजनल	6000
100.	मैसर्स कारटैक्स एक्सपोर्टस (इण्डिया) प्रा.लि.	4000
101.	मैसर्स अंजली दायमा	1000
102.	मैसर्स अजय दायमा	1000
103.	मैसर्स रेखा व्यास	1000
104.	मैसर्स ईश्वर आडवाणी	4000
105.	मैसर्स लक्ष्मी गारमेन्ट क्राफ्ट	4000
106.	मैसर्स कुसुम पारीक	500
107.	मैसर्स सुमन पारीक	500
108.	मैसर्स ओम प्रकाश जैन	500
109.	मैसर्स कृष्ण गोपाल पारीक	500

1	2	3
110.	मैसर्स संदीप पारीक	500
111.	मैसर्स कृष्ण पारीक	500
112.	मैसर्स संतोष एन्टरप्राइजेज	500
113.	मैसर्स रवि कुमार एण्ड सन्स	500
114.	मैसर्स आर्च अपेरज एक्सपोर्टस	2000
115.	मैसर्स प्रवीण अग्रवाल	2000
116.	मैसर्स छुट्टन देवी	2000
117.	मैसर्स प्रदीप अग्रवाल	2000
118.	मैसर्स गिरिराज अग्रवाल	2000
119.	मैसर्स हनी खण्डेलवाल	2000
120.	मैसर्स प्रगति इंजिनियरिंग	500
121.	मैसर्स शेखावत गारमेन्टस	500
122.	मैसर्स अरिहंत प्रिन्ट्स	1000
123.	मैसर्स काटफैब इण्डिया	1000
124.	मैसर्स अरिहंत प्रिन्ट्स	1000
125.	मैसर्स मैट्रो फैशन्स	500

1	2	3
126.	मैसर्स पारस फैशन्स	2000
127.	मैसर्स लक्ष्मी कांत शर्मा	500
128.	मैसर्स न्यू एज फैशन	1000
129.	मैसर्स के.सी. सिंघल एण्ड संस प्रा.लि.	500
130.	मैसर्स एक्सपोर्ट इण्डिया	1000
131.	मैसर्स कुक्कर संस इन्टर	1000
132.	मैसर्स गजेन्द्र कुमार लूनीवाल	1000
133.	मैसर्स श्रीमती कमला देवी शर्मा	500

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान पत्रिका 7-12-2003

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लि.

मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान), फोन : 2750870

अपैरल पार्क, महल (जयपुर) में वस्त्र इकाइयों के लिए
भूखण्ड आबंटन प्रक्रिया आरम्भ

निर्यातोन्मुखी वस्त्र आधारित औद्योगिक अपैरल इकाइयों की स्थापना हेतु एपैरल पार्क, महल जयपुर में भूखण्ड आबंटन के लिए आवेदन दिनांक 15-12-2003 से आमन्त्रित किये जाते हैं। भूखण्ड आबंटन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा। निर्यातोन्मुखी वस्त्र आधारित एवं दो सौ

सिलाई मशीन लगाने की इच्छुक अपैरल इकाइयां अपना आवेदन निर्धारित दस्तावेजों एवं देय राशि के साथ आवेदन कर सकती हैं। भूखण्ड आबंटन की दर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर (पार्क के 80 प्रतिशत आबंटन योग्य क्षेत्रफल तक) है। प्रथम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में आबंटित होने वाले आवेदकों को 20 प्रतिशत की छूट विकास शुल्क में दी जायेगी। शेष 50 प्रतिशत आबंटन योग्य भूखण्डों की दर बाद में तय की जायेगी। भूखण्ड आबंटन की दर के आधार पर कोई रियायत देय नहीं होगी। 500 से 2000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड आबंटन हेतु उपलब्ध हैं।

विस्तृत जानकारी रीको की वेबसाइट www.riico.com पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ उप महा प्रबन्धक

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

रघुनाथपुरा (सलूम्बर) ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा

59. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत देवगांव तहसील सलूम्बर राजस्व ग्राम घोषित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम रघुनाथपुरा को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। माह अगस्त, 2002 से राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर प्रतिबंध के कारण ग्राम रघुनाथपुरा राजस्व ग्राम घोषित नहीं है।

(2) उपरोक्त परिसीमन आयोग के प्रतिबन्ध के कारण विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली

60. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ सड़क मार्ग जो बी.ओ.टी. के अन्तर्गत निर्मित कराया गया है, के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण की लागत टोल टैक्स वसूल कर समायोजित की जा रही है ? यदि हां, तो यह वसूली कब तक की जावेगी ?

(3) क्या टोल टैक्स में प्रति वर्ष वृद्धि की जा रही है ? यदि हां, तो

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

वर्ष 2003-04 में इसमें कितनी वृद्धि की गई तथा वर्तमान में वाहनों से किस दर से टोल टैक्स वसूला जा रहा है ? वाहनों के प्रकार व दर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ सड़क मार्ग जो बी.ओ.टी. के अन्तर्गत निर्माण किया गया है, के निर्माण पर कुल रू. 886.25 लाख का व्यय किया गया है।

(2) जी हां। उक्त सड़क निर्माण की लागत टोल टैक्स वसूल कर समायोजित की जा रही है। लागत की वसूली दिनांक 25.3.2011 तक की जावेगी।

(3) जी नहीं। वर्ष 2003-04 में टोल टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वर्तमान में वाहन के प्रकार व उनसे वसूल की जा रही टोल दरें परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

बी.ओ.टी. परियोजना निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ सड़क पर वर्तमान टोल दरें

क्र. सं.	वाहन	वर्तमान दर
1.	अकृषित उपज ले जाने वाले ट्रैक्टर मय ट्रोली	7.00
2.	टैम्पों, कारें, टैक्सियां, निजी कारें, जीप	21.00
3.	मोटर लारिया, बसें, भारी मशीनरी जैसे मिट्टी हटाने वाली मशीनरी और मिनि बसें	53.00
4.	5 टन तक के रजिस्ट्रीकृत लदान भार वाले ट्रक	71.00
5.	5 टन से अधिक के रजिस्ट्रीकृत लदान भार वाले ट्रक	106.00
6.	मल्टी एक्सल ट्रक/ट्रेलर	176.00

कोटपूतली (जयपुर) के राजकीय महाविद्यालयों में नवीन विषयों का अध्यापन

61. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार कोटपूतली के राजकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में भूगोल, हिन्दी एवं अंग्रेजी तथा विज्ञान वर्ग में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय में संस्कृत लोक प्रशासन एवं दर्शन शास्त्र विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कोटपूतली के श्रीमती पाना देवी महिला महाविद्यालय में विज्ञान संकाय व छात्राओं की रुचि के अन्य विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राजकीय क्षेत्र में नये विषय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राजकीय क्षेत्र में नवीन विषय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

भामाशाह मण्डी कोटा में हड़ताल के दौरान निजी कंपनियों द्वारा जिन्सों के क्रय-विक्रय से प्राप्त राजस्व

62. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004-05 में हड़ताल के कारण भामाशाह मण्डी, कोटा बन्द रही ? यदि हां, तो कितने दिनों व किस-किस दिन तथा हड़ताल करने के कारण क्या रहे व मण्डी बन्द रहने से सरकार को राजस्व का कितना घाटा हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि हड़ताल के दौरान निजी कम्पनियों को मंडियों के बाहर कृषि जिन्सों के क्रय विक्रय का अधिकार प्रदान किया गया ? यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के नाम तथा इनके द्वारा कुल कितना जिन्स प्रदेश में खरीदा गया एवं कम्पनियों से राजस्व के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निजी कम्पनियों को मण्डियों के बाहर कृषि जिन्स क्रय-विक्रय का अधिकार प्रदान करने से किसानों को बेहतर दाम प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो इस व्यवस्था को बन्द करने के क्या कारण हैं तथा उक्त कम्पनियों को मण्डियों के बाहर जिन्सों की खरीद की अनुमति क्यों प्रदान की गई थी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2004-05 में निम्नांकित दिनांकों को उनके सामने अंकित कारणों से भामाशाह मण्डी कोटा हड़ताल के कारण बन्द रही :-

क्र. सं.	दिनांक	कुल दिनों की संख्या	हड़ताल के मुख्य कारण
1.	23-6-2004	1	संविदा खेती, बड़ी कम्पनियों को मण्डी क्षेत्र में अनुज्ञापत्र दिये जाने आदि के विरोध में।
2.	17-7-2004	1	वैट एवं सेवाकर के विरोध में।
3.	17-9-2004 से 25-9-2004	9	आई.टी.सी. को मण्डी क्षेत्र में लाइसेन्स दिये जाने, संविदा खेती एवं निजी क्षेत्र में मण्डियों का विकास, जीरे पर आढ़त में कमी आदि के विरोध में।
4.	10-1-2005	1	मुनीमों एवं हमालों द्वारा सोमवती

(कृषि विपणन मंत्री)

क्र. सं.	दिनांक	कुल दिनों की संख्या	हड़ताल के मुख्य कारण
			अमावस्या को अवकाश रखने की मांग के सन्दर्भ में।
5.	21-1-2005	1	वैट व सेवाकर के विरोध में।

हड़ताल के उक्त दिनों में मण्डी समिति, कोटा को प्राप्त नहीं हो सकी मण्डी शुल्क की राशि का आंकलन सम्भव नहीं है, क्योंकि यह अनुमान लगाना असम्भव है कि हड़ताल नहीं होती तो मण्डी में कितना माल आता।

(2) जी नहीं। हड़ताल के दौरान किसी भी निजी कम्पनी को मण्डियों के बाहर कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय का अधिकार नहीं दिया गया। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) निजी कम्पनियों एवं कृषि उपज मण्डी में कृषक द्वारा विक्रय की गई कृषि उपज की गुणवत्ता में भिन्नता होने के कारण इनके भावों की तुलना सम्भव नहीं है। अभी तक इस व्यवस्था को बन्द नहीं किया गया है। कृषि उपज मण्डी नियमों के प्रावधान्तर्गत निर्धारित शर्तें पूर्ण करने वाले किसी भी आवेदक को मण्डी क्षेत्र में विज्ञप्ति कृषि जिन्सों के व्यवसाय का अनुज्ञापत्र देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

भाखड़ा नहर क्षेत्र से सिंचाई हेतु प्राप्त जल

63. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रबी की फसल वर्ष 2005 के लिए पानी की आपूर्ति हेतु भाखड़ा नहर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

लिखित समझौता भाखड़ा किसान संघर्ष समिति एवं सिंचाई विभाग हनुमानगढ़ के अधिकारियों के मध्य हुआ था ? यदि हां, तो उक्त समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2004 एवं जनवरी, 2005 में इस समझौते के अनुसार कितना पानी भाखड़ा की नहरों को देने की सहमति हुई तथा उक्त महीनों में वास्तव में कितना पानी उपलब्ध करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समझौते की प्रति प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2004 एवं जनवरी, 2005 में समझौते के अनुसार दी जाने वाली पानी की मात्रा व उपलब्ध करवाये गये पानी की मात्रा निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	माह	समझौते के अनुसार मात्रा (क्यूसेक में)	प्राप्त पानी की मात्रा (क्यूसेक में)
1.	अक्टूबर, 2004 10 से 31-10-2004	1250	1162
2.	नवम्बर, 2004 1 से 11-11-2004 12 से 30-11-2004	1250 250	1250 266
3.	दिसम्बर, 2004 1 से 31-12-2004	950	941

(सिंचाई मंत्री)

1	2	3	4
4.	जनवरी, 2005 1 से 10-1-2005	950	903
11 से 31 जनवरी तक पीने का पानी दिया गया (250 क्यूसेक)			

प्रपत्र-"अ"

आज दिनांक 6-10-2004 को जिला कलक्टर की उपस्थिति में श्री एन. के. जसराय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई के साथ किसान संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई।

इस वार्ता में संघर्ष समिति द्वारा भाखड़ा की सादुल व करणी ब्रान्चों को निम्न प्रकार सरसों बिजाई व पिलाई के अनुसार पानी उपलब्ध करवाये जाने की मांग की गई।

10 अक्टूबर से 11 नवम्बर तक	1250 क्यूसेक।
12 नवम्बर से 30 नवम्बर तक	250 क्यूसेक
01 दिसम्बर से 10 जनवरी, 05 तक	950 क्यूसेक

11 जनवरी से 20 मई, 2005 तक पेयजल हेतु ही पानी उपलब्ध होगा।

विचार-विमर्श के बाद यह सहमति हुई कि उक्त मांग के अनुसार प्रस्ताव आज ही बनाकर राज्य सरकार को भेजा जायेगा। शासन सचिव सिंचाई राजस्थान सरकार द्वारा दूरभाष पर अपनी सहमति दर्शाई है, इन प्रस्तावों को लागू करना बी.बी.एम.बी. द्वारा स्वीकारने के बाद ही सम्भव हो पायेगा।

कपासन के चिकित्सालयों में रिक्त पद

64. श्री बद्री लाल जाट (कपासन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2004-05 में कहां-कहां पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? सरकार इनको कब तक भरने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कपासन मुख्यालय पर कपासन रेफरल चिकित्सालय को वित्तीय वर्ष 2004-05 में क्रमोन्नत कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह कब तक कार्य शुरू कर देगा व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2004-05 में कोई भी नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हुआ है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों के समस्त पद भरे हुए हैं।

कनिष्ठ विशेषज्ञ, रेडियोग्राफर, वरिष्ठ लिपिक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं बी.एच.एस. (मेल/फिमेल) के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो गये हैं एवं नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा पर भरने के लिए माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे रखा है। अब राज्य सरकार से 100 नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है, जिनकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त करवाने के प्रयास जारी हैं।

लेब टेक्नीशियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड ब्वाय के रिक्त पदों को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार भरने की कार्यवाही की जावेगी।

संगणक का रिक्त पद निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा भरा जाना सम्भव हो सकेगा एवं कनिष्ठ लेखाकार का रिक्त पद निदेशक कोष एवं लेखा विभाग के द्वारा भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। वर्तमान में उपलब्ध 50 रोगी शैय्याओं का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है इसलिए इस वित्तीय वर्ष में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपासन को क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र कपासन के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालसागर	रेडियोग्राफर	1
		वरिष्ठ लिपिक	1

1	2	3	4
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपासन	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1
		वरिष्ठ लिपिक	1
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड ब्वाय	1
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डफिया	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		चिकित्सा अधिकारी	1
		लैब टेक्शियन	1
		कनिष्ठ लेखाकार	1
		वरिष्ठ लिपिक	1
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहपुर	चिकित्सा अधिकारी	1
		बीएचएस (मेल)	1
		बीएचएस (फिमेल)	1
		संगणक	1
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उमण्ड	चिकित्सा अधिकारी	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धमाणा	नर्स श्रेणी द्वितीय वार्ड ब्वाय	1

1	2	3	4
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आकोला	1. बीएचएस (मेल)	1
7.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, पांरी	1. नर्स श्रेणी द्वितीय	1
8.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, निलोद	1. नर्स श्रेणी द्वितीय	1

अज़मेर जिले के लम्बित राजस्व रिकार्ड प्रकरण

65. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा भेजे गये राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित हैं ? यदि हां, तो कितने और कब से ?

(2) क्या सरकार उसकी स्वीकृति प्रदान कर निस्तारण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के भाग-1 के उत्तर अनुसार यह खण्ड अप्रासंगिक है।

राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों पर टोल टैक्स की वसूली

66. श्री सुरेश मीणा (करौली) एवं श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने स्थानों पर टोल टैक्स की वसूली कब से की जा

(श्री सुरेश मीणा)

रही है ? सभी स्थानों पर वाहनों से वसूली की जा रही टोल टैक्स की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टोल टैक्स की वसूली में स्थानीय निवासियों को कोई छूट या रियायत दी जा रही है ? यदि नहीं. तो क्यों ?

(3) टोल टैक्स जिन स्थानों पर वसूल किये जा रहे हैं उनमें कितने राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर, कितने राज्य उच्च मार्गों पर तथा कितने अन्य स्थानों पर हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विभिन्न स्थानों पर टोल टैक्स की वसूली का अधिकार किस किस एजेन्सी को कब-कब दिया गया ? इससे सरकार को कितनी आय हो रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार अलवर-भिवाड़ी मार्ग पर टोल टैक्स कब तक समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त नाकों पर (टोल टैक्स) अक्सर वाहन मालिकों एवं ठेकेदारों के आदमियों के बीच विवाद होते रहते हैं ? यदि हां, तो उक्त के स्थाई हल के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में 28 स्थानों पर टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। जिनमें सा.नि. विभाग द्वारा 13 केन्द्रों पर एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा 15 केन्द्रों पर टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वसूल की जा रही राशि का विवरण भी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त राज्य में निर्माण, संचालन एवं स्थानान्तरण अवधारणा के अन्तर्गत 16 स्थानों पर निजी उद्यमियों/निगम द्वारा टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। टोल टैक्स वसूली के नियमों में स्थानीय निवासियों के वाहनों को छूट या रियायत देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) टोल टैक्स जिन स्थानों पर वसूल किये जा रहे हैं उनमें से 11 राष्ट्रीय राज मार्ग, 24 राज्य मार्ग एवं 9 अन्य मार्गों पर है। विस्तृत सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(4) विभिन्न स्थानों पर टोल टैक्स वसूली का अधिकार जिस एजेन्सी को दिया गया है उसकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। यह अधिकार जिस तिथि से दिया गया है एवं परियोजना की लागत की वर्तमान ठेके की वार्षिक वसूली की सूचना भी परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। टोल टैक्स वसूली से सरकार आय न कर परियोजना की लागत वसूल कर रही है। बी.ओ.टी. अवधारणा के तहत निजी उद्यमियों/निगम को टोल वसूली का अधिकार दिया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। बी.ओ.टी. के अवधारणा के तहत उद्यमियों द्वारा परियोजना पर स्वयं निवेश किया जाता है अतः इससे सरकार को किसी प्रकार की आय नहीं होती है।

(5) अलवर-भिवाड़ी मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली दिनांक 13-9-2008 को समाप्त होना प्रस्तावित है।

(6) नाकों पर वाहन मालिकों एवं ठेकेदारों के आदमियों के बीच सामान्यतः कोई विवाद नहीं होते हैं फिर भी पथकरों की दर अधिक वसूली के सम्बन्ध में विवाद होने पर शिकायत के सत्यापन उपरान्त ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। पथकर की दरों के सम्बन्ध में कोई विवाद न हो इसलिये टोल केन्द्र पर एवं टोल केन्द्र से 1000 मीटर एवं 500 मीटर पूर्व में दरों को प्रदर्शित करते हुए साइन बोर्ड लगाये जाते हैं।

परिशिष्ट-"अ"

क्र. सं.	टोल केन्द्रों का नाम	प्रारम्भिक वसूली की तिथि	ट्रेक्टर मय ट्रोली (अकृषि उपयोग)	जीप/ कार टैम्पों	मोटर, बस	ट्रक 5 टन	ट्रक 5 टन से अधिक	मल्टी एक्सल ट्रक	अन्य मोबाईल क्रेन डोजर रोलर	सड़कों का वर्गीकरण
	(अ) सा. नि. विभाग के अधीन संचालित									
1.	चन्द्र भागा पुल एन.एच.12	6/1995		5	15	15	15		20	रा.रा. मार्ग
2.	आर.ओ.बी. रींगस एन.एच.11	1.8.2000		5	15	15	15		20	रा.रा. मार्ग
3.	दौसा मनोहरपुरा बाण गंगा नदी एन.एच.11	1.4.1995		5	15	15	15		20	रा.रा. मार्ग
4.	बनास पुल एन.एच. 12 टोंक	12.5.1994		5	15	15	15		20	रा.रा. मार्ग
5.	चम्बल पुल एन.एच. 12 कोटा	8.2.1988				48	71	118		रा.रा. मार्ग
6.	धौलपुर सेपऊ मार्ग पार्वती पुल एस.एच. 23	1.12.1987	4.00	14	35	48	71	118		राज मार्ग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	अलवर-बांदीकुई गंगापुर बाणगंगा नदी एस.एच. 25	1.1.1989	4.0(	14	35	48	71	118		राज मार्ग
8.	खेड़ली पयैना एस.एच. 22	1.1.1998	4.00	14	35	48	71	118		राज मार्ग
9.	सिरोही माउंट आबू किमी. 282	1.11.1997	4.00	14	35	48	71	118		अन्य सड़क
10.	अनास पुल गढ़ी आनन्दपुरी रोड़	1985-86	5.00	12	31	40	60	100		अन्य सड़क
11.	महाराणा प्रताप पुल बांसवाड़ा रतलाम रोड़	9/1984	5.00	12	3_	40	60	100		अन्य सड़क
12.	खड़का पुल भिण्डर सलूम्बर-आसपुर रोड़	1.8.1995	4.00	14	35	48	71	118		अन्य सड़क
13.	माही पुल अमरपुरा बांसवाड़ा मार्ग	9/1984	5.00	12	31	40	60	10(		अन्य सड़क

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	टोल केन्द्रों का नाम	प्रारम्भिक वसूली की तिथि	ट्रेक्टर मय ट्रोली अकृषि उपयोग	जीप/ कार टैम्पों	मोटर बस	ट्रक 5 टन	ट्रक 5 टन से अधिक	मल्टी एक्सल ट्रक	अन्य मोबाईल क्रेन डोजर रोलर	सड़कों का वर्गीकरण
	(ब) आर.एस.आर. डी.सी. के अधीन संचालित									
1.	पार्वती पुल कोटा बारां मार्ग	1.4.1996	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		रा.रा.मार्ग
2.	बंड़गांव जैतपुरा पुल	1.4.1997	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	गंगापुर सिटी बाइपास सड़क	27.10.1999	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग
4.	खातौली पुल कोटा श्योपुर मार्ग	24.7.1997	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		अन्य सड़क
5.	खरेर-बामनी पुल	1.4.1996	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग
6.	जिन्दोली घाटी सुरंग	16.5.2001	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग
7.	बीकानेर बाइपास सड़क	15.12.1999	6.00	17.00	42.00	57.00	85.00	141.00		अन्य सड़क
8.	मोरल नदी पुल	16.9.2002	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग
9.	श्री माधोपुर बाइपास सड़क	3.11.1998	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग
10.	कांकरोली बाइपास सड़क	10.8.1998	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	कालीसिंध नदी पुल	5.11.1997	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग
12.	पालीधाट चंबल पुल	1.4.1995	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग
13.	मासी नदी पुल	8.4.2002	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग
14.	मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा सड़क	1.3.2002	7.00	21.00	53.00	71.00	106.00	176.00		अन्य सड़क
15.	बांसवाड़ा दाहोद सड़क	4.11.2001	4.00	14.00	35.00	48.00	71.00	118.00		राजमार्ग

परिशिष्ट-ब

क्र. सं.	टोल केन्द्रों का नाम	प्रारम्भिक वसूली की तिथि	ट्रेक्टर मय ट्रोली अकृषि उपयोग	जीप/ कार टैम्पों	मोटर बस	ट्रक 5 टन	ट्रक 5 टन से अधिक	मल्टी एक्सल ट्रक	अन्य मोबाइल क्रेन डोजर रोलर	सड़कों का वर्गीकरण
	निजी उधमियों द्वारा									
1.	हनुमानगढ़ सूरतगढ़ वाया पीलिबंगा सड़क का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किमी. 0/0 से 26/0	26.3.2001		6	17	41	55	84	137	राज्य उच्च मार्ग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	सीकर बाइपास	15.1.2000		6	14	36	48	71	119	राष्ट्रीय उ.मा.
3.	भरतपुर बाइपास	12.4.2000		6	14	36	48	71	119	राष्ट्रीय उ.मा.
4.	पाली बाइपास	5.12.1998		2	6	15	20	30	50	राष्ट्रीय उ.मा.
5.	खेरवाड़ा-डूंगरपुर सड़क राज्य उच्च, मार्ग सं. 10 का उन्नयन एवं सुदृढिकरण एवं नवीनीकरण किमी. 0/0 से 20/0	18.2.2001		6	14	36	48	71	119	राज्य उच्च मार्ग
6.	उदयपुर बाइपास फेज द्वितीय			2	6	15	20	30		राष्ट्रीय उ. मार्ग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	सिरोही अनादरा रेवदर मण्डार सड़क का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण राज्य सीमा तक किमी. 197/0 से 214/0	1.4.2002		6	14	35	48	71	119	राज्य उच्च मार्ग
8.	बांसवाड़ा उदयपुर सड़क एस.एच. 32 का सुधारीकरण किमी. 91/500 से 165/0	5.02.2002		11	32	81	109	164	272	राज्य उच्च मार्ग
9.	नाथद्वारा मावली सड़क पर सुदृढ़ीकरण चौड़ाईकरण एवं सुधारीकरण तथा तंग	6.3.2002		6	17	42	56	84	140	मुख्य जिला सड़क

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	पुलियों का पुर्ननिर्माण किमी. 0/0 से 26/700									
10.	मंगलाना-मकराना सड़क का सुधारीकरण किमी. 400/0 से 415/0 एवं मकराना-बड़ियाल सड़क का सुधारीकरण किमी. 0/0 से 6/0	21.4.2002		6	14	36	48	71	119	राज्य उच्च मार्ग
11.	बरबिलाड़ा-जोधपुर सड़क एस.एच. 5 पर 4 लेन सड़क का निर्माण किमी. 90/0 से 105/0	24.7.2002		6	14	36	48	71	119	राज्य उच्च मार्ग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	सिरोही मण्डार डीसा सड़क एस.एच. 27 का सुधारीकरण किमी. 214/0 से 268/400 राज्य सीमा तक	17.5.2003		8	27	66	88	132	218	राज्य उच्च मार्ग
13.	लूणी नदी पर जोधपुर-बालोतरा-गुढा सड़क पर आर.सी.सी. ह्यूम पाईप काजवे का निर्माण	10.6.2003				35	48	71	118	राज्य उच्च मार्ग
14.	उदयपुर-सलूम्बर-बांसवाड़ा सड़क उन्नयन कार्य किमी. 5/0 से 72/0	2.6.2004		11	32	81	109	164	272	राज्य उच्च मार्ग
15.	सीकर झुन्झुनूं लोहारू सड़क	21.7.2004		10	31	78	104	156	259	राज्य उ. मार्ग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	1. सीकर झुन्झुनूं									
	2. सीकर चिड़ावा			13	42	107	142	245	356	
	3. झुन्झुनूं चिड़ावा			6	19	47	63	95	156	
16.	अलवर भिवाड़ी सड़क वाया तिजारा	9.6.2004	7.00	24.00	60.00	80	120.00	199.00		राजमार्ग

परिशिष्ट-"स"

क्र. सं.	टोल केन्द्रों का नाम	वर्तमान एजेन्सी का नाम	परियोजना पर वसूली प्रारम्भ करने की तिथि	परियोजना लागत की वर्तमान वार्षिक वसूली (वार्षिक अनुबन्ध के अनुसार) (रुपये लाखों में)	विशेष विवरण
	(अ) सा.नि. विभाग के स्तर पर				
1.	चन्द्र भागा पुल एन.एच. 12	मै. मोहम्मद सफी, झालावाड़	1.6.1995	90.03	
2.	आर.ओ.बी. रींगस एन.एच.11	विभागीय स्तर पर	1.8.2000		
3.	दौसा मनोहरपुरा बाण गंगा नदी एन.एच.11	विभागीय स्तर पर	1.4.1995	12.00	

1	2	3	4	5	6
4.	बनास पुल एन.एच. 12 टोंक	मै. जिलेसिंह, कोटा	12.5.1994	323.01	
5.	चम्बल पुल एन.एच. 12 कोटा	मै. भीमसिंह चूड़ावत, बूंदी	8.1.1988	900.00	
6.	धोलपुर सेपउ मार्ग पार्वती पुल एस.एच. 23	मै. पार्वती टोल्स, धौलपुर	1.12.1987	50.11	
7.	अलवर-बांदीकुई गंगापुर बाणगंगा नदी एस.एच. 25	मै. रविन्द्र एण्ड कम्पनी	1.1.1989	101.25	
8.	खेड़ली पथैना एस.एच. 22	मै. गोविन्द सिंह, ग्राम गाजीपुर	1.1.1988	51.51	
9.	सिरोही माउंट आबू किमी. 282	मै. रणजीत सिंह, फतेह सिंह, पलाड़ा	1.11.1997	50.11	

1	2	3	4	5	6
10.	अनास पुल गढ़ी आनन्दपुरी रोड़	मै. रामप्रसाद चौधरी	10/1985	7.11	
11.	महाराणा प्रताप पुल बांसवाड़ा रतलाम रोड़	मै. जयवीर सिंह	9/1984	16.38	
12.	खड़का पुल भिण्डर सलूम्बर आसपुर रोड	मै. जयवीर सिंह, मेरठ	1.8.1995	28.53	
13.	माही पुल अगरपुरा बांसवाड़ा मार्ग	मै. भीमसिंह चूड़ावत	9/1984	40.01	
	(ब) रा.रा. सड़क विकास निगम के स्तर पर				
1.	पार्वती पुल कोटा बारां मार्ग	श्री मोहम्मद वसीम पुत्र श्री मोहम्मद अख्तर आलम, झालावाड़	1.4.1996	55.55	

1	2	3	4	5	6
2.	बंड़गांव जैतपुरा पुल	श्री त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल, जयपुर	1.4.1997	17.05	
3.	गंगापुर सिटी बाइपास सड़क	श्रीमती सुजा देवी पत्नि श्री लालाराम जाट, बदनपुरा, जयपुर	27.10.1999	2.30	
4.	खातौली पुल कोटा श्योपुर मार्ग	श्री धीरेन्द्र सिंह तोमर, बड़ौदा श्योपुर, (एम.पी.)	24.7.1997	18.45	
5.	खरेर-बामनी पुल	विभागीय	1.4.1996		
6.	जिन्दोली घाटी सुरंग	श्री महेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता, सिंघाना, झुन्झुनूं	16.5.2001	102.08	
7.	बीकानेर बाइपास सड़क	विभागीय	15.12.1999		

1	2	3	4	5	6
8.	मोरल नदी पुल	श्री भीमसिंह चूड़ावत पुत्र श्री गमर सिंह, उदयपुर	16.9.2002	39.90	
9.	श्री माधोपुर बाइपास सड़क	श्री बनवारी सिंह एण्ड पार्टी, बसेड़ी, धौलपुर	3.11.1998	10.00	
10.	कांकरोली बाइपास सड़क	श्रीमती सूजा देवी पत्नी श्री लालाराम जाट, बदनपुरा, जयपुर	10.8.1998	71.11	
11.	कालीसिंध नदी पुल	श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नी श्री नरेन्द्र गुप्ता, सिंघाना, झुन्झुनूं	5.11.1997	131.21	
12.	पालीघाट चम्बल पुल	श्री छतर सिंह, पाली खण्डार सवाईमाधोपुर	1.4.1995	16.05	

1	2	3	4	5	6
13.	मासी नदी पुल	श्री ओम प्रकाश चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी गंवार जाटान, जयपुर	8.4.2002	85.65	
14.	मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा सड़क	श्री भीमसिंह चूड़ावत पुत्र श्री गमर सिंह उदयपुर	1.3.2002	252.00	
15.	बांसवाड़ा दाहोद सड़क	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री ठाकुर दास कालवास, हिसार	4.11.2001	121.21	

परिशिष्ट-द

बी.ओ.टी. के अन्तर्गत निजी उद्यमियों द्वारा संचालित

क्र. सं.	टोल केन्द्रों का नाम	एजेन्सी का नाम	वसूली प्रारम्भ करने की तिथि	विशेष विवरण
1.	हनुमानगढ़ सूरतगढ़ वाया पीलीबंगा सड़क का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किमी. 0/0 से 26/0	मैसर्स रोहन राजदीप अहमदनगर	26.3.2001	
2.	सीकर बाइपास	मैसर्स एम.एस.के. प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड	15.1.2000	

1	2	3	4	5
3.	भरतपुर बाइपास	मैसर्स एम.एस.के. प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड	12.4.2000	
4.	पाली बाइपास	मै. टी.सी.आई. हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी	5.12.1998	
5.	खेरवाड़ा-डूंगरपुर सड़क राज्य उच्च मार्ग सं. 10 का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किमी. 0/0 से 20/0	मैसर्स नारायण सिंह गुलाब सिंह	18.2.2001	
6.	उदयपुर बाइपास फेज द्वितीय	मैसर्स अटलान्टा कं. इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई		
7.	सिरोही अनादरा रेवदर मण्दार सड़क का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण राज्य सीमा तक किमी. 197/0 से 214/0	मै. नीला बारोठ इंजीनियरिंग प्रा. लि. बड़ौदा	1.4.2002	

1	2	3	4	5
8.	बांसवाड़ा उदयपुर सड़क एस.एच. 32 का सुधारीकरण किमी. 91/500 से 165/0	मै. टार इन्फ्रास्ट्रेक्चर लिमिटेड महूं	5.2.2002	
9.	नाथद्वारा मावली सड़क पर सुदृढ़ीकरण चौड़ाइकरण एवं सुधारीकरण तथा तंग पुलियों का पुर्ननिर्माण किमी. 0/0 से 26/700	मै. जी.आर. अग्रवाल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स लिमिटेड	6.3.2002	
10.	मंगलाना-मकराना सड़क का सुधारीकरण किमी. 400/0 से 415/0 एवं मकराना-बडियाल सड़क का सुधारीकरण किमी. 0/0 से 6/0	मैसर्स रूपरजत कं. जोधपुर	21.4.2002	
11.	बरबिलाड़ा-जोधपुर सड़क एस.एच. 5 पर 4 लेन सड़क का निर्माण किमी. 90/0 से 105/0	मैसर्स चेतक एण्टरप्राइजेज प्रा.लि. ब्यावर	24.7.2002	
12.	सिरोही मण्डार डीसा सड़क एस.एच. 27 का सुधारीकरण किमी. 214/0 से 268/400 राज्य सीमा तक	मैसर्स चेतक एण्टरप्राईजेज प्रा.लि. ब्यावर	17.5.2003	

1	2	3	4	5
13.	लूणी नदी पर जोधपुर-बालोतरा-गुढा सड़क पर आर.सी.सी. ह्यूम पाइप काजवे का निर्माण	मैसर्स ब्राईट भारत कं., नई दिल्ली	10.6.2003	
14.	उदयपुर-सलूम्बर-बांसवाड़ा सड़क उन्नयन कार्य किमी. 5/0 से 72/0	मैसर्स जी.आर. अग्रवाल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, उदयपुर	2.6.2004	
15.	सीकर झुन्झुनूं लुहारू सड़क	मैसर्स आर.सी.सी.एल.	21.7.2004	
16.	अलवर-भिवाड़ी सड़क वाया तिजारा	मैसर्स किरोड़ीमल मोड़ी पुत्र श्री नर्बदा प्रसाद मोदी, जयपुर	9.6.2004	

पैराटीचर्स का नियमितीकरण

67. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पैराटीचर्स की संख्या कितनी है ? जिलावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पैराटीचर्स को नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पैराटीचर्स को नियमित नियुक्ति देने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति नहीं होने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पैराटीचर्स/शिक्षा सहयोगी 20822, अतिरिक्त पैराटीचर्स/शिक्षा सहयोगी 3786, महिला पैरा टीचर्स 8485 तथा पैरा शारीरिक शिक्षक 698 कुल 33791 पैराटीचर्स कार्यरत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। परन्तु पैराटीचर्स/शिक्षा सहयोगियों की इस मांग के सम्बन्ध में गहन परीक्षण कर विवादों का सर्वमान्य हल निकाले जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य मंत्रीजी
2. प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक
3. महाधिवक्ता
4. श्री भरत व्यास, अतिरिक्त महाधिवक्ता

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। परन्तु इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 266 में संशोधन कर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 75 प्रतिशत पद राजीव गांधी पाठशालाओं में उन पैराटीचर्स हेतु आरक्षित किये गये थे जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता रखते हैं तथा जिन्हें पैराटीचर के रूप में कार्य करने का लगातार चार वर्ष का अनुभव हो। इस संशोधन पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में संशोधन करते हुए पैराटीचर्स हेतु किये गये आरक्षण को समाप्त करते हुए तृतीय श्रेणी अध्यापकों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से कराने का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट-"क"

राज्य में कार्यरत शिक्षा सहयोगी, अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी, महिला पैराटीचर एवं पैरा शारीरिक शिक्षकों का जिलेवार संख्या का विवरण

क्र. सं.	जिला	शिक्षा सहयोगी	अति. शिक्षा सहयोगी	महिला पैराटीचर	पैरा शारीरिक शिक्षक
1.	चूरू	204	80	235	9
2.	बीकानेर	580	128	189	8
3.	झुन्झुनूं	321	103	284	9
4.	हनुमानगढ़	296	109	230	32
5.	गंगानगर	354	39	309	36

1	2	3	4	5	6
6.	जयपुर	893	335	448	52
7.	भरतपुर	252	26	363	6
8.	अलवर	555	233	462	21
9.	धौलपुर	360	76	142	1
10.	दौसा	457	199	212	2
11.	सीकर	590	301	319	5
12.	जोधपुर	1496	242	316	58
13.	पाली	442	78	249	12
14.	जैसलमेर	545	12	105	25
15.	जालौर	879	249	240	68
16.	सिरोही	397	54	130	24
17.	बाड़मेर	2143	170	352	50
18.	उदयपुर	1557	127	481	12
19.	बांसवाड़ा	1475	153	321	11
20.	डूंगरपुर	1021	120	232	0
21.	राजसमन्द	682	76	193	16

1	2	3	4	5	6
22.	चित्तौड़गढ़	636	43	362	13
23.	अजमेर	250	44	265	39
24.	भीलवाड़ा	835	59	353	13
25.	टोंक	309	47	218	18
26.	नागौर	1145	247	364	55
27.	कोटा	230	45	151	11
28.	झालावाड़	382	32	220	42
29.	सवाईमाधोपुर	385	102	167	0
30.	बूंदी	381	67	172	16
31.	बारां	231	42	198	33
32.	करौली	539	148	203	1
कुल योग		20822	3786	8485	698

पुरानी अनाज मण्डी, बस स्टैण्ड चौमूं की राजकीय सम्पत्ति का रख-रखाव

68. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी चौमूं की पुरानी अनाज

(श्री रामलाल शर्मा)

मण्डी, बस स्टैण्ड पर करोड़ों रूपयों की अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण हो रहे हैं तथा उक्त मण्डी की नियमित देखरेख नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक व क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा इस सम्पत्ति के रख-रखाव तथा इसे विकसित करने की कोई योजना प्रस्तावित की गई है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि मण्डी समिति चौमूं के पुराने मण्डी यार्ड में स्थित भूमि में भूमि पर सार्वजनिक संस्थानों द्वारा अतिक्रमण किये गये हैं जिसके लिए मण्डी समिति द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की गई है। मण्डी समिति द्वारा इसकी नियमित देखभाल की जा रही है।

(2) पुराने मण्डी यार्ड से ही व्यापार वर्तमान मण्डी यार्ड में स्थानान्तरित किया गया है। वर्तमान मण्डी प्रांगण में व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है। अतः पुराने मण्डी यार्ड को विकसित करने की कोई आवश्यकता व योजना नहीं है।

नोहर के अधिशासी अभियन्ता सिंचित क्षेत्र कार्यालय का बीकानेर में स्थानान्तरण

69. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नोहर फीडर का अधिशासी अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के अधीन नोहर फीडर के माइनर मलवाणी ढढेला, दईदास, भगवान किंकराली व अन्य हैं ? क्या सरकार

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

उक्त कार्यालय को बीकानेर से नोहर में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। वर्णित माइनरों के लिए दो खण्डीय कार्यालय सिंचित क्षेत्र विकास मद में नव सृजित किये जा चुके हैं जिनका मुख्यालय नोहर एवं भादरा होगा। आदेश की प्रति प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगानप, बीकानेर

क्रमांक : एफ.63/स्था.4/10406 दिनांक : 30-12-2004

कार्यालय आदेश

सिंचाई विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.6(2)सिंचाई/04 दिनांक 10-12-2004 द्वारा सिद्वमुख नोहर परियोजना क्षेत्र में कार्यों को निश्चित गति एवं निस्तारण हेतु 2 खण्ड एवं 8 नव उपखण्ड सृजित किये जाने से फलस्वरूप निम्नलिखित खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालय नवीन रूप से निम्नानुसार स्थापित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नव सृजित खण्ड/उपखण्ड कार्यालय का नाम		मुख्यालय
(I)	एस.एन.आई.पी. खण्ड-I सिक्षेवि इंगानप		भादरा
	1	एस.एन.आई.पी. उपखण्ड-1 सिक्षेवि, इंगानप	भादरा
	2	एस.एन.आई.पी. उपखण्ड-2 सिक्षेवि, इंगानप	भादरा

क्र. सं.	नव सृजित खण्ड/उपखण्ड कार्यालय का नाम		मुख्यालय
	3	एस.एन.आई.पी. उपखण्ड-3 सिक्षेवि, इंगानप	भादरा
	4	एस.एन.आई.पी. उपखण्ड-4 सिक्षेवि, इंगानप	भादरा
	एस.एन.आई.पी. खण्ड-II सिक्षेवि इंगानप		नोहर
(II)	1	एस.एन.आई.पी. उपखण्ड-5 सिक्षेवि, इंगानप	नोहर
	2	एस.एन.आई.पी. उपखण्ड-6 सिक्षेवि, इंगानप	नोहर
	3	एस.एन.आई.पी. उपखण्ड-7 सिक्षेवि, इंगानप	नोहर
	4	एस.एन.आई.पी. उपखण्ड-8 सिक्षेवि, इंगानप	नोहर

उपरोक्त नवसृजित खण्ड कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिक्षेवि, नांचना वृत्त, इंगानप, बीकानेर के अधीन कार्य सम्पादित करेंगे।

मुख्य अभियन्ता
सिंचित क्षेत्र विकास, इंगानप,
बीकानेर

राज्य में जनसंख्या वृद्धि पर रोक हेतु प्रभावी नीति

70. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में कोई प्रभावी जनसंख्या नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या वर्तमान जनसंख्या नीति का प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश की आबादी को बढ़ाने से रोकने में सार्थक साबित हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने वर्ष 1999 में जनसंख्या नीति तैयार कर 1 जनवरी, 2000 से प्रदेश में लागू कर दी है।

(2) जी नहीं। आबादी बढ़ने की गति करीब-करीब पूर्व की भांति ही है।

पाली जिले में निलम्बित पटवारियों का पुनः पदस्थापन

71. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सन् 2000 से अब तक जिला पाली में कई पटवारियों को निलम्बित कर उन्हें पुनः बहाल कर उसी स्थान पर पदस्थापित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

नदबई (भरतपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

72. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नये महाविद्यालय खोले जाने के क्या मानदण्ड हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) भरतपुर जिले में वर्तमान में कितने महाविद्यालय हैं ? इनमें से कितने निजी व कितने सरकारी हैं ? नाम व स्थान वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के नदबई कस्बे की जनसंख्या, छात्रों की संख्या एवं जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कस्बे में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में नये महाविद्यालय खोले जाने के मानदण्ड निम्नानुसार है :-

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल संचालित हो।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित ना हो।

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते

(उच्च शिक्षा मंत्री)

समय कतिपय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे- निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानदण्ड तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना, महाविद्यालय में छात्रों उपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना यथा: खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी. आदि नियमों की प्रति (संलग्न) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भरतपुर जिले में वर्तमान में 28 महाविद्यालय हैं, जिनमें से 4 राजकीय क्षेत्र में, 2 अनुदानित महाविद्यालय एवं 22 गैर अनुदानित महाविद्यालय हैं। सूची परिशिष्ट-1 के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी, नहीं वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नया राजकीय महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित नहीं है.

परिशिष्ट-1

उपखण्डों की सूची जहां महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं

सम्भाग	जिला	उपखण्ड
अजमेर	अजमेर	1. मसूदा
	भीलवाड़ा	2. बनेड़ा
		3. माण्डल
	नागौर	4. परबतसर
		5. जायल

1	2	3
		6. डेगाना
		7. मकराना
		8. नांवा
		9. लाडनूं
	टोंक	10. पिपलू
		11. टोडारायसिंह
जयपुर	अलवर	12. किशनगढ़बास
		13. तिजारा
		14. मुण्डावर
		15. रामगढ़
		16. कोटकसिम
	दौसा	17. सिकराय
	भरतपुर	18. वैर
	धौलपुर	19. बसेड़ी

1	2	3
	जयपुर	20. आमेर
		21. जमुवारामगढ़
जोधपुर	जैसलमेर	22. पौकरण
		23. फतेहगढ़
	जोधपुर	24. औसियां
		25. शेरगढ़
	पाली	26. बाली
		27. देसूरी
	बाड़मेर	28. गुढ़ामलानी
		29. शिव
	सिरोही	30. रानीवाड़ा
		31. आहौर
		32. रेवदर
उदयपुर	उदयपुर	33. बल्लभनगर
		34. धारियावाड़
		35. कोटड़ा
	डूंगरपुर	36. सिमलवाड़ा

1	2	3
	चित्तौडगढ़	37. गंगरार
	बांसवाड़ा	38. घाटोल
	राजसमन्द	39. कुम्भलगढ़
कोटा	सवाई माधोपुर	40. बामनवास
	बूंदी	41. केशोराय पाटन
		42. हिंडौली
		43. इन्द्रगढ़
	कोटा	44. दिगोद
		45. सांगोद
	बारां	46. शाहबाद
		47. अटरू
		48. मांगरोल
		49. किशनगंज
		50. टोडाभीम
		51. सपोटरा
		52. मंडरेल

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड एवं शर्तें

1. पंजीयन राजस्थान सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीयन होना आवश्यक है।

2. भवन

1.	कला संकाय -	कमरे - 7	(24'x36')
2.	वाणिज्य संकाय -	कमरे - 4	(24'x36')
3.	विज्ञान संकाय -	कमरे - 6	(24'x36')
4.	प्रयोगशाला -	विषयवार - 1	(24'x40')
5.	विधि प्रति वर्ग हेतु -	कमरे - 1	(24'x36')
	मूट कोर्ट हेतु	कमरे - 1	(30'x40')
6.	प्रशासनिक भवन :-		
	अ. कार्यालय कक्ष - 2		(24'x40')
	ब. भण्डार कक्ष - 1		(24'x40')
	स. प्राचार्य कक्ष - 1		(14'x12')
	द. उपाचार्य कक्ष - 1		(14'x12')
	य. प्राध्यापक कक्ष - 1		(40'x70')

नोट :- इसके अतिरिक्त एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि के कक्ष तथा शौचालय उपयुक्त आकार के।

		7.	पुस्तकालय भवन: पृथक पुस्तकालय भवन होना चाहिये।	
		8.	प्राध्यापक कक्ष - 2	(40'x70')
		9.	महाविद्यालय के भवन का सुरक्षित होने का प्रमाण-पत्र पी.डब्ल्यू.डी. से	
3.	भूमि	1.	दस एकड़	
		2.	खेल के मैदान की पर्याप्त व्यवस्था सहित एक 400 वर्गमीटर का ट्रेक तथा बॉलीबाल एवं बास्केटबाल के मैदान	
4.	स्टाफ	1.	प्राचार्य -	1
		2.	300 से अधिक विद्यार्थियों पर उपाचार्य -	1
		3.	विषयवार प्राध्यापक -	1
		4.	पुस्तकालयाध्यक्ष -	1
		5.	पी.टी.आई. -	1
		6.	कनिष्ठ लेखाकार -	1
		7.	वरिष्ठ लिपिक -	1
		8.	कनिष्ठ लिपिक -	1
		9.	बुक लिफ्टर -	1
		10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी -	7
5.	फर्नीचर	1-	कार्यालय, पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि में आवश्यक उपयुक्त फर्नीचर	

2- विद्यार्थियों के लिये मेज कुर्सी

3- प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक संसाधन उपकरण

6. फीस राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्न फीसें ली जा सकेगी।

7. छात्रावास छात्र/छात्राओं को अलग-अलग छात्रावास की व्यवस्था।

8. प्रबन्ध समिति 15 से 21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति होनी चाहिये।

9. निरीक्षण दल के व्यय हेतु संस्था को प्रत्येक अवसर पर रुपये 2,000/- की राशि निरीक्षण व्यय के रूप में आयुक्त, कालेज शिक्षा को जमा कराना अनिवार्य होगा।

(B) गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के स्तरक्रमोन्नत/नये संकाय/नये विषय खोलने की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्देश

गैर सरकारी शिक्षण संस्था को नवीन महाविद्यालय जिस विषय में संचालित करना चाहती है उसका पूर्ण विवरण आवेदन पत्र में देना अनिवार्य है, ऐसे विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में होने चाहिये। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 4 के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालय के लिये राज्य सरकार द्वारा एक बार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी।

उक्त नियमों के नियम 92 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि संस्था महाविद्यालय के स्तर को क्रमोन्नत करना चाहे नये संकाय अथवा नये विषय खोलना चाहे उसके लिये राज्य सरकार की स्वीकृति/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। इसके लिये संस्था सीधे ही सम्बद्ध विश्वविद्यालय से स्वीकृति प्राप्त करें।

(C) अस्थायी मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त नवीन महाविद्यालयों की स्थापना हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. गैर सरकारी क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने की इच्छुक संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र से समर्थित होने पर व सम्बन्धित क्षेत्र में महाविद्यालय की औचित्तता होने पर प्रथम चरण में आशय पत्र (letter of intent) एक माह में जारी कर दिया जावेगा।

2. आशय पत्र (letter of intent) जारी होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में संस्था द्वारा प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित मानदण्ड अनुसार भवन का निर्माण व अन्य मापदण्ड पूरे करने तथा उक्त नियमों के नियम 23 के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का गठन करने के पश्चात् तीन सदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसको प्रमाणित करने पर संस्था को एक वर्ष के लिये अस्थायी मान्यता प्रदान की जावेगी और उसके पश्चात् ही विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

3. पश्चातवर्ती वर्षों में भी आगामी वर्षों के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा व अन्य आधारभूत ढांचा विकसित कर लिये जाने और उसका तीन सदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण कर उसको प्रमाणित करने के पश्चात् द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिये अस्थायी मान्यता में अभिवृद्धि की जावेगी। यदि मापदण्ड अनुसार आधारभूत ढांचा तैयार नहीं होगा तो प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. तीन वर्ष तक समाधानप्रद रूप से कार्य करने व आधारभूत ढांचागत विकास व भवन निर्माण पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात् संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालय को उक्त नियमों के नियम 4(ii) के अन्तर्गत स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जावेगी।

5. निरीक्षण दल के व्यय हेतु संस्था को प्रत्येक अवसर पर रुपये 5,000/- की राशि निरीक्षण व्यय के रूप में आयुक्त, कालेज शिक्षा को जमा कराना अनिवार्य होगा।

6. महाविद्यालयों को स्थापना के पांच वर्ष पश्चात् नैक (NAAC) से निरीक्षण एवं मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मित्रवत् निजी विनिवेश को बढ़ावा देने हेतु गत वर्षों से प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार में, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कुछ नीतिगत परिवर्तन किये गये हैं। इन नीतिगत परिवर्तनों के कारण आवेदन करने की प्रक्रिया में भी आंशिक परिवर्तन हुआ है। अतः आवेदक संस्थायें आवेदन करने से पूर्व निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर आवेदन करें।

नियमों के पालन एवं संशोधन हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 को ध्यान में रखें।

संलग्नक-1

(A) पिछड़े क्षेत्रों (Lagging areas) में महाविद्यालयों हेतु अस्थायी मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में -

1. संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उपखण्ड मुख्यालयों पर सह शिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों की स्थापना के लिये आवेदन करने पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ-पत्र से समर्थित होने पर, अस्थायी मान्यता 3 वर्ष के लिये किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित करने के लिये प्रदान कर दी जावेगी। यदि उन उपखण्डों में जहां कोई महाविद्यालय नहीं है पर राजकीय सैकेण्ड्री विद्यालय का भवन है उसमें दूसरी पारी में महाविद्यालय संचालित करने की अनुमति भी संस्था को दी जा सकेगी। इसके पश्चात् इन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

2. संस्था को तीन वर्ष की अवधि में परिशिष्ट-2 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य ढांचागत विकास के कार्य भी पूर्ण करने होंगे। तत्पश्चात् संस्था को इसका निरीक्षण आयुक्त, कालेज शिक्षा द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय निरीक्षण दल से कराना आनिवार्य होगा और उसके द्वारा भवन निर्माण एवं अन्य ढांचागत विकास पूर्ण कर लिये

जाने का प्रमाण-पत्र देने के पश्चात् ही आगामी वर्ष के लिये दी गई अस्थायी मान्यता में वृद्धि/स्थायी मान्यता दी जाए।

3. संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उपखण्ड मुख्यालयों पर नवीन सह शिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों को नियम 4(ii) के अन्तर्गत स्थायी मान्यता के लिये उक्त नियमों के परिशिष्ट-2 के 12(घ)(4) के अन्तर्गत अनिवार्य 200 छात्रों की न्यूनतम सीमा में छूट दी जा सकेगी।

4. संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उपखण्ड मुख्यालयों पर नवीन सह शिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिये वित्तीय सुदृढ़ता हेतु पांच वर्ष के लिये मियादी जमा राशि क्रमशः रुपये 10.00 व 2.00 लाख की शर्त में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

5. सभी स्थानों पर महिला महाविद्यालयों में उक्त नियमों के नियम 23 के अन्तर्गत गठित की जाने वाली प्रबन्ध समिति में कुल सदस्यों की 30 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य होगा तथा इसमें पिछड़े एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना जरूरी है।

6. परिशिष्ट-1 में अंकित उपखण्डों में नवीन महाविद्यालयों के लिये 20 कि.मी. में कम से कम 5 संचालित सीनियर सैकेण्डरी स्कूल होने की अनिवार्यता में छूट दी जाएगी।

7. अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने के पश्चात् महिला महाविद्यालय का सह शिक्षा में सामान्यतः परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. महाविद्यालयों को स्थापना के पांच वर्ष पश्चात् नैक (NAAC) से निरीक्षण एवं मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय खुली भूमि

(i) 10 एकड़ भूमि

(ii) खेल का मैदान - खेलों के मैदान की पर्याप्त व्यवस्था सहित। एक 400 मीटर का ट्रेक तथा वालीबाल एवं बास्केट बाल के मैदान

(iii) इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर प्रयोगशाला 24'x36'

विधि महाविद्यालय हेतु उपरोक्त प्रशासनिक भवन की आवश्यकता सहित कक्षावार प्रत्येक वर्ग हेतु एक कमरा 24'x36'

विधि महाविद्यालय उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकेंगे जहां जिला/एडीजे न्यायालय उपलब्ध होंगे। अतः उन्हीं स्थानों के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जावें।

B- द्वितीय वर्ष के लिए -

प्रथम वर्ष में दी गई व्यवस्था के निर्माण के उपरान्त द्वितीय वर्ष में निम्न निर्माण आवश्यक है :

क्र. सं.	कक्षा कक्ष	कमरों की संख्या	आकार
1.	कला संकाय	2	24'x36'
2.	वाणिज्य संकाय	1	24'x36'
3.	विज्ञान संकाय	2	24'x36'
विज्ञान संकाय प्रयोगशाला			
1.	रसायन विज्ञान	1	24'x40'
2.	भौतिक विज्ञान	1	24'x40'
3.	प्राणी विज्ञान	-	-
4.	वनस्पति विज्ञान	-	-

विधि महाविद्यालय हेतु द्वितीय वर्ष में प्रत्येक वर्ग के लिये एक कमरा 24'x36' तथा मूट कोर्ट हेतु एक कमरा 30'x40' का।

C- तृतीय वर्ष के लिए -

क्र.सं.	कक्षा कक्ष	कमरों की संख्या	आकार
1.	कला संकाय	2	24'x36'
2.	वाणिज्य संकाय	1	24'x36'
3.	विज्ञान संकाय	1	24'x36'

विधि महाविद्यालय हेतु तृतीय वर्ष में प्रत्येक वर्ग के लिये एक कमरा 24'x36'

परिशिष्ट-1

भरतपुर जिले के महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम महाविद्यालय	विशेष विवरण
1.	राजकीय एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर	राजकीय
2.	राजकीय रामेश्वरी देवी महिला महाविद्यालय, भरतपुर	" "
3.	राजकीय महाविद्यालय, बयाना	" "
4.	मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय महाविद्यालय, डीग	" "
5.	आर्य विद्यापीठ गर्ल्स कालेज, भरतपुर	अनुदानित
6.	श्री बांके बिहारी कन्हैया लाल महिला महाविद्यालय, डीग	" "
7.	श्री अग्रसेन गर्ल्स कालेज, बयाना	गैर अनुदानित
8.	श्री राधेय महाविद्यालय, नदबई	" "
9.	राधा स्वामी महिला महाविद्यालय, नगर	" "
10.	महारानी श्री विदेहकौर महिला महाविद्यालय, भरतपुर	" "
11.	श्री बांके बिहारी गर्ल्स कालेज, कामां	" "
12.	आई.सी.टी.एम. कन्या महाविद्यालय, भरतपुर	" "
13.	श्री गुरू माधवानन्द प्रतिभा महाविद्यालय, रूपवास	" "
14.	ब्रिजेन्द्र मेमोरियल डिग्री महाविद्यालय, भरतपुर	" "

क्र. सं.	नाम महाविद्यालय	विशेष विवरण
15.	श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, भरतपुर	" "
16.	अग्रसेन महाविद्यालय, नगर	" "
17.	बजरंग कन्या महाविद्यालय, रूदावल	" "
18.	सर्वोदय महाविद्यालय, गोपालगढ़	" "
19.	श्री रतनसिंह महिला महाविद्यालय, कुम्हेर	" "
20.	मास्टर मदनलाल कन्या महाविद्यालय, रारह	" "
21.	स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, जसवंतनगर	" "
22.	आदर्श महिला महाविद्यालय, सीकरी	" "
23.	लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, बयाना	" "
24.	श्री बजरंग महाविद्यालय, डींग	" "
25.	खण्डेलवाल ला कालेज, भरतपुर	गैर अनुदानित विधि
26.	श्री अग्रसेन विधि महाविद्यालय, भरतपुर	" "
27.	राजस्थान विधि महाविद्यालय, भरतपुर	" "
28.	श्री बजरंग विधि महाविद्यालय, डीग	" "

राज्य की विभिन्न नहरों के हैडवर्क्स के रख-रखाव हेतु नियुक्त कर्मी

73. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इंदिरा गांधी, भाखड़ा तथा गंग नहर परियोजना की नहरों के रख-रखाव तथा पानी की देखभाल करने वाले कितने कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि हैडवर्क्स पर पानी के आवक की देख-रेख करने वाले गेज रीडर्स के पदों पर ठेकेदारों द्वारा कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोई स्वीकृत पद रिक्त नहीं है।

(2) जी हां। आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण केवल आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.वृत्त हनुमानगढ़ के अन्तर्गत ही भाखड़ा नहर प्रणाली में 22 हैडवर्क्स पर ठेकेदारों के माध्यम से गेज रीडिंग का कार्य करवाया जा रहा है।

गरीबी रेखा में चयनित परिवारों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधा

74. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में ग्रामीण इलाकों के बी.पी.एल. कार्ड धारकों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बी.पी.एल. कार्ड धारकों की चिकित्सा सुविधा हेतु उप -स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये अतिरिक्त बजट का प्रावधान रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों ?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) राज्य में बी.पी.एल. कार्ड धारकों को चिकित्सा हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा केन्द्रों पर भेजने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? सम्बन्धित नियमों एवं आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(4) वर्ष 2004 में जिला चूरू से इस तरह के बी.पी.एल. कार्ड धारक कितने मरीजों को इलाज हेतु जयपुर भेजा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बी.पी.एल. कार्ड धारकों के इलाज कराने के सम्बन्ध में उपलब्ध सुविधाओं में कमी की गई है ? यदि हां, तो क्या-क्या एवं क्यों ?

(6) गत एक वर्ष में बी.पी.एल. कार्ड धारियों के इलाज के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी राशि अब तक व्यय की गई ?

उत्तर

(1) बी.पी.एल. कार्डधारी रोगियों को राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध समस्त जांचे एवं दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

(2) जी नहीं। चिकित्सा विभाग को दवाइयों के लिये जो बजट प्रावधान उपलब्ध होता है, उससे जो दवाएँ क्रय की जाती हैं उन दवाइयों में से प्राथमिकता के आधार पर बी.पी.एल. कार्डधारकों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की आय का 25 प्रतिशत भाग बी.पी.एल. रोगियों की जांच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित है।

(3) राज्यों में बी.पी.एल. कार्डधारी रोगी को चिकित्सकों की सलाह पर उच्च स्तरीय चिकित्सा केन्द्रों पर भेजा जाता है एवं ईलाज पर होने वाला समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय चिकित्सा केन्द्रों पर बी.पी.एल. रोगियों को भेजे जाने हेतु निम्न प्रक्रिया तय की गई है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1. योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र लाभार्थी जो गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त हैं के द्वारा सादा कागज पर प्रार्थना पत्र निम्न दस्तावेज संलग्न करते हुए -

   i. मेडिकेयर रिलीफ कार्ड की फोटो प्रतिलिपि

   ii. बीमारी पर अनुमानित खर्चे के सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सक का प्रमाण-पत्र।

2. विभाग प्रार्थना पत्र का यथा सम्भव निर्णय दो दिन में कर प्रार्थी को सूचित कर देंगे।

3. यदि बीमारी के ईलाज की सुविधा राज्य में उपलब्ध नहीं है तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में ईलाज हेतु भेजा जा सकेगा।

आदेश की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(4) वर्ष 2004 में जिला चूरू से 8 बी.पी.एल. कार्डधारी रोगियों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में ईलाज हेतु भेजा गया है। जिसकी सूची परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं।

(6) गत वर्ष 2003-04 में बी.पी.एल. कार्डधारीयों के ईलाज पर राशि रुपये 2,92,11,123/- व्यय किये गये।

परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान सरकार

चिकित्सा विभाग

क्रमांक : प.13(1)चिस्वा/ग्रुप-2/97 जयपुर, दिनांक : 1-12-2004

सम्भागीय आयुक्त,

जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर,

बीकानेर, कोटा (राज.)

विषय : राज. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष सोसायटी के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को इलाज हेतु सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष सोसायटी की बैठक (वाई सरक्यूलेशन) में निर्णय लिया गया है कि कोष के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र रोगियों को ईलाज हेतु सहायता राशि स्वीकृत करने के लिये कोष की प्रबन्धकारिणी के अतिरिक्त निम्नांकित समिति सक्षम होगी :-

1.	सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा विभाग	सदस्य
3.	अधीक्षक, मेडिकल कालेज के अधीनस्थ चिकित्सालय	सदस्य सचिव

जिसका चयन सम्भागीय आयुक्त द्वारा किया जावेगा।

अति-आवश्यक परिस्थितियों में रोगी के इलाज/निदान के लिये सम्भागीय आयुक्त तत्काल सहायता राशि स्वीकृत कर सकेंगे, जिसकी पुष्टि

समिति की बैठक में ली जावेगी। राज्य स्तर की प्रबन्धकारिणी द्वारा सम्भागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत मांग के आधार पर राशि रुपये आबंटन अग्रिम सम्भागीय स्तर पर स्थित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी जिसके अध्यक्ष सम्भागीय आयुक्त हैं, को भेजा जावेगा। जयपुर में यह राशि एस.एम.एस. अस्पताल की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के नाम से भेजी जायेगी तथा राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मासिक रूप से सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जावेगी।

कोष के विधान एवं नियमावली तथा सोसायटी की बैठक (वाई सरक्यूलेशन) की प्रतियां संलग्न कर लेख है कि अब अपने सम्भाग से सम्बन्धित पात्र रोगियों को सहायता स्वीकृत की जावे तथा सहायता स्वीकृत करने हेतु प्रकरण विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय को नहीं भेजे जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट-"ब"

वर्ष 2004 में जिला चूरू से इस तरह के बी.पी.एल. कार्ड धारक निम्नलिखित मरीजों को इलाज हेतु जयपुर भेजा गया है। जिनकी सूची निम्न प्रकार है :-

1. श्रीमती रश्मि देवी पत्नी डूंगरमल, भार्गव चौक, वार्ड नं. 26 रतनगढ़ (चूरू)
2. श्री राकेश, पुत्र गोर्वधन लाल मेघवाल, ग्राम बुधवाली, तहसील रतनगढ़।
3. श्री मोहित पुत्र विनोद कुमार प्रजापत, सुजानगढ़ (चूरू)
4. श्री मुकेश पुत्र रामूराम ग्राम मूंदडा, सुजानगढ़ (चूरू)

5. श्री स्वरूप सिंह, पुत्र गोपाल सिंह, ग्राम बालेरा सुजानगढ़ (चूरू)

6. श्री रोहिताश प्रजापत, ग्राम श्योदानपुरा (चूरू)

7. श्री हंसराज नाई, पुत्र केवलाराम ग्राम भामासी पोस्ट मून्दीताल (राजगढ़) चूरू

8. श्री उम्मेद अली पुत्र पीरूकाजी वार्ड नं. 19 चूरू।

सम्भागीय मुख्यालयों पर रेवेन्यू बोर्ड की सर्किट बैंच

75. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्व बोर्ड की सर्किट बैंच सम्भागीय मुख्यालय पर प्रतिमाह लगाये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कब कितने कार्य दिवस हेतु ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत अनेक माह से एक भी कैम्प कोर्ट नहीं लगी है ? यदि हां, तो कितने माह से और क्यों ?

(3) क्या सरकार पुनः प्रतिमाह कैम्प कोर्ट लगाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सम्भागीय आयुक्त राजस्व मण्डल सदस्यों के समान वरियता रखते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें पूर्व कार्यालय सदस्य [EX-OFFICIO MEMBER] का दर्जा दे दे तो सम्भाग स्तर पर बिना किसी अतिरिक्त व्यय के स्थाई एकल बैंच कायम की जा सकती है एवं कैम्प कोर्ट के समय सम्भागीय आयुक्त के साथ मिलाकर डबल बैंच कायम की जा सकती है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर सम्भाग के अतिरिक्त समस्त सम्भाग मुख्यालयों पर राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच की बैठकें आयोजित करने के निम्न प्रकार आदेश किये हुए हैं :-

सम्भागीय मुख्यालय	समयावधि
जयपुर	प्रत्येक माह के पूरे द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह
जोधपुर	प्रतिमाह कार्यानुसार एक माह में उतने दिन जो चार से अधिक न हो।
उदयपुर	उपरोक्तानुसार
कोटा	उपरोक्तानुसार
बीकानेर	उपरोक्तानुसार

(2) जी नहीं। जयपुर मुख्यालय पर नियमित रूप से सर्किट बैंच की बैठकें आयोजित की जा रही है। गत छह माह में कोटा, बीकानेर, उदयपुर एवं जोधपुर में सर्किट बैंच की बैठकें सदस्यों की कमी के कारण आयोजित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अब माननीय सदस्यों की नियुक्ति होने से जनवरी, 2005 में सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर मुख्यालय पर बैठकें आयोजित की गई हैं। फरवरी माह में पंचायत चुनाव कार्यों में सदस्यों के व्यस्त होने के कारण कोटा सर्किट बैंच की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। यह सही है कि सम्भागीय आयुक्त राजस्व मण्डल के सदस्यों के समान वरियता वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं किन्तु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत सम्भागीय आयुक्त न्यायालय, राजस्व मण्डल न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय है तथा

(राजस्व मंत्री)

सम्भागीय आयुक्त द्वारा दिये गये निर्णय की अपील राजस्व मण्डल द्वारा सुनी जाती है जिसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित व्यवस्था किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

टीबी के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

76. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टीबी में कुल कितने राजकीय सीनियर माध्यमिक, माध्यमिक उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय हैं ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में विषयवार कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने रिक्त हैं ? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टीबी में 69 उच्च प्राथमिक 114 प्राथमिक विद्यालय 16 माध्यमिक विद्यालय एवं 10 राउमावि. संचालित हैं।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के उक्त विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 65 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 14 पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 606 स्वीकृत पदों में 210 पद रिक्त हैं।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत उक्त विद्यालयों में विषयवार स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी है। रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित अशार्थी उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-"क"

विधान सभा क्षेत्र टीबी के विद्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
		I	II	III	I	II	III
1.	राउमावि, टीबी	10	06	02	गणित-1	-	-
2.	राउमावि, मुण्डा	04	06	04	रा.वि.-1	सा.-1	-
					सामा.-1		
3.	राउमावि, मिर्जावाली मैर	11	06	02	हिन्दी-1	सा.-1	सा-2
					इतिहास-1	अंग्रेजी-1	-
					रा.वि.-1		
					कृषि-1		
4.	राउमावि, सुरेवाला	03	05	03	हिन्दी-1	-	सा.-1
					रा.वि.-1		
5.	राउमावि, गिलवाला	05	06	-	हिन्दी-1	अंग्रेजी-1	
					अंग्रेजी-1		
					सामा.-1		
6.	रावतसर, राउमावि	05	07	04	हिन्दी-2	-	सा.-2
					इति.-1		

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	राउमावि, रावतसर	05	09	04	गृह वि.-1	सामा.-3	सा.-4
					इति.-1	विज्ञान-1	
					अंग्रेजी-1		
8.	राउमावि, सिलवाला खुर्द	-	06	02		सामा.-3	
						अग्रेजी-1	
						विज्ञान-1	
9.	राउमावि, तलवाडा झील	03	07	05	अंग्रेजी-1	सामा.-1	सा.-1
					इतिहास-1		
10.	राउमावि, थालडका	05	06	02	हिन्दी-2	-	
					अग्रेजी-1		
					इति.-1		
					रावि.-1		
11.	राउमावि, टीबी	-	05	02	-	सामा.-1	-
12.	राउमावि, भीमपुरा	-	02	03	-	-	सा.-3
13.	रामावि, गंधेली	-	06	02	-	अग्रेजी-1	-
						सामा.-1	
14.	रामावि, सरदारपुरा बालसा	-	06	01	-	-	सामा.-1

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	रामावि, ढण्ढेला	-	06	01	-	-	सामा.-1
16.	रामावि, न्योलखी	-	06	01	-	अग्रेजी-1	-
						विज्ञान-1	
17.	रामावि, कुलचन्द्र	-	06	01	-	सामा.-2	
18.	रामावि, पीर का मडिया	-	06	01	-	सामा.-1	-
						विज्ञान-1	
19.	रामावि, रामपुरा मटौरिया	-	06	01	-	सामा.-3	सामा.-1
						अग्रेजी-1	
20.	रामावि, मोधूनगर	-	04	03	-	सामा.-1	सामा.-1
						विज्ञान-1	
21.	रामावि, धनासर	-	04	01	-	अग्रेजी-1	-
22.	रामावि, डबलीकलां	-	06	02	-	सामा.-2	सामा.-1
						विज्ञान-1	
23.	रामावि, श्योदानपुरा	-	02	03	-	-	सामा.-3
24.	रामावि, जोरावरपुरा	नव क्रमोन्नत विद्यालय, पद स्वीकृत नहीं।					
25.	रामावि, खिनानीयां	नव क्रमोन्नत विद्यालय, पद स्वीकृत नहीं।					
26.	रामावि, मिर्जेवाली	नव क्रमोन्नत विद्यालय, पद स्वीकृत नहीं।					
					25	38	21

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कपासन के बेरोजगारों हेतु प्रस्तावित उद्योग

88. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में वर्तमान में कौन-कौन से उद्योग धन्धे संचालित किये जा रहे हैं तथा ये उद्योग कहां-कहां पर कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कपासन में भविष्य में बेरोजगारों के लिये कोई उद्योग खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिये कौन-कौनसी योजनायें चालू की गई हैं ? इनमें बेरोजगारों के लिये क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं तथा इसमें छूट प्राप्त करने के क्या-क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा कपासन विधान सभा क्षेत्र में कोई उद्योग संचालित नहीं किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है अपितु जो उद्योग स्थापित करना चाहते है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा उद्योग स्थापना के सम्बन्ध में उत्पाद के चयन से लेकर स्थान, कच्चा माल की उपलब्धता तथा तैयार माल की बिक्री, आर्थिक सहायता तथा ऋण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।

(3) जी हां। उद्योग विभाग द्वारा बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने के लिये तथा स्वयं का उधम स्थापित कर सके इस हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उधमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, औद्योगिक शिविरों का आयोजन जैसे कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत उधमियों को उधम स्थापना एवं सफल संचालन के लिए प्रशिक्षण

(उद्योग मंत्री)

दिया जाता है। औद्योगिक शिविरों में उद्योग स्थापना सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है जो उद्योग व सेवा कार्य हेतु 2.00 लाख रुपये का है। व्यापार हेतु अधिकतम सीमा 1.00 लाख रुपये है। योजना में अधिकतम 7500/- रुपये या 15% जो भी कम हो अनुदान देय है।

बारां जिले की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

89. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले के किस-किस विधान सभा क्षेत्र के किस-किस स्थान पर वर्ष 2004-05 में नवीन पेयजल योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई एवं उक्त योनजाओं से जिले के कौन-कौन से गांवों को लाभ पहुंचेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में किस-किस योजना का कार्य किस-किस दिनांक को प्रारम्भ हो चुका है एवं कौन-कौनसी योजना का कार्य प्रारम्भ होना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बारां में वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्रवार कितने नवीन हैण्ड पम्पों की स्वीकृति जारी हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प में से कितने हैण्ड पम्प का स्थापन कार्य पूर्ण हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी नवीन पेयजल योजनाएं कितनी-कितनी राशि की विचाराधीन/स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत पेयजल योजनाओं एवं इनसे लाभान्वित गांवों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट 'क' में समाहित है।

(3) जिला बारां में वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत नये हैण्ड पम्प का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृत हैण्ड पम्प की संख्या
1.	बारां	172
2.	अटरू	127
3.	छबड़ा	281
4.	किशनगंज	160
5.	पीपल्दा	21
	योग	761

वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(4) उपरोक्तानुसार स्वीकृत 761 हैण्ड पम्पों में से 743 हैण्ड पम्पों पर स्थापन कार्य निम्नानुसार पूर्ण हो चुका है :-

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृत हैण्ड पम्प की संख्या
1.	बारां	169
2.	अटरू	127
3.	छबड़ा	278
4.	किशनगंज	154
5.	पीपल्दा	15
	योग	743

विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में समाहित है।

(5) सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में लम्बित नवीन पेयजल योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-'क'

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृत योजना का नाम	राशि (रू. लाख में)	स्वीकृति सन्दर्भ	स्वीकृति दिनांक	लाभान्वित ग्राम का नाम	कार्यस्थल	कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	मांगरोल	प्राथ. विद्यालय रामद्वारा	पूर्ण
2.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	भटवाडा	नये कुऐं के पास	पूर्ण
3.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	भटवाडा	बजांर में	पूर्ण
4.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	पाडलिंया	हेमराज राठौड के पास	पूर्ण
5.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	हरसौली	लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास	पूर्ण
6.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	बलदेवपुरा	हनुमान मंदिर के पास	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	भौज्याहेडी	मीणा बस्ती	पूर्ण
8.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	भटवाडा	एस.सी. बस्ती	पूर्ण
9.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	माल्बम्बोरी	देवनारायण मंदिर के पास	पूर्ण
10.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	सीमल्या	वार्ड नं. 7 जोधराज मीणा के पास	पूर्ण
11.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	केकाखेड़ी	नयी बैरवा बस्ती	प्रगति पर
12.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	हिंगोनिया	कुम्हार मोहल्ला	पूर्ण
13.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	जलोदा तेजाजी	नयी बस्ती	पूर्ण
14.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	बालापुरा	शिक्षा कर्मी प्राथ. विद्यालय के पास	प्रगति पर
15.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	सीमल्या	नयी बस्ती	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	केकाखेड़ी	महादेव चबूतरे के पास	प्रगति पर
17.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	रेनगढ़	तेजाजी का स्थान यादव मोहल्ला	प्रगति पर
18.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	पाडलिया	नयी बस्ती गुर्जर मोहल्ला	पूर्ण
19.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	मालबम्बोरी	वार्ड नं. 3	पूर्ण
20.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	शाहपुरा	जिन्द जी महाराज के चबूतरे के पास	प्रगति पर
21.	पीपल्दा	हैण्ड पम्प	0.50	जि.कले. 1568	14-6-2004	बम्बौरी कलां	नोबडिया बालाजी	प्रगति पर
22.	पीपल्दा	शहरी जल योजना में	560.00	पीपीसी. 157	22-9-2004	मांगरोल	मांगरोल	कार्य बकाया

परिशिष्ट-"ख"

सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में लम्बित नवीन पेयजल योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाखों में)	लाभान्वित ग्राम/ कस्बा
1.	बारां	हीकड़ दह पर एनिकट निर्माण का कार्य	88.08	बारां शहर, हीकड़ा ग्राम परिक्षेत्र
2.	बारां	संवर्धन प्रस्ताव ग्रीष्मकाल 2005 बारां शहर	57.33	बारां शहर
3.	किशनगंज	पुनर्गठित जल योजना, भंवरगढ़	97.51	भंवरगढ़

बाड़ी में सार्वजनिक स्थानों के हैण्डपम्प

90. श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्रामों में अभी तक पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में ?

(2) सरकार उक्त क्षेत्र में कब तक व किस-किस योजनान्तर्गत पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सरकार द्वारा वर्ष 2000 से 2004 तक किस-किस विद्यालय, श्मशान एवं कब्रिस्तान में हैण्ड पम्प लगवाये गये, जिनमें से कितने व कौन-कौन से चालू हालत में हैं व कौन-कौन से बन्द हैं ?

(4) क्या सरकार बन्द पड़े हैण्ड पम्प को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की तहसील बाड़ी एवं बसेड़ी के पेयजल से वंचित क्रमशः 5 एवं 2 गांवों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) तहसील बसेड़ी के एक गांव शंकरपुर में हैण्ड पम्प लगाने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। स्वीकृति उपरान्त इनका शीघ्र क्रियान्वयन किया जावेगा। शेष 6 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारणों का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में विभाग द्वारा वर्णित अवधि में विभिन्न विद्यालयों में कुल 97 हैण्ड पम्प का निर्माण किया गया। निर्मित समस्त 97 हैण्ड पम्प वर्तमान में कार्यशील हैं। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	तहसील	रा.प्रा. विद्यालय	रा. गांधी पाठशाला	रा. माध्यमिक विद्यालय	कुल
1.	बाड़ी	8	26	10	44
2.	बसेड़ी	20	27	6	53
	योग	28	53	16	97

विद्यालयवार स्थापित हैण्ड पम्पों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' में उपलब्ध है। वर्णित अवधि में श्मशान एवं कब्रिस्तान में हैण्ड पम्पों का निर्माण नहीं हुआ है।

(4) जी हां। विभाग द्वारा 31वां हैण्ड पम्प विशेष मरम्मत अभियान 1 जनवरी, 2005 से प्रारम्भ हो चुका है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार इस विधान सभा क्षेत्र में अभियान के आरम्भ में 413 हैण्ड पम्प मरम्मत योग्य खराब पाये गये जिनमें से माह 31 जनवरी, 2005 तक 168 हैण्ड पम्पों को ठीक किया जा चुका है। वर्तमान में सतत प्रक्रिया के रूप में हैण्ड पम्पों को ठीक किया जा रहा है।

(परिशिष्ट-ब पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में वर्तमान में पेयजल सुविधा से वंचित गांव इनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	गांव का नाम	कोड सं.	वर्ष 2001 की जनसंख्या	विशेष विवरण
1.	बाड़ी	ताल उमरेह	01121900	5	आबादी 20 जन से कम होने के कारण नीति अनुरूप लाभान्वित नहीं किया जाना है। ग्रामवासी ग्राम में स्थित कुएं से पानी लेते हैं।
2.	बाड़ी	पाली	01133300 (सेन्सस 2001 का नया गांव)	821	रिंग मशीन द्वारा ही वेधन कार्य सम्भव है परन्तु मशीन हेतु रास्ता फिजिबल नहीं है। ग्रामवासी चम्बल के किनारे स्थित 2 कुओं से पानी लेते हैं।

1	2	3	4	5	6
3.	बाड़ी	खैरायती	01133800	8	आबादी 20 जन से कम होने के कारण नीति अनुरूप लाभान्वित नहीं किया जाना है। ग्रामवासी ग्राम में स्थित कुएं से पानी लेते हैं।
4.	बाड़ी	करूआ	01133900 (सेन्सस 2001 का नया गांव)	424	रिंग मशीन द्वारा ही वेधन कार्य सम्भव है परन्तु मशीन हेतु रास्ता फिजिबल नहीं है। ग्रामवासी चम्बल के किनारे स्थित कुएं से पानी लेते हैं।
5.	बाड़ी	वन बिहार	01136300	13	आबादी 20 जन से कम होने के कारण नीति अनुरूप लाभान्वित नहीं किया जाना है। ग्रामवासी ग्राम में मंदिर के पास स्थित कुएं से पानी लेते हैं।

1	2	3	4	5	6
6.	बसेड़ी	खुस्याल पुर	01118100	24	रिंग मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्भव है परन्तु मशीन हेतु रास्ता फिजिबल नहीं है। ग्रामवासी पहाड़ी से नीचे पोखर के पास स्थित कुई से पानी लेते हैं।
7.	बसेड़ी	शंकरपुर	01118300	637	गांव में पूर्व में कार्यशील 2 हैण्ड पम्प, वर्ष 2004 में नाकारा होने से वर्तमान में ग्रामवासी लगभग 500 मीटर दूरी स्थित हल्लूपुरा मजरे स्थित हैण्ड पम्प से पानी ले रहे है। ग्रीष्म 2004 में पेयजल परिवहन किया गया है। इस गांव में नये हैण्ड पम्प निर्माण हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। स्वीकृति उपरान्त इनका शीघ्र क्रियान्वयन किया जायेगा।

खेड़ली नगरपालिका (अलवर) के जलदाय कर्मियों का समायोजन

91. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका खेड़ली अलवर की जलयोजना का स्थानान्तरण सितम्बर, 2002 में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत इसमें कार्यरत कर्मचारियों का भी अनुबन्ध की शर्तों के मुताबिक जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में समायोजन किया जाना था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों का समायोजन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में करने हेतु निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2001 एवं इसके बाद भी अनेकों बार पत्र व्यवहार किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों का समायोजन अभी तक भी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब कब तक उक्त कर्मियों का समायोजन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका खेड़ली, जिला अलवर द्वारा कस्बा खेड़ली की संचालित जल योजना का पूर्ण स्वामित्व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने दिनांक 20 सितम्बर, 2000 को लिया।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं। उक्त योजना का स्वामित्व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा इसी शर्त के तहत लिया गया था कि स्टाफ एवं संचालन सम्बन्धी व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जावेगी तथा नगरपालिका खेड़ली का कोई स्टाफ/कर्मचारी नहीं लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में दिनांक 19-7-2000 को जारी आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। शेष बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार।

(5) जी नहीं। उक्त पेयजल योजना का हस्तान्तरण दिनांक 19-7-2000 को जारी आदेशों की अनुपालना के तहत ही हुआ है। अतः कोई दोषी नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान सरकार

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

क्रमांक : प.4(16)पीएचई/2000 दिनांक : 19-7-2000

आदेश

नगरपालिका खेडली द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के लिए संचालित जलापूर्ति योजना को अध्यक्ष, नगरपालिका खेड़ली द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को यह योजना हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर इस जलापूर्ति योजना को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के नियन्त्रण में लेकर संचालित करने हेतु सहमति दी है। इस पर वित्त विभाग द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन

स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को इसे नगरपालिका खेड़ली से अपने नियन्त्रण में लेकर संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं :

1. नगरपालिका खेड़ली द्वारा वर्तमान में चलायी जा रही खेडली कस्बे की जलापूर्ति व्यवस्था को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग संचालित करेगा। स्टाफ एवं संचालन सम्बन्धी व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की जायेगी। नगरपालिका का कोई स्टाफ/कर्मचारी नहीं लिया जायेगा।

2. योजना का रखरखाव, सुदृढ़ीकरण-विस्तार, राजस्व वसूली सभी कार्य भविष्य में विभाग द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

3. नगरपालिका, खेडली द्वारा जलापूर्ति के कनेक्शन के सम्बन्ध में जमा की गई सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि नगर पालिका खेड़ली द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सुपुर्द की जायेगी।

4. नगरपालिका खेड़ली द्वारा अब तक जलापूर्ति योजना के संचालन हेतु सृजित निर्माण एवं परिसम्पत्तियां जैसे भवन, पम्प हाउस, टैंक एवं इस कार्य में आने वाली समस्त मशीनरी जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी और यह भविष्य में विभाग के हक में रहेगी इसके लिए कोई धनराशि (Capital Cost) नगरपालिका को भुगतान नहीं की जायेगी।

5. इस जल योजना के संचालन हेतु नगरपालिका खेड़ली द्वारा अन्य संस्थाओं से लिया गया ऋण या अन्य कोई देनदारी के लिए इस विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

6. हस्तान्तरण की तिथि से ही इस जल योजना पर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के जलापूर्ति सम्बन्धी नियम, उपनियम लागू करेंगे।

यह आदेश वित विभाग की सहमति उनके आई.डी. संख्या 1284 दिनांक 1-11-1999 द्वारा प्राप्त सहमति के द्वारा भी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव (प्रथम)

नैनवां का सिंचाई रहित घोषित सिंचित क्षेत्र

92. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कमाण्ड भूमि को डि-कमाण्ड घोषित किये जाने बाबत कोई नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बून्दी जिले की नैनवां तहसील के ग्राम सबलपुरा (ग्राम पंचायत पीपलिया) के काश्तकारों द्वारा जिला कलक्टर को ग्राम की सिंचित नहीं हो सकने वाली सिंचित घोषित (कमाण्ड) भूमि को असिंचित (डि-कमाण्ड) घोषित करने बाबत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? प्रार्थना-पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नैनवां तहसील के अन्य ग्रामों में भी सिंचित नहीं हो सकने वाली सिंचित घोषित (कमाण्ड) भूमि को असिंचित (डि-कमाण्ड) घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 4 के

(राजस्व मंत्री)

अन्तर्गत कालोनी क्षेत्र को कॉलोनी क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रावधान किया गया है। सम्बन्धित नियम की प्रति परिशिष्ट-"ए" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में राज्य सरकार के पास नैनवां तहसील का इस आशय का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

ANNEXURE-'A'

Section 4 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954

4. Power to withdraw a colony from the operation of the Act :

The State Government may at any time, by notification in the official Gazette, withdraw a colony or any part of a colony from the operation of all or any of provisions of this Act.[1] The State Government may also authorise a Collector to exercise the aforesaid powers in respect of a minor irrigation project for whole colony area or any part thereof within the local limits of the district.

चूरू जिले के प्रस्तावित राजस्व ग्राम एवं मजरे

93. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चूरू जिले में ऐसे कितने मजरे हैं जो सरकार के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ग्राम घोषित होने योग्य हैं ? उक्त जिले में वर्ष 2004 में ऐसे कितने मजरों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार शेष मजरों को निर्धारित मानदण्ड अनुसार कब तक राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निम्न मजरे/ढ़ाणी नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के योग्य है :-

तहसील	मूल ग्राम	मजरा/ढ़ाणी
चूरू	कून्सीसर	प्रेमनगर
तारानगर	अलायला	छतूसिंह
तारानगर	आड़सर	कुलड़ियान
	कान्दलान	

वर्ष 2004 में किसी भी मजरे/ढ़ाणी को नवीन राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है।

(2) माह अगस्त, 2002 से लागू परिसीमन आयोग के नई प्रशासिनक इकाइयों के गठन पर प्रतिबन्ध को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

हिण्डौली तहसील (बूंदी) के काश्तकारों के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही

94. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर बूंदी ने प्रशासन आपके द्वार अभियान के समय विधान सभा क्षेत्र तहसील हिण्डौली में 10-12 तालाब जो वर्षों पुराने हैं उन गांवों में स्थित असिंचित भूमि को भूमि आबंटन अभियान में कृषि भूमि आबंटन करने हेतु कार्यवाही रोकने के मौखिक आदेश प्रसारित किये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर बूंदी ने राजस्व अधिकारियों

(श्री हरिमोहन शर्मा)

की बैठक में भूमि पर अतिक्रमण कर फसल बोने वाले किसानों पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा में शामिल के प्रावधानों के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति बीघा फसल की कीमत वसूल करने का निर्णय कर इसी आधार पर उक्त धारा 91 के अधीन चल रही कार्यवाहियों में निर्णय करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत यह निर्धारण किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत किसानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही में आदेश फसल काटने के 3 माह बाद दिये गये हैं ? यदि हां, तो फसल का मुआवजा कैसे निर्धारित किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

कुम्हेर (भरतपुर) कृषि विज्ञान केन्द्र में अनियमितता

95. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अन्तर्गत मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) द्वारा जीप का दुरूपयोग एवं प्रसार गतिविधियों में अनियमितता, भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शिकायतों में इस केन्द्र पर पदस्थापित एवं शिकायतकर्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया तथा उस अतिगोपनीय

(श्री नवरतन राजोरिया)

शिकायत की प्रति मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रभारी, कुम्हेर को दी गई ? यदि हां, तो किसके आदेश से ?

(3) क्या यह भी सही है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भी प्रभारी के विरुद्ध जांच का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) से टिप्पणी मांगी गई। प्राप्त टिप्पणी के अनुसार शिकायत निराधार पाये जाने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शिकायत की प्रतियां संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्र धौलपुर की गतिविधियों को सम्बल प्रदान करने हेतु किया गया यहां केवल एक ही वैज्ञानिक कार्यरत थे।

शिकायत की प्रति मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र भरतपुर को टिप्पणी हेतु निदेशक प्रसार शिक्षा द्वारा दी गई थी।

(3) जी हां। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) से टिप्पणी मांगी गई। प्राप्त टिप्पणी के अनुसार शिकायत निराधार पाये जाने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

कुम्हेर (भरतपुर) कृषि विज्ञान केन्द्र में बीज ग्रेडिंग कार्य में व्याप्त अनियमितता

96. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नेशनल सीड प्रोजेक्ट राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को वर्ष 2003-04 में सरसों बीज के रूप में किस-किस लौट नम्बर की स्वीकृति बेचान हेतु दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विज्ञान केन्द्र द्वारा वितरित सरसों बीच (टी.एफ.एल.) की कितनी-कितनी पैदावार हुई तथा कितना-कितना बीज किस-किस को विक्रय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र द्वारा बीज के रूप में कामर्शियल लोकल मिक्सर का भी बेचान किसानों को किया गया ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत व कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) में बीज की ग्रेडिंग का कार्य करवाया गया था, जिसमें आर.एच. 30 एवं बी.आई.ओ. (जय किसान) के अलावा बी/एस एवं डी/आर नाम भी सम्मिलित किये गये, जो लोकल थे ? यदि हां, तो लोकल को ग्रेडिंग व बेचान में सम्मिलित क्यों किया गया, क्या विश्वविद्यालय से इसकी अनुमति ली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नेशनल सीड प्रोजेक्ट राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के द्वारा दिये गये लोट नम्बर के अनुसार सरसों का टी.एफ.एल. बीज बेचा गया है। जिनके लोट नम्बर टी.एफ.एल./2004/एमटीडी/20/3बी-2-2/08 और टी.एफ.एल./2004/एमडीटी/20/3बी-2-2/09 हैं।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) वर्ष 2003-04 में सरसों टी.एफ.एल. बीज आर.एच.-30, 9 क्विंटल तथा बायो-902, 8 क्विंटल उत्पादन हुआ जिसमें कुल 7.01 क्विंटल बीज बेचा गया। कितना-कितना बीज किस-किस को बेचा गया की सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा टी.एफ.एल. बीज के रूप में केवल टी.एफ.एल. बीज ही बेचा जाता है। कामर्शियल मिक्चर टी.एफ.एल. के रूप में नहीं बेचा जाता है।

किसानों की विशेष मांग पर कामर्शियल लोकल (चिपका रोहणी) सरसों बाजार भाव पर सफाई कराकर बिना किसी पैकिंग/टेगींग के कृषकों को उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि यह किस्म सम्पूर्ण जिले में अधिकतर क्षेत्र में कृषकों द्वारा उगायी जाती है इसकी पैदावार व बाजार भाव अधिक होने व कीट व बीमारी बहुत कम लगने के कारण अन्य सभी प्रचलित कामर्शियल लोकल किस्मों से 27-30 प्रतिशत अधिक पैदावार देने के कारण इसे जिले के किसानों ने अपना रखा है। 760 किलोग्राम कामर्शियल लोकल सरसों बेची गई।

(4) कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर पर ग्रेडर नहीं होने के कारण हर वर्ष एन.एस.सी./आर.एस.एस.सी. के ग्रेडर से ग्रेडिंग कराई जाती है। गत वर्ष भी सरसों की ग्रेडिंग एन.एस.सी. पर ही कराई गई थी।

केन्द्र पर दो प्लोटों में कामर्शियल लोकल सरसों का भी उत्पादन किया गया था अतः इसे इंगित करने के लिए एक प्लोट की कामर्शियल लोकल सरसों की बोरियों पर बी/एस एवं दूसरे प्लोट की कामर्शियल लोकल सरसों की बोरियों पर डी/आर अंकन किया गया। कामर्शियल लोकल सरसों के उत्पादन एवं बेचान हेतु विश्वविद्यालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-"1"

कृषकों की सूची जिनको वर्ष 2003-04 में टी.एफ.एल. सरसों का बीज बेचा गया

क्र. सं.	नाम कृषक	किस्म	मात्रा किग्रा.	रसीद नं.	दिनांक
1.	श्री नेक राम	आर.एच. 30	26	450	25-9-2004
2.	श्री प्रदीप	" "	6	451	" "
3.	धौलपुर केवीके	बायो 902	80	459	" "
4.	श्री रामजीत	आर.एच. 30	10	466	" "
5.	श्री प्रसुराम	" "	2	468	" "
6.	श्री नवल सिंह	" "	10	469	" "
7.	श्री विजय सिंह	" "	4	473	27-9-2004
8.	श्री प्रेमनारायण	" "	10	474	28-9-2004
		बायो 902	10		
9.	श्री सुभाष चन्द्र	" "	12	477	30-9-2004
10.	श्री मिला सिंह	आर.एच. 30	18	480	1-10-2004
11.	श्री गर्व सिंह	" "	4	481	" "
12.	श्री मदन सिंह	" "	2	482	" "
13.	श्री शिव सिंह	बायो 902	40	483	" "
14.	श्री विनोदजी	आर.एच. 30	2	491	4-10-2004

1	2	3	4	5	6
15.	श्री दीनू जी	" "	2	492	4-10-2004
16.	श्री दीनू जी	" "	2	493	" "
17.	श्री परसाद	बायो 902	2	494	" "
18.	श्री शिवराम	" "	2	495	" "
19.	श्री विजय	आर.एच. 30	2	496	" "
20.	श्री कृष्णवीर	" "	10	497	" "
21.	श्री रंजीत	" "	2	498	" "
		बायो 902	2		
22.	श्री बनवारी	" "	10	501	7-10-2004
		आर.एच. 30	10		
23.	श्री सुरेश	" "	6	504	8-10-2004
24.	श्री ब्रजलाल	" "	60	506	9-10-2004
25.	श्री नेकराम	" "	14	508	16-10-2004
26.	श्री नत्थी लाल	" "	16	510	18-10-2004
		बायो 902	16		
27.	श्री नत्थी लाल	आर.एच. 30	2	511	18-10-2004
28.	श्री रजो सिंह	बायो 902	2	512	18-10-2004
29.	श्री जगवीर सिंह	" "	6	515	18-10-2004
		आर.एच. 30	6		

1	2	3	4	5	6
30.	श्री सहीराम सिंह	बायो 902	28	518	20-10-2004
31.	श्री तेज. सिंह	" "	2	521	24-10-2004
32.	श्री निहाल सिंह	" "	4	523	26-10-2004
		आर.एच. 30	4		
33.	श्री बलवीर	बायो 902	4	524	26-10-2004
34.	ओएफटी प्रदर्शन	" "	15	526	26-10-2004
35.	केवीके धौलपुर	" "	12	527	26-10-2004
		आर.एच. 30	8		
36.	श्री कुंवर सिंह	" "	56	530	26-10-2004
		बायो 902	30		
37.	श्री मोहन लाल	आर.एच. 30	16	532	26-10-2004
38.	श्री विजय सिंह	बायो 902	4	533	26-10-2004
39.	श्री गंगा सिंह	आर.एच. 30	30	534	26-10-2004
40.	श्री बलवीर	बायो 902	2	535	27-10-2004
41.	श्री श्याम लाल	आर.एच. 30	10	536	28-10-2004
42.	श्री मनोहरी	बायो 902	4	537	28-10-2004
43.	केवीके धौलपुर	" "	26	539	1-11-2004
44.	केवीके धौलपुर	बायो 902	24	540	2-11-2004

1	2	3	4	5	6
45.	श्री रामवीर	आर.एच. 30	8	542	4-11-2004
46.	श्री नेक सिंह	" "	6	548	18-11-2004
		कुल योग	701 किलोग्राम		

Chief Scientist Cem Head

Krishi Vigyan Kendra

Kumher Bharatpur (Raj.)

मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि आबंटन हेतु निर्धारित मानदण्ड

97. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा किन-किन रोगों पर राहत प्रदान की जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहायता राशि में से पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी राशि का आबंटन किया गया एवं इससे कितने लोग लाभान्वित हुए ?

(3) उक्त सहायता राशि स्वीकृत किए जाने हेतु क्या मानदण्ड हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री सहायता कोष से गम्भीर बीमारी के उपचार हेतु निम्न रोगों पर सहायता स्वीकृत की जाती है। जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय सम्बन्धित एवं अन्य गम्भीर बीमारी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) मुख्यमंत्री सहायता कोष से पिछले तीन वर्षों में उपचार हेतु निम्न प्रकार सहायता स्वीकृत की गयी है :-

वर्ष	लाभान्वित रोगियों की संख्या	स्वीकृत सहायता (राशि लाखों में)
2001-2002	2017	468.97
2002-2003	3173	770.73
2003-2004	3701	955.38

(3) मुख्यमंत्री सहायता कोष से गम्भीर रोगों के उपचार हेतु सहायता स्वीकृत करने के निम्न मानदण्ड हैं :-

1. वार्षिक आय 24000/- रुपये तक राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र के आधार पर।
2. चिकित्सक के अनुमानित खर्च (Estimate) का 40 प्रतिशत या अधिकतम 50,000/- रुपये तक।
3. राशन कार्ड की प्रति या मूल निवास का प्रमाण-पत्र।

अन्त्यपरीक्षण प्रशिक्षित चिकित्सकों का पदस्थापन

98. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय चिकित्सालय पुरानी बस्ती, जयपुर में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में पदस्थापित चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय पर शवों के अन्त्यपरीक्षण (पोस्टमार्टम) का दबाव कम करने के लिए अन्य

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

चिकित्सालयों में भी यह सुविधा प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो किन-किन में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शवों का अन्त्यपरीक्षण करने वाले चिकित्सकों के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार अपने खर्चे पर चिकित्सकों को यह प्रशिक्षण दिलवाती है ?

(4) जयपुर में ऐसे कितने चिकित्सक हैं जिन्हें प्रशिक्षित करवाने के बाद शवों का अन्त्यपरीक्षण का कार्य नहीं लिया जा रहा ? सरकार इनको कब तक इन चिकित्सालयों में पद स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय पुरानी बस्ती जयपुर में चिकित्सकों के स्वीकृत पद एवं स्वीकृत पदों पर पदस्थापित चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डिप्लोमा फोरेन्सिक मेडिसन
2.	चिकित्सा अधिकारी	1	एम.बी.बी.एस.
3.	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	बी.डी.एस.

(2) जयपुर शहर में चिकित्सा विभाग के अधीन निम्नलिखित चिकित्सालयों में अन्त्यपरीक्षण (पोस्टमार्टम) की सुविधा उपलब्ध है।

1. राजकीय कांवटिया जिला अस्पताल, जयपुर
2. राजकीय रूकमणी देवी जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
3. राजकीय सैटेलाइट अस्पताल सेठी कॉलोनी, जयपुर।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) शवों का अन्त्यपरीक्षण (पोस्ट मार्टम) करने के लिये एम.बी.बी.एस. डिग्री धारी चिकित्सक सक्षम है। इस विषय में विशेषज्ञता के लिय स्नातकोत्तर कोर्स (डिग्री/डिप्लोमा) फोरेन्सिक मेडिसन में होता है। यह कोर्स अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की तरह प्री-पीजी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मेडिकल कालेजों में उपलब्ध सीटों पर होता है। राज्य सरकार इस परीक्षण के लिये अलग से कोई व्यय वहन नहीं करती है, क्योंकि यह प्रशिक्षण नहीं, अपितु पाठ्यक्रम है।

(4) जयपुर शहर में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित निम्नलिखित चिकित्सक डिप्लोमा फोरेन्सिक मेडिसन/एम.डी. फोरेन्सिक मेडिसन में प्रशिक्षण प्राप्त है, जिनसे वर्तमान में अन्त्यपरीक्षण का कार्य नहीं लिया जा रहा है।

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम
1.	राजकीय चिकित्सालय पुरानी बस्ती, जयपुर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
2.	राजकीय डिस्पेंसरी, चौड़ा रास्ता, जयपुर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

जयपुर में ऐसे दो चिकित्सक हैं, जिनके पास फोरेन्सिक मेडिसन की स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा की योग्यता है। राज्य में मात्र 5 पद कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरेन्सिक मेडिसन) के स्वीकृत हैं तथा वरिष्ठता के आधार पर 5 योग्यताधारी चिकित्सकों को कनिष्ठ विशेषज्ञ के पदों पर पदोन्नति दे दी गई है जिनमें से दो का पदस्थापन किया जाना शेष है। जो दो चिकित्सक पुरानी बस्ती एवं चौड़ा रास्ता में पदस्थापित है इनमें से एक चिकित्सक विषय विशेषज्ञता में पदोन्नति त्याग (Forgo) कर चुका है। शेष एक का जब भी इन विषय विशेषज्ञता वाले पदों पर चयन किया जायेगा इनको लगाने के प्रयास किये जायेंगे।

सीकर जिले के चिकित्सालयों में वार्ड ब्वाय के रिक्त पदों पर भर्ती

99. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय, जयपुर के पत्र क्रमांक योजना/एफ.जी.2(2)वि.स.शा./97/407 दिनांक 6 मार्च, 1997 के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 1992 को सीकर जिले में स्थायी वार्ड ब्वाय के 35 पद रिक्त होने की सूचना सरकार को भेजी गई थी ? यदि हां, तो उक्त पत्र की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : योजना/विसशा/एफ.जी./2(2)/97/407 जयपुर, दिनांक : 6-3-1997

सहायक शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
(ग्रुप-3) राज., जयपुर।

विषय : अतारांकित प्रश्न संख्या 1185/चिकित्सा/अता./द्वारा श्री महोदव सिंह माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा।

सन्दर्भ : आपका पृष्ठांकन संख्या प.9(22)/चिस्वा/ग्रुप-3/97 दिनांक 5-3-1997

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस पत्र के

साथ के संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

पृथक नर्सेज निदेशालय की स्थापना

100. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार वर्षों से सेवारत, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ को वैद्य (आर.एम.पी.) अधिकार देने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार गांवों में चिकित्सा सेवा सुधारने हेतु नर्सेज निदेशालय पृथक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) गांवों में समुचित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अतः पृथक से निदेशालय बनाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वरिष्ठ विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा के बकाया वेतन का भुगतान

101. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 में विभाग द्वारा वरिष्ठ विशेषज्ञ नेत्र के पदों पर पदोन्नतियां की गई थी ? यदि हां, तो किन-किन की ?

(श्री रमेश खींची)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदोन्नति में किसी कनिष्ठ विशेषज्ञ नेत्र को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ भी दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस को ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पदोन्नतियों की आज्ञा में क्रम संख्या 3 पर पदोन्नत नेत्र चिकित्सक द्वारा वरिष्ठ विशेषज्ञ नेत्र के पद पर अपनी उपस्थिति दिनांक 26 जून, 2002 को पाती वेतन श्रृंखला के अन्तर्गत दी गई थी।

(4) क्या यह भी सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-2 के पत्र क्रमांक प.4(6) चि.स्वा/2/2001 दिनांक 20 मार्च, 2004 के द्वारा उक्त चिकित्सक को दिनांक 26 जून, 2002 से ही वास्तविक वेतन भुगतान का लाभ दिया जाना स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सक को वेतन का लाभ दे दिया गया ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अब उक्त वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ के लम्बित वेतन का भुगतान करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञों (नेत्र) की वर्ष 2001-02 की रिक्तियों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा पर आदेश संख्या प.4(6) चिस्वा/2/2001 दिनांक 5-5-2003 द्वारा निम्नांकित कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) को पदोन्नति प्रदान की गई :-

1. डा. श्रीलाल सुथार
2. डा. प्रेम प्रकाश जैन
3. डा. संतोष कुमार गुप्ता
4. डा. लोकेश कुमार शर्मा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

5. डा. सवाई सिंह राठौड़

6. डा. डी.आर. शर्मा

7. डा. राकेश शर्मा

8. डा. ओ.पी. आचार्य

9. डा. एस.के. बारदार

10. डा. विष्णु चन्द गुप्ता

(2) जी हां। पदोन्नति का काल्पनिक लाभ निम्नांकित चिकित्सकों को दिनांक 1-4-2001 से प्रदान किये जाने हेतु आदेश संख्या प.4(6) चिस्वा/2/2001 दिनांक 24-11-2003 के द्वारा जारी किये गये :-

1. डा. श्रीलाल सुथार

2. डा. प्रेम प्रकाश जैन

3. डा. संतोष कुमार गुप्ता

4. डा. लोकेश कुमार शर्मा

5. डा. सवाई सिंह राठौड़

(3) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत कार्मिक विभाग के द्वारा पदोन्नति की अनुमति प्रदान नहीं किये जाने के कारण वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के अन्य बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये पाती वेतन श्रृंखला में कनिष्ठ विशेषज्ञों (नेत्र) को वरिष्ठ विशेषज्ञों (नेत्र) के पद पर आदेश संख्या प.4(4)चिस्वा/2/2002 दिनांक 15-6-2002 के द्वारा पदस्थापित किया गया। पदोन्नति आज्ञा के क्रम संख्या 3 पर डा. संतोष कुमार गुप्ता द्वारा उक्त पाती वेतन पर वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर दिनांक 26-6-2002 को कार्यभार ग्रहण किया था। दिनांक 26-6-2002 तक डा. गुप्ता की नियमित पदोन्नति नहीं हुई थी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जी हां। शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) के पत्र क्रमांक प.4(6)चिस्वा/2/2001 दिनांक 20 मार्च, 2004 के द्वारा डा. संतोष कुमार गुप्ता को वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर पदोन्नति का वास्तविक लाभ दिनांक 26-6-2002 से स्वीकृत किया गया है, किन्तु उक्त आदेश दिनांक 20-3-2004 में काल्पनिक लाभ की तिथि 1-4-2001 के स्थान पर 1-4-2002 अंकित होने के कारण इसमें संशोधन दिनांक 14-2-2005 को किया जा चुका है। आदेशों में त्रुटि होने के कारण डा. गुप्ता का अभी भुगतान नहीं हुआ है।

(5) जी हां। भुगतान शीघ्र कराने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले की डामर सड़क विहीन ग्राम पंचायतें

102. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य परियोजनाओं में डामरीकृत सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है ? उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में जिला चित्तौड़गढ़ की किन-किन ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ? सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 जो किशनगढ़-भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा होते हुए दाहोद (गुजरात) जाती है, को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कितनी राशि वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिये स्वीकृत होने की सम्भावना है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ नगर से बांसवाड़ा मुख्य मार्ग के लिये राज्य सरकार के पास बाइपास बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या होगा और यह बाइपास किस दिशा से बनाये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य में 573 ग्राम पंचायत मुख्यालय वर्तमान में पी.एम.जी.एस.वाई. एवं अन्य किसी योजना में डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं है।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 2004-05 में जिला चित्तौड़गढ़ में निम्न ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है :

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति		नाम पंचायत मुख्यालय
1.	अरनोद	1.	हिंगलाट
		2.	चाकुण्डा
2.	बेगूं	3.	सुवानिया
3.	भदेसर	4.	रेवलियाखुर्द
4.	चित्तौडगढ़	5.	सादी
5.	डूंगला	6.	आलोद
		7.	नोगावां
		8.	फलोदड़ा
		9.	भाटोली बागरियान
6.	निम्बाहेड़ा	10.	गुडा खेड़ा
7.	प्रतापगढ़	11.	रतनपुरिया

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 अजमेर-नसीराबाद-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा होते हुए नीमच को चली जाती है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़-बांसवाड़ा होते हुए (दाहोद) गुजरात को जाती

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

है। रा.रा. मार्ग संख्या 113 पर वर्ष 2004-05 में कोई कार्य केन्द्र सरकार के पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं है तथा वर्ष 2005-06 के लिये कार्यों की स्वीकृति केन्द्र सरकार में पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार पर निर्भर है।

(3) जी नहीं।

डेगाना में विधायक अभिशंसित सड़क सुधार कार्य

103. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा क्षेत्रीय विधायकों की अभिशंसा पर 60 कि.मी. पक्की सड़कों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण की योजना को स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो योजना कब से शुरू की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान कितनी किलोमीटर कितनी राशि की कौन-कौनसी सड़कों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया ? सूची सड़कवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। क्षेत्रीय विधायकों की अभिशंसा पर 60 किलोमीटर पक्की सड़कों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना आर.यू.पी. प्रथम की नवम्बर, 2001 व फरवरी, 2002 तथा आर.यू.पी. द्वितीय चरण की माह जुलाई, 2002 में स्वीकृति जारी की गई थी।

(2) उक्त योजनान्तर्गत क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान निम्नानुसार सड़कों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया :

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(राशि रू. लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि (किमी.)	योजना का नाम
1.	2002-03	60.0	160.00	135.01	59.0	आर.यू.पी. प्रथम
2.	2003-04	60.0	145.00	128.36	60.0	आर.यू.पी. द्वितीय
3.	2004-05	-	-	-	-	-

कार्यवार पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-"अ"

वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान डेगाना विधान सभा क्षेत्र में उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के तहत निर्मित सड़क कार्यों का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
आर.यू.पी.-प्रथम चरण 2002-03							
1.	कुचेरा से निंबडीचांदावता 0/0 से 4/0	एफ2(28)पीडब्ल्यू एस/2001-02/ 24-11-2001	4.0	16.00	13.22	4.0	कार्य पूर्ण
2.	डेगाना खाटू सड़क 0/0 से 5/0 व 13/0 से 23/0	--"--	15.0	32.00	29.50	14.0	--"--

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	रेण से सांजू सड़क 0/0 से 6/0 व 24/0 से 29/0	--"--	11.0	28.00	23.54	11.0	--"--
4.	सम्पर्क सड़क झगडवास बाइपास लंगोड 0/0 से 4/0	--"--	4.0	16.00	13.46	4.0	--"--
5.	भांवला से पुरोहितातपी 0/0 से 3/0	--"--	3.0	7.00	6.74	3.0	--"--
6.	सम्पर्क सड़क आकेली 0/0 से 4/0, 6/0 से 8/0	--"--	6.0	12.00	11.94	6.0	--"--
7.	--"-- रातादूण्डा 0/0 से 4/0	--"--	4.0	10.00	10.03	4.0	--"--
8.	डेगाना-बग्गड़ किमी 7 व 8	--"--	2.0	5.00	5.01	2.0	--"--
9.	डेगाना से हरसौर सड़क किमी 9/0 से 15/0 17/500 से 18/500, 19/0 से 22/0 व 24/0 से 25/0	--"--	11.0	24.00	21.57	11.0	--"-- (कृ.उ.म.ख. मेडता)
	योग :-		60.0	160.00	135.01	59.0	

1	2	3	4	5	6	7	8
आर.यू.पी.-द्वितीय चरण 2003-04							
1.	पुरोहितामनी से थांवला 8/0 से 18/0	एफ2(9)(पीडब्ल्यू) 2002/डी-305/ 1-7-2002	10.0	25.00	21.08	10.0	कार्य पूर्ण
2.	जैतारण मेडता डेगाना 8/0 से 10/0, 13/0 से 14/0 व 20/0 से 25/0	--"--	8.0	20.00	16.32	8.0	--"--
3.	पादूकलां-नसीराबाद 18/0 से 27/0	--"--	9.0	21.00	17.16	9.0	--"--
4.	दांतीवाडा-पीपाड-मेडता-परबतसर सड़क किमी 122/0 से 145/0	--"--	23.0	53.00	47.65	9.0	--"--
5.	बाडीघाटी-डेगाना-डीडवाना किमी 85/0 से 90/0	--"--	5.0	12.00	11.65	5.0	--"--

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	सम्पर्क सड़क चुआ-चुई से बामणा सड़क 2/0 से 7/0	--"--	5.0	14.00	14.50	5.0	--"--
		योग :-	60.0	145.00	128.36	60.0	

सेवानिवृत्त अनुदानित विद्यालय शिक्षाकर्मी का पेंशन प्रकरण

104. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर ने पत्र क्रमांक पी.आर./पी.एफ. 695/95-96 दिनांक 10 अगस्त, 2004 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर पी.पी.ओ. संख्या 125208 (आर.) के पेंशनर के पेंशन प्रकरण के संशोधन हेतु कतिपय बिन्दुओं का नियमों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत परीक्षण कर विभाग के वरिष्ठतम लेखाकर्मी की टिप्पणी अंकित कराकर स्पष्ट अभिशंसा सहित प्रकरण शीघ्र निदेशालय, पेंशन को भिजवाने के निर्देश प्रदान किये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण मय पत्र की प्रति के साथ सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग द्वारा भी उक्त पेंशनर को सेवानिवृत्ति उपरान्त दी गई पदोन्नति के प्रकरण में वेतन निर्धारण के काल्पनिक लाभ की देयता मानी गई है ? यदि हां, तो उक्त की क्रियान्विति हेतु वांछित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर प्रकरण निदेशालय, पेंशन विभाग को कब तक भिजवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पेंशनर को दिनांक 30 नवम्बर, 1995 को सेवानिवृत्ति के पश्चात जनवरी, 1996 में विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 1994-95 की सिफारिश पर चयनित कर उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी गई थी तथा विभाग द्वारा इस पदोन्नति पर वेतन निर्धारण बाबत स्पष्ट अभिशंसा नहीं करने के कारण उक्त पेंशनर की पेंशन संशोधित नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो अब पदोन्नति का वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पेंशनर ने वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 1978 की पालना में दिनांक 24 जुलाई, 1961 से 5 अक्टूबर, 1966 तक की सी.पी.एफ. की राशि मय ब्याज के जमा करवा दी थी ?

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

(5) क्या उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् जी.पी.एफ. विभाग ने उक्त पेंशनर की, दिनांक 24 जुलाई, 1961 से 5 अक्टूबर, 1966 तक की अनुदानित विद्यालय की सेवाओं को पेंशन योग्य सेवा में मानकर पेंशन लाभ के लिये मान्य करने का पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या अनुदानित विद्यालय की सेवाओं को मान्य करने के लिये जी.पी.एफ. विभाग ही अधिकृत है ? क्या उक्त विभाग द्वारा पेंशन योग्य सेवा माने जाने पर ऐसे ही पी.पी.ओ. संख्या 130704 (आर.) एवं पी.पी.ओ. संख्या 57430 (आर.) की पेंशन राशि निदेशालय, पेंशन विभाग द्वारा संशोधित की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त पेंशनर की पेंशन संशोधित नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ?

(7) अब नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदोन्नति के आदेश में वांछित संशोधन कर नोशनल वेतन निर्धारित कर पी.पी.ओ. संख्या 125208 (आर.) की संशोधित पेंशन राशि का संशोधित पी.पी.ओ. कब तक जारी करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 10-8-2004 के बिन्दु संख्या 1 व 2 की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में प्रकरण में नियमों के तहत पुनः परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। प्रकरण में नियमों के तहत पुनः परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। प्रकरण में नियमों के तहत पुनः परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां।

(शिक्षा मंत्री)

(5) जी हां। पेंशन विभाग द्वारा पेंशनर की 24-7-1961 से 5-10-1966 की सेवाओं को पेंशन योग्य मान ली गई है।

(6) पेंशनर श्री रामस्वरूप शर्मा के प्रकरण में भी संशोधित पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ., पेंशन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

(7) प्रकरण में पुनः परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : पीआर.1/पीएफ695/95-96/5111 दिनांक : 10-8-2004

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर।

विषय : पेंशन प्रकरण श्री रामस्वरूप शर्मा, पूर्व व्याख्याता सेवानिवृत्ति दिनांक 30-11-1995 पी.पी.ओ. संख्या 125208 (आर.)

प्रसंग : श्री शर्मा का अभ्यावेदन दिनांक 2 मार्च, 2004 एवं वित्त (जीएण्डटी) विभाग का पत्र दिनांक 4 अगस्त, 2004

महोदय,

प्रासंगिक विषयान्तर्गत श्री रामस्वरूप शर्मा पूर्व व्याख्यता का मूल पेंशन प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर खण्ड-2 जयपुर द्वारा दिनांक 18-2-1995 को मूल वेतन रुपये 3500/- के आधार पर इस विभाग को भिजवाया गया था जिसका अन्तिम निस्तारण किया जाकर दिनांक 24-2-1996 को पेंशन परिलाभ की अधिकृतियां जारी की गई।

इसके पश्चात् श्री रामस्वरूप द्वारा कई बार इस विभाग में पत्र प्रस्तुत कर उनके पैंशन संशोधन चाहा। उनके अभ्यावेदन के अनुसार उनके द्वारा निम्न तीन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया :-

1. श्री शर्मा द्वारा श्री पन्नालाल चितलांगिया उ.मा. विद्यालय, सीकर में दिनांक 24-7-1961 से 5-10-1966 तक प्रथम श्रेणी अध्यापक के रूप में सेवा की गई। श्री शर्मा ने इस अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त संस्था को राज्यादेश दिनांक 6-10-1966 के द्वारा राज्याधीन लेने के फलस्वरूप संस्था में की गई सेवाओं को भी पैंशन योग्य सेवा काल मानने बाबत लिखा है। अत: वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1 (38)वित्त/ग्रुप-2/दिनांक 30-11-1978 (फोटो प्रति संलग्न) के परीक्षण कर स्पष्ट करें कि संस्था के रिकार्ड में उक्त दिनांक 24-7-1961 से 5-10-1966 तक क्या सी.पी.एफ. में कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान काटा गया था यदि हां, तो सी.पी.एफ. खाता संख्या एवं नियोक्ता का अंशदान एवं उस पर ब्याज राजकीय राजस्व में कब स्थानान्तरण किया गया। उसके स्थानान्तरण प्रविष्टि की प्रति भिजवावें एवं यदि उक्त सेवा... योग्य है तो तदनुसार पैंशन संशोधन हेतु प्रकरण भिजवावें।

2. विभागीय अभिशंसानुसार बी.एड. प्रशिक्षण अवधि दिनांक 1-8-1969 से .... 70 के लिए ली गई असाधारण अवकाश अवधि को नियमानुसार पैंशन यानि सेवा अवधि में शामिल नहीं किया गया है। परीक्षण कर टिप्पणी/अभिशंसा भिजवावें।

3. श्री शर्मा को दिनांक 30-11-1995 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् जनवरी, 1996 में विभाग द्वारा डी.पी.सी. वर्ष 1994-95 में चयनित कर उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी गई। आदेश में यह अंकित था कि 1-4-1994 एवं आगे के वर्षों से कार्य भार सम्भालने की तिथि से जो भी बाद में हो, पदोन्नत किया जाता है। चूंकि श्री शर्मा ने पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था अत: आपके विभाग से इस

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण बाबत स्पष्ट अभिशंसा न मिलने के कारण पेंशन संशोधित नहीं की जा सकी है।

इस सम्बन्ध में विधान सभा में भी श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 2434 उठाया गया जिसके उत्तर में वित्त विभाग द्वारा श्री शर्मा के सेवानिवृत्ति उपरान्त दी गई पदोन्नति के प्रकरण में वेतन निर्धारण के काल्पनिक लाभ की देयता मानी गई है। (उत्तर की प्रति संलग्न है) अतः आश्वासन की क्रियान्विति हेतु वांछित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर प्रकरण निदेशालय, पेंशन को भिजवाना सुनिश्चित करने का श्रम करें।

साथ ही श्री शर्मा द्वारा इस विभाग को प्रेषित पत्रों (जिसकी फोटो प्रतिया संलग्न है) में उल्लेखित बिन्दुओं का भी नियमों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत परीक्षण करावें तथा विभप्रेषित पत्रों (जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न है) में उल्लेखित अन्य बिन्दुओं का नियमों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत परीक्षण करावें तथा विभाग के वरिष्ठतम लेखाकर्मी की टिप्पणी अंकित कराते स्पष्ट अभिशंसा सहित प्रकरण शीघ्र भिजवावें।

संलग्न : फोटो प्रतियां।

भवदीय

बी.पी. ढाका

निदेशक

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की बकाया अनुदान राशि

105. श्री बृज किशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 31 मार्च, 2004 तक अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान की राशि देना शेष है ? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं को तथा अब तक अनुदान नहीं देने के क्या कारण रहे ?

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(2) क्या सरकार अब संस्थाओं को बकाया अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2003-04 तक वित्त विभाग से उपलब्ध आवेदन राशि की सीमा तक समस्त अनुदानित संस्थाओं को राशि स्वीकृत की जा चुकी है। पूर्ण बजट के अभाव में आंशिक राशि रोकी गई है। इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर एवं निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राज. जयपुर द्वारा दिया गया विवरण क्रमशः परिशिष्ट-"क", "ख" तथा "ग" पर संलग्न है।

(2) शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से निवेदन किया जा चुका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

106. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सत्र 2004-05 के आरम्भ होने पर विभिन्न स्तर के अध्यापकों के पद भरने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो विभिन्न राजकीय विद्यालयों में रिक्त पद कब-कब भरे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्तमान में विभिन्न स्तर के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? संख्या विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा वर्ष 2004 में समय-समय पर विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित करवाई जाकर, समिति द्वारा उपलब्ध करवाये गये चयनित आशार्थियों से 1283 विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं तथा वरिष्ठ अध्यापकों के पद भरे गये हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) राज्य में अध्यापकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-"क"

राज्य में अध्यापकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण (1-1-2005)

क्र. सं.	जिले का नाम	व्याख्याता	व. अध्यापक	अध्यापक
1.	चूरू	186	292	223
2.	बीकानेर	124	244	082
3.	श्रीगंगानगर	126	136	089
4.	हनुमानगढ़	129	184	171
5.	झुन्झुनूं	223	200	162
6.	जयपुर	196	362	247

1	2	3	4	5
7.	भरतपुर	115	173	129
8.	अलवर	238	279	228
9.	सीकर	200	284	266
10.	दौसा	73	101	77
11.	धौलपुर	58	100	95
12.	जोधपुर	166	241	109
13.	पाली	177	130	183
14.	सिरोही	93	76	76
15.	जालौर	107	163	106
16.	बाड़मेर	165	183	66
17.	जैसलमेर	53	53	12
18.	कोटा	49	38	118
19.	झालावाड़	129	98	107
20.	बून्दी	60	74	72
21.	बारां	86	89	55
22.	करौली	37	69	57

1	2	3	4	5
23.	सवाईमाधोपुर	45	102	60
24.	उदयपुर	186	271	129
25.	बांसवाड़ा	132	156	104
26.	डूंगरपुर	130	71	66
27.	रामसमन्द	167	169	64
28.	चित्तौड़गढ़	199	211	104
29.	अजमेर	127	252	106
30.	नागौर	320	366	202
31.	भीलवाड़ा	147	292	110
32.	टौंक	131	126	92

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में संचालित विधालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

जनवरी-2005

क्र. सं.	जिला	II Grade	III Grade			
			प्रा.शि. विभाग	पंचायतीराज	कुल योग	
1.	चूरू	152	968	292	1260	
2.	बीकानेर	170	1102	197	1299	

1	2	3	4	5	6	7
3.	झुन्झुनूं	204	872	46	918	
4.	हनुमानगढ़	121	660	88	748	
5.	गंगानगर	225	851	660	1511	
6.	जयपुर	342	1755	379	2134	
7.	भरतपुर	96	640	242	882	
8.	अलवर	248	1536	403	1939	
9.	धौलपुर	39	584	129	713	
10.	दौसा	67	541	108	649	
11.	सीकर	259	720	77	797	
12.	जोधपुर	235	1332	311	1643	
13.	पाली	192	993	233	1226	
14.	जैसलमेर	33	349	399	748	
15.	जालौर	99	713	561	1274	
16.	सिरोही	65	483	249	732	
17.	बाड़मेर	160	1307	864	2171	
18.	उदयपुर	269	1339	899	2238	
19.	बांसवाड़ा	38	771	170	941	

1	2	3	4	5	6	7
20.	डूंगरपुर	78	793	64	857	
21.	राजसमन्द	109	920	442	1362	
22.	चित्तौड़गढ़	171	1329	578	1907	
23.	अजमेर	228	986	446	1432	
24.	भीलवाड़ा	156	896	337	1233	
25.	टौंक	117	730	374	1104	
26.	नांगौर	320	1580	595	2175	
27.	कोटा	79	468	100	568	
28.	झालावाड़	82	593	454	1047	
29.	सवाई माधोपुर	48	352	99	451	
30.	बूंदी	54	581	147	728	
31.	बारां	75	456	159	615	
32.	करौली	80	553	102	655	
		4611	27753	10204	37957	

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अजमेर को टैक्सी कार हेतु अनियमित वित्तीय स्वीकृति

107. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर को वित्तीय वर्ष 2003-04 में एक वातानुकूलित कार क्रय करने हेतु 5.00 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार कब क्रय की गई व इसका पंजीकरण कब करवाया गया ? क्रय करने की तिथि से अब तक उक्त वाहन के पेट्रोल, आयल एवं रख-रखाव सम्बन्धी प्रतिमाह हुए व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर को उक्त वातानुकूलित कार के आबंटन के अतिरिक्त सरकारी कार्य के लिए टैक्सी किराये पर लिये जाने एवं उस पर होने वाले व्यय के लिए बजट स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में प्रत्येक माह टैक्सी किराये हेतु भुगतान के व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर को सरकारी कार आबंटन होने के उपरान्त भी टैक्सी किराये की स्वीकृति व बजट किन कारणों से दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी वाहन का उपयोग उप निदेशक के द्वारा नहीं किया जाकर किसी अन्य के द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो उक्त वाहन का उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार दिनांक 6-2-2004 को क्रय की गई, तथा इसका पंजीकरण दिनांक 31-3-2004 को करवाया गया। वाहन के रख-रखाव, पेट्रोल

(शिक्षा मंत्री)

आदि पर प्रतिमाह किये गये व्यय का विवरण का परिशिष्ट-"क" पर सदन के पटल पर रख दी है।

(2) जी हां। टैक्सी किराये हेतु वर्ष 2003-04 व 2004-05 में किये गये व्यय के विवरण का परिशिष्ट-"ख" पर सदन की पटल पर रख दी है।

(3) विभागीय पूल के तहत उप निदेशक (मा.) अजमेर के नाम से आबंटित कार समन्वय कक्ष एवं शिक्षा मंत्रालय के उपयोग हेतु रखे जाने के कारण उपनिदेशक (मा.) अजमेर को टैक्सी किराये पर लेने की स्वीकृति एवं बजट का आबंटन सम्भाग के विद्यालयों के निरीक्षण, शैक्षिक गतिविधियों के नियन्त्रण आदि हेतु किया गया है।

(4) जी हां। समन्वय कक्ष एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा वाहन का उपयोग राजकार्य एवं राज्यहित में किया जा रहा है।

परिशिष्ट-"क"

शिक्षा समन्वय कक्ष कार्यालय के उपयोगार्थ कार सं. आरजे-14 8सी 3737 पर पेट्रोल, आयल, रख-रखाव हेतु आबंटित बजट एवं प्रति माह व्यय का विवरण-

सत्र	आबंटित बजट	माह	प्रतिमाह व्यय का विवरण		योग
			पेट्रोल/आयल	रख-रखाव/अन्य	
2003-04	80000.00	फरवरी, 04	39503.00		39503.00
		मार्च, 04	2635.00	17095.00	19730.00
2004-05	2,00,000	अप्रैल, 04	9581.00		9581.00
		मई, 04	30497.00		30497.00

1	2	3	4	5	6
		जून, 04	19253.00		19253.00
		जुलाई, 04	3645.00		3645.00
		अगस्त, 04	7062.00	465.00	7527.00
		सितम्बर, 04	13842.00	4015.00	17857.00
		अक्टूबर, 04	11607.00	528.00	12135.00
		नवम्बर, 04	14822.00	170.00	14992.00
		दिसम्बर, 04	13815.00	6762.00	20577.00
		जनवरी, 05	3262.00	3735.00	16997.00
सर्वयोग-	2,80,000		179524.00	32770.00	212294.00

परिशिष्ट-"ख"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, अजमेर को किराये के वाहन (टैक्सी) के किराये हेतु आबंटित व्यय तथा प्रतिमाह किये गये व्यय का विवरण

सत्र 2003-04 के लिये

क्र.सं.	आबंटित राशि	माह	व्यय की गयी राशि
01.	10,000.00	फरवरी, 04	2833.00
		मार्च, 04	4708.00
योग :-	10,000.00		7541.00

सत्र 2004-05 के लिये

क्र.सं.	आबंटित राशि	माह	व्यय की गयी राशि
01.	45,000.00	अप्रैल, 04	1411.00
		मई, 04	737.00
		जून, 04	5953.00
		जुलाई, 04	3320.00
		अगस्त, 04	5119.00
		सितम्बर, 04	6803.00
		अक्टूबर, 04	4908.00
		नवम्बर, 04	1524.00
		दिसम्बर, 04	6484.00
		जनवरी, 05	5561.00
योग -	45,000.00		41820.00

अतारांकित प्रश्न संख्या-108

(स्थगित)

गंग नहर का पुनर्निमाण

109. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गंग नहर के पुनर्निर्माण का कार्य कब तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है ?

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

(2) इस नहर के पुनर्निर्माण का कितना कार्य अब तक पूरा हो चुका है ? और कितना शेष है ? सरकार शेष कार्यों को कब तक पूरा कर सिंचाई हेतु जल छोड़े जाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गंग नहर के पुनः निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस नहर की पुनः सरंचना किये जाने का कार्य 30-4-2005 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

(2) इस नहर की पुनः सरंचना का कार्य बीकानेर नहर (गंगनहर) बुर्जी संख्या 45.000 से 368.500 (98.60 किलोमीटर) पंजाब राज्य में एवं बुर्जी 368.500 से 423.368 (16.72 किलोमीटर) राजस्थान में है। पंजाब भाग में 92.60 किलोमीटर लम्बाई में नहर पक्की हो चुकी है तथा केवल 6.00 किलोमीटर कार्य ही शेष है। राजस्थान भाग में 16.64 किलोमीटर लम्बाई में नहर पक्की हो चुकी है और मात्र 0.08 किलोमीटर कार्य शेष है। उक्त शेष कार्य 30-4-2005 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। तदोपरान्त बीकानेर नहर में पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित है।

नादौती (करौली) तहसील के काश्तकारों को पांचना बांध से सिंचाई सुविधा

110. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली में सरकार द्वारा पांचना बांध का निर्माण किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध से नहरों द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो जिले के किन-किन ग्रामों को ?

(श्री सुरेश मीणा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध से निकलने वाली नहरों से माडा एरिया विशेषकर नादौती तहसील के किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त तहसील के किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस बांध से करौली जिले के 18 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सूची प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। पांचना बांध के कमाण्ड क्षेत्र में माडा क्षेत्र की तहसील टोडाभीम के 8 तहसील हिण्डौन के 4 और तहसील नादौती के 6 कुल 18 गांवों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जाता है।

(4) नादौती तहसील के 6 गांव जो पांचना बांध की नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में हैं, को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रपत्र-"अ"

क्र.सं.	नाम ग्राम	तहसील	प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कमाण्ड/ अनकमाण्ड
1.	अखेवाड़ा	टोडाभीम	178.60	कमाण्ड
2.	शेखपुर पटटी	टोडाभीम	45.18	कमाण्ड
3.	कलयाड़ी	टोडाभीम	351.87	कमाण्ड
4.	रानोली	टोडाभीम	381.88	कमाण्ड

1	2	3	4	5
5.	शेखपुर	टोडाभीम	411.32	कमाण्ड
6.	किरवाडा	टोडाभीम	276.97	कमाण्ड
7.	भोटवाडा	टोडाभीम	322.50	कमाण्ड
8.	महस्वा	टोडाभीम	143.00	कमाण्ड
9.	दुब्बी	हिण्डौन	94.54	कमाण्ड
10.	अकबरपुर	हिण्डौन	406.07	कमाण्ड
11.	चान्दनगांव	हिण्डौन	285.57	कमाण्ड
12.	कोडिया	हिण्डौन	244.39	कमाण्ड
13.	रोन्सी	नादौती	540.03	कमाण्ड
14.	कैमला	नादौती	550.20	कमाण्ड
15.	कुजेला	नादौती	129.14	कमाण्ड
16.	खेड़ली	नादौती	398.12	कमाण्ड
17.	खेडला	नादौती	206.89	कमाण्ड
18.	रलावता	नादौती	208.00	कमाण्ड
		योग :-	4566 हैक्टेयर	

राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन के अधिशेष कर्मी

111. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या 71/97 दिनांक 12 अगस्त, 1997 एवं आज्ञा संख्या 119/98 दिनांक 15 सितम्बर, 1998 द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन को बन्द करने का निर्णय लिये जाने के उपरान्त फैडरेशन के समस्त अधिशेष अधिकारी/कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने कर्मचारी/अधिकारी शेष रहे हैं तथा उनका समायोजन कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या 119/98 दिनांक 15 सितम्बर, 1998 द्वारा फैडरेशन के अधिशेष कर्मचारी/अधिकारियों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में समायोजित किये जाने के निर्देश दिये जाने के उपरान्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग की आज्ञा संख्या प.3(2) प.पा./92-पार्ट दिनांक 4 मई, 2001 के द्वारा फैडरेशन के शेष सभी अधिकारी/कर्मचारियों को पशुपालन विभाग में समायोजित करने की स्वीकृति जारी की गई थी ? यदि हां, तो क्या उस आज्ञा की अनुपालना विभाग द्वारा कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या 119/98 दिनांक 15 सितम्बर, 1998 एवं माननीय मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 के द्वारा नियमों में शिथिलता प्रदान करने के उपरान्त भी शासन सचिव के आदेश क्रमांक सं.प.3(2)प.पा./92-पार्ट दिनांक 4 मई, 2001 द्वारा अधिशेष कर्मचारी/अधिकारियों के लिये पेंशन एवं वरिष्ठता का लाभ नहीं दिये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रामकिशोर मीणा)

(4) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन की परिसम्पत्तियों का राज्य सरकार के स्तर से निपटारा किस प्रकार किया गया तथा क्या परिसम्पत्तियों (स्थाई/अस्थाई) का अन्य किसी विभाग अथवा निगम बोर्ड आदि को स्थानान्तरित अथवा बेचान किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन फैडरेशन लि. के अधिशेष 6 कर्मियों के धारित पद के समकक्ष पद पशु पालन विभाग में नहीं होने के कारण उनका समायोजन नहीं किया जा सका है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन के अधिशेष रहे 11 अधिकारी/कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों को छोड़ कर 6 अधिकारी/कर्मचारी ऐसे पद पर कार्यरत थे जिनकी शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान के समकक्ष गैर तकनीकी पद विभाग में विद्यमान नहीं होने तथा तकनीकी पदों पर समायोजन करना सम्भव नहीं होने के कारण 6 अधिकारी/कर्मचारियों का समायोजन विभाग में नहीं किया जा सका है।

(3) शासकीय निर्णय दिनांक 4 मई, 2001 के अनुसार वरिष्ठता का लाभ एवं पेन्शन देय नहीं है।

(4) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन की परिसम्पत्तियों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार के सहकारी विभाग द्वारा अवसायक नियुक्त किया जा चुका है। आज दिनांक तक अवसायक के स्तर से फैडरेशन की सम्पतियों (स्थाई/अस्थाई) का अन्य किसी विभाग अथवा निगम बोर्ड आदि को स्थानान्तरित अथवा बेचान नहीं किया गया है।

राज्य के तहसील मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय

112. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रत्येक तहसील मुख्यालय एवं गांव में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में विभाग द्वारा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करवाई हुई हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में प्रत्येक गांव में पशु चिकित्सालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

राज्य के अनुदानित ग्रामीण लघु/कुटीर उद्योग

113. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ग्रामीण लघु तथा कुटीर उद्योगों को अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो प्रदेश की अनुदानित संस्थाओं की जिलेवार सूची सदन की मेज-पर रखें।

(2) क्या प्रदेश की उपरोक्त अनुदानित संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायतों की जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन किन संस्थाओं के विरुद्ध तथा कब से ? अब उक्त जांचों का निपटारा कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश की अनुदानित ग्रामोद्योग संस्थाओं की जिलेवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट "1" में नामांकित संस्थाओं में से निम्न संस्थाओं द्वारा बिक्री कर मुक्ति एवं क्रय कर मुक्ति के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त हुई है

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

जिसकी जांच विचाराधीन है। उक्त शिकायत की जांच शीघ्र कर ली जावेगी।

1) गिर्राज विकास संस्थान जिला, जयपुर।

2) सागर विकास संस्थान जिला, जयपुर।

3) शेखावाटी ग्रामोद्योग संस्थान जिला, सीकर।

4) मीरा ग्रामोद्योग संस्थान, जिला, नागौर।

परिशिष्ट-1

प्रदेश की अनुदानित संस्थाओं की जिलेवार सूची

क्र.सं.	नाम संस्था/समिति	जिला
1.	श्री राधागोविन्द संस्थान, खोरा श्यामदास	जयपुर
2.	कूकस ग्रामोद्योग संस्थान, कूकस	जयपुर
3.	पूजा खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बोयताकला, झोटवाड़ा	जयपुर
4.	गिर्राज ग्रामीण विकास संस्थान, जैतपुरा	जयपुर
5.	सागर ग्रामोद्योग विकास संस्थान, जैसल्या	जयपुर
6.	जयपुर ग्रामोद्योग विकास संस्थान, विधाणी, सांगानेर	जयपुर
7.	जयपुर नगर खादी ग्रामोद्योग संघ, कूकस	जयपुर
8.	तुलसी ग्रामोद्योग एवं विकास संस्थान, सूरजपुरा, सांगानेर	जयपुर
9.	विकास खादी ग्रामोद्योग संस्थान	जयपुर
10.	राष्ट्रीय ग्रामोद्योग संस्थान	जयपुर
11.	नीलकंठ खादी ग्रामोद्योग संस्थान 3-ई छोटी	श्रीगंगानगर

1	2	3
12.	गंगा ग्रामोद्योग संस्थान	श्रीगंगानगर
13.	जे.आर., खादी ग्रामोद्योग संस्थान	श्रीगंगानगर
14.	संसार लोक विकास समिति, जटियाना	अलवर
15.	संदेश खादी ग्रामोद्योग संस्थान, हरनेर	अलवर
16.	दिव्य भारती महिला ग्रामोद्योग माण्डलिया विकास संस्थान	भीलवाड़ा
17.	लवलेश ग्रामोद्योग संस्थान	भीलवाड़ा
18.	बालाजी ग्रामोद्योग संस्थान, बारानाड़ा	जोधपुर
19.	शेखावाटी ग्रामोद्योग संस्थान, मालियों की ढ़ाणी	सीकर
20.	शिकन ग्रामोद्योग संस्थान, नान	बीकानेर
21.	खादी ग्रामोद्योग संस्थान, शिवबाड़ी	बीकानेर
22.	ज्योति उत्पादक सहकारी समिति लि., खारा	बीकानेर
23.	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर	बांसवाड़ा
24.	मानिक उत्पादन संस्थान, 4-बी के.के. नोहर	हनुमानगढ़
25.	मीरा ग्रामोद्योग संस्थान, नेनरडिया	नागौर
26.	राजस्थान जनजाति विकास समिति	कोटा
27.	दुर्गा कृषक कल्याण समिति	भरतपुर
28.	खादी ग्रामोद्योग विद्या मंदिर, डाबला	चूरू

1	2	3
29.	महिला मण्डल गृह उद्योग प्रतिष्ठान	उदयपुर
30.	श्री विश्वकर्मा ग्रामोद्योग संस्थान, रीठोली, हिण्डौन।	करौली
31.	ग्राम भारती सेवा संस्थान, रीठोली, हिण्डौन	करौली

सरदारशहर तहसील के गांवों के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

114. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरदारशहर तहसील के किन-किन गांवों में आयुर्वेद औषधालय हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में कहां-कहां पर किस-किस संवर्ग के कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरदारशहर तहसील के 17 ग्रामों में विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं, जिनकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट-"क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त औषधालयों में किसी भी संवर्ग का कोई पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।

(3) कोई पद रिक्त नहीं है।

परिशिष्ट-"क"

सरदारशहर तहसील में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र.सं.	स्थान औषधालय
1.	बन्धनाऊ
2.	फौगा
3.	मालसर
4.	रामसीसर
5.	खेजड़ा
6.	बुकनसर बड़ा
7.	ढाणी पाचैरा
8.	मेहरासर उपाधियान
9.	रातुसर
10.	राजासर बीकान
11.	उदासर कल्याणपुरा
12.	सारसर
13.	अड़सीसर

1	2
14.	राणासर बीकान
15.	मैलुसर बीकान
16.	भौजुसर उपाधियान
17.	बिल्युवास रामपुरा

परिशिष्ट-"1"

नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाएं

क्र.सं.	पंजीकृत गौशालाएं
1.	श्री कृष्ण गौशाला मारवाड़, मुडवा
2.	श्री पिंजरापोल गौशाला, मेड़तासिटी
3.	श्री गोपाल गौशाला, डेगाना
4.	श्री गोविन्द गोपाल गौशाला, भांगनाडा ईनाणी
5.	श्री रामकृष्ण गौशाला, घघराना
6.	श्री चावण्डा देवी गौशाला, तरनाऊ
7.	श्री रामानन्द गौशाला, ब्रान्चदास
8.	श्री कृष्ण गौशाला, हरसोलाव
9.	श्री राम गौशाला, नागौर
10.	श्री राजस्थान गौसेवा समिति, कुचेरा
11.	श्री कृष्ण गौशाला. श्रीबालाजी
12.	श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति, रोल
13.	श्री गौ आदि रक्षिणी सभा, पीही

1	2
14.	श्री मरूधर केसरी गौशाला, जसनगर
15.	श्री जसनाथ गौसेवा समिति, पांचलासिदा
16.	श्री भौमियाजी गौशाला समिति, रूण
17.	श्री कृष्ण गौशाला, रियाबडी
18.	श्री कृष्ण गौसेवा समिति, शंखवास
19.	श्री रजत गौ समिति, रियाबडी
20.	श्री प्रतीत राम गौसेवा समिति, डेह
21.	श्री अनाथ गौ रक्षा समिति, रियाबडी
22.	श्री कृष्ण गौसेवा समिति, मेडतारोड
23.	श्री कृष्णगोपाल गौ व पशुशाला, जावला
24.	श्री बीरतेजा गौसेवा समिति, मारवाडमूण्डवा
25.	श्री मोलासर गौ सदन एवं शोध संस्थान, मोलासर
26.	श्री महेश गौसेवा समिति, खींवसर
27.	श्री कृष्ण गौशाला, राजास
28.	शिव गौशाला समिति, इन्दोखा

1	2
29.	गोपाल कृष्ण गौशाला, भादवासी
30.	श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति, मोकाला
31.	श्री कृष्ण गौशाला, खजवाना
32.	श्री महादेव गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट, अकेली
33.	श्री कृष्ण गौसेवा समिति, बड़ू
34.	श्री कृष्ण गौसेवा समिति, बडयाली
35.	श्री कृष्ण गौसेवा समिति, बग्गड़
36.	श्री राधाकृष्ण गौसेवा समिति, अरनिमाला
37.	श्री भुंमिश्वर गौशाला, रामधाम-कबरायार
38.	श्री श्याम गौशाला ट्रस्ट, लम्पोलाई
39.	श्री गो सेवा समिति, घाटवा
40.	श्री कृष्ण गौशाला, हूडील
41.	श्री चावण्डा गौ सेवा समिति, तरनाऊ
42.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, खिंयाला
43.	श्री बाबा भूंगलदास गौसेवा समिति, बोडवा

1	2
44.	श्री रूपरजत गौसेवा समिति, लिलियां
45.	श्री विमला देवी खेतावत, गौशाला, धनकोली
46.	श्री गणेश गौसेवा समिति, रोहिसां
47.	श्री मेडता गौसेवा समिति, मेडतासिटी
48.	श्री शीतलामाता गौसेवा समिति, धारणावास
49.	श्री मरूधर केशरी गौसेवा समिति, पुन्दल
50.	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, बूडसू
51.	श्री गोपाल गौसेवा समिति, जोधयासी
52.	स्वामी हजारीमल गौसेवा समिति, नौखाचांदावता
53.	दरियाव गौशाला सेवा समिति, रेण
54.	श्री मरूधर केशरी रूपरजत गौशाला सेवा समिति, इन्द्रावड
55.	संत श्री सेवादासजी महाराज गौसेवा समिति, लाम्बा जाटान
56.	श्री गोपाल गौशाला, कुकनवाली
57.	श्री महावीर गौसेवा समिति, राठौरीकुआं, नागौर
58.	श्री दादुदयाल गौशाला एवं जीव सेवा ट्रस्ट, ग्राम रूण

1	2
59.	श्री गौसेवा समिति, गोटन
60.	श्री गुरूकुल गौसेवा समिति, बासनीनेता
61.	शिवशक्ति गौशाला सेवा समिति, मेडतासिटी
62.	खेतेश्वर गौसेवा समिति, चम्पाखेड़ी
63.	श्री शिवगौ सेवा समिति, गोरेडीकरणा
64.	श्री कृष्ण गोपाल गौसेवा समिति, डेगाना
65.	श्री शिव गौसेवा समिति, ईडवा
66.	श्री लक्ष्मीनृसिंह गौसेवा समिति, मारवाड मूडवा
67.	श्रीकृष्ण गुलोब गौशाला, निम्बीजोधा
68.	श्री गंगा गौशाला, छोटीखाटू
69.	श्री कुचामन गौशाला, कुचामनसिर्टी
70.	श्री गोपाल गौशाला, डीडवाना
71.	श्री रामानन्द गौशाला, लाडनूं
72.	श्री बालाजी गौसेवा समिति, मीठडी
73.	श्री कृष्ण गोपाल गौ सदन समिति, जसवन्तगढ़

1	2
74.	श्री गोपाल गौशाला, मकराना
75.	श्री जनकल्याण गोपाल गौशाला, मारोठ
76.	श्री गोविन्द गौशाला, नावां
77.	श्री गोपाल गौसेवा संस्थान, कोलिया

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-57 का विवरण)

ENGINEERING DEPARTMENT, RAJASTHAN

No. : CE(SP)/isarda/PHED/2004-2005/	Dated : 3-11-2004

OFFICE ORDER

Sub : Declaring Executive Engineer. Canal Division-I Bisalpur Project, Tonk as DDO to operate the budget head of PHED to the extent of Rs. 5.00 Crores for the payment of construction of Coffer Dam in upstream of proposed Isarda Dam.

Construction of the Coffer Dam in upstream of proposed Isarda Dam is one of the prestigious project of state Government for drinking water supply in Tonk District. The A & F sanction for construction of Coffer Dam at an estimated cost of Rs. 16.50 crores has already been accorded by PPC in its 150th meeting held on 23-7-2004 and it has been decided that the dam is to be constructed by Irrigation Department. During the financial year 2004-05 there is a budget provision of Rs. 5.00 Crores for work of construction of officer dam under the following budget head :

4215	-	C.O.L. on Water Supply and Sanitation
01	-	Water Supply
102	-	Rural Water Supply
(24)	-	Coffer Dam at isarda
17	-	Major construction works

In view of the above sanction is hereby accorded to declare Executive Engineer, Canal Division-I, Bisalpur Project, Tonk as DDO for operating the budget head of PHED to the extent of Rs. 5.00 Crores out of the aforesaid budget provision during the current financial year 2004-05 for the payment for construction of Coffer Dam in upstream of proposed Isarda Dam.

This issue as per the concurrence given by Finance Department vide its ID No.: Finance/(Exp-III)/3021 dated 8-10-2004.

Secretary to Govt.
PHED, Rajasthan, Jaipur

परिशिष्ट-3

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख)

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि बनीपार्क विधान सभा राजस्थान का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। 5 लाख 8 हजार मतदाता, निगम के 70 में से 20 वार्ड, 10 हजार कॉलोनियां, 30 कच्ची बस्ती, 12 गांव व 40 ढाणियां हैं। यही कारण है कि बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने बाबत आम नागरिकों की मांग काफी वर्षों से की जा रही है। पूर्व में अजमेर रोड कालवाड़ रोड और दक्षिण में अजमेर रोड के बीच सैकड़ों कॉलोनियों में आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है जयपुर के इस विधान सभा क्षेत्र में जयपुर की लगभग एक चौथाई आबादी है। जबकि वर्तमान में उक्त क्षेत्र में केवल एक डिस्पेन्सरी है जिसमें सभी सुविधाएं अपर्याप्त हैं। निजी चिकित्सालय खुलते जा रहे हैं जो महंगे होने के कारण गरीब जनता की पहुंच के बाहर है। इस सम्बन्ध में विकास समितियों, जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय विधायक के बार-बार अनुरोध पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

झोटवाड़ा पंचायत समिति में 7 बीघा जमीन भी उपलब्ध है। यहां पूर्व में सैटेलाइट अस्पताल हेतु उदघाटन भी हो चुका है। इस सुविधा से मेरे वार्ड 1, 4, 5, 7, 8, 9 एवं 10 के नागरिक को लाभ मिलेगा।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये झोटवाड़ा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने की पुर-जोर मांग करता हूं।

प्रो. वीरू सिंह राठौड़
(बनीपार्क)

डाबड़ी बलौदा ग्राम (नवलगढ़) के लिए स्वीकृत उच्च जलाशय का निर्माण कार्य शुरू करवाने बाबत

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ग्राम डाबड़ी बलौदा में माननीय सांसद श्री शीशराम ओला के "संसदीय क्षेत्र विकास कोटा" से कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झुन्झुनूं के आदेश क्रमांक 19066-72 दिनांक 22-3-2003 द्वारा उच्च जलाशय निर्माण हेतु राशि 5.00 लाख स्वीकृत किये गये थे। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 30-10-2002 को हुई थी।

उक्त कार्य की स्वीकृति हुए $2^1/_2$ वर्ष होने को है, परन्तु अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मेरे स्वयं के अतारांकित प्रश्न संख्या 2833 के जवाब दिनांक 6-1-2005 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप-6) द्वारा जो सूचना मुझे उपलब्ध करवाई गई है उसमें क्र.सं. 276 पर कार्य पूर्ण बताया गया है।

मान्यवर एक तरफ राज्य सरकार पेयजल योजनाओं के कार्यों के त्वरित निष्पादन की बात करती है, दूसरी तरफ कार्यों को करवाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तथा विधान सभा में प्रश्नों का उत्तर भी गलत दिया जाता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि समय पर कार्य निष्पादन में देरी करने वालों एवं गलत जवाब प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद।

प्रतिभा सिंह
(नवलगढ़)

वन क्षेत्र में आने वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फालासिया-उदयपुर में कई गांव वन क्षेत्रों में बसे है वे गांव वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र से होकर सड़कें नहीं निकालने की पाबन्दी होने से सड़कों से नहीं जुड़े हैं। जिससे वहां का विकास नहीं हो पाया है। न ही उन्हें मूलभूत सुविधा मिल पा रही है। जिसके कारण वहां की जनता को रोज 20-25 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि उक्त गांवों (श्रवण, त. जाडोल, लौहारी त. कोटड़ा मणासी, सूरा, आबा आदि) को सड़कों से जोड़ने हेतु वन विभाग की पाबन्दी हटाकर सड़कों से जोड़ने की कार्यवाही अविलम्ब की जाये ताकि वहां का विकास हो सके।

धन्यवाद।

बाबूलाल खराड़ी
(फलासिया)

श्रीगंगानगर जिले के गांवों में दलितों गरीबों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उन्हें बसाने हेतु

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र लेख है कि श्रीगंगानगर जिले में अनु. जाति समुदाय की जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक है। गंगनहर इ.गा.न.प. व भाखड़ा क्षेत्र में वर्षों पूर्व जब गांव बसे थे, तब चक बन्दी के अन्तर्गत किसी गांव को 25 बीघा, किसी गांव को 50 बीघा व अधिक भूमि आवासीय प्रयोजन

हेतु उपलब्ध करवायी गयी थी, उस समय की आबादी को देखें तो वर्तमान में आबादी 5-6 गुणा बढ़ चुकी है। दलितों व गरीबों की आबादी तो और तेजी से बड़ी है इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गांव में सैकड़ों दलित गरीब परिवारों के पास एक झूणी झोपड़ी के लिए भी स्थान उपलब्ध नहीं है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि गांवों के साथ लगती भूमि का अधिग्रहण कर ग्राम पंचायतों को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध करवायी जाये ताकि दलितों व गरीबों की आवासीय समस्या का समाधान हो सके।

धन्यवाद सहित।

भवदीय

डा. ओ.पी. महेन्द्रा

(केसरीसिंहपुर)

गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की प्रोविजनल सूची को ठीक करने बाबत

महोदय,

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये सदन के माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन काल में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवारों का सर्वे कर उनकी प्रोविजनल सूची बनाई गई। अभी हाल ही में इस सूची को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया की पहली कड़ी में ये सूचियां स्थानीय निकायों में वार्ड स्तर पर चशपा की गई जब इन चस्पा की गई सूचियों को स्थानीय नागरिकों ने देखा तो नागरिक अंचभित रह गये चयनित परिवार हेतु निर्धारित मापदण्ड की पात्रता रखने के बावजूद थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के नाम इस सूची में अंकित नहीं थे। जबकि वार्ड स्तर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े कई ऐसे परिवार जो बी.पी.एल.

परिवार के नाम इस सूची में दर्ज है बी.पी.एल. परिवार की प्रोविजनल सूची समय चूंकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन सत्ता का दुरुपयोग कर सर्वे सूची बनाने वाले अधिकारियों पर दबाव डालकर उन्हें डरा धमका कर अपना वोट बैंक, बढ़ाने एवं उसे पक्का करने की नियत से कई गरीब परिवारों का एक मार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का कृत्य किया ताकि सरकार द्वारा चयनित परिवार को मिलने वाली सुविधा एवं लाभ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनसे जुड़े लोगों को मिल सके। सूची चस्पा किये जाने के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका नाम सर्वे सूची में आयेगा नाम आने की स्थिति में निर्धारित समय में इन परिवारों ने नगर परिषद पाली में प्रार्थना पत्र पेश कर इस सूची में अपना नाम दर्ज करने का आग्रह किया। वर्तमान राज्य सरकार ने इस सूची को अन्तिम रूप देने के आखिरी चरण में वार्ड सभाओं के जरिये आवेदन एवं आपत्तियों का निस्तारण कर रही है।

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस कार्य से जुड़े अधिकारियों को बड़े-निर्देश दे कि ऐसा गरीब परिवार जिनका नाम इस सूची में होना था परन्तु नहीं है उसमें इनका नाम आवश्यक रूप से जोड़ा जाये एवं कांग्रेस शासन में सत्ता का दुरुपयोग कर जो फर्जी नाम इस सूची में दर्ज हो गये उन्हें सूची से हटाया जाये।

मान्यवर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले इन परिवारों की ना तो कोई पहुंच है ना ही ये इस स्थिति में हैं कि ले देकर ये अपना नाम इस सूची मे दर्ज करा सकें ऐसे में सरकार का यह कर्तव्य होता है कि सूची पूर्णतया सही बने। यदि कांग्रेस शासन काल में बनी प्रोविजनल सूची पर ही अपनी अन्तिम मोहर लगा दी तो इनके द्वारा किये गये छोटे कार्य पर वर्तमान सरकार की भी मोहर लग जायेगी।

ज्ञानचन्द पारख
(पाली)

आवासन मण्डल, जोधपुर की कालोनियों में विकास कार्य बाबत

महोदय,

मैं माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर जिला मुख्यालय पर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अब तक मुख्य रूप से 5 आवासीय योजनाएं बनायी गई हैं। जिनमें सबसे पहले प्रताप नगर व भगत की कोठी आवासीय योजना स्वीकृत की जाकर प्रारम्भ की गई। जिसमें क्रमशः 761 आवास प्रताप नगर में एवं 82 मकान भगत की कोठी में बनवाये गये। शहर में वर्ष 1974 में चौपासी रोड पर नंदनवन योजना शुरू की गई जो आज तक जोधपुर शहर की सबसे बड़ी आवासीय योजना है जिसमें 13000 आवास विभिन्न आय वर्ग के लिए बनाए गये। मधुबन हाउसिंग बोर्ड योजना वर्ष 1982 में प्रारम्भ की गई जिसमें अब तक लगभग 2400 आवासों का निर्माण हो चुका है। तथा बड़ी भगतासनी आवासनी योजना 1991 में प्रारम्भ की गई जिसमें अब तक करीब 7000 आवास निर्मित किए गए हैं। प्रताप नगर व भगत की कोठी योजनाओं को वर्ष 1978 में नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी है। तथा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना के सेक्टर एक से 7 तक की कालोनियां नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। ये सभी आवासीय योजनाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित हैं।

महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शहर की सबसे बड़ी आवासीय योजना क्रमशः चौपासनी, बुड़ी, भगतासनी व मधुबन में लगभग 25 से 30 हजार परिवार निवास कर रहे हैं। एवं डेढ़ से दो लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। यहां मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आवासीय योजनाओं में आज तक न मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया गया है एवं न ही आम जन के हितार्थ पूर्ण विकास किया है। उदाहरणार्थ इन योजनाओं में न तो नियमित सफाई की व्यवस्था है न ही सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था की गई

है। इसी तरह सम्पर्क सड़कें पिछले 10 वर्षों से नहीं बनाई गयी हैं इन सड़कों की आज बुरी हालत है। इन सड़कों का होना भी नहीं के बराबर है। इसी क्रम में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आवासन मण्डल द्वारा उक्त योजनाओं में जो सार्वजनिक उद्यानों हेतु भूमियां छोड़ गई व मण्डल द्वारा लाखों रुपये खर्च करके चारदिवारी बनाई थी। वे उद्यान आज उद्यान न रहते हुए क्षेत्र के कूड़ेदान बन गये है। सार्वजनिक प्रकाश की माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां के निवासियों को आये दिन असामाजिक तत्व परेशान करते हैं एवं इसी कारण इस क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।

अतः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में आवासन मण्डल की उक्त सभी कालोनियों में योजनाबद्ध रूप से विकास कार्य करवाया जावे एवं सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था, उद्यान विकास कार्य हेतु ठोस कार्यवाही करवायी जावें ताकि क्षेत्र के निवासियों में कल्याणकारी सरकार के प्रति विश्वास जागृत हो सके।

धन्यवाद।

मोहन मेघवाल
(सूरसागर)

पिडावा (झालावाड़) में काला पीपल बांध का निर्माण कराने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि निरन्तर घटते जल स्तर और कम वर्षा के चलते पिडावा विधान सभा क्षेत्र के किसानों के कुओं में पानी नहीं होने से उपजाऊ भूमि होने के बावजूद किसान पर्याप्त फसल नहीं ले पाते हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र के किसान निरन्तर आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते जा रहे हैं और कर्ज के बोझ से दबते चले जा रहे हैं। माननीय इस क्षेत्र में

आबू नदी बहती है जिसका काला पीपल देह काफी बड़ा देह है और यहां बांध हेतु बढिया साइड है जिसका कितने ही बार सर्वे हो चुका है। इस बांध (मधम सिंचाई) के निर्माण से पिड़ावा डग व झालरापाटन तीनों विधान सभा क्षेत्र के किसानों को लाभ प्राप्त होगा। पानी की कमी की वजह से खेतीयां तो सूखी रहती है साथ ही इस क्षेत्र में गर्मीयों में पेयजल समस्या भी विकराल रूप धारण कर लेती है और यहां प्रतिवर्ष पेयजल हेतु भी टैंकर चलाने पड़ते हैं। बांध के बंध जाने से खेतों को पानी मिल जावेगा। जिससे किसानों की माली हालत सुधर कर किसान आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो जावेगा और पेयजल समस्या का भी स्थाई रूप से समाधान हो जावेगा।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय उक्त काला पीपल बांध को बंधवाने की स्वीकृति प्रदान कराई जाकर इसी वित्तीय वर्ष में बजट आबंटित करने का कष्ट करें।

धन्यवाद सहित।

कन्हैया लाल पाटीदार
(पिड़ावा)

नागौर जिले में कृषि उपभोक्ताओं के भार निर्धारण में भारी अनियमितता

मान्यवर,

मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बिजली की हमेशा भंयकर कमी रही है। विधान सभा क्षेत्र की जनता एवं किसानों की भावनाओं के अनुरूप इस विशेष उल्लेख के माध्यम से आपका व राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि, ग्राम पीह (परबतसर) में स्थापित 33/11 के.वी. जी.एस.एस. की सप्लाई 132/33 के.वी.जी.एस.एस. भैरून्दा के 33 के.वी. थांवला फीडर से हो रही है। जिस पर 33/11 के.वी.जी.एस.एस.

थांवला भी स्थापित है। दोनों उप चौकीयां दो अलग-अलग सहायक अभियन्ताओं के अधीन होने से कृषि कुओं को ब्लॉक अनुसार सप्लाई देने में नियन्त्रण सही नहीं रहता है तथा लाइन लम्बी होने से वोल्टेज ड्राप होने से सप्लाई सही नहीं मिल पा रही है। इस उप चौकी से सात गांवों को विद्युत सप्लाई दी जा रही है। अतः 132/33 के.वी. जी.एस.एस. भैरून्दा से 33 के.वी. जी.एस.एस. पीह को सीधा एक्सप्रेस लाइन से जोड़ा जावे। तथा 33 के.वी. जी.एस.एस. पीह सं ग्राम पीह की सिटी लाइन को जोड़ा जावे।

ग्राम हरनांवा को वर्तमान में 33 के.वी. जी.एस.एस. गच्छीपुरा से सप्लाई हो रही है जिससे लाइन लम्बी होने से एवं गच्छीपुरा जी.एस.एस. पर अत्यधिक लोड होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप होने से सप्लाई सही नहीं मिल पा रही है। अतः ग्राम हरनांवा को 33 के.वी. जी.एस.एस. बागोट से सीधा जुड़वा दिया जावे तो ग्रामवासियों को फायदा होगा तथा विभाग को भी छीजत रूकने से राजस्व का फायदा होगा।

ग्राम माण्डन ग्राम पंचायत किनसरिया (परबतसर) में 100 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर ग्राम की पट्टा सुदा जमीन में लगा हुआ है तथा उक्त ट्रान्सफार्मर से निकलने वाले तीनों एल.टी. फिडर आवासीय मकानों के ऊपर से जा रहे हैं। जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना बनी हुई है। अतः इस ट्रान्सफार्मर को गांव के एक तरफ लगवाने की स्वीकृति जारी करावें।

विद्युत विभाग द्वारा नागौर जिले में कृषि उपभोक्ताओं के भार निर्धारण में भारी अनियमितता बरतने के कारण जिले के काश्तकारों को भारी नुकसान हो रहा है। नागौर जिले में पानी की कमी के कारण जल स्तर गिर गया है एवं पानी की भारी कमी बनी हुई है। इन परिस्थितियों में कृषि उपभोक्ताओं के लिये मनमाना भार निर्धारित करके बिजली आपूर्ति के हिसाब से लोड फेक्टर लगाया जा रहा है। अतः कर निर्धारण की पुनः समीक्षा की जावे तथा काश्तकारों को जारी कनेक्शन में ग्रिड सब-स्टेशन अनुसार भार निर्धारण के लिये न्याय संगत तरीका अपनाया जाकर कनेक्शन जारी किया जावे। बिजली की कम आपूर्ति, बिल राशि का अधिक निर्धारण होने से आम

काश्तकारों का शोषण हो रहा है। अतः इस सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही कर नागौर जिले के काश्तकारों को राहत प्रदान करवाने की कृपा करावें। साथ ही जीएसएस ठेकेदार को पूर्ण नियन्त्रण में रखकर काम करवाया जावे। लाईनमेनों के रिक्त पदों को भरा जावे तथा आवश्यकतानुसार नये मीटर लगाये जावें।

धन्यवाद सहित।

भवदीय

राकेश मेघवाल
(परबतसर)

लूणकरणसर तहसील के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना के कारण विस्थापित काश्तकारों को आबंटित भूमि के विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन है कि देश की आवश्यकता के मद्देनजर तहसील लूणकरणसर के 34 गांवों की भूमि को अवाप्त किया गया था और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना की गई। सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए समर्पित की गई भूमि के बदले में काश्तकारों को अन्यत्र भूमि आबंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी क्रम में काश्तकारों द्वारा आवेदन किया गया और निर्धारित राशि जमा करवाई गई और विभाग द्वारा तहसील खाजूवाला, छतरगढ़ और पूगल में कृषि भूमि आबंटित की गई। आबंटन प्रक्रिया के पूर्ण होने के साथ इन काश्तकारों ने विभिन्न स्थानों पर आबंटित उबड़-खाबड़ और बंजर भूमि को काश्त योग्य बनाया और अब यह कहा जा रहा है कि उक्त 500 से अधिक काश्तकारों की 7,800 बीघा से अधिक भूमि वन विभाग को भी आबंटित है तथा 11,700 बीघा से अधिक भूमि भूदान बोर्ड छतरगढ़ द्वारा भी आबंटित की

गई है। इस प्रकार उन सहृदय काश्तकारों की जिन्होंने सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1984 में अपनी जमीन तथा सैंकडों वर्षों से बसे हुए गांवों और घरों को समर्पित कर दिया। आज डबल अलाटमेन्ट का शिकार होकर कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं।

अतः मेरा इस हेतु निवेदन है कि इन सदभावी काश्तकारों को जो अपनी आबंटित जमीन पर अपनी ढ़ाणी बनाकर निवास कर रहे हैं तथा काश्तकर रहे हैं व अपने परिवार का लालन-पालन कर रहे हैं, उन्हें इस डबल अलाटमेन्ट के विवाद का निस्तारण कर स्पष्ट कानूनी अधिकार दिलाया जावे।

वीरेन्द्र बेनीवाल
(लूणकरणसर)

बस्सी के काश्तकारों के माफी मंदिर के नामान्ताकरण राजस्व न्यायालयों के रेफरेन्स से खुलने बाबत

(1) यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी के हजारों काश्तकारों की काश्त भूमियां माफी मन्दिर के नामान्तरणकरण राजस्व न्यायालयों के रेफरेन्स से खुल रहे हैं जबकि यह काश्त भूमियां इन काश्तकारों की स्वयं की पुश्तेनी भूमि है।

(2) यह है कि माफी मन्दिर के नामान्तकरण हो जाने से किसानों को उनकी भूमि, जो माफी मन्दिर में बताया जा रहा है, पर कृषि विद्युत कनेक्शन किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आवासीय प्रयोजनार्थ जैसे महत्वपूर्ण भू-विकास के कार्यों से वंचित कर दिया गया है। इससे न केवल किसानों के साथ कुठाराघात हुआ है बल्कि उनका जीने का अधिकार भी समाप्त हो गया है।

(3) यह कि पीडित काश्तकारों में अधिकांश काश्तकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के गांव के गांव ही माफी मन्दिर के नामान्तकरण हो जाने से भूख से मरने की नौबत के साथ पीडितों को रहने की जगह भी नहीं बची है। पूरे गांव के गांव ही मंदिर माफी में आ गये हैं जिनसे कुछ गांव जैसे-रामसिंहपुरा, बूरथल, कानड़वास, किशनपुरा गुढा मीणा, टहेटड़ा, श्रीरामपुरा, गुढाचक, जटवाडा, मदरूपपुरा इत्यादि हैं।

अतः माननीया मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रीजी को माननीय अध्यक्षजी को इस बात का ध्यानाकर्षण करावे कि पीडितों को तत्काल राहत स्वरूप पुनः पीडितों के नामान्तकरण कराने के आदेश फरमावें तथा जिनके अब तक नहीं खुले है उन्हें खुलने से रोकने की कृपा करें।

कन्हैया लाल मीणा
(बस्सी)

बाड़मेर एवं जैसलमेर में चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान।

महोदय,

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से अत्यन्त ही पिछड़े हुए जिले हैं। इन दोनों मरूस्थलीय जिलों में एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत की औसत दूरी आमतौर पर 10 से 15 किलोमीटर है - कहीं कहीं पर इससे भी अधिक दूरियां हैं इसी तरह राजस्व गांवों की दूरियां भी 5 से 10 किलोमीटर तक आमतौर पर हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत दूर-दूर के गांवों एवं ढाणियों में बिखरी होने के कारण जनता को स्वास्थ्य नहीं के बराबर मिल रही है। माननीया मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट में 461 उप स्वास्थ्य केन्द्र मरूक्षेत्र में खोलने की जो घोषणा की थी, मैं सरकार को अवगत करा रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव में केवल एक, जो भी फतेहगढ़ उपखण्ड

मुख्यालय पर जहां अब तक चिकित्सा के लिए कुछ भी नहीं था, जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में केवल एक, तथा बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में केवल एक ही स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है। इसका मुख्य कारण इन तीनों ही विधान सभा क्षेत्र शिव, जैसलमेर एवं बाड़मेर में आबादी का दूर दराज की ढाणियों एवं गांवों में बिखरा होना। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों 3000 की आबादी के जगह 1500 की आबादी के आधार पर या क्षेत्रफल को आधार मानकर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जावें तथा इसी तरह क्षेत्रफल को ही आधार मानकर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान किया जाये ताकि दूर सीमावर्ती पिछड़ी जनता को प्रारम्भिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

बाड़मेर जिले में कनिष्ठ विशेषज्ञों के 19 पद वरिष्ठ विशेषज्ञों के 4, चिकित्सा अधिकारी के 13, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 28, अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 35 तथा एम.पी.डब्ल्यू. के 105 रिक्त पदों का भरने का सरकार से अनुरोध है। इसी प्रकार जैसलमेर जिले में वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र), वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) तथा वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग), कनिष्ठ विशेषज्ञ (औषध), कनिष्ठ विशेषज्ञ (कान, नाक, गला), कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी) तथा कनिष्ठ विशेषज्ञ (चर्म एवं रति रोग) इसके अलावा जिले में कनिष्ठ विशेषज्ञों के 5, सीनियर मेडिकल ओफीसर के 3, मेडिकल ओफीसर के 8 पद रिक्त हैं। इसी क्रम में जैसलमेर में कार्यालय स्टाफ के 12, नर्सिंग केडर के 4, पैरामेडिकल के 11, शिक्षा एवं प्रसार केडर के 12, तकनीकी केडर के 11, मलेरिया केडर के 2 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केडर के 13 पद रिक्त है। बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित उक्त सभी पदों को तुरन्त भरने का सरकार से पुरजोर अनुरोध है। इसके अलावा इन दोनों ही जिलों में फर्नीचर एवं विविध सामग्री की भारी कमी है जिसकी शीघ्र आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाये।

डा. जालम सिंह रावलोत
(शिव)

चौरासी की कतिपय सड़कों का डामरीकरण करने बाबत

मान्यवर,

निवेदन है कि प्रक्रिया नियम, 295 के जरिये आपके माध्यम से श्रीमान सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरासी कि निम्न सड़कों पुनः डामरीकरण करने हेतु निवेदन करता हूं कि जो सड़कें करीब 11-12 वर्ष पहले बनी थी वर्तमान में इतनी जीर्ण-शीर्ण हो गयी है कि उनके ऊपर वाहन नहीं चल कर नीचे कच्चे में चलना पड़ रहा है उनको बड़े-बड़े गड्डे बढ़ गये है जिस पर राजस्थान रोडवेज वाले भी कह रहे है कि समय रहते सड़कों पर पुनः डामरीकरण नहीं हुआ तो हमको मजबूरन बसें बन्द करनी पड़ सकती हैं।

अतः आप मेरी विनती को मध्य नजर रखते हुए सड़कों का डामरीकरण कराने की कृपा करें जो निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	स्थान	दूरी (लम्बाई)
1.	डूंगरपुर से सरथूना	61 कि.मी.
2.	पीठेडूका से डका तक	22 कि.मी.
3.	पीठ से पूनावाड़ा	13 कि.मी.
4.	गैजी से रेंटा डाणमारिया	15 कि.मी.
5.	चारवाडा से बलनिया	6 कि.मी.
6.	धोथरी से सुराता	15 कि.मी.
7.	महूडी से मानाचौकी	10 कि.मी.
8.	धौथरी से भीण्डा रोड	6 कि.मी.

1	2	3
9.	माण्डली मेन रोड से सादडिया तक	5 कि.मी.
10.	सीमलवाड़ा से सरथूना	13 कि.मी.
11.	गन्धवा से रास्ता	8 कि.मी.
12.	करावाडा से चारवाड़ा	9 कि.मी.
13.	देहरा से बारिया	2.5 कि.मी.
14.	धडिया से बोडामली	5 कि.मी.

मुझे विश्वास है कि आप मेरे क्षेत्र की उक्त सड़कों पर पुनः डामरीकरण करने की कृपा करेंगे।

सुशील कटारा
(चौरासी)

सदस्य सूची

गुरूवार, 17 फरवरी, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव का पारण	294
श्री अमराराम (धोद)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	152
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान	13
सिंचाई	
-राज्य की विभिन्न नहरों के हैडवर्क्स के रख-रखाव हेतु नियुक्त कर्मी	364
सूचना	
-माननीय सदस्य श्री विजय बंसल को मारने की धमकी	116
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-सलूम्बर के रघुनाथपुरा ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा	308
श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत	77

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानुपर)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-दानुपर के सुखानिया डैम की ऊंचाई घटाने के सम्बन्ध में 69

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ा मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली 308

श्री उपाध्यक्ष

शासकीय वक्तव्य

-अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी 94

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

तारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान 7

सिंचाई

-बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजनान्तर्गत काफर डैम की स्थापना 24

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत 78

सूचना

-पूर्व मंत्री एक दैनिक के सम्पादक को धमकी 98

-माननीय सदस्य श्री विजय बंसल को मारने की धमकी 117

स्थगन प्रस्ताव

-राजस्थान में आयल रिफाइनरी के सम्बन्ध में 58

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-श्रीगंगानगर जिले के गांवों में दलितों गरीबों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उन्हें बसाने हेतु	452
श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पिडावा (झालावाड़) में काला पीपल बांध का निर्माण कराने बाबत	456
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बस्सी के काश्तकारों के माफी मन्दिर के नामान्ताकरण राजस्व न्यायालयों के रेफरेन्स से खुलने बाबत	460
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में अति विशिष्ट जांच सुविधाओं हेतु कार्य-योजना	33
स्पष्टीकरण	
-डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	172
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-नदबई (भरतपुर) में राजकीय महविद्यालय की स्थापना	350

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-सेवानिवृत्त अनुदानित विद्यालय शिक्षाकर्मी का पेंशन प्रकरण 416

श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत 72

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-गंग नहर का पुर्ननिर्माण 430

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-भाखड़ा नहर क्षेत्र से सिंचाई हेतु प्राप्त जल 312

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री

सूचना

-पालतू ग्राम में 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार 47

-पाली जिले में एक नाबालिग लडकी के साथ बलात्कार 46

-माननीय सदस्य श्री विजय बंसल को मारने की धमकी 114

स्थगन प्रस्ताव

-गौ तस्करी एवं गौ हत्या की घटनाएं 38

नाम पृष्ठ संख्या

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में अति विशिष्ट जांच सुविधाओं हेतु कार्य-योजना 26

स्पष्टीकरण

-डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 182

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-चूरू जिले के प्रस्तावित राजस्व ग्राम एवं मजरे 391

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-गरीबी रेखा में चयनित परिवारों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधा 364

-सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में अति विशिष्ट जांच सुविधाओं हेतु कार्य-योजना 29

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत 73

स्पष्टीकरण

-डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 168

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-बाड़मेर एवं जैसलमेर में चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान 461

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद 421

तारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान 1

सार्वजनिक निर्माण

-राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों पर टोल टैक्स की वसूली 318

शासकीय वक्तव्य

-अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी 84

स्थगन प्रस्ताव

-गौ तस्करी एवं गौ हत्या की घटनाएं 36

-राजस्थान में आयल रिफाइनरी के संबंध में 51

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की प्रोविजनल सूची को ठीक करने बाबत 453

सूचना

-पाली जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार 42

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

अभिभाषण

-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद 142

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री दलजीत सिंह (बाड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बाड़ी में सार्वजनिक स्थानों के हैण्डपम्प	382
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	193
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-कुम्हेर (भरतपुर) कृषि विज्ञान केन्द्र में बीज ग्रेडिंग कार्य में व्याप्त अनियमितता	395
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	188
डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों में अव्यवस्था	63
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि आबंटन हेतु निर्धारित मानदण्ड	400
श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-टीबी के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद	371

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-चित्तौड़गढ़ जिले की डामर सड़क विहीन ग्राम पंचायतें	408
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-कुम्हेर (भरतपुर) कृषि विज्ञान केन्द्र में अनियमितता	393
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में अति विशिष्ट जांच सुविधाओं हेतु कार्य-योजना	26
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-नवलगढ़ के डाबड़ी बलौदा ग्राम के लिए स्वीकृत उच्च जलाशय का निर्माण कार्य शुरू करवाने बाबत	451
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान	1
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
- जिले की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं	376

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-पैराटीचर्स का नियमितीकरण	342
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	121
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-कपासन के बेरोजगारों हेतु प्रस्तावित उद्योग	375
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-कपासन के चिकित्सालयों में रिक्त पद	315
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-राज्य के तहसील मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय	436
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-नोहर के अधिशासी अभियन्ता सिंचित क्षेत्र कार्यालय का बीकानेर में स्थानान्तरण	346
श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-वन क्षेत्र में आने वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में	452

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
स्थगन प्रस्ताव	
-दूदू में अकाल राहत कार्य	34
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने बाबत	450
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	223
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान	14
स्थगन प्रस्ताव	
-राजस्थान में आयल रिफाइनरी के संबंध में	51
शासकीय वक्तव्य	
-अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी	93
स्पष्टीकरण	
-डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	169
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की बकाया अनुदान राशि	420

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-सरदारशहर तहसील के गांवों के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद	439
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	132
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कोटा की भामाशाह मण्डी में हड़ताल के दौरान निजी कम्पनियों द्वारा जीन्सों के क्रय-विक्रय से प्राप्त राजस्व	310
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
शासकीय वक्तव्य	
-अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी	81
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-पृथक नर्सेज निदेशालय की स्थापना	405
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-खेड़ली नगरपालिका (अलवर) के जलदाय कर्मियों का समायोजन	387
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-पाली जिले में निलम्बित पटवारियों का पुन: पदस्थापन	349

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	214
श्री महादेव सिंह (खण्डेला)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सीकर जिले के चिकित्सालयों में वार्ड ब्वाय के रिक्त पदों पर भर्ती	404
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
शासकीय वकतव्य	
-अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी	92
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	191
सूचना	
-पूर्व मंत्री द्वारा एक दैनिक के सम्पादक को धमकी	102
श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	158
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-सुखेर डैम से गोगुन्दा की पेयजल योजना	65
स्थगन प्रस्ताव	
-गोगुन्दा के कालीबोर डैम से किसानों को पानी की उपलब्धता	34

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-आवासन मण्डल, जोधपुर की कालोनियों में विकास कार्य बाबत 455

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खादी एवं ग्रामोद्योग

-राज्य के अनुदानित ग्रामीण लघु/कुटीर उद्योग 436

तारांकित प्रश्नोत्तर

परिवार कल्याण

-राज्य में जनसंख्या वृद्धि पर रोक हेतु प्रभावी नीति 349

सूचना

-पालतू ग्राम में 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार 43

स्पष्टीकरण

-डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 169

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)

अभिभाषण

-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद 205

श्री रमेश खींची (कठूमर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-वरिष्ठ विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा के बकाया वेतन का भुगतान 405

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-नागौर जिले में कृषि उपभोक्ताओं के भार निर्धारण में भारी अनियमितता 457

नाम	पृष्ठ संख्या

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत 78

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत 74

विधेयक का पुरःस्थापन

-राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 81

स्थगन प्रस्ताव

-राजस्थान में आयल रिफाइनरी के संबंध में 50

स्पष्टीकरण

-डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 170

श्री रामकिशोर मीणा, (सिकराय)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन के अधिशेष कर्मी 434

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत 75

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-निर्यातोन्मुखी वस्त्र इकाइयों हेतु अपैरल पार्क की स्थापना 295

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत	76
शासकीय वक्तव्य	
-अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी	91
सूचना	
-पूर्व मंत्री द्वारा एक दैनिक के सम्पादक को धमकी	101
स्थगन प्रस्ताव	
-राजस्थान में आयल रिफाइनरी के संबंध में	50
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
उपनिवेशन	
-उपनिवेशन विभाग की आठ अधिसूचनाएं	79
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-नैनवां का सिंचाई रहित घोषित सिंचित क्षेत्र	390
तारांकित प्रश्नोतर	
सिंचाई	
-बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजनान्तर्गत काफर डैम की स्थापना	19
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
शासकीय वक्तव्य	
-अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी	111

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामलाल (बनेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजनान्तर्गत काफर डैम की स्थापना	24
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-पुरानी अनाज मण्डी, चौमूं बस स्टैण्ड की राजकीय सम्पत्ति का रख-रखाव	345
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-डेगाना में विधायक अभिशंसित सड़क सुधार कार्य	410
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	263
श्री विजय बंसल (भरतपुर)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	148
सूचना	
-श्री विजय बंसल, माननीय सदस्य को मारने की धमकी	113
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-सम्भागीय मुख्यालयों पर रेवेन्यू बोर्ड की सर्किट बैंच	369

नाम	पृष्ठ संख्या

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-लूणकरणसर तहसील के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना के कारण स्थापित काश्तकारों को आबंटित भूमि के विवाद के निस्तारण के संबंध में 459

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों में अव्यवस्था 61

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अजमेर को टैक्सी कार हेतु अनियमित वित्तीय स्वीकृति 427

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-अजमेर के लम्बित राजस्व रिकार्ड प्रकरण 318

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

तारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान 4

शासकीय वक्तव्य

-अनुसूचि जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी 82

सूचना

-पाली जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार 40

श्री सभापति

स्पष्टीकरण

-डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 173

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)	
पर्ची के माध्यम से उठायें गये मुद्दे	
-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत	76
श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजनान्तर्गत काफर डैम की स्थापना	19
श्री सी. डी. देवल (रायपुर)	
सूचना	
-पाली जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार	41
-पूर्व मंत्री द्वारा एक दैनिक के सम्पादक को धमकी	97
-माननीय सदस्य श्री विजय बंसल को मारने की धमकी	118
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
तारांकित प्रश्नोतर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान	5
सूचना	
-पूर्व मंत्री द्वारा एक दैनिक के सम्पादक को धमकी	101
स्थगन प्रस्ताव	
-राजस्थान में आयल रिफाइनरी के संबंध में	54
स्पष्टीकरण	
-डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	172
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	199

नाम	पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च शिक्षा

-कोटपूतली (जयपुर) के राजकीय महाविद्यालयों में नवीन विषयों का अध्यापन 310

डेयरी एवं पशुपालन

-नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान 6

शासकीय वक्तव्य

-अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी 111

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-अन्त्यपरीक्षण प्रशिक्षित चिकित्सकों का पदस्थापन 401

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर)

सूचना

-पूर्व मंत्री द्वारा एक दैनिक के सम्पादक को धमकी 96

श्री सुरेश मीणा (करौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-नादौती (करौली) तहसील के काश्तकारों को पांचना बांध से सिंचाई सुविधा 431

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों पर टोल टैक्स की वसूली 318

श्री सुशील कटारा (चौरासी)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-चौरासी की कतिपय सड़कों का डामरीकरण करने बाबत 463

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	209
श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)	
समिति प्रतिवेदन : महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी	
-महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति 2004-2005 का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन	80
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-हिण्डौली तहसील (बून्दी) के काश्तकारों के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही	392
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में अति विशिष्ट जांच सुविधाओं हेतु कार्य-योजना	33
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद बन्द करने बाबत	70
श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	128
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान	7